लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 23 नवम्बर, 1971/2 अग्रहायण, 1893 (शक)

No. 7, Tuesday, November 23, 1971/ Agrahayana 2, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
182. नेपाली क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर का रेखांकन	Alignment of Western Kosi Canal in Nepalese Territory	... 1—5
184. पम्प सेटों के लिए बिजली का दिया जाना और गाँवों में बिजली पहुँचाना	Energisation of Pump sets and Rural Electrification	... 5—8
185. अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन झाँसी डिवीजन (मध्य रेलवे) के द्वारा धन के गोल-माल के बारे में लगाए गए आरोपों की जाँच	Enquiry into Allegation re. misappropriation of money levelled by All India Station Master's Association Jhansi Division (Central Railway)	... 8—10
186. मछली के निर्यात में कमी	Decline in export of Fish	... 10—11
187. उत्तर में गंगा नदी को नर्मदा नदी के ज़रिये दक्षिण की कावेरी नदी से मिलाने के लिए सर्वेक्षण	Survey to link Ganga in North with Southern River Cauvery through Narmada	... 12—13
189. वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों का दुरुपयोग	Misuse of Acutal Users' Licences	... 14—15
193. मुजफ्फरपुर में बागमती नदी परियोजना की मंजूरी	Approval to Bagmati River Project in Muzaffarpur	... 15—17
194. राजधानी एक्सप्रेस से अर्जित लाभ	Profit earned by Rajdhani Express	... 17—19
196. फिल्मों के विनिमय के बारे में "इम्पैक" का अमरीकी फिल्म कम्पनियों से करार	IMPEC's Agreement with American Film Companies for Exchange of Films	... 19—20
200. रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन	Re-organisation of Railway Protection Force	... 20—21
201. रेलवे द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि	Amount of Damages paid by Railways	... 21—24

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. कानपुर, कटिहार और बरौनी रेलवे स्टेशनों के बीच मेल और एक्सप्रैस रेलगाड़ियों का देरी से चलना	Late Running of Mail and Express Trains between Kanpur, Katihar and Barauni Railway Stations ...	24—25
183. रेलगाड़ियों का डीज़ल इंजनों से चलाया जाना	Dieselisation of Trains	25
188. इण्डियन रेलवे चेकिंग स्टाफ एसोसिशन द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र	Charter of Demands submitted by Indian Railways checking Staff Association	25
190. कोचिन में मत्स्य उद्योग समूह	Fisheries Complex at Cochin	26
191. व्यापारी वर्ग द्वारा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के माल डिब्बों की माँग	Demand of Wagons by Trading Communities on North-east Frontier Railway ...	26—27
192. चाय के निर्यात मूल्य को संरक्षण देने के लिए चाय उत्पादक देशों के साथ दीर्घावधि करार	Long Term Agreement with Tea Producing Countries to protect Export Price of Tea	27—28
195. रूमानिया के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Rumania ...	28
197. श्रीलंका से खोपरे का आयात	Import of Copra from Ceylon ...	28—29
198. खनिज तथा धातु व्यापार निगम की यूरोप को कोयला निर्यात करने की योजना	MMTC Plan to Export Coal to Europe	29
199. उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Pending cases in High Courts ...	29—30
202. रेलवे लेखा परीक्षा विभाग में डेपूटेशन पर आये अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों और सैलूनों का उपयोग	Use of Inspection Coaches and Saloons by Officers on Deputation to Railway Audit Department ...	30—31
203. कनाडा से अखबारी कागज के आयात में अनियमितताएं	Irregularities in import of Newsprint from Canada	31
204. अन्य देशों द्वारा भारत को कच्चे तेल की सप्लाई	Supply of Crude Oil to India by Foreign Countries	31—32
205. भारत द्वारा फिलिपीन में रेलों का विकास	Development of Railways in Philippine by India ...	32
206. दिल्ली तथा बम्बई और दिल्ली तथा मद्रास के बीच राजधानी एक्सप्रैस जैसी रेल गाड़ियाँ चलाया जाना	Introduction of Rajdhani Type of Trains between Delhi-Bombay and Delhi-Madras ...	33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
207. दिल्ली को कच्चे पानी की सप्लाई	Supply of Raw Water to Delhi ...	33—34
208. उत्तर पश्चिमी राज्यों में बिजली की कमी की संभावना	Likely Shortage of Power in North Western States ...	34—35
209. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमे	Cases pending in High Courts and Supreme Court	35—36
210. रुई का मूल्य निर्धारण	Price Fixation of Cotton	36
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q.Nos.		
1194. डा० भगवान दास मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा दायर किये गये मामले	Cases filed by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi	36
1195. सिरसा-भटिंडा रेल लाइन पर मनवाला में एक नया स्टेशन खोलना	Opening of a new Railway Station at Manwala on Sirsa Bhatinda Rail Track ...	37
1196. केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना की स्थापना	Establishment of Vamanapuram Irrigation Project, Kerala ...	37
1197. अध्ययन अवकाश पर विदेशों में गये रेलवे अधिकारियों द्वारा प्राइवेट रोजगार प्राप्त करना	Private Employment by Railway Officers on Study Leave Abroad	37—38
1198. ऊनी कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Woollens ...	38
1199. रेलवे के शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों के प्रिंसीपलों की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes as Principals in Railway Educational Institutions ...	39
1200. दिल्ली प्रशासन के अनुसूचित जातियों के लोगों की प्रिंसीपल के पद पर रेलवे स्कूलों/कालेजों में डैपूटेशन पर नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes as Principals on Deputation from Delhi Administration in Railway Schools/Colleges ...	39
1201. अहमदाबाद के राजनगर और अनन्त टैक्सटाइल मिलों का बन्द होना	Closure of Rajnagar and Anant Textile Mills, Ahmedabad ...	40
1202. निर्यात/आयात व्यापार पर निर्यात नीति का प्रभाव	Effect of Export Policy on Export/Import Trade	40—41
1203. संयुक्त उपक्रमों में धन लगाने के बारे में फ्रांसीसी आर्थिक मिशन की पेशकश	Offer by French Economic Mission for Financing Joint Ventures	41—42

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1204.	उड़ीसा में पटसन उद्योग की स्थापना करना	Setting up of Jute Industry in Orissa ...	42
1205.	1972 में राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव	Simultaneous Elections to State Assemblies in 1972 ...	42—43
1206.	सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गये सूती कपड़ा मिलों में घाटा	Taken over Textile Mills Incurred Loss ...	43—44
1207.	विदेशों में संयुक्त उपक्रम	Joint Ventures Abroad ...	44—45
1208.	विदेशों को बेची गई फिल्में	Films sold to Foreign Countries ...	45
1209.	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore ...	45—46
1210.	बरौनी में तापीय बिजली घर का बन्द हो जाना	Closure of Thermal Plant at Barauni ...	46
1211.	ईराक द्वारा भारत को कच्चे तेल और गंधक की बिक्री	Sale of Crude Oil and Sulphur to India by Iraq ...	46—47
1212.	आयात के बारे में राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया	Procedure followed by State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation Regarding Imports ...	47
1213.	कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना	Removal of Distinction between Workers and Officers ...	47—48
1214.	सरकारी उपक्रम के माध्यम से किये जाने वाले आयातों के लिए नई मूल्य नीति	New Price Policy for canalised Import ...	48
1215.	दिल्ली में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला	International Trade Fair to be held in Delhi ...	48—49
1216.	निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of Export Credit and Guarantee Corporation ...	49
1217.	39 अप जनता एक्सप्रैस का दिल्ली और हावड़ा रेलवे स्टेशनों पर समय पर पहुँचना	Timely Arrival of the 39 up Janta Express at Delhi and Howrah Railway Stations ...	49—50
1218.	संकेत और दूरसंचार के निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों का कार्य तथा भिन्न वेतन मान	Duties and different pay scales of Inspectors and Supervisory Staff in Signal and Telecommunications Department ...	50—51

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1219. विदेशी वृत्त चित्रों के आयात की नीति में परिवर्तन	Change in Policy of Importing Foreign Feature Films ...	51
1220. चीन, वियतनाम और कोरिया की कुछ पुस्तकों पर प्रतिबन्ध	Ban on certain Books from China, Vietnam and Korea ...	51
1221. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सहायक स्टेशन मास्टरों और लीवर मैनों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना	Non Payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters and Levermen, Allahabad Division (Northern Railway) ...	51—52
1222. पटना जंक्शन और पटना सीटी रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के बारे में सिफारिश	Recommendations regarding Change in Names of Patna Junction and Patna City Railway Stations ...	52
1223. रेलवे कार्यालय कर्मचारी वर्ग का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Railway Ministerial Staff ...	52—53
1224. इलाहाबाद मंडल के लोको रनिंग स्टाफ की संयुक्त संघर्ष समिति की माँग	Demands by Joint Struggle Committee Loco Running Staff, Allahabad Mandal ...	53
1225. उत्तर रेलवे में फायरमैन के रूप में कार्य कर रहे प्रशिक्षित कर्मचारी	Trained Personnel Working as Firemen on Northern Railway ...	53—54
1226. गोहाटी स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) पर छात्रों द्वारा सैनिकों पर आक्रमण	Attack by Students on Army Men on Gauhati Station (North East Frontier Railway) ...	54
1227. परिवहन संग्रहालय	Transport Museum ...	54
1228. दिल्ली मेन स्टेशन पर पार्सल लिपिकों तथा पार्सल कुलियों का स्थानान्तरण	Transfer of Parcel Clerks and Parcel Porters at Delhi Main Station ...	54—55
1229. चोरी के मामलों में अन्तर्गस्त दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल लिपिक तथा पार्सल कुली	Parcel Clerks and Parcel Porters of Delhi Station Involved in Theft Cases	55
1230. शोरानूर (दक्षिण रेलवे) में रेलवे वर्कशापों की खराब स्थिति	Damage condition of Railway Workshops at Shorannur (Southern Railway) ...	55
1231. दार्जिलिंग मेल में शयन स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था	Provision of Reservation of Berths in Darjeeling Mail ...	56
1232. बम्बई में उपनगरीय रेलगाड़ी की चरनीरोड पर खड़ी एक रेलगाड़ी से टक्कर	Collision of Suburban Train in Bombay with a Stationery Train at Charni Road ...	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1233. काकद्वीप में न्यायालयों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव	Proposal for Opening of Courts at Kakdwip	56—57
1234. 24 परगना में जलनिस्सारण संबंधी योजनाएँ	Schemes for drainage for 24 Parganas	57
1235. कालनागिनी खाल, काकद्वीप को गहरा करने की योजना	Schemes for deepening of Kalnagini Khal, Kakdwip ...	58
1236. सुन्दर वन का विद्युतीकरण	Electrification of Sundarbans ...	58
1237. केरल में बन्द हुई मिलों को अधिकार में लेना	Taking over of closed Mills in Kerala ...	58
1238. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण	Survey of Export Potential of Coir and Coir Products by Indian Institute of Foreign Trade	59
1239. रेल लाइन बिछाने के लिये भारतीय सहायता की माँग करने वाले देश	Foreign countries seeking India's help for Railway Lines ...	59
1240. रेलवे वैगन प्राप्त करने के लिये द्रुत योजना	Crash Plan for acquiring Railway wagons	59—60
1241. आधुनिक पटसन मिलों की स्थापना संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on establishment of modern Jute Mills ...	60
1542. आन्ध्र प्रदेश की थाम्मेलेरू परियोजन का निर्माण	Construction of Thammeleru Project in Andhra Pradesh ...	60—61
1243. दिल्ली और बम्बई से रेलवे मुख्यालयों के कार्यालयों का स्थानान्तरण	Shifting of Railway Offices from Delhi and Bombay	61
1244. कुवैत के व्यापार मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना	India's participation in Trade Fair in Kuwait	61—62
1245. बोदीनायकानूर के निकट वर्षा के कारण हुई क्षति	Damage done by rains near Bodynayakanur	62
1246. दरियागंज रेलवे स्टेशन (उत्तर पूर्व रेलवे) का विद्युतीकरण	Electrification of Daryaoganj Railway Station (North Eastern Railway) ...	62—63
1247. जहाँगीराबाद को रेलवे से जोड़ना	Linking of Jahangirabad with Railway ...	63
1248. ऊटकमंड स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर पुलिस द्वारा छात्रों को पीटा जाना	Beating up of students by Police at Ootacamund Station (Southern Railway) ...	63

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1249.	कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज, माही को अधिकार में लिया जाना	Take over of Cannanore Spinning and Weaving Mills, Mahi ...	63—64
1251.	गंगा से कावेरी तक नदियों को जोड़ने के लिये केन्द्रीय जल ग्रिड	Central Water Grid to connect Rivers from Ganga to Cauvery ...	64—66
1252.	दिल्ली में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों के लिये स्थायी रोजगार की व्यवस्था	Regular Employment to Employees Working on Daily Wages in Delhi	66
1253.	दहेज लेने और दहेज देने को प्रज्ञेय अपराध बनाने के लिये दहेज निषेध में संशोधन	Amendment of Dowry Prohibition Act to make the taking and given of Dowry a cognisable Offence ...	66
1254.	राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें	Textile Mills taken over by National Textile Corporation ...	67
1255.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड के कार्यकरण की जाँच	Probe into working of U.P. State Electricity Board by Experts of Central Water and Power Commission ...	67
1256.	मैसूर में बिजली उत्पन्न करने के लिये संयंत्र लगाना	Setting up of plants for Generating Electricity in Mysore ...	68
1257.	बन्द शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे मार्ग पर बिजली की गाड़ी चलाना	Running of an Electric Train on Defunct S. S. Light Railway Route ...	68
1258.	पारसनाथ तथा गोमोह स्टेशन के बीच खाद्यान्नों का लूटा जाना	Looting of Foodgrains from a goods train between Parasnath and Gomoh Stations ...	69
1259.	ज्वालापुर स्टेशन, उत्तर रेलवे पर उपरिपुल	Overhead bridge at Jawalapur Station (Northern Railway) ...	69
1260.	भुपतवाला (उत्तर रेलवे) में रेलवे स्टेशन बनाना	Opening of a Railway Station at Bhupatwala (Northern Railway) ...	69
1261.	श्रेणी 2 (परिशिष्ट 2-क अर्हता प्राप्त) क्लर्कों की शिकायतें दूर किया जाना	Redress of Grievances of Clerks Grade II Appendix II-A Qualified ...	70—71
1262.	काबुल गया व्यापार प्रतिनिधिमंडल	Trade Delegation to Kabul ...	71
1263.	आयातों पर अमरीकी अधिभार के कारण भारत में गैर परम्परागत निर्यातों पर प्रभाव	Effect on India's Nontraditional Export due to US surcharge on Imports	72
1264.	राजधानी एक्सप्रैस का परिचालन व्यय	Cost of operation of Rajdhani Express ...	72—73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1565.	वर्ष 1969-70 में राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा हाथ में ली गई संकटग्रस्त मिलें	Sick mills taken over by NTC during 1969-70	73
1266.	बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये नई योजनायें	New Schemes for rural electrification proposed by Bihar Government ...	74
1267.	रेलवे कर्मचारियों द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिये दिये गये योगदान का स्वीकार न किया जाना	Contribution by Railway Employees to Bangla Desh Refugees not accepted ...	74—75
1268.	दक्षिण रेलवे पर चोरियों, डकैतियों और लड़कियों के अपहरण की घटनाएँ	Incidents of theft, dacoity and kidnapping of girls in Southern Railway ...	75
1269.	कोका कोला निर्माताओं के लाइसेंस की पुनः पूर्ति	Replenishing licence of Coca Cola manufacturers ...	75—76
1270.	उत्तर रेलवे के स्टेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई जाँच का परिणाम	Result of investigations against certain employees of Northern Railway ...	76
1271.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के माल, बुकिंग और पार्सल कार्यालयों में सन्दर्भ पुस्तकों की अत्यन्त कमी	Acute shortage of Reference books in Goods, Booking and Parcel Offices of Delhi Division, (Northern Railways) ...	76—77
1272.	सोवियत रूस से रुई का आयात	Import of cotton from USSR ...	77
1573.	वर्ष 1970-71 के दौरान कारों का आयात	Import of cars during 1970-71 ...	77
1274.	मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड में माल की चोरी	Pilferage of Articles from Mughalsarai Marshalling Yard ...	77—78
1375.	पश्चिम रेलवे की जामनगर-बेदी पत्तन रेलवे लाइन पर दुर्घटना	Accidents on Jamnagar-Bedi Port Railway Line (Western Railway) ...	78—79
1276.	विदेश व्यापार मंत्री का विदेशों का दौरा	Foreign Trade Minister's visit to Foreign Countries ...	79—80
1277.	गोहाना-पानीपत रेल लाइन को फिर से लागू करना	Restoration of Gohana Panipat Railway Line ...	80—81
1278.	लोक सभा के आम चुनावों पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on General Elections to Lok Sabha ...	81—82
1279.	नौकरी के लिये उम्मीदवार के पूर्ववृत्त की जाँच पड़ताल	Verification of Antecedents of candidate for a job	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1280. रेलवे वर्कशाप पलनी (दक्षिण रेलवे) के फिटर चार्ज मैन का कथित श्रमिक विरोधी व्यवहार	Alleged Anti Labour Attitude of Fitter Chargeman, Railway Workshop, Palni (Southern Railway) ...	82—83
1281. रेल तथा नौवहन भाड़े में वृद्धि हो जाने से विश्व मंडी में भारतीय वस्तुओं पर पड़ा प्रभाव	Effect on Indian Goods in World Market due to increase in Railway and Shipping Freights ...	83
1283. रेलवे सामग्री की नीलामी के लिये सामान्य शर्तें	General Conditions for Auction of Railway Materials ...	83—84
1284. जल विद्युत, आणुविक विद्युत एवं तापीय विद्युत की उत्पादन लागतों की तुलना	Comparative cost of Hydro Power *vis-a-vis* Nuclear and Thermal Powers ...	84
1285. बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी के कारण बिहार में औद्योगिक एककों को हानि	Loss to Industrial Units in Bihar due to Break Down in Power Supply ...	84—85
1286. हजारी बाग (पूर्व रेलवे) से रेल पटरियों की चोरी	Theft of Rails from Hazaribagh (Eastern Railway) ...	85
1287. बंगाल बन्द के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railway due to Bengal Bandh ...	85
1288. पूर्वी रेलवे में बर्दवान-कटवा रेलवे लाइन की मरम्मत	Repair to Burdwan-Katwa Railway Line (Eastern Railway) ...	85—86
1289. बर्दवान-कटवा रेलवे लाइन की रेलगाड़ियों के यात्री डिब्बों की मरम्मत	Repairing of Compartments of Trains on Burdwan-Katwa Railway Line ...	86
1290. मध्य एशियाई कपास के परिष्करण और कपड़े के उत्पादन के लिये भारत-रूस समझौता	Indo-Soviet Agreement for Processing Central Asian Cotton and Production of Textiles ...	86
1291. दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व उद्योग मेले पर किया जाने वाला व्यय	Expenditure to be incurred on World Industrial Fair at Delhi ...	86—87
1292. कुटकू और तिलैया बाँधों की प्रगति	Progress of Kutku and Tilaiya Dams ...	87
1293. दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग करार	Economic Co-operation Agreement with South Korea ...	87—88
1294. इडिकी परियोजना के लिये कनाडा से सहायता	Canadian Aid for Idikki Project ...	88
1295. चुनावों पर होने वाले व्यय में किफायत	Economy in Expenditure on Elections ...	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1296. गौहाटी और तिनसुखिया तक बड़ी लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Broad Gauge Line to Gauhati and Tinsukia ...	89
1297. कोचीन में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में केरल विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया संकल्प	Resolution adopted by Kerala Assembly regarding setting up of Marine Products Export Development Authority at Cochin	89
1298. शोरनूर दक्षिण रेलवे स्थित रेलवे के वर्कशाप के लिये फालतू पुर्जे और उपकरण	Spare Parts and Instruments for Railway Workshops, Shoranur (Southern Railway) ...	89—90
1299. केरल में नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण	Mechanisation of Coir Industry in Kerala	90
1300. चुनाव अधिकारियों की नई दिल्ली में हुई बैठक	Electoral Officers' Meeting held in New Delhi ...	90—91
1301. चमड़े के जूते सप्लाई करने के लिये राज्य व्यापार निगम का रूस के साथ ठेका	STC Contract with USSR for supply of Leather shoes ...	91—92
1302. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को गेहूँ के लिये दिये जाने वाले ऋण का बंद किया जाना	Discontinuance of Wheat Loans to its Employees by Punjab State Electricity Board ...	92
1303. पोचमपाद सिंचाई परियोजना की प्रगति	Progress of Pochampad Irrigation Project	92—93
1304. घाघरा नदी वेसिन का विकास	Development of Ghaghra River Basin ...	93
1305. उत्तराखंड में रेल मार्ग का निर्माण	Laying of Railway lines in Uttarakhand ...	93
1306. उत्तर रेलवे के मुख्यालय का लखनऊ/कानपुर को स्थानान्तरित किया जाना	Shifting of Northern Railway Head quarters to Lucknow/Kanpur ...	94
1307. तुगलकाबाद, ओखला, तिलक ब्रिज, (उत्तर रेलवे) के सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना	Quarters to Signal and Telecommunication Staff of Tughlakabad, Okhala, Tilak Bridge (Northern Railway) ...	94
1308. सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिये स्वीकृत मापदंड	Approved Yardstick for Signal and Telecommunication Staff ...	95
1309. मंगलौर से बम्बई तक नई रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a new train from Mangalore to Bombay ...	95

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1310. यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिये संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय	EEC's decision to set up Joint Commission for commercial cooperation between India and EEC ...	95—96
1311. रेलवे बोर्ड में परिवर्तन	Changes in Railway Board ...	96
1312. फरक्का रेलवे स्टेशन पर कुलियों की हड़ताल	Porters' Strike at Farakka Railway Station ...	96—97
1313. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तापीय बिजली घर की स्थापना	Installation of Thermal Power Station at Malda District, West Bengal ...	97
1314. भारतीय काफी खरीदने का जापान का प्रस्ताव	Japan's proposal to purchase Indian Coffee ...	97—98
1315. खड़गपुर और नीमपुड़ा रेलवे यार्ड (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच पानी जमा हो जाने के कारण हुई क्षति	Damage due to waterlogging between Kharagpur and Nimpura Railway Yard (South Eastern Railway) ...	98
1316. 1967 में कोयना में आये भूकम्प के कारण	Causes of Earthquake at Koyna 1967 ...	98—99
1317. पश्चिम बंगाल तथा असम के उत्तर क्षेत्र में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा रेलवे लाइनों और गाड़ियों का उड़ाया जाना	Blasting of railway tracks and trains by Pakistan Saboteurs in Northern Regions of West Bengal and Assam ...	99—100
1318. सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्पत्तियों के लिए मुआवज़ा देने के सिद्धान्त में परिवर्तन करने के विचार से संविधान में संशोधन किया जाना	Amendment of Constitution for seeking to change idea of compensation for properties acquired by Government ...	100—101
1319. नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट	Projects under Narmada Valley Project	101
1320. नर्मदा परियोजना से होने वाले लाभ	Benefits from Narmada Valley Project ...	102
1321. मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों तथा फलों के परिवहन के लिए रेलवे माल डिब्बे	Railway wagons for transportation of foodgrains and fruits in Madhya Pradesh ...	103
1322. मध्य प्रदेश में सुकता बाँध बनाने की अनुमति	Approval for Sukta Dam in Madhya Pradesh	103
1323. बम्बई और इलाहाबाद अथवा दिल्ली के बीच नई गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of new trains between Bombay and Allahabad or Delhi	103

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1324.	मध्य रेलवे में 'डाइनिंग कारों' में घटिया किस्म के भोजन की सप्लाई	Supply of bad quality of food in dining cars on Central Railway	... 104
1325.	कालीकट से कोचीन तक फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a fast express train from Calicut to Cochin	...104—105
1326.	केरल में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना	Setting up of Weavers Service Centre in Kerala	... 105
1327.	संविधान (25 वाँ संशोधन) विधेयक में परिवर्तन करने के लिए विधि आयोग का सुझाव	Suggestions by Law Commission to make changes in Constitution (Twenty fifth Amendment) Bill	...105—106
1328.	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को रबड़ का निर्यात	Export of Rubber to GDR	... 106
1329.	दक्षिणपूर्व एशिया में भारतीय काफी की बिक्री बढ़ाने के लिए कार्यवाही	Steps to Promote Indian Coffee in South East Asia	... 106
1330.	निर्यात में वृद्धि	Increase in Exports	...106—107
1331.	कोटा और रतलाम डिवीजनों (पश्चिमी रेलवे) के ट्रैवलिंग टिकट एक्ज़ामिनरों द्वारा हड़ताल	Strike by Travelling Ticket Examiners of Kota and Ratlam Divisions (Western Railway)	... 107
1332.	डेक्कन क्वीन की 'रेस्टोरेंट कार' में तृतीय श्रेणी के यात्रियों का प्रवेश निषिद्ध होने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Non-Entry Third Class Passengers in the Restaurant Car of Deccan Queen	...107—108
1333.	रतलाम स्थित डीजल शेड को एक फैक्टरी समझा जाना	Treatment of Diesel Shed, Ratlam as Factory	... 108
1334.	जावरा तथा ढोढर के बीच हाल्टिंग स्टेशन कायम करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal for setting up Railway Station between Jaora and Dhodhar	... 108
1335.	सोन नदी पर बनसागर बाँध (परियोजना)	Ban Sagar Dam (Project) on river Sone	... 109
1336.	तमिलनाडु में सिंचाई की संभावनाएँ	Irrigation prospects in Tamil Nadu	...109—110
1337.	निवेली और वृन्धाचलम के बीच बड़ी लाइन	Broad Gauge Line between Neiveli and Virndhachalam	... 110
1338.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋण	Loans sanctioned by Rural Electrification Corporation	...110—111
1339.	जल विद्युत परियोजनाओं का पूरा होना	Completion of Hydro Projects	... 111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
1340. तमिलनाडु में निर्माणाधीन बिजलीघर	Power Stations under Construction in Tamil Nadu	...111—113
1341. हीरे जवाहरात की उत्पादन और विपणन प्रणालियों के संबंध में सुझाव	Suggestions re. production and marketing methods of gems jewellery	...113—116
1342. अलौह धातुओं पर नए आयात शुल्क के समान अतिरिक्त अदायगी के लिये धातु तथा खनिज व्यापार निगम की माँग	M. M. T. C.'s demand for extra payment equal to New Import duty on non-ferrous metals	... 115
1343. ऊन के बुने हुए वस्त्रों का रूस को निर्यात	Export of Woollen Knitwears to USSR	... 116
1344. अधिमान टैरिफ संबंधी सामान्य प्रणाली के अंतर्गत तैयार चमड़े का निर्यात	Export of finished leather under GSP	...117—118
1345. रेलवे प्रशासन द्वारा कुलियों को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licneces to Porters by Railway administration	... 118
1346. स्थायी कुलियों की अनुपस्थिति में नैमित्तिक कुलियों की नियुक्ति के नियम	Rules for appointment of Casual porters in absence of Regular porters	...118—119
1347. मान्यता प्राप्त महासंघ और उनसे संबद्ध यूनियनें	Recognised federations and their affiliated unions	...119—120
1348. संकेत और दूर संचार विभाग के निरीक्षक का स्टोर के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाना	Relieving of Inspectors of signal and Telecommunication Department of Store responsibility	... 121
1349. रेलवे के संकेत तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के कार्य की परिस्थितियाँ और उन्हें वर्दी देना	Supply of uniforms to employees of Signal and Telecommunication Department of Railways	... 121
1350. पाकिस्तान में सम्पत्ति ज़ब्त किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को तदर्थ अंतरिम सहायता और अनुग्रह-अनुदान	Ad hoc Interim Relief and Ex-Grati Grants to Indian Nationals whose properties were seized in Pakistan	...121—122
1351. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत कपड़ा मिलों के विरुद्ध जाँच	Legislation against Textile Mills under Industries (Development and Regulation) Act, 1951	... 122
1352. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से असम को और असम से माल का बुक न किया जाना	Non booking of goods to and from Assam (Northeast Frontier Railway)	... 123

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1353. ईराक के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Iraq	... 123
1354. रेलवे की वित्तीय स्थिति का मध्य वर्गीय मूल्यांकन	Mid year appraisal of Railway Finances	...123—124
1355. निर्वाचक विधियों में संशोधन	Amendment of Electoral Laws	...124—125
1356. नाइलोन के धागे के निर्माताओं द्वारा अधिक लाभ अर्जित किया जाना	Nylon Yarn Manufacturers earning huge Profits	... 125
1357. राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण	Formulation of National Water Policy	... 125
1359. काजीपेट-डरनाकल सैक्शन (दक्षिण-मध्य रेलवे) के स्थायी वेतन निरीक्षक और वेतन क्लर्क पर हमला	Attack on permanent Pay Inspector and Pay Clerk on Kozipet-Dornakal Section (South Central Railway)	...125—126
1360. रेलवे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Administrative Reforms Commission on Railways	...126—129
1361. अहमदाबाद और साबरमती के बीच शटल गाड़ियों के चलने से आय	Earnings from Shuttle Trains running between Ahmedabad and Sabarmati	... 129
1362. कोयला खानों को रेलवे वैगन आबंटित करने में भ्रष्टाचार	Corruption in allotment of Railway Wagons to Collieries	...129—130
1363. कमला बलान बाँध का निर्माण	Construction of Kamla Balan Embankments	... 130
1364. विश्वभर से टेण्डरों द्वारा रुई की गाँठों के आयात के लिए दिये गये पर्मिट	Permits issued to Import Global Cotton Bales	131
1365. उत्तर रेलवे में नियुक्त आशुलिपिकों को सहायता	Help to Stenographers Employed on Northern Railway	... 131
1366. उत्तर रेलवे में परीक्षा के द्वारा आशुलिपिकों की पदोन्नति	Promotion of Stenographers on Northern Railway through Examination	...131—132
1367. पोंगडेम क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में सुरंग	Tunnels in Pong Dam Area, Himachal Pradesh	... 132
1368. श्री दुबे नामक उच्च श्रेणी रेल कंडक्टर पर घातक हमला	Fatal attack on Shri Dube, Upper Grade Railway Conductor, Kotah	...132—133
1369. रेलवे द्वारा सीमेंट कंकरीट के स्लीपरों का उपयोग	Use of Cement Concrete Sleepers by Railways	...133—134
1370. चटापठार पर रेल फाटक पर उपरि पुल	Overbridge at Railway crossing at Chatapathar	... 134
1371. नकली रेशम धागे की कमी	Shortage of artifical slik yarn	...134—135

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1372.	मकान किराया काटने के लिए संगचल भत्ते के बारे में विचार	Consideration of Running Allowance for reduction of House Rent	... 135
1373.	रेलवे वर्कशाप रायपुर के पंजीकृत श्रमिक संघ पर सदस्यता शुल्क एकत्र करने पर रोक	Registered Labour Union of Railway Workshop Raipur debarred from collection of Membership Fee	...135—136
1374.	आगरा के लोको संगचल कर्मचारियों को संगचल भत्ते की गैर-अदायगी	Non-Payment of Running Allowance to Loco Running Staff, Agra	... 137
1375.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के ड्राइवरों को दिया गया दण्ड	Penalty imposed on Drivers (Ajmer Division, Western Railway)	...137—138
1376.	नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट उपरि पुल	Overbridge near Safdarjang Aerodrome, New Delhi	... 139
1377.	पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में असफल उम्मीदवारों को 'बी' ग्रेड के स्थानापन्न ड्राइवरों के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाना	Chance to failures to officiate as Drivers 'B' Grade, Ajmer Division (Western Railway)	...139—140
1378.	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के संगचल कर्मचारियों में से पदोन्नति के लिए कोटे का नियमित किया जाना	Regularisation of Quota for Promotion from running staff, Ajmer Division (Western Railway)	...140—141
1379.	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति को नियमित करना	Regularisation of Promotion of Drivers 'A' Grade, Jaipur Division (Western Railway)	... 142
1380.	आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन द्वारा खुला पत्र	Open letter by All India Loco Running staff Association	...142—143
1381.	जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के 'सी' ग्रेड ड्राइवरों की पदोन्नति	Promotion of Drivers Grade 'C' of Jaipur Division (Western Railway)	... 143
1382.	भारत-श्रीलंका दीर्घावधि आर्थिक सहयोग	Indo-Ceylon Long Term Economic Cooperation	...143—144
1383.	नागार्जुन सागर बाँध के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए पम्प स्टोरेज योजना	Pumped storage scheme for power generation under Nagarjuna Sagar Dam	... 144
1384.	श्री लंका को प्याज का निर्यात पुन: आरंभ करना	Resumption of export of Onims to Ceylon	... 144
1385.	काटपाडि से तिरुपति (दक्षिण रेलवे) तक के लिये बड़ी लाइन	Broad Gauge line from Katpadi to Tirupati (Southern Railways)	... 145

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1386. चौथी योजना में रेलवे के लिये की गई कटौती की बहाली	Restoration of cut in Fourth Plan for Railways ...	145
1387. कृषि प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिल तैयार करने की समान प्रणाली	Uniform system of Billing for Electricity for agricultural purpose ...	146
1388. कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in Exports of Textile	...146—147
1389. लौह अयस्क का मूल्य निर्धारण	Calculation of Iron Ore Price	...147—148
1390. महाराष्ट्र के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ	Rural Electrification Reforms for Maharashtra	148
1391. कुर्डूवाडी-पंढरपुर सैक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Khurdvadi-Pandharpur Section into Broad Gauge (South Central Railway) ...	149
1392. उड़ीसा में हाल के तूफान के कारण क्षतिग्रस्त रेलमार्ग की मरम्मत	Repairing of Railway Track damaged by recent Cyclone in Orissa ...	149
1393. दक्षिण रेलवे में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Southern Railway ...	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
डिवाइन लाइट मिशन के अनुयायियों द्वारा टाइम्स आफ इंडिया के कार्यालय पर आक्रमण	Attack on the Times of India Office by followers of Divine Light Mission	...150—155
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...155—158
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ...	158
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha ...	159
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
चौबीसवाँ प्रतिवेदन	Twentyfourth Report	159
स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित	Stamp and Excise Duties (Amendment) BillI—ntroduced	...159—162
स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement re. Stamp and Excise Duties (Amendment) Ordinance ...	162
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
भारत पाक सीमा पर घटनाएँ और कलकत्ता के उत्तर-पूर्व में बोयरा के पास तीन पाकिस्तानी घुसपैठिये विमानों के मार गिराये जाने के बारे में वक्तव्य श्री विद्याचरण शुक्ल	Re. Developments on Indo-Pak border and Statement re. shooting down of three intruding Pakistani Sabres near Boyra, North-East of Calcutta Shri Vidya Charan Shukla	...162—164
कलकत्ता में समाचार पत्रों की सप्लाई के बारे में	Re. Supply of Newspapers in Calcutta	... 164
उड़ीसा में हाल के तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Situation arising out of recent cyclone in Orissa	...164—187
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra	...165—166
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyama Sunder Mohapatra	...166—168
श्री डी० के० पण्डा	Shri D. K. Panda	...168—169
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	...169—170
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	...170—171
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrah i	...171—173
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	...173—175
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	...175—176
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	...176—178
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	...178—179
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	...179—180
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	...180—181
श्री कुमार माझी	Shri Kumar Majhi	...181—182
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	... 182
श्री आनन्दी चरण दास	Shri Anandi Charan Das	...182—183
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...183—184
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	...184—186
कार्य मंत्रणा समिति— छठा प्रतिवेदन	Business Advisory Committee— Sixth Report	... 187

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 23 **नवम्बर**, 1971/2 **अग्रहायण**, 1893 **(शक)**
Tuesday, November 23, 1971/Agrahayana 2, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Three minutes past Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेपाली क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर का रेखांकन

+

*182. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री रामचन्द्र विकल :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार से नेपाली क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर के प्रस्तावित रेखांकन और गंडक परियोजना के बारे में नेपाल सरकार की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है, और यदि हाँ, तो परियोजना की मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(ख) पश्चिमी कोसी नहर का कार्य पूरा करने पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और क्या चौथी योजना में इसकी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) भूमि अर्जित करने, खुदाई आरम्भ करने और परियोजना को पूरा करने का क्या कार्यक्रम है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के अक्तूबर, 1971 में नेपाल सरकार के साथ हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप नेपाल सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि वे अधिक से अधिक फरवरी, 1972 तक पश्चिमी कोसी नहर के लिए भूमि दे देंगे। इन विचार-विमर्शों के दौरान कोसी और गंडक परियोजना से संबंधित कई अनिर्णीत मामलों को भी तय किया गया और इन परियोजनाओं में परिकल्पित कई कार्यक्रमों की प्रगति में तेजी लाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त भी स्वीकार किए गए ।

पश्चिमी कोसी नहर से बिहार में लगभग 8 लाख एकड़ की सिंचाई होगी । इससे नेपाल में भी लगभग 1 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, जिसमें नहर से लिफ्ट सिंचाई और चन्द्रा नहर प्रणाली को आधुनिक रूप देने और उसका सुधार और विस्तार-कार्य सम्मिलित है ।

(ख) और (ग). पश्चिमी कोसी नहर पर लगभग 37 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। जब चतुर्थ योजना बन रही थी तब तक नेपाल सरकार की स्वीकृति नहीं मिली थी और बिहार की विकास योजनाओं में 50 लाख रुपये का टोकन प्रावधान किया गया था ।

निर्माण कार्य-क्रम का ब्यौरा बिहार सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है । पश्चिम कोसी नहर जैसी विशाल परियोजना के पूरी तरह से क्रियान्वित होने पर 4 से 5 वर्ष लगेंगे ।

SHRI BHOGENDRA JHA : So far as the question of Kosi Canal is concerned, this project was inaugurated thrice but it had not been started under one pretext or another. It was estimated that 37 crores of rupees would be spent on this project but only 50 lakhs of rupees have been provided for this. It means that this project will be completed in 25 to 30 years' time. I want to know whether provision will be made for this project in the Fourth Five Year Plan ?

I want to know the amount that will be spent on this project in Nepal and India, respectively. The hon. Minister has stated in reply to the main question that the Nepal Government will give land for the western Kosi Canal in February, 1972. May I know whether the work of acquisition of land on the Indian side will be completed by that time ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : जहाँ तक पश्चिम कोसी नहर का संबंध है, मैं यह कहना चाहूँगा कि सिंचाई परियोजनाएँ राज्य सरकारों के अन्तर्गत आती हैं । अत: इस परियोजना के लिये बिहार सरकार धनराशि का आबंटन करेगी । चूंकि नेपाल सरकार ने पश्चिम कोसी नहर को लेने की बात स्पष्ट कर दी है अत: हम बिहार सरकार से इस वर्ष अग्रेतर धनराशि आबंटित करने का अनुरोध कर रहे हैं और यदि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होगी तो इन परियोजनाओं को 4 से 5 वर्ष तक पूरा कर लिया जायेगा। बिहार सरकार को इसके लिये 37 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । नहर के प्रथम चरण के लिये 6 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । नेपाल को विशेष सुविधा देने के लिये नहर के निर्माण पर लगभग 3 करोड़ रुपये

व्यय होंगे। दूसरे शब्दों में 9 करोड़ रुपये नेपाल के क्षेत्र में खर्च होंगे और बाकी धनराशि बिहार क्षेत्र में खर्च होगी।

SHRI BHOGENDRA JHA : I want to know as to what arrangements are being made by India to acquire land for the Canal by such time as land is acquired in Nepal ?

डा० के० एल० राव : नेपाल सरकार ने यह कहा है कि फरवरी, 1972 तक मुख्य नहर के लिये आवश्यक 22 मील भूमि को वह प्राप्त करेगी। यह अच्छी प्रगति है। बिहार सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये और अपने राज्य में भूमि प्राप्त करनी चाहिये। आशा है वह भी ऐसा ही करेगी और बिहार में मुख्य नहर के लिये और उसकी शाखाओं के लिये साथ-साथ भूमि प्राप्त करेगी।

SHRI BHOGENDRA JHA : This project relates to two countries. It has been delayed and the hon. Minister has just stated that a crore of rupees would be spent in Nepal and the remaining 28 crores of rupees would be spent in India.

A part of the Canal will flow in both the countries. Taking into consideration the fact that Bihar Government or some other state cannot settle issues directly with the Government of Nepal, will this project be taken over by the Government of India so that there may not be any hindrance and delay in this matter ?

The expenditure on the project is estimated to be rupees 28 crores whereas the provision in this regard has been made for only Rs. 30 lakhs. So even if all sources and funds are mobilized in Bihar, this work could not be completed. I, therefore, want to know whether Central Government is willing to give assistance in the form of loans or grant so that land could be acquired ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कारण नहीं बताने चाहियें। उन्हें केवल अपना प्रश्न पूछना चाहिये।

डा० के० एल० राव : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि परियोजना पर 37 करोड़ रुपया खर्च होगा और विशेष लाभ परियोजनाओं पर 3 करोड़ रुपया और खर्च होगा, जो नेपाल के लाभ के लिये हैं। अत: इन परियोजनाओं पर कुल 40 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें से 9 करोड़ रुपये नेपाल क्षेत्र पर और बाकी 31 करोड़ रुपये बिहार क्षेत्र पर खर्च किये जायेंगे।

यह सिंचाई परियोजना है, अत: भारत सरकार इसको सीधी वित्तीय सहायता नहीं देती। इस समय भारत सरकार की यह नीति है कि वह सिंचाई परियोजना को सीधे वित्तीय सहायता न दे। चाहे ये अच्छी बात है या बुरी बात या ये उचित है अथवा अनुचित, इस बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वर्तमान नीति यह है कि सब सिंचाई परियोजनाओं के लिये सम्बद्ध राज्य सरकारें वित्तीय सहायता देती हैं। लेकिन नेपाल में देश के विशेष लाभ के लिये खर्च की जाने वाली धनराशि अर्थात् 3 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार देगी और बाकी 37 करोड़ धनराशि बिहार सरकार देगी।

माननीय सदस्य का यह कथन कि बिहार सरकार के पास पर्याप्त धनराशि नहीं, ठीक

है । इस बात से बहुत चिन्ता हो रही है । बिहार राज्य में अनेक परियोजनाएँ आरम्भ की गई हैं और उन पर लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च होगा । लेकिन चौथी योजना में बिहार राज्य के लिये केवल 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस बारे में चिन्ता हो रही है। इसका कोई उपाय करना होगा ।

SHRI BHOGENDRA JHA : The hon. Minister has not given a reply to my question that why the Central Government do not undertake that project as this matter concerns two countries.

MR. SPEAKER : He has already given a reply.

SHRI RAM CHANDRA VIKAL : I want to know the main features of the final decision taken with Nepal recently. I also want to know whether any decision has been taken with regard to the distribution of water between India and Nepal, and whether Uttar Pradesh Government will also get a share in it ?

डा० के० एल० राव : उक्त करार कोसी और गंडक के बारे में हुआ है। जहाँ तक इस बारे में ब्यौरे का संबंध है, इस पर बहुत अधिक समय लगेगा और मुझे आशंका है कि अध्यक्ष महोदय मुझे इतने समय के लिए अनुमति देंगे । कोसी और गंडक परियोजनाओं के बारे में चार-चार महत्वपूर्ण बातें हैं । उन सब आठों बातों के बारे में भारत सरकार और नेपाल सरकार में सहमति है ।

SHRI RAM CHANDRA VIKAL : I want to know as to what action is being taken with regard to the distribution of water ?

डा० के० एल० राव : करार में पानी के वितरण का भी उल्लेख किया गया है । नेपाल सरकार गंडक परियोजना की पूर्वी नहर से 850 क्यूसेक्स पानी लेना चाहती है । इस बात पर सहमति हो गई है । कोसी परियोजना से पानी के वितरण के बारे में कोई मतभेद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह पहले प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं कि क्या भारत सरकार इसको अपने अधिकार में लेने को तैयार है ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूँ कि सिंचाई परियोजनाओं को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने की कोई नीति नहीं है । यह एक उचित निर्णय है अथवा नहीं यह अलग बात है । वास्तव में समस्त कोसी बाँध नेपाल में है और उस पर बिहार सरकार द्वारा कार्य किया गया है । इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं है और मैं नहीं समझता कि भारत सरकार क्यों इसको अपने हाथ में ले । यह तर्क दिया जा सकता है कि बिहार सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में लिया है और इस संबंध में बिहार सरकार को सहायता दी जानी चाहिये । मैं इस संबंध में इस बात से सहमत हूँ । ऐसा तर्क देना कि चूँकि यह परियोजना नेपाल में है इसलिये हमें इसे अपने अधिकार में ले लेना चाहिये, उचित प्रतीत नहीं होता ।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या गंडक नहर परियोजना को पूरा करने के लिये कोई नयी समय-सीमा निश्चित की गयी है अथवा क्या यह पुराने निर्धारित समय में पूरी होगी ?

डा० के० एल० राव : जहाँ तक गंडक परियोजना का संबंध है इस बारे में पूरी सहमति हो चुकी है और इस संबंध में विलम्ब का कोई कारण नहीं है। लेकिन जिस तरह परियोजना पर काम चल रहा है उससे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है। हमने उक्त परियोजना पर भारी धन-राशि खर्च की है फिर भी उक्त परियोजना का कोई उपयोग नहीं किया गया है। बिहार के राज्यपाल ने कल मुझ से भेंट की थी और मैंने उनसे इस विषय पर विचार-विमर्श किया है। हम इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कि परियोजना से संबंधित कार्यक्रम और समय निर्धारण के लिये एक दल का गठन किया जाये। हम सब कार्य के पुनः निर्धारण के बारे में दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेंगे जिससे उक्त परियोजना का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या इसको पूरा करने के लिये नयी समय-सीमा निश्चित की गयी है अथवा यह निर्धारित पुराने समय में पूरा किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : पहले से निर्धारित समय के अनुसार काम होगा। यदि संभव हुआ तो हम इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे।

SHRI JAGANNATH MISHRA : I want to know the time by which the work on Western Kosi Canal will be completed in Nepal and when the Government will undertake its work in India ?

MR. SPEAKER : This question has already been answered.

SHRI SARJOO PANDEY : As my hon. friend Shri Bhogendra Jha has asked, if this matter concerns the two countries why the Government do not undertake that project and complete it by taking loans from the nationalized banks ? What are the difficulties in this matter ?

MR. SPEAKER : This question has also been answered.

पम्प सेटों के लिए बिजली का दिया जाना और गाँवों में बिजली पहुँचाना

+

*184. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 1971-81 के दौरान 2,33,000 गाँवों में बिजली पहुँचाने और 50 लाख पम्प सेटों को बिजली देने की योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने अप्रैल, 1971 से मार्च, 1981 तक के दशक के लिये कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पम्प-सेटों के ऊर्जन पर बल देते हुए ग्राम विद्युतीकरण के वास्ते एक परिप्रेक्ष्यात्मक योजना तैयार की है और राज्य अधिकारियों को परिपत्रित की है। इस कार्यक्रम में दशक के दौरान 48·7 लाख पम्प सेटों का ऊर्जन और 2,33,000 ग्रामों का विद्युतीकरण परिकल्पित है । दशक योजना के कार्यान्वयन के लिये 2,270 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का अनुमान है । संसाधनों की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए दशक योजना के कार्यान्वयन से, मार्च, 1971 तक 16·4 लाख पम्प सेटों के ऊर्जन तथा 1,07,000 ग्रामों के विद्युतीकरण की तुलना में मार्च, 1981 के अन्त तक कुल 65·0 लाख पम्प सेटों के ऊर्जन और 3,40,000 ग्रामों का विद्युतीकरण होने की आशा है ।

श्री पी० एम० मेहता : इस संबंध में वास्तव में वित्तीय संबंधी लक्ष्यों में कितनी प्रगति हुई है ? इन लक्ष्यों के बारे में राज्यवार आँकड़े क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : गाँवों में बिजली लगाने के मामले में हमने बहुत प्रगति की है । यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस मामले में वास्तव में हमने अपने लक्ष्य से अधिक प्रगति की है । हमें आशा है कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है ।

श्री पी० एम० मेहता : मैंने राज्यवार आँकड़ों के बारे में पूछा था ।

डा० के० एल० राव : मैं यह आँकड़े माननीय सदस्य को भेज दूँगा । इनको यहाँ पढ़ने में काफी समय लगेगा । यह मुद्रित विवरण है । यह मैं उन्हें दे दूँगा ।

श्री पी० एम० मेहता : क्या उस योजना के अन्तर्गत सरकार ने बिहार में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोई योजना बनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । फिर भी माननीय मंत्री हमेशा उत्तर देने के लिये तैयार हैं ।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यही अनुमान था ।

डा० के० एल० राव : हमने बहुत उचित लक्ष्य निर्धारित किया है। आशा है आगामी दस वर्षों में सब कुओं और 60 प्रतिशत गाँवों में बिजली लग जायेगी । अतः यह बहुत उचित लक्ष्य है । माननीय सदस्य ने योजना के लिये आवश्यक धनराशि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है । उन्होंने यह भी पूछा है कि उन योजनाओं पर हम कैसे धन लगायेंगे । इन योजनाओं पर 2,270 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । इस समय हम उन पर प्रतिवर्ष 150 करोड़

रुपये की दर से खर्च कर रहे हैं। आगामी 10 वर्षों में 1500 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है। अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी होगी। वास्तव में हम अन्य साधनों द्वारा प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ग्रामीण विद्युतीकरण को ध्यान में रखते हुए हम यह राशि प्राप्त कर सकेंगे।

[अनेक सदस्य खड़े हुऐ]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सब ने यह सूची पढ़ली है ? श्री पी० गंगादेब।

श्री पी० गंगादेब : मैंने विवरण को पढ़ा है और मैं जानना चाहता हूँ कि यह खाका किस आधार पर तैयार किया गया है ? क्या यह राज्यों से आयी मूल योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया है या केन्द्र ने इस हेतु गठित केन्द्रीय सेवाओं संबंधी दल की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद स्वयं तैयार किया है ?

डा० के० एल० राव : इसे तैयार करने के लिये हमने राज्यों से परामर्श लिया है। इसके बाद हमने क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने का प्रयत्न किया और फिर हमने अन्तिम विवरण तैयार किया और पुनः राज्यों को भेजा। अधिकांश राज्य इस बात से सहमत हैं कि तैयार की गई योजना बिलकुल सही थी।

श्री के० एस० चावड़ा : पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा धुरवरन विद्युत संयंत्र में उपयोग में लाये जाने वाले अवशिष्ट ईंधन, कच्चे तेल के मूल्य में 45 रुपये से 138 रुपये प्रति मैट्रिक टन की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन किसानों को जो इन पम्पिग सेटों के लिये बिजली का उपयोग करते हैं, उपदान देने पर विचार कर रही है ?

डा० के० एल० राव : ये किसी विशेष राज्य की बात करते हैं। इसका दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य भर में दर समान हैं, चाहे किसी विशेष परियोजना अथवा बिजली स्टेशन का स्रोत या लागत कुछ ही क्यों न हो। लागत समूल राज्य की समझी जाती है और इस प्रकार समान दर ही प्रचलित रहते हैं। इसलिये मेरे विचार से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि लागत मूल्य बहुत अधिक है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय ने लक्ष्य पूरा करने के लिये बिजली की उपलब्धता के लिये कोई निश्चित प्रबन्ध कर लिये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसे पन या तापीय विद्युत परियोजनाओं, जिनकी प्रगति धीमी है, पर धन लगाने पर विचार कर रही है क्योंकि इससे मंत्री महोदय द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में परिवर्तन होगा ? क्या ओसैलाम पन बिजली परियोजना, जो अभी पूरी नहीं हुई, के लिये भी कोई सहायता दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कहाँ से पैदा होता है ?

श्री पी० वेंकटासुब्बया : यह पैदा होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य सा प्रश्न है।

डा० के० एल० राव : अब जब कि ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो हमारे पास पर्याप्त बिजली की शक्ति होनी चाहिये । माननीय सदस्य यही कुछ पूछ रहे हैं और मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का तात्पर्य इसी से है ।

हमें बिजली के उत्पादन के बारे में सावधान रहना चाहिये । माँग बढ़ाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा । हम इस समस्या के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं और बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं । हम सन् 1981 के लिये 5 करोड़ 10 लाख किलोवाट का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं जबकि आज हमारा लक्ष्य केवल 1 करोड़ 70 लाख किलोवाट का है । हम इस बात का ध्यान रखने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि पैदावार देश के उद्योगों तथा कृषि संबंधी माँगों को पूरा करे ।

Enquiry into allegation regarding misappropriation of money levelled by All India Station Masters' Association, Jhansi Division (Central Railway)

*185. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from All India Station Masters' Association, Jhansi Division, Central Railway, regarding misappropriation of lakhs of rupees in the Cash Office, Jhansi, Central Railway;

(b) whether Government have conducted any enquiry into the matter; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check such cases of bungling in future ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं । लेकिन अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, झाँसी मंडल की शिकायत की एक प्रतिलिपि श्री हुकम चन्द कछवाय से रेल मंत्री को मिली थी ।

(ख) और (ग). एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्षेत्रीय रोकड़ कार्यालय, झाँसी को अनेक स्टेशनों द्वारा भेजी गयी रोकड़ कम प्राप्त होने के कतिपय मामलों की रिपोर्ट की गयी है ।

(ख) विभागीय जाँच समितियों और स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसे प्रत्येक मामले की जाँच की गयी है या की जा रही है । अब तक अंतिम रूप दिये गये किसी भी मामले में रोकड़ कार्यालय में कमी होना सिद्ध नहीं हो पाया है । भविष्य में रोकड़ की चोरियाँ न होने देने के लिए निम्न-लिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) झाँसी मंडल के 17 स्टेशनों पर भारत के स्टेट बैंक की स्थानीय शाखाओं में स्टेशन की आमदनी सीधे भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ii) कतिपय अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों के मामले में चल रोकड़ सेफ का यानान्तरण किये बिना तेज चलने वाली गाड़ियों से आमदनी इकट्ठी करने के प्रबन्ध किये गये हैं ।

इसके अलावा अन्य बातों के साथ-साथ नुकसान से बचने के लिए रोकड़ भेजने की विधि में सुधार करने के उद्देश्य से सुझाव देने के लिए कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गयी है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know when the information regarding the misappropriation of money in the Jhansi Division was first received and the positive action taken by the Government ? Is it fact that so many Station Masters were transferred on account of this, whereas they were not guilty of these offences ? Have you investigated into these cases of misappropriation which are being committed by a certain group for the last so many years ?

श्री के० हनुमन्तैया : जहाँ तक मैं अनुवाद को समझ सका हूँ, शिकायत में कुछ लोगों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं । इन मामलों में जाँच की गयी है । आज मैंने बोर्ड के सब सदस्यों तथा बोर्ड के चेयरमेन को बुलाया और मैंने उन्हें ऐसे आदेश दिये हैं जिससे पुनः ऐसे मामले न हों । मैंने ऐसे भी निदेश जारी किये हैं कि शेष पड़ी सारी जाँचें पूरी की जावें तथा उचित दंड दिये जायें ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know whether it is a fact that such incidents have been taking place for the last so many days and that you have awarded punishment for the same but no solution has came out ? Punished persons were not party to these offences. You have not taken any action against the persons who received the goods and also the guards who took away the goods.

Secondly, have you worked out an estimate of the total amount misappropriated so far ? What solid steps were taken to ensure that such incidents do not occur again ?

Have you issued any instructions about depositing the amount immediately after it is received at the stations with the local banks ?

श्री के० हनुमन्तैया : जैसे कि माननीय सदस्य कहते हैं यह सच है कि ये हानि काफी दिनों से हो रही है । अब हम कठोर कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं । जहाँ कहीं स्टेट बैंक की शाखा हो, वहाँ खजाने की व्यवस्था भी है और वसूली बैंकों में जमा की जाती है । हमने तीन अधिकारियों की एक समिति की नियुक्ति की है ताकि भविष्य में ऐसी हानि न हो ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सावन्त ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : You have not stated the amount misappropriated.

MR. SPEAKER : You should have asked about it before I called the other Member. It is not proper to ask such questions when I have called the other Member.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I asked because no reply was received to my question.

MR. SPEAKER : That should have come before I called the other Member.

श्री के० हनुमन्तैया : झाँसी मंडल में 8 मामले हुए हैं। एक मामले में 4,000 रु० की राशि है, जो अधिक नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य मामले 3,402 रु० 2,200 रु०, 33,122 रु०, 1,00,000 रु०, 23,000 रु० तथा 1,500 रु० के हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी यह अधिक नहीं।

श्री शंकर राव सावन्त : क्या मैं जान सकता हूँ कि कितनी राशि का किस ढंग से दुर्विनियोग हुआ और क्या इस प्रकार का दुर्विनियोग अन्य स्थानों पर भी हुआ है ?

श्री के० हनुमन्तैया : हाँ, अन्य स्थानों पर भी ऐसा हुआ है। अब मैं सख्त कार्यवाही करने पर विचार कर रहा हूँ। भारत भर में 1969 के दौरान रेलवे में 5,000 रु० से कम प्रति मामले वाले कुल 51 मामले हुए और 7 मामले ऐसे थे जिनमें प्रत्येक मामले में 5,000 की राशि का दुर्विनियोग था। 1970 में 5,000 रु० से कम प्रति मामले वाले कुल 29 मामले हुए और 3 मामले 5,000 रु० प्रति मामले से अधिक के थे।

मछली के निर्यात में कमी

*186. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों को निर्यात की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मछलियों के निर्यात में इस वर्ष पर्याप्त कमी हुई है;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में मछली निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री डी० के० पंडा : इस समाचार को ध्यान में रखते हुए उत्तर टालने वाला प्रतीत होता है कि कोचीन में, जो निर्यात का सबसे बड़ा केन्द्र है, मछली पकड़ना बहुत कम हो गया है और निर्यातकर्त्ताओं के संगठन ने एक ज्ञापन भेजा है। क्या कोचीन में मछली पकड़ने के कार्य में काफी कमी हुई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : उत्तर टालने वाला नहीं था। समुद्री उत्पादन के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों के दौरान काफी प्रगति हुई है। 1965-66 और 1970-71 के बीच मात्रा में 135 प्रतिशत तथा मूल्य में पाँच गुना वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितम्बर, 1970 और अप्रैल-सितम्बर, 1971 के बीच गतवर्ष की अपेक्षा 10 लाख रुपये का अधिक निर्यात हुआ है। मात्रा की दिशा में 0·9 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

श्री डी० के० पंडा : क्या किसी अन्य मछली निर्यात केन्द्र में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच है कि अभी हाल के कुछ महीनों से मछली पकड़ने की मात्रा में गिरावट हुई है।

श्री डी० के० पंडा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी अन्य केन्द्र में मछली निर्यात में वृद्धि हुई है।

श्री ए० सी० जार्ज : समुद्री उत्पादनों का 80 प्रतिशत निर्यात केरल से होता है जो केवल कोचीन होकर होता है।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय के अनुसार कोचीन में, जो निर्यात का एक बड़ा केन्द्र है, लगभग सभी बड़ी-बड़ी निर्यात फर्मों में हड़ताल चल रही है और इसी कारण निर्यात में गिरावट आयी है। फिर भी मंत्री महोदय कहते हैं कि निर्यात में कोई गिरावट नहीं आयी। वास्तविकता यही है कि कर्मचारी आन्दोलन चल रहा है क्योंकि कारखाने बंद कर दिये गये हैं। कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये ये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

श्री वयालार रवि : हड़ताल के कारण निर्यात में गिरावट आयी है।

श्री ए० सी० जार्ज : जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ गिरावट आयी है जो मछली को कम मात्रा में पकड़ने की कमी के कारण है। पकड़ने की कमी के कारण मौसमी तथा समुद्री हैं जिन पर मंत्रालय का कोई नियंत्रण नहीं।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : मंत्री महोदय के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि मछलियों के निर्यात में वृद्धि हुई है, क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि हम इस देश में कम मछली खा रहे हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : जी नहीं, हम अधिक मछली पकड़ रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि 87 प्रतिशत मछली का निर्यात कोचीन से होता है, शायद शेष 13 प्रतिशत का निर्यात चिल्का से होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चिल्का तथा अन्य क्षेत्रों से निर्यात होने वाली मछलियों की इस 13 प्रतिशत में कोई गिरावट तो नहीं आयी ?

श्री ए० सी० जार्ज : शेष 13 प्रतिशत चिल्का से ही नहीं। फिर भी मैं मानता हूँ कि उस क्षेत्र का भी कुछ अंशदान रहा है।

श्री राम सहाय पांडे : मछली के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन को ध्यान में रखते हुए आपने क्या विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न से संबंधित नहीं।

उत्तर में गंगा नदी को नर्मदा नदी के जरिये दक्षिण की कावेरी नदी से मिलाने के लिये सर्वेक्षण

*187. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर में गंगा नदी को मध्य भारत की नर्मदा नदी के जरिये दक्षिण की कावेरी नदी से जोड़ने के संबंध में गंगा, नर्मदा और कावेरी नदियों के बेसिन का मौके पर सर्वेक्षण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के एक दल को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

गंगा नदी मानसून की अवधि में पटना के निकट अपने साथ भारी मात्रा में जल लाती है जिसका उपयोग हितकारी रूप में बेसिन में नहीं किया जा सकता है । साथ ही, दक्षिण बिहार के क्षेत्रों और पश्चिमी और दक्षिणी भारत के भागों में सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में नदियों के बहाव में बहुत घट-बढ़ होती रहती है ।

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में किये गये प्रारम्भिक कार्यालय अध्ययनों से यह पता चलता है कि जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, प्राकृतिक जल-मार्गों और मौजूदा या प्रस्तावित जलाशयों का उपयोग करते हुए, पम्प और ग्रेविटी नहरों के मिश्रण से गंगा का कुछ जल स्थानांतरित किया जा सकता है । आशा की जाती है ऐसे एकीकृत राष्ट्रीय जल-ग्रिड से पेय जल की सप्लाई को स्थिर रूप देने के लाभ की व्यवस्था की जाएगी और इससे एक बहुत ही उपयोगी नौवहन सम्पर्क की व्यवस्था भी की जायेगी ।

उन बहुत अधिक बड़ी परियोजनाओं के मामले में जिनमें वैसे निर्माण कार्य सम्मिलित हैं, जो देश में पहले नहीं किये गये हैं, किसी विस्तृत अन्वेषण के अनुसार कार्यारम्भ करने से पहले यह बहुत अधिक आवश्यक है कि उन विशेषज्ञों से उनकी समर्थक राय ले ली जाए जो अन्य स्थानों में इस तरह की समस्याओं से अवगत हैं । अन्वेषण, अभिकल्प और परियोजना रिपोर्टों की तैयारी का काम पूर्णत: भारतीय इंजीनियर ही करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का व्यय स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ ही उठाएगा और उनके स्थानीय व्यय में भारत सरकार के अंशदान की रकम लगभग 22,500 रुपये की होने का अनुमान है । विशेषज्ञों के निकट भविष्य में पहुँचने की आशा है ।

श्री रणबहादुर सिंह : दिये गये वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या नियत की गई धनराशि योजना-अवधि में खर्च की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं यह नहीं जानता कि क्या उनका आशय संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों पर होने वाले खर्च से है जो 22,500 रुपये आयेगा। यह राशि इस वित्त वर्ष के आगामी मार्च मास तक खर्च की जायेगी।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्र सिंचाई परियोजनाओं को अपने हाथ में नहीं लेती। क्या उनके कहने का यह आशय है कि नदी-ग्रिडों के कार्य की क्रियान्विति संबंधित राज्यों द्वारा की जायेगी ? यदि हाँ, तो राज्यों के बीच नदी संबंधी विवाद दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

डा० के० एल० राव : मैंने केवल सरकार की सामान्य नीति के बारे में बताया है कि केन्द्र से ब्लाक अनुदान के रूप में जो धनराशि राज्यों को आबंटित की गई है, राज्य सरकारें उस धन से सिंचाई परियोजनाएँ चलायेंगी। अत: प्रत्येक कार्यान्वित करने योग्य सिंचाई परियोजना राज्य सरकारों द्वारा ही चलाई जायेंगी। माननीय सदस्य ने राज्यों के बीच जल-विवादों के बारे में जो कहा है मैं उस बात को ठीक-ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया हूँ। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा एक राष्ट्रीय ग्रिड है जो इन विवादों का निपटारा करने में बहुत अधिक सहायता दे सकता है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मेरे प्रश्न का अब भी उत्तर नहीं मिला है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या विभिन्न नदियों को मिलाने वाले ग्रिड को क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। यदि हाँ, तो यह वस्तुस्थिति है कि विभिन्न राज्यों में जल संबंधी विवाद अवश्य होंगे। इन विवादों का निपटारा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० के० एल० राव : वर्तमान परिस्थिति में ऐसा सोचना उचित नहीं है। सर्वप्रथम तो राष्ट्र संघ के दल को अभी अपना मत प्रकट करना है। तत्पश्चात इसका ब्यौरेवार अध्ययन करने के उपरान्त ही हम कुछ निर्णय दे सकेंगे। इस ब्यौरेवार अध्ययन में कम से कम 10 वर्ष लग जायेंगे। इसके पश्चात् ही क्रियान्विति का प्रश्न आयेगा। मैं समझता हूँ कि क्रियान्विति के बारे में अनुमान लगाना अभी उपयुक्त नहीं होगा। मेरे विचार से इसके लिए एक प्राधिकरण बनाना पड़ेगा और विभिन्न राज्यों से धन जुटाना पड़ेगा।

श्री एन० शिवप्पा : इस विषय पर सदन में बहुधा चर्चा होता रहती है और प्रत्येक बार एक समान ही उत्तर मिलता है और समस्या फिर भी वहीं की वहीं बनी रहती है। [redacted] मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि इस संबंध में जाँच कार्य पूरा करने के लिए सरकार [redacted] और दस वर्ष लग जायेंगे। यह एक ऐसी परियोजना है जो बाढ़ नियंत्रण सहित हमारी अनेकों समस्याएँ सुलझा सकती है। अत: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और संबंधित राज्यों से चर्चा करेंगे और इसके उपरान्त अन्तिम परियोजना सभा पटल पर रखेंगे ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ कि इस प्रकार के कार्य के अनुभवी विशेषज्ञों का दूसरा मत प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। जब तक यह स्थिति नहीं आ जाती, हम आगे ब्यौरेवार जाँच नहीं कर सकते।

वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों का दुरुपयोग

*189. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में विभिन्न फर्मों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसों के दुरुपयोग के कुल कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं और कितने मूल्य के लाइसेंसों का दुरुपयोग किया गया; और

(ग) संबंधित फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष 1970 के दौरान, उन पार्टियों की कुल संख्या 227 है जिन्हें विवर्जन के रूप में आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अन्तर्गत दंडित किया गया । इनमें से कितने **वास्तविक उपयोक्ता** लाइसेंस धारक थे, इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

आयात (नियंत्रण) आदेश तथा निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत, जिन फर्मों के विरुद्ध, जाँच के पश्चात्, कार्यवाही की जाती है उनके नाम औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों और निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किये जाते हैं, जिनकी प्रतियाँ लोक सभा पुस्तकालय में रखी जाती हैं ।

श्री मनोरंजन हाजरा : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 227 कम्पनियों को दण्ड दिया गया है । उन्हें किस प्रकार का दण्ड दिया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह तो अपराध पर निर्भर करता है । जब भी सरकार की जानकारी में ऐसी त्रुटियाँ लाई जाती हैं तो आयात (नियंत्रण) और निर्यात (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत उपयुक्त दण्ड दिया जाता है । जिस क्षण सरकार की जानकारी में प्रथम दृष्ट्या मामला लाया जाता है और यदि आरोप गम्भीर होते हैं तो कम्पनी को, आगे जाँच करने तक तीन महीने तक निषिद्ध रखा जाता है । प्रायोजित अधिकारी तकनीकी विकास के महानिदेशक और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के द्वारा जाँच करने के पश्चात यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कम्पनी को सूची में से निकाल दिया जाता है । यदि आरोप अधिक गम्भीर होते हैं तो उसपर मुकदमा चलाया जाता है

श्री मनोरंजन हाजरा : इन 227 लाइसेंसों में कितना धन खर्च आयेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : इन 227 मामलों के संबंध में सही आँकड़े देना तो कठिन है, परन्तु मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इन में अधिकांश लघु उपक्रम हैं ।

श्री धामनकार : क्या यह सच है कि वास्तविक उपयोक्ता इन्हें 200 से 300 प्रतिशत अधिक तक बाजार में बेचते हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Is it a fact that these actual users to whom the licences are granted, instead of utilizing sell them on heavy profit to others who in turn misuse these licences ? Has Government investigated this matter ? In how many cases the licences have been forfeited and whether any policy has been formulated so that licences may not be issued to those parties in future ?

SHRI L. N. MISHRA : All these licences have been forfeited and action has been taken against the offenders. I may inform the hon. Member that this figure of 227 is very small in comparison to thousands of licences issued. It is, no doubt, in contravention of the regulation. But there is nothing to worry.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : This is not the answer to my question. I asked whether Government is aware of the fact that licences are granted to many persons but they sell them in black market ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या लाइसेंस देने की कोई कसौटी है, और यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : ये वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस हैं । जो निर्माता कुछ वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें ये लाइसेंस दिए जाते हैं ।

मुजफ्फरपुर में बागमती नदी परियोजना की मंजूरी

*193. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में बागमती नदी परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा और इसकी कुल सिंचाई क्षमता क्या होगी;

(ग) क्या उस क्षेत्र के निवासियों ने माँग की है कि नदी के पुराने मार्ग पर ही बागमती परियोजना क्रियान्वित की जानी चाहिये; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). मुजफ्फरपुर जिले में बागमती सिंचाई परियोजना का प्रथम चरण बिहार की विकास संबंधी योजनाओं में कार्यान्वयनार्थ स्वीकार कर लिया गया है, इसकी अनुमानित लागत 5·78 करोड़ रुपये है और इससे 1·2 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की संभावना है।

(ग) और (घ). बिहार सरकार ने बताया है कि ऐसी माँग के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। मूल प्रस्ताव के अनुसार बराज देवापुर में निर्मित होना था। बहरहाल, 1969 में नदी के मार्ग में परिवर्तन आ जाने के परिणामस्वरूप बिहार सरकार ढेंग की अनुप्रवाह दिशा में लगभग 2 मील नीचे रामनगर में बराज का निर्माण कर रही है।

श्री हरि किशोर सिंह : सरकार के उत्तर को देखकर मैं बहुत चकित हुआ हूँ। मेरे पास डा० के० एल० राव का वह पत्र है जो उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में इस संसद के प्रथम सत्र के दौरान दिया था जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को नदी के पुराने मार्ग पर यह परियोजना चालू करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस समय मेरे पास वह पत्र नहीं है। परन्तु मैं उसे यहाँ प्रस्तुत कर सकता हूँ। अनेक खण्ड विकास समितियों ने माँग की है कि यह परियोजना नदी के पुराने मार्ग पर ही लागू की जानी चाहिए। बाँध का तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने गत सम्मेलन में बिहार सरकार के मुख्य इंजीनियर से डा० राव की उपस्थिति में चर्चा की थी। अत: अब मैं इस उत्तर को देखकर वास्तव में चकित हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको चकित होने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मामले की जाँच करेगी ? लोग नदी के पुराने मार्ग पर ही यह परियोजना चालू करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : माननीय सदस्य चाहते हैं कि बन्ध को और ऊँचाई पर ले जाया जाये जिससे कि नदी के पुराने मार्ग के साथ-साथ और अधिक भूमि में सिंचाई की जा सके। यह ही वह अन्तिम अभ्यावेदन है जो उस क्षेत्र के अनेक व्यक्तियों से मुझे प्राप्त हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि बिहार सरकार इसे संभव नहीं समझती, पर सामान्यत: हमारा अध्ययन भी यही संकेत देता है कि यदि हमने ऐसा किया तो पानी के स्तर का दबाव नेपाल की सीमा में चला जायेगा। यह चाहे अधिक न हो, परन्तु यह नेपाल की सीमा में चला जायेगा, और इसलिए हमें फिर यह मामला नेपाल सरकार के साथ उठाना पड़ेगा कि क्या वह इस की अनुमति देगी। इसी बीच मैंने बिहार सरकार से इस मामले पर विचार करने के लिए कहा है। परन्तु उनका विचार है कि वे वर्तमान निर्णय पर ही कार्य करेगी। फिर भी मैं उनसे इस मामले पर विचार करने के लिए पुन: कहूँगा।

SHRI BIBHUTI MISHRA : You are constructing barrage within two miles of Nepal territory. If you construct this barrage just near Nepal territory the influx of water would be more heavy. Secondly, after two years' rains the Baghmati river has changed its course

from Dacca-Patahi Police Station, and now it flows four miles away from Dacca-Patahi Police Station. I want to know whether the Government propose to shift the barrage higher up so that its entire area may not be affected by floods and it can be brought under irrigation ?

डा० के० एल० राव : यह बन्ध रेलवे लाइन के दो मील भीतर है। अत: मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बन्ध रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जाए जिससे अधिक भूमि की सिंचाई हो सके। खेदजनक बात यह है कि यदि इस बन्ध को ऊँचा किया जाए तो इससे नेपाल की सीमा में पानी का स्तर बढ़ जायेगा। इसलिए हमें नेपाल सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी और जब तक प्रश्न अत्यन्त आवश्यक न हो दूसरे देश के साथ मामला ले जाना सदा ही कठिन होता है। अत: मैंने बिहार से इस मामले पर पुन: विचार करने के लिए आग्रह किया है कि क्या वह यह उचित समझते हैं कि बन्ध को और ऊँचा बनाया जाए जिससे कि और अधिक भूमि की सिंचाई हो सके। परन्तु उनकी प्रथम प्रतिक्रिया यह है कि बाघमती में इतना पानी नहीं है जिससे अधिक भूमि के लिए और अधिक पानी दिया जाए। इसलिए वे वर्तमान स्थिति ही चाहते हैं। फिर भी मैंने उनसे इस पर पुनर्विचार करने को कहा है।

SHRI BHOGENDRA JHA : Sir, as it is already known that Baghmati and Aghmara rivers and their branch revulets change their courses and as a result of this Government has been working on its flood-control and joint-irrigation schemes. In view of this, I want to know whether Government is making any efforts for taking over Baghmati project and the entire Aghmara river project under flood control and joint-irrigation project ? In order to see that the water of this project may not spill over Nepal territory, whether Government is having any negotiations with Nepal Government so that the water may be brought under control ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि ये नदियाँ नेपाल से आ रही हैं। इनका पानी नेपाल की सीमा में निकलता है। बन्ध बनाने के लिए हमने नेपाल सरकार से अनेक बार अनुमति माँगी है। बाघमती के बारे में भी हम नेपाल सरकार से पत्र-व्यवहार करते रहे हैं। परन्तु उन्होंने अभी तक अनुमति नहीं दी है। फिर भी हमें समय-समय पर उनसे इस बारे में बातचीत करनी ही पड़ेगी।

राजधानी एक्सप्रैस से अर्जित लाभ

*194. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में राजधानी एक्सप्रैस से कुल कितना शुद्ध लाभ हुआ; और

(ख) भाड़े में वृद्धि किए जाने के उपरान्त राजधानी एक्सप्रैस से इस वर्ष कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). महोदय, इस गाड़ी से होने वाले शुद्ध लाभ का हिसाब लगाना संभव नहीं है क्योंकि खर्च के लेखे प्रत्येक गाड़ी के लिए अलग-अलग नहीं रखे जाते। राजधानी एक्सप्रैस के संचालन पर होने वाले केवल प्रत्यक्ष खर्च का अनुमान लगाया गया है जिसमें ईंधन, कर्मीदल, गाड़ी कर्मचारी, चल स्टाक पर होने वाले मूल्य ह्रास प्रभार और ब्याज आदि शामिल हैं। इसमें खान-पान सेवा के खर्च शामिल नहीं हैं।

1970-71 में इस गाड़ी से होने वाली आय प्रत्यक्ष लागत की तुलना में 44·84 लाख रुपये अधिक थी। पहली जुलाई से किराये में वृद्धि के उपरान्त जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 1971 में यह आय 11·92 लाख रुपये अधिक थी।

श्री माधुर्य्य हालदार : क्या मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि इससे लाभ हो रहा है या नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये बोलने की स्थिति में होने चाहियें।

श्री माधुर्य्य हालदार : लेकिन इन्हें इस संबंध में कुछ सूचना एकत्र करनी चाहिये थी।

क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या उनके या उनके मंत्रालय के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है कि अन्य बड़े शहरों और दिल्ली के बीच ऐसी गाड़ियाँ चलाई जाएँ ?

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें सूचना एकत्र करनी चाहिये। यह असंभव है। मैंने गाड़ी पर आने वाली लागत के बारे में ही बताया है। स्टेशन मास्टरों का वेतन तथा मार्ग बनाये रखने आदि संबंधी व्यय की गणना केवल एक गाड़ी के बारे में नहीं की जा सकती है। अतः यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है।

देश की राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों के बीच चलायी जाने वाली गाड़ी संबंधी दूसरे सुझाव के बारे में, मैं भी सहमत हूँ और हम इसे एक एक करके कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री माधुर्य्य हालदार : राजधानी एक्सप्रैस के ठहरने के स्थान के बारे में क्या मंत्री महोदय तथा रेलवे बोर्ड के सदस्यों के बीच कोई मतभेद है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न शुद्ध लाभ के बारे में है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लाभ का प्रश्न ठहरने के स्थान से जुड़ा है। जितने अधिक ठहरने के स्थान होंगे उतना ही अधिक लाभ होगा।

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : I want to know from the hon. Minister whether there was any proposal to connect Delhi and Ahmedabad with Rajdhani Express ?

MR. SPEAKER : This is a question about net profits.

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : It arises from this question.

MR. SPEAKER : It can arise but why to arise it unnecessarily.

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी एक्सप्रैस की स्लैब प्रणाली को क्या बढ़ाना संभव नहीं होगा ? स्लैब प्रणाली में 95 रु० साधारण तथा 300 रु० अन्य श्रेणियों के लिये हैं। क्या दर बढ़ाना संभव नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। यहाँ प्रश्न राजधानी एक्सप्रेस के लाभ के मूल्यांकन के बारे में है। में इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

फिल्मों के विनिमय के बारे में 'इम्पैक' का अमरीकी फिल्म कम्पनियों से करार

+

*196. **श्री वयालार रवि :**
श्री अजीत कुमार साहा :
श्री हरि सिंह :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इम्पैक' ने अमरीकी फिल्म कम्पनियों के साथ फिल्मों के विनिमय का करार करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने तथा विदेशों में भारतीय फिल्म सप्ताह आयोजित करने के अलावा मलयेशिया तथा सिंगापुर में निर्यात प्रयास को तीव्र करने के लिए प्रमुख उत्पादकों का एक सार्थसंघ बनाया गया है। भारतीय चलचित्र निगम द्वारा एक उपशीर्षांकन संयंत्र लगाया जा रहा है। राज्य व्यापार निगम के विदेशी कार्यालय अपने अपने क्षेत्रों में निर्यात संवर्धन के लिये भारतीय चलचित्र निर्यात निगम को स्थानिक सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : इन समारोहों को कितनी बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्में भेजी गयीं ? क्या मंत्री महोदय भारतीय चलचित्र निर्यात निगम पर लगाये गये आरोपों की जाँच करेंगे और इसे भाषा फिल्मों के हितों की रक्षा करने योग्य बनायेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह प्रश्न पहले भी सदन में उठाया गया था और इस पर आधे घंटे की चर्चा भी हुई थी। उसका मैं उत्तर दे चुका हूँ। मैंने बताया था कि हमने अमरीका के निर्माताओं से करार की अवधि नहीं बढ़ायी क्योंकि वे हमारी फिल्मों को वाणिज्यिक आधार पर लेने के लिये तैयार नहीं थे। यह निर्णय अब तक चल रहा है।

श्री वयालार रवि : इन भाषाओं की कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता ।

श्री वयालार रवि : मैं जानना चाहता हूँ कि इस देश में करोड़ों रुपये की अवरुद्ध धनराशि का व्यय किस प्रकार किया गया है और क्या इसे गत चुनाव में राजनैतिक कार्यों के लिए खर्च किया गया ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह प्रश्न कुछ बड़ा है । इस मामले को गृह मंत्रालय को भेजा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस सरल प्रश्न द्वारा आपको ऐसी सूचना नहीं मिल सकती ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विषय पर पहले हुई चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने बताया था कि सरकार ने पुरानी शर्तों पर अमरीकन चलचित्र ऐसोसिएशन से करार को न बढ़ाने का निर्णय किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वे कुछ पारस्परिक समझौता के लिए तैयार होंगे, यदि अमरीका हमारी उन शर्तों से सहमत हो जिसके द्वारा हमारी फिल्मों के निर्यात के लिये सुविधा मिल सके। मैं जानना चाहता हूँ कि पहले करार की अवधि समाप्त होने के बाद क्या सरकार अमरीकन चलचित्र ऐसोसिएशन से बातचीत कर रही है ? यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? इस माँग के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक बैठक हुई थी जिसमें अमरीकन फिल्मों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । हमने उनके सामने अपनी यह शर्त रखी कि जब तक वे हमारी फिल्में नहीं लेंगे, हम भी उस समय तक उनकी फिल्में नहीं लेंगे । वे चले गये हैं । बात अब उन पर निर्भर करती है । यदि वे वाणिज्यिक आधार पर हमारी फिल्में चाहते हैं तो हम भी अमरीकन फिल्में लेने के लिये तैयार होंगे ।

रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन

+

*200. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री राजदेव सिंह :
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसका पुनर्गठन किये जाने के परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हाँ। पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन की स्थूल रूपरेखा इस प्रकार है—जाँच कर्मचारियों का अलगाव; सुरक्षा शाखा का निर्माण; भर्ती में संगठनात्मक परिवर्तन; अनुशासनिक नियंत्रण आदि; मंडल और मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक परिवर्तन; सुरक्षा दल के कानूनी अधिकार बढ़ाना और उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना।

(ग) संभावित लाभ इस प्रकार हैं—बेहतर पर्यवेक्षण; रेलों पर अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न शाखाओं जैसे जाँच, अभियोजन, आसूचना, सुरक्षा और सशस्त्र शाखा का बेहतर उपयोग और उनके द्वारा कर्त्तव्य का बेहतर पालन।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं केवल मंत्री महोदय को उत्तर के लिये धन्यवाद ही दे सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदेव सिंह ! वह अनुपस्थित हैं। श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला भी अनुपस्थित हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।

श्री नवल किशोर सिंह : लेकिन मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

क्या यह सच है कि देश की अनेक रेलवे सुरक्षा दलों के कार्यों में समानता नहीं है। कहीं ये दल जाँच का काम करते हैं और कहीं नहीं। कुछ रेलें अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं जिसके लिये उनके पास उचित सुविधायें हैं, जो और रेलों के पास नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय के विचाराधीन देश भर की रेलों में काम करने वाले रेलवे सुरक्षा दलों के कार्य में समानता लाने के लिये कोई योजना है।

श्री के० हनुमन्तैया : यदि रेलवे सुरक्षा दल है, तो समानता तो लानी ही होगी। हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई विषमता न रहे।

रेलवे द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि

*201. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में वर्षवार कुल कितनी धन राशि दी गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे के विरुद्ध वर्षवार कितने दावे किये गये;

(ग) कितने दावों में रेलवे के विरुद्ध निर्णय दिया गया; और

(घ) इस बारे में घाटा कम करने और अधिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है ।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान माल और पार्सलों की टूट-फूट, उनके खो जाने, उठाई-गिरी, नष्ट हो जाने आदि के कारण भुगतान की गयी कुल राशि नीचे दी गयी है :

वर्ष	दी गयी रकम (लाख रुपयों में)
1968-69	1017·89
1969-70	1123·76
1970-71	1222·62

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों के ऊपर क्षतिपूर्ति के लिए किये गये दावों की संख्या इस प्रकार रही :

वर्ष	दावों की संख्या
1968-69	7,20,036
1969-70	7,00,082
1970-71	6,92,662

(ग) उन दावों की संख्या जिनमें भुगतान किया गया :

वर्ष	दावों की संख्या
1968-69	4,10,394
1969-70	4,01,667
1970-71	3,85,733

(घ) क्षतिपूर्ति के दावों को रोकने और उनकी संख्या घटाने के उद्देश्य से स्थूल रूप से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) खास-खास चुनिंदा स्टेशनों पर और चुनिंदा पण्य पदार्थों के खो जाने/चोरी होने से रोकने के लिए पैकेजों की चढ़ाई और उतराई पर कड़ी निगरानी ।

(ii) भेद्य क्षेत्रों में खुले माल डिब्बों में मूल्यवान परेषण/खाद्यान्न ढोने वाली गाड़ियों पर रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा मार्गरक्षण ।

(iii) भेद्य और महत्वपूर्ण यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों एवं कुत्ता दस्तों द्वारा गश्त लगाना ।

(iv) अपराधियों और चोरी का माल लेने वालों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने तथा चोरी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के उद्देश्य से

अपराध संबंधी आसूचना इकट्ठी करने के लिए क्षेत्रीय रेलों की अपराध आसूचना कर्मचारियों तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को तैनात करना ।

(v) अपराधियों और चोरी का माल लेने वालों तथा अपराधियों के साथ मिली भगत करने वाले कर्मचारियों के साथ कारगर ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच निकट समन्वय स्थापित करना ।

(vi) चोरियों और उठाईगीरी की रोकथाम के लिए अखिल भारतीय अभियान और माल-डिब्बों के पेनल तथा बौडी काटने के विरुद्ध अभियान चलाना ताकि इस बदमाशी का पता लगाया जा सके जो चोरियों का मुख्य कारण है और माल डिब्बों की शीघ्र मरम्मत कराना ।

(vii) पैकेजों को अच्छी तरह पैक करने, उन पर मार्का डालने और माल डिब्बों पर अच्छी तरह से लेबल लगाने पर जोर देना ताकि वे इधर-उधर न जा सकें और न पारगमन में विलम्ब हो ।

(viii) सही कागजात तैयार करने और माल डिब्बों के साथ सम्बद्ध कागजात लगाने पर जोर देना ।

(ix) अतिरिक्त लेबलों को रखने के लिए माल डिब्बों के भीतर ब्रेकिटों की व्यवस्था ।

(x) भीगने से खराब होने वाले माल को जलरोधी माल डिब्बों में लादना तथा उन डिब्बों की शीघ्र मरम्मत कराना जो जलरोधी नहीं हैं ।

(xi) मूल्यवान माल लेकर चलने वाले माल डिब्बों में समुचित ढंग से रिब्रिट और ई० पी० ताले लगाना जिससे चलती गाड़ी में चोरी न हो ।

(xii) जिन मामलों में आवश्यक हो, जैसे चीनी, अनाज, दालों, और तिलहन के पूरे माल-डिब्बा परेषणों के लिए 'निभार' की व्यवस्था पर जोर देना ।

(xiii) जब बिगड़ने वाला माल खुले डिब्बों में भेजा जाय तो विशेष सावधानी बरतना जैसे उनको अच्छी तरह से तिरपाल से ढकना और जहाँ आवश्यक हो, मार्गरक्षण की व्यवस्था करना ।

(xiv) लगेज यानों, पार्सल यानों आदि में ताला लगाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना ।

(xv) कर्मचारियों और श्रमिकों को माल की सावधानीपूर्वक सम्हलाई की शिक्षा देना और बार-बार 'बुरी तरह पकड़ना बन्द करो' और 'खराब शंटिंग बन्द करो' अभियानों का संगठन ।

(xvi) लदाई और उतराई के समय समुचित पर्यवेक्षण और पैकेजों के मिलान की आवश्यकता पर जोर देना ।

(xvii) यथासंभव अधिक से अधिक मामलों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : यद्यपि यह एक सराहनीय बात है कि उठाईगीरी के निवारणार्थ 17 उपाय किये गये, फिर भी इस बात के क्या कारण हैं कि क्षतिपूर्ति की राशि वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इसी समस्या का हम सामना कर रहे हैं । वास्तव में कमियाँ भी बहुत हैं और ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्ट हैं । मैं विशेष कदम उठा रहा हूँ और अच्छे उपाय निकालने के लिये बोर्ड की बैठकें करवा रहा हूँ ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : मंत्री महोदय द्वारा 'भ्रष्ट' शब्द का प्रयोग करने के लिये मैं उनका आभारी हूँ । इस संबंध में क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या ऐसे कोई साक्ष्य हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाय कि रेलवे कर्मचारी स्वयं ऐसी चोरियाँ तथा उठाईगीरी करते हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं यह नहीं कहता कि इस बारे में कोई साक्ष्य है । इसका संदेह है और हो सकता है कि इसमें काफी बातें सच हों और हमें इन बातों की ओर ध्यान देना है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय शब्दों के उपयोग में सावधानी से काम ले रहे हैं ।

श्री विनेश चन्द्र गोस्वामी : एक उपाय जो किया गया उसके अनुसार कर्मचारियों पर यथासंभव ज़िमेवारी निश्चित करना है । पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में कर्मचारियों को ज़िम्मेवार ठहराया गया है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे समय की आवश्यकता है ।

श्री जगन्नाथ राव : चोरी आदि संबंधी दावों की संख्या कम करने के लिये रेलवे ने अनेक कदम उठाये हैं लेकिन इसके बावजूद भी दिये जा रहे दावों की राशि में वृद्धि होती जा रही है । क्या मंत्री महोदय इस बात पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैं स्थिति से परिचित हूँ । मुझे इस चिरकालीन समस्या को हल करने के लिये समय की आवश्यकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कानपुर, कटिहार और बरौनी रेलवे स्टेशनों के बीच मेल और एक्सप्रैस रेल गाड़ियों का देरी से चलना

*181. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर, कटिहार और बरौनी रेलवे स्टेशनों के बीच मेल और एक्सप्रैस रेल गाड़ियाँ प्राय: बहुत देरी से चलती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी नहीं, सिवाय अगस्त और सितम्बर महीनों में जबकि बिहार में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण टूट-फूट हुई और बरौनी-कटिहार मेल लाइन खण्ड का रेल पथ क्षतिग्रस्त हो गया और कानपुर-कटिहार गाड़ियों को समस्तीपुर-खगरिया कार्ड लाइन होकर चक्कर लगाना पड़ता था ।

रेलगाड़ियों का डीजल इंजनों से चलाया जाना

*183. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1971 से डीजल इंजनों से चलाई जाने वाली रेल गाड़ियों का ब्यौरा क्या है और डीजल इंजनों से गाड़ियाँ चलाने से गाड़ियों के चलने के समय में कितनी बचत होगी; और

(ख) निकट भविष्य में अन्य गाड़ियाँ भी डीजल इंजनों से चलाने के बारे में सरकार के समक्ष कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, 1-11-71 से बम्बई सेन्ट्रल और नयी दिल्ली के बीच केवल एक जोड़ी गाड़ियों अर्थात् 25 डाउन/26 अप वातानुकूल पश्चिम एक्सप्रैस का डीजलीकरण किया गया है । परिणामस्वरूप, इस गाड़ी में चार बोगियाँ बढ़ा दी गयी हैं और बम्बई सेंट्रल—नयी दिल्ली दिशा की यात्रा में लगने वाले कुल समय में 45 मिनट की कमी हो गयी है ।

(ख) बड़ी लाइन की लगभग 20 जोड़ी और मीटर लाइन की 12 जोड़ी डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों की एक अंतरिम सूची तैयार की गयी है जिनका डीजलीकरण चरणबद्ध रूप में किया जायेगा, जो डीजल इंजनों की उपलब्धता और विभिन्न खण्डों को दी जाने वाली सापेक्ष प्राथमिकता पर निर्भर करता है ।

Charter of Demands submitted by Indian Railways Checking Staff Association

*188 SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether an All India Conference of the Indian Railways Checking Staff Association was held at Patna on the 28th and 29th August last;

(b) whether the Resolutions adopted at the Conference and a Charter of demands have been forwarded to his Ministry; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA): (a) It is understood that there was a Conference of Indian Railways Ticket Checking Staff Association at Patna on 28th and 29th August, 1971.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कोचीन में मत्स्य उद्योग समूह

*190. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन (केरल) में एक मत्स्य उद्योग समूह स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके मुख्य कृत्य क्या होंगे; और

(ग) यह कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

व्यापारी वर्ग द्वारा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के माल डिब्बों की माँग

*191. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापारियों तथा अन्य व्यवसायी वर्गों द्वारा गत तीन वर्षों में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से कितने डिब्बों की माँग की गयी थी और उन्हें वास्तव में कितने डिब्बे सप्लाई किये गये;

(ख) माल डिब्बे विलम्ब से सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विशेषकर चाय उद्योगों को माल डिब्बों की शीघ्र सप्लाई करने के लिए कोई तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) :

(क). (चौपहिये माल डिब्बों के हिसाब से)

	माँग	सप्लाई	माँग पत्र की तुलना में सप्लाई का प्रतिशत
1969-70			
मीटर लाइन	340,651	339,652	99·8
बड़ी लाइन	41,968	41,521	99·0
1970-71			
मीटर लाइन	303,310	294,193	97·0
बड़ी लाइन	38,638	33,987	88·0
1971-72 (अक्तूबर, 1971 तक)			
मीटर लाइन	169,730	158,888	93·6
बड़ी लाइन	14,652	14,530	99·2

(ख) 1970-71 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर माँगों की पूर्ति में कुछ देरी हुई क्योंकि देश के पूर्वी भाग में कानून और व्यवस्था की स्थिति असन्तोषजनक रहने के कारण इस वर्ष पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर गाड़ियों के परिचालन पर बहुत बुरा असर पड़ा। नागरिक उपद्रवों, बन्दों, यात्री प्रदर्शनों, रेल कर्मचारियों द्वारा लम्बे अर्से तक अपनायी गयी "धीमी गति" से काम करने की नीति और किये गये हड़तालों का गाड़ियों के परिचालन पर इस वर्ष बहुत ही बुरा असर पड़ा। 1970-71 के जूट के मौसम में जूट यातायात के लदान पर भी असर पड़ा क्योंकि कलकत्ता क्षेत्र के विभिन्न टर्मिनलों पर भारी संख्या में जूट के माल डिब्बों के इकट्ठा हो जाने और 7-12-1970 से 25-12-1970 तक जूट मिलों की हड़तालों के कारण जूट के लदान को अक्सर प्रतिबन्धित करना पड़ा।

चालू वर्ष में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बड़ी लाइन खंड और कटिहार गड़हरा मीटर लाइन खंड में काफी अर्से तक लाइनों की टूट-फूट के कारण यातायात की निकासी रुकी पड़ी रही। ये ही ऐसे दो मुख्य खंड हैं जिनके जरिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से यातायात की निकासी होती है।

(ग) चाय यातायात के लिए माल डिब्बों की सप्लाई को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और इस पर विशेष रूप से कड़ी निगरानी रखी जाती है। चालू वर्ष के अक्तूबर महीने तक बड़ी लाइन के 710 और मीटर लाइन के 14,530 माल डिब्बे चाय के लदान के लिए सप्लाई किये गये जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में बड़ी लाइन के 1201 और मीटर लाइन के 13,201 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे। माल डिब्बों की सप्लाई इससे भी अच्छी हुई होती लेकिन पिछले तीन महीने की अवधि में लाइनों की टूट-फूट के कारण लदान के काम पर बुरा असर पड़ने के फलस्वरूप ऐसा नहीं किया जा सका। फरक्का बाँध पर से सीधे संचार के खुल जाने के फलस्वरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से माल यातायात के संचलन की गति तेज कर दी जायेगी और लदान के काम को और तेज करना संभव हो सकेगा।

चाय के निर्यात मूल्य को संरक्षण देने के लिये चाय उत्पादक देशों के साथ दीर्घावधि करार

*192. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने चाय के निर्यात मूल्य को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से चाय उत्पादक देशों के बीच विद्यमान वर्तमान तदर्थ व्यवस्था के स्थान पर एक दीर्घावधि करार करने का सुझाव रखा है;

(ख) क्या इस विषय पर एक बैठक और स्थायी निर्यातक गुट में चर्चा हुई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप चाय के निर्यात से भारत को होने वाली आय पर कैसा प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). चाय संबंधी खाद्य तथा कृषि संगठन सलाहकार समिति की बैठकों में हुई विस्तृत वार्ताओं के परिणामस्वरूप निर्यात कोटों

के आबंटन के मूलभूत सिद्धान्तों का विषय स्थायी निर्यातक दल को सौंपा गया था। दल की बैठकों का उद्देश्य एक दीर्घकालिक करार करने के लिये अधिकांश उत्पादक देशों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों के विषय में कार्यवाही करना था। स्थायी निर्यातक दल की 13 से 21 सितम्बर, 1971 तक रोम में हुई गत बैठक में भारत का मत यह रहा है कि एक अल्पकालिक करार की व्यवस्था दीर्घावधि करार की रूपरेखा के भीतर होनी चाहिए। बैठक में यह निर्णय किया गया था कि निर्यातकों के बीच तदर्थ करार को 31 मार्च, 1972 तक बढ़ाया जाये तथा उसमें भाग लेने वाले निर्यातक देशों के लिए संशोधित कोटे 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च 1972 तक की 15 महीने की अवधि के लिये निर्धारित किये गये हैं। भारत तथा श्रीलंका का 15 महीने के लिये संयुक्त कोटा 506 हजार टन है, जबकि सभी निर्यातक देशों का विश्वव्यापी कोटा 727·6 हजार टन है।

भारत को जो मुख्य लाभ होने की आशा है वह यह है कि चाय निर्यातों के एकक मूल्य में सुधार होगा तथा उसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की आय बढ़ जायेगी।

रूमानिया के साथ व्यापार समझौता

*195. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूमानिया के बीच हाल ही में एक व्यापार समझौता हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होने की संभावना है; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) भारत और रूमानिया के बीच हाल में कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ है। भारत तथा रूमानिया के बीच वर्तमान दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार पर बुखारेस्ट में 24 मार्च, 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह करार 31 दिसम्बर, 1975 तक वैध रहेगा। उपर्युक्त करार की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) 1971 के भारत-रूमानिया व्यापार संलेख में 54·30 करोड़ रु० के कुल व्यापार का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) 1971 के संलेख में अन्य बातों के साथ साथ सी० ए० एन० तथा यूरिया जैसे उर्वरकों, जिनकी देश में आवश्यकता है, के आयात की व्यवस्था है। साथ ही साथ इसमें हमारे घटिया लौह अयस्क के निर्यात की भी व्यवस्था की गई है।

श्रीलंका से खोपरे का आयात

*197. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका से खोपरे का आयात करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितनी मात्रा में खोपरे का आयात किया गया ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). श्रीलंका सहित सभी अनुमत पूर्ति स्रोतों से खोपरे के आयात की अनुमति है।

(ग) गत तीन वर्षों में श्रीलंका से आयातित खोपरे की मात्रा निम्नलिखित थी :

1968-69	7,224 मे० टन
1969-70	10,425 ,,
1970-71	12,850 ,,

खनिज तथा धातु व्यापार निगम की यूरोप को कोयला निर्यात करने की योजना

*198. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम यूरोप को कोयला निर्यात करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने का अनुमान है; और

(ग) किन देशों को कोयला निर्यात करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग). खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा की जा रही वार्ताएँ अभी स्थिति का पता लगाने की अवस्था में ही हैं और इसलिए उन देशों के नाम, जिनसे संविदाएँ की जा सकती हैं, अंतत: बेची जाने वाली मात्राएँ और बिक्री से प्राप्त होने वाली संभाव्य विदेशी मुद्रा के बारे में बताना अभी संभव नहीं है। 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पश्चिमी देशों को लगभग 80 लाख रु० मूल्य का कोयला वास्तव में बेचा।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

*199. **श्री के० लकप्पा** :
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों की समस्या का अध्ययन करने और उनके लिए उपचारी उपाय सुझाने के लिये नियुक्त न्यायाधीशों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये इस बीच की अवधि में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता । यह आशा है कि समिति इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । इसे ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मध्यवर्ती अवधि में कोई उपाय करने का प्रश्न उठे, किन्तु विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में समय-समय पर मुख्य न्यायाधीशों और राज्य सरकारों द्वारा पुन: विचार किया जाता है और जब कभी उनसे कोई सिफारिश प्राप्त होती है, भारत सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

रेलवे लेखा परीक्षा विभाग में डेपूटेशन पर आये अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रेल डिब्बों और सैलूनों का उपयोग

*202. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लेखा परीक्षा विभाग में डेपूटेशन पर आये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारियों को अन्य रेलवे अधिकारियों के समान ही मैटल के पासों, इन्स्पैक्शन कोचों और सैलूनों का उपयोग करने का अधिकार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण के समय भी उन्हें उन सैलूनों अथवा विशेष रेल डिब्बों का उपयोग करने का अधिकार है;

(ग) चालू वर्ष में स्थानान्तरण के समय विभिन्न रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षकों ने कितनी बार विशेष रेल डिब्बों का उपयोग किया;

(घ) क्या कारण है कि सामान्य रेल गाड़ी में प्रथम श्रेणी में यात्रा करना उनके लिये संभव नहीं हो सका; और

(ड़) ऐसी रियायत के दुरुपयोग को रोकने के लिये इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) चूँकि रेलवे लेखा परीक्षा विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का एक अंग है, इसलिए भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी जब रेलवे लेखा परीक्षा शाखा में काम करते हैं, प्रति नियुक्ति पर नहीं होते । रेलवे लेखा परीक्षा शाखा में काम करने की अवधि में ये अधिकारी भारतीय रेल के यात्रा भत्ता

नियमों से शासित होते हैं। रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के ऐसे अधिकारी भी धातु-पास पर यात्रा करने के पात्र हैं जिससे उन्हें ड्यूटी पर यात्रा करते समय निरीक्षण यानों का उपयोग करने का हक होता है बशर्ते निरीक्षण यान उपलब्ध हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) एक बार भी नहीं।

(घ) और (ड़). प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा से अखबारी कागज के आयात में अनियमितताएँ

*203. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज के आयात और तत्संबंधी कार्य के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 2 सितम्बर, 1971 के "यंग इंडिया" में "एस० टी० सी०" के बारे में प्रकाशित लेख की ओर तथा "नेशनल हेरल्ड" में प्रकाशित "रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स आफिस" पर लिखे एक अन्य लेख की ओर दिलाया गया है जिनमें कुछ व्यक्तियों के एक ऐसे ग्रुप के माध्यम से जो पहले राज्य व्यापार निगम के गंधक के सौदे में अंतर्ग्रस्त था, कनाडा से आयात किये गये अखबारी कागज में गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है; और

(ग) क्या अखबारी कागज के इस काण्ड की जाँच करने के लिए एक अंतर्विभागीय समिति नियुक्त की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों की सरकार को जानकारी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों द्वारा भारत को कच्चे तेल की सप्लाई

*204. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को कच्चे तेल की सप्लाई के लिए विदेशों/विदेशी तेल कम्पनियों के साथ लंबी अवधि का करार किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने क्या शर्तें पेश की हैं;

(ग) क्या किन्हीं विदेशों/विदेशी तेल कम्पनियों ने कच्चा तेल सप्लाई करने की पेशकश की है; और यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) यह करार कब तक हो जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत द्वारा फिलिपीन में रेलों का विकास

*205 **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिपीन में भारत द्वारा रेलवे का विकास करने के संबंध में बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इसमें भारत द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). दो भारतीय रेल विशेषज्ञों का एक दल जुलाई, 1970 में फिलिपीन नेशनल रेलवेज़ को डीजल इंजन अनुरक्षण और रेलपथ सहित रेल उपस्कर अनुरक्षण के क्षेत्र में सलाह देने के लिए फिलिपीन गया था । तीन भारतीय रेल अधिकारियों का दूसरा दल दिसम्बर, 1970 में दो सप्ताह की अवधि के लिए तूफानों से फिलिपीन की रेलवे को हुई क्षति का तखमीना लगाने और संचार के शीघ्र पुनःस्थापन के साधन और उपाय सुझाने के लिए फिलिपीन गया था । इस दल ने कुछ प्रमुख खण्डों पर रफ्तार बढ़ाने और रेलवे पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के तौर-तरीके भी सुझाये थे ।

अन्य तीन डीजल इंजीनियर ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने और पुर्जों को फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाने के लिए मरम्मत और पुनुर्नवज्ञेयन केन्द्र की स्थापना में सहायता देने के लिए लगभग 3–6 महीने की अवधि के लिए शीघ्र ही फिलिपीन जाने वाले हैं। फिलिपीन सरकार ने अपने पुनःस्थापन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए भारतीय रेलों से 2 कार्यपालकों की सेवाएँ एक महीने की अवधि के लिए माँगी हैं। फिलिपीन सरकार की इच्छानुसार दो कार्यपालक जनवरी, 1972 के प्रारम्भ में वहाँ जायेंगे ।

फिलिपीन नेशनल रेलवेज़ के 10 डीजल इंजीनियर, कोलम्बो योजना के अन्तर्गत, भारतीय रेलों पर 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए शीघ्र ही आने वाले हैं ।

दिल्ली तथा बम्बई और दिल्ली तथा मद्रास के बीच राजधानी एक्सप्रैस जैसी रेल गाड़ियां चलाया जाना

*206. **श्री के० बालतन्डायुतम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा बम्बई और दिल्ली तथा मद्रास के बीच सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रैस जैसी रेलगाड़ियाँ चलाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार की रेलगाड़ियाँ कब से चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस तरह की गाड़ियों को चलाने की तारीखों के संबंध में अभी विनिश्चय नहीं किया गया है ।

दिल्ली को कच्चे पानी की सप्लाई

*207. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ग्रीष्म काल के दौरान कुल कितने कच्चे पानी की सप्लाई उपलब्ध होती है;

(ख) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान इस सप्लाई में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनको कब तक कार्य रूप दिये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) ग्रीष्म के महीनों के दौरान दिल्ली को इस समय घरेलू और औद्योगिक जल की पूर्त्ति के लिए लगभग 1,500 लाख गैलन पानी प्रति दिन उपलब्ध है । इसके अलावा 320 लाख गैलन पानी प्रतिदिन नई दिल्ली में बाग-बगीचों में इस्तेमाल होने के लिए पम्प किया जाता है ।

(ख) और (ग). अक्तूबर, 1974 से आगे रामगंगा बाँध से जल की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ प्रबन्ध कर लिए गए हैं । उस क्षति को कम करने के लिए, जो कि इस समय भाखड़ा जल को दिल्ली तक पहुँचाने में हो जाती है, पश्चिम यमुना नहर प्रणाली में पलस्तर करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ प्रबन्ध कर लिये गए हैं । गन्दे पानी के निस्सार के एवज़ में, जिसे इन राज्यों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के साथ विचार-विमर्श भी चल रहा है । ऐसी आशा है कि उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप अगले तीन वर्षों में दिल्ली को उपलब्ध जल दुगुने से भी अधिक हो जाएगा ।

यमुना नदी में बहते हुए वर्षा के कुछ फालतू जल को पम्प करके और हरियाणा में धौज तथा कोट ग्रामों के निकट उसका संचय करके दिल्ली को जल की सप्लाई में वृद्धि करने की एक स्कीम भी तैयार की गई है। बहरहाल स्कीम को आगे बढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के यमुना बेसिन में आयोजित किए जा रहे संचय जलाशयों में दिल्ली जल सप्लाई के लिए व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव भी है कि दिल्ली के लिए अतिरिक्त जल की सप्लाई सिंधु नदी-प्रणाली से प्राप्त की जाए।

उत्तर-पश्चिमी राज्यों में बिजली की कमी की संभावना

*208. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली राज्यों में बिजली की भारी कमी होने की आशंका है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली की इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) ऐसी संभावना है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को 1974-75 तक विद्युत की कमी महसूस होगी। मध्य प्रदेश में विद्युत-सप्लाई की स्थिति में, जो 1972-73 तक काफी सुविधाजनक रहेगी, 1973-74 के बाद से गिरावट आने की संभावना है। राजस्थान और दिल्ली में विद्युत उपलब्ध होने की स्थिति 1974-75 तक आसान हो जाएगी।

(ख) विद्युत की कमी के कारण ये हैं :

(1) कार्यान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब; और

(2) विकास संबंधी समग्र क्रिया-कलापों के फलस्वरूप प्रदेश में विद्युत-भार में त्वरित वृद्धि।

(ग) विद्युत की कमी को रोकने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए गए हैं :

(1) प्रदेश में जो परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं, उनकी गति में तेजी लाई जा रही है।

(2) यदि आवश्यक हुआ, तो सभी उपलब्ध संयंत्रों को, जिनमें स्टैंड-बाई संयंत्र भी हैं, लाकर दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे पड़ौसी राज्यों से राहत-विद्युत की व्यवस्था की जाएगी।

(3) केन्द्रीय परियोजनाओं—बदरपुर और आर० ए० पी० पी०, जो अब पूरी होने ही वाली है, से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध की जाएगी।

(4) विद्युत की उपलब्धि की अनुपूर्ति के लिए अतिरिक्त डीजल-विद्युत जनन सेटों (जिनमें आयातित सेट सम्मिलित हैं) की मंजूरी।

(5) फालतू विद्युत वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को विद्युत-विनिमय की सुविधा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और अन्त:प्रादेशिक प्रेषण-लाइनें पूरी करने में तीव्रता लाना।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमे

*209. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1971 को विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या अनिर्णीत मुकदमों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए किसी नई प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है अथवा कोई अन्य प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो नये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1 अक्तूबर तक की स्थिति की जानकारी इस समय उपलभ्य नहीं है। तथापि जून, 1971 के अन्त तक की जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग). उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की समस्या पर न्यायाधीशों की समिति द्वारा पहले से विचार किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर, 1971 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। लम्बित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के बारे में अतिरिक्त उपायों पर विनिश्चय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	जून, 1971 के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या
	उच्चतम न्यायालय	7,992
1.	इलाहाबाद	69,293
2.	आन्ध्र प्रदेश	15,869
3.	असम और नागालैंड	4,428
4.	बम्बई	38,021
5.	कलकत्ता	73,196
6.	दिल्ली	15,796

क्रम संख्या	न्यायालय का नाम	जून, 1971 के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या
7.	गुजरात	14,596
8.	हिमाचल प्रदेश	1,308
9.	जम्मू और कश्मीर	1,605
10.	केरल	31,625
11.	मध्य प्रदेश	15,745
12.	मद्रास	34,964
13.	मैसूर	16,334
14.	उड़ीसा	7,041
15.	पटना	17,688
16.	पंजाब और हरियाणा	25,783
17.	राजस्थान	9,845
		3,93,137

रुई का मूल्य निर्धारण

*210. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुई का मूल्य निर्धारित करने में क्या क्या सिद्धान्त अपनाए जाते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : रुई की बाजार कीमतें माँग तथा पूर्त्ति की स्थिति पर निर्भर करती हैं । किन्तु, समर्थन कीमतें सरकार द्वारा घोषित की जाती हैं । ये कीमतें, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होती हैं जो उत्पादन लागत, समर्थन कीमतों के अंतः वस्तु ढाँचे के स्तरों तथा उत्पाद पर समीचीन लाभ जैसे संबद्ध उपादानों को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती हैं ।

Cases filed by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi

1194. SHRI CHHATRAPATI AMBESH : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) the number of such cases filed by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi with Shri K. B. Andley, Additional Rent Controller, during the last two years as have since been heard; and

(b) the number of cases out of them decided in favour of the said Trust ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. GOKHALE) : (a) Five.

(b) All the five..

सिरसा-भटिंडा रेलवे लाइन पर मनवाला में एक नया स्टेशन खोलना

1195. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पंजाब में कितने नये रेलवे स्टेशन खोले गये हैं और इनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों के पास उत्तर रेलवे की सिरसा-भटिंडा रेलवे लाइन पर मनवाला गाँव में एक नया रेलवे स्टेशन खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह स्टेशन कब खोला जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) अम्बाला-कालका खण्ड पर दप्पड़ नामक स्टेशन।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस हाल्ट स्टेशन को खोलने के लिए अभी कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है।

केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना की स्थापना

1196. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना स्थापित करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस परियोजना के बारे में क्या प्रगति की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह कहा गया था कि वामनपुरम् सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित किया जाए। चूँकि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, इस संबंध में केरल सरकार से पूछा गया था। उन्होंने यह सूचित किया है कि परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को लगभग छः महीनों में भेज देने की संभावना है।

अध्ययन अवकाश पर विदेशों में गये रेलवे अधिकारियों द्वारा प्राइवेट रोजगार प्राप्त करना

1197. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के बिजली विभाग तथा विशिष्ट रेलवे प्रशिक्षु यातायात विभाग के संवर्ग से भर्ती किये गये रेलवे विद्युत और मैकेनीकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी अपने खर्चे पर अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लम्बी छुट्टी पर गये हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों को ऐसी छुट्टी के दौरान अमरीका में अंशकालिक अथवा अन्य किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त है;

(ग) यदि हाँ, तो रेलवे सिव्बन्दी संहिता के किस आदेश अथवा नियम के अंतर्गत उक्त अनुमति दी गई है; और

(घ) रेलवे बोर्ड ने ऐसे क्या उपाय किये हैं जिससे छुट्टी के दौरान विदेशों में गये ये अधिकारी इस प्रकार के प्राइवेट रोजगार प्राप्त करने से रोके जा सकें ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 8; इनमें से 2 अधिकारियों ने रेल सेवा से त्याग-पत्र दे दिया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) नियमों में यह व्यवस्था है कि सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति के लिए बिना छुट्टी पर चल रहे रेल कर्मचारियों को कोई और सेवा अथवा नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए । इन नियमों का उल्लंघन करने से संबंधित रेल कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

ऊनी कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि

1198. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊनी कपड़ों के मूल्यों में गत वर्ष के मूल्यों की अपेक्षा 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मूल्यों को एक साधारण व्यक्ति की क्षमता-सीमा में लाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सभी वस्तुओं की कीमतों में सामान्य-वृद्धि के लगभग अनुरूप ही, भारत में ऊनी माल की थोक कीमतों में 5·6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वर्ष 1970 का औसत सूचकांक 180·8 से बढ़कर 23-10-1971 को समाप्त हुए सप्ताह में 191 हो गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Appointment of Scheduled Castes as Principals in Railway Educational Institutions

1199. SHRI CHHATRAPATI AMBESH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7394 on the 10th August, 1971 regarding appointment of Principals in Educational Institutes run by Railways and state :

(a) the number and location of High Schools, Higher Secondary Schools and Intermediate Colleges being run by each Zonal Railway separately and the dates of initial appointments of Principals in these Institutes;

(b) the number of Principals in the said institutions belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, separately; and

(c) in case the Principals belonging to these castes are not in proportion to their reservation, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) A statement indicating the position is attached as annexure. [*Placed in Library. See* No. L. T. 1084/71.]

(b) & (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Appointment of Scheduled Castes as Principals on Deputation from Delhi Administration in Railway Schools

1200. SHRI CHHATRAPATI AMBESH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6713, on the 3rd August, 1971 and state :

(a) whether there are twelve Higher Secondary Schools, 15 High Schools and one Intermediate College run by the Railways;

(b) whether no person belonging to the Scheduled Caste is holding the office of Principal in any Zone except in Western Railway;

(c) if so, whether Government are appointing Principals on deputation from Delhi Administration or are recruiting new persons so as to give due representation to the Scheduled Castes in the aforesaid railway institutions; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) There are 3 Intermediate Colleges, 24 Higher Secondary and 25 High Schools run by the Railways.

(b) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(c) & (d). These posts which were Class III posts filled on promotion have now been placed in the gazetted cadre. The question of framing recruitment rules for filling these posts is under consideration.

अहमदाबाद के राजनगर और अनन्त टैक्सटाइल मिलों का बन्द होना

1201. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद के राजनगर और अनन्त टैक्सटाइल मिलें पिछले अनेक वर्षों से बन्द पड़ी हैं;

(ख) इन्हें चलाने के लिए सरकार के लिये क्या अड़चनें हैं जबकि राज्य सूती कपड़ा निगम द्वारा अन्य मिलों को अपने अधिकार में ले लिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों मिलों की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु किसी आयोग की स्थापना की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अनन्त मिल्स लि० अहमदाबाद, अक्तूबर, 1966 से बन्द पड़ी है, और राजनगर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि०, जनवरी, 1971 में बन्द हो गई ।

(ख) से (घ). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त की गई जाँच समिति द्वारा दोनों उपक्रमों के कार्यों की जाँच पड़ताल की जा चुकी है । अनन्त मिल्स लि० के संबंध में जाँच समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद यह विनिश्चय किया गया कि सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए यह मामला उपयुक्त नहीं था । इसके अलावा, सितम्बर, 1967 में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा इसका परिसमापन करने का आदेश दिया गया था । राजनगर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में कम्पनी द्वारा आवेदन दिये जाने पर गुजरात उच्च न्यायालय ने जाँच समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा कार्यवाही रोक दी थी । उसके बाद उच्च न्यायालय ने अपना आदेश रद्द कर दिया और जाँच समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है ।

निर्यात/आयात व्यापार पर निर्यात नीति का प्रभाव

1202. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वस्तुओं के निर्यात तथा आयात व्यापार के बारे में सरकार द्वारा घोषित निर्यात नीति का क्या प्रभाव पड़ा और इसका क्या परिणाम निकला;

(ख) इन वस्तुओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने से चाय और पटसन के निर्यात में वृद्धि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) गैर-परम्परागत वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) निर्यात नीति संबंधी संकल्प के अन्तर्गत व्यापार में आने वाले नये उद्यमियों को कितनी सुविधाएँ दी गई हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात तथा आयात व्यापार संबंधी सरकार की नीति के वस्तुवार प्रभाव की मात्रा बताना कठिन है ।

(ख) गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1970-71 में चाय के निर्यातों में परिमाण की दृष्टि से 15·8 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से 17·8 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरी ओर पटसन से निर्मित माल के निर्यातों में गत वर्ष की अपेक्षा 1970-71 में परिमाण की दृष्टि से 1·7 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 7·8 प्रतिशत गिरावट रही। जैसा कि ऊपर (क) के अन्तर्गत कहा गया है, किसी मद के निर्यात पर किसी एक कारण के प्रभाव की मात्रा बताना कठिन है। उदाहरणार्थ 1970-71 में चाय और पटसन से निर्मित माल दोनों पर कर सम्बन्धी राहत दी गई थी परन्तु दोनों मदों में प्रकट निर्यात की प्रवृति बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत रही। इसका कारण यह है कि सरकार की निर्यात नीतियों के अलावा इन दोनों मदों को जिन व्यापारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वे भिन्न-भिन्न थीं।

(ग) वर्ष 1970-71 में गैर-परम्परागत मदों के यथा इंजीनियरी माल, लोहा तथा इस्पात, हस्तशिल्प की वस्तुएँ, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद और अन्य विभिन्न मदों के लिये मिले-जुले निर्यात गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 15 प्रतिशत अधिक थे। परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है इन मदों के निर्यात पर सरकार की नीतियों के प्रभाव की मात्रा बताना कठिन है।

(घ) निर्यात अभिमुख एककों को प्राथमिकता-व्यवहार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के अधिमानी व्यवहार में ये शामिल हैं : निर्यात उत्पादन में और भी विस्तार, स्थापित क्षमता के सुधार और पूर्ति हेतु पसन्द के स्रोतों से कच्चे माल तथा संघटकों के आयात के लिये सुविधाएँ। सरकार सभी सक्षम समुस्थानों को विस्तार करने में और निर्धारित अवधि में निर्यात करने के लिए अधिक सक्षम बनने में सहायता करने की इच्छुक है। अतः निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करने और निर्यात अभिमुख एककों को प्रदान किये जाने वाले विशेष व्यवहार के पात्र बनने के लिये अपनी निर्यात सम्भाव्यता तैयार करने के इच्छुक औद्योगिक एककों की सहायता के लिये एक योजना बनाई गई है। इस प्रकार के एककों को उनके उत्पादों के निर्यात से संबंधित योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि वे विद्यमान निर्यात अभिमुख एककों के बराबर निर्यात स्तर थोड़े समय में प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के योजनाबद्ध कार्यक्रमों के आधार पर उनका सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने पर निर्यात अभिमुख एककों को प्रदान की गयी किसी अथवा सभी सुविधाओं के लिए आवेदकों को अर्हता प्राप्त होगी।

संयुक्त उपक्रमों में धन लगाने के बारे में फ्रांसीसी आर्थिक मिशन की पेशकश

1203. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी आर्थिक मिशन ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या इस मिशन ने संयुक्त उपक्रमों में धन लगाने की इच्छा व्यक्त की थी;

(ग) यदि हाँ, तो किस क्षेत्र में और किस काम के लिये संयुक्त उपक्रम स्थापित किये जाने का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार के अधिकारियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान, फ्रांसीसी आर्थिक शिष्टमण्डल ने निम्नलिखित के विषय में तकनीकी जानकारी देने की इच्छा प्रकट की :

(1) रोटरी आफसैट छापेखाने;

(2) अक्स्ट्रूशन तथा इंजेक्शन प्लास्टिक मोल्डिंग मशीनें; और

(3) शुष्क प्रक्रिया द्वारा सीमेंट ।

इसके अतिरिक्त शिष्टमण्डल ने कहा कि फ्रांस के मैसर्स मिशलिन मोटर गाड़ी के टायरों के सहयोग के विषय में तकनीकी ज्ञान दे सकेंगे ।

(घ) सरकार इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

उड़ीसा में पटसन उद्योग की स्थापना करना

1204. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित पटसन उद्योग पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ख) इस उद्योग की अन्तिम रूप से स्थापना करने के लिये सरकार ने क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). विभिन्न राज्यों (जिसमें उड़ीसा भी शामिल है) में नये पटसन मिलों की स्थापना के संबंध में अन्तिम निर्णय अभी लिये जाने हैं ।

1972 में राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव

1205. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्टेट्समैन में प्रथम पृष्ठ पर "साइमल्टेनियस पोल इन टेन स्टेट्स बाई अरली मार्च–नो प्लान्स फार इलैक्शन्स इन वैस्ट बंगाल इन नीयर फ्यूचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त समाचार सही है;

(ग) यह निर्णय किसने लिया है; और

(घ) अन्य राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव न कराने के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (घ). प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान गया है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करना संभव नहीं है, क्योंकि वे ऐसे निकाय अथवा व्यक्ति नहीं हैं जो विशेष रूप से सरकार के प्रति उत्तरदायी हों। पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए निर्वाचन कराने के समय के संबंध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है।

सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये सूती कपड़ा मिलों में घाटा

1206. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967 से सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये गये अनेक सूती कपड़ा मिलों में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) क्या उनमें से कुछ मिलों में वास्तव में भारी घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने घाटे के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार कुल कितना घाटा हुआ और घाटे को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी जार्ज) : (क) से (घ). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा जिन मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया था उनमें से कतिपय मिलों में 1967 से हानि हुई है। एक विवरण संलग्न है जिसमें उन मिलों को वर्ष 1968 से 1970 तक हुई हानि दर्शायी गई है।

हानि के कारण मुख्यत: निम्नलिखित हैं :

(1) जीर्ण तथा बेकार मशीनों के फलस्वरूप अलाभप्रद कार्यकरण,
(2) विगत की भारी देयताएँ,
(3) कच्चे माल, विशेषत: रुई की ऊँची लागत, और
(4) बेशी श्रमिक।

हानि समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने मशीनों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण और स्वैच्छिक आधार पर श्रम के सुव्यवस्थीकरण का कार्यक्रम तैयार किया है। मिलों को समीचीन कीमतों पर रुई की अपनी आवश्यकताएँ प्राप्त कराने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम

द्वारा एक ऐसी योजना भी क्रियान्वित की जा रही है जिसके अधीन रुई खरीद कर न-लाभ-न-हानि के आधार पर मिलों को सप्लाई की जाती है। निगम मिलों की कार्यकरण कुशलता में सुधार करने की दृष्टि से उनका पथ-प्रदर्शन भी करता रहता है।

विवरण

क्रमांक	मिल का नाम	नियंत्रण में लेने की तारीख	1968	1969 (हानि लाख रु० में)	1970
1.	महालक्ष्मी मिल्स कं० लि०, ब्यावर	9–1–67	6·32	12·91	1·88
2.	औम पारासाक्थी मिल्स लि०, कोयम्बटूर	25–6–69	—	*4·23	†4·02
3.	दिग्विजय स्पि० एण्ड वीविंग कं० लि०, बम्बई	9–7–69	—	41·25	49·43
4.	न्यू विक्टोरिया मिल्स कं० लि०, कानपुर	30–8–69	—	11·19	14·12
5.	अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल्स लि०, अहमदाबाद	6–9–69	—	15·74	23·16
6.	हिमाभाई मैन्यू० कं० लि०, अहमदाबाद	9–10–69	—	*10·31	—
7.	कम्बोडिया मिल्स लि०, कोयम्बटूर	22–10–69	—	4·28	8·65
8.	श्री रंगा वालास जीनि०, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कोयम्बटूर	7–1–70	—	—	3·96
9.	राजकोट स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स लि०, भावनगर	20–6–70	—	—	12·83

* लेखा वर्ष-अप्रैल, 69—मार्च, 70.

†—वही—अप्रैल, 70—मार्च, 71.

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

1207. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयों द्वारा विदेशों में स्थापित किये गये औद्योगिक उपक्रमों पर कुल कितना खर्च हुआ है;

(ख) ये उपक्रम किन देशों में स्थापित किये गये हैं;

(ग) इन उपक्रमों द्वारा लाभांश, तकनीकी जानकारी, शुल्क और प्रबंध शुल्क के रूप में भारत में कुल कितनी राशि भेजी गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक उपक्रम विदेशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेशों में कुल अनुमोदित संयुक्त उद्यमों में से, 28 पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और उनमें कुल भारतीय विनिधान लगभग 448·5 लाख रु० का है ।

(ख) ये 28 औद्योगिक संयुक्त उद्यम इथोपिया, केन्या, लीबिया, मारिशस, नाइजीरिया, युगांडा, श्रीलंका, ईरान, मलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा तथा पश्चिम जर्मनी में स्थापित किये गये हैं ।

(ग) इन उद्यमों से लाभांश, तकनीकी ज्ञान की फीस तथा प्रबंधकीय फीस के रूप में भारत को भेजी गई कुल धनराशि, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 92·43 लाख रु० है ।

(घ) जी हाँ ।

विदेशों को बेची गई फिल्में

1208. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में फिल्म निगम द्वारा वित्त घोषित कितनी फिल्में विदेशों को बेची गईं और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लौह अयस्क का निर्यात

1209. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क निर्यात बढ़ाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या बढ़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति के लिये नई मंडियों की खोज की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हमारी लौह अयस्क की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं । उद्देश्य यह है कि अयस्क उत्पादन को खरीदारों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिक रूप दिया जाए और दूसरे अवस्थापना, विशेषतः पतनों पर लदान सुविधाओं, की व्यवस्था की जाये ।

खनन क्षेत्र से संबंधित योजनाओं में, विभिन्न क्षेत्रों की निजी स्वामित्व वाली खानों में

उत्पादन का विस्तार करने के अलावा, क्रमशः वैलाडिला में डिपाजिट नं० 5 पर और दोनीमलाई में दो नई तथा बड़ी यंत्रीकृत खानों का चालू किया जाना भी शामिल है।

रेल क्षेत्र से संबंधित योजनाओं में, पहले ही निर्माणाधीन कटक-पारादीप रेल सम्पर्क का पूरा किया जाना और चल स्टाक सहित अन्य विद्यमान रेलवे लाइनों की क्षमता को बढ़ाया जाना भी शामिल है।

पत्तन क्षेत्र में, पारादीप में लदान घाटों के समीप गहरे तलकर्षण पहले ही तैयार किये जा चुके हैं और उनकी क्षमता को और बढ़ाया जा रहा है। हल्दिया, मरमागौआ, मद्रास वाह्य पत्तन और विशाखापट्टनम वाह्य पत्तन पर भी ऐसे घाटों को तैयार करने के लिये कार्य चल रहा है।

(ख) तथा (ग). जी हाँ, फिलहाल भारतीय लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः जापान तथा पूर्व व पश्चिम यूरोप के देशों को किया जाता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम विगत कुछ समय से ताइवान तथा दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भारतीय लौह अयस्क हेतु नये बाजारों के ढूँढ़ने की संभाव्यता की छानबीन करता रहा है। कुछ संविदाएँ पहले ही की जा चुकी हैं और अधिक संविदाओं के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक प्रतिनिधिमण्डल ने दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत अभी अभी पूरी की है।

बरौनी में तापीय बिजलीघर का बंद हो जाना

1210. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का एक दल 21 अगस्त, 1971 को बरौनी स्थित तापीय बिजलीघर के बंद किये जाने की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ईराक द्वारा भारत को कच्चे तेल और गन्धक की बिक्री

1211. **श्री दिनेश जोरदर :**
श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ईराक सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्होंने भारतीय मशीनरी के बदले में कच्चा तेल और गन्धक बेचने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पेशकश का स्वरूप क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). ईराक के साथ एक व्यापार व्यवस्था पर 24-9-1971 को हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के अतिरिक्त, 1-9-1971 से 31-3-1973 की व्यापार योजना अवधि में ईराक से 9 करोड़ रु० मूल्य के कच्चे तेल और 1·8 करोड़ रु० मूल्य के गन्धक का आयात, विभिन्न अनिर्दिष्ट भारतीय वस्तुओं के बदले, करने का प्रस्ताव है। ईराक के साथ व्यापार योजना में उल्लिखित वस्तुओं के विविधीकरण का भारत सरकार स्वागत करती है।

Procedure followed by State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation Regarding Imports

1212. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the procedure followed in making raw materials available to the consumers in time in the field or drug manufacturing, before import of any item is canalised through the State Trading Corporation and is banned in the Private Sector;

(b) whether any global tenders are invited before imports are made by the State Trading Corporation; and

(c) the procedure followed by the Mineral and Metals Trading Corporation in regard to import of goods ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) The State Trading Corporation has established adequate contracts with the suppliers of raw materials in the world markets to be able to organise import of the raw materials required by drug manufacturing industry as soon as the import of these raw materials is canalised through the Corporation.

(b) & (c). The S. T. C. & M. M. T. C. invite global tenders in respect of certain items and purchase certain other items by negotiations, depending upon the nature and availability of the raw materials.

कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच भेदभाव को समाप्त करना

1213. **श्री पी० एम० मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच भेदभाव मिटाने के लिये उपाय निकाल रहा है; और

(ख) क्या कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सर्वोच्च पदों तक पहुँचने के अवसर प्रदान करने हेतु उपाय निकाले जा रहे हैं ।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेल अधिकारियों का विभिन्न श्रेणियों अर्थात् I, II, III और IV में वर्गीकरण प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था । द्वितीय वेतन आयोग ने भी वही वर्गीकरण जारी रहने दिया । इस बारे में कोई नवीन सिफारिश करने का काम अब तृतीय वेतन आयोग का है ।

(ख) अराजपत्रित कर्मचारियों की उच्च पदक्रम के पदों पर पदोन्नति के लिए पर्याप्त सुविधाओं की पहले से ही व्यवस्था की गयी है बशर्ते वे संबंधित पदों के लिए उपयुक्त समझे जायें । श्रेणी II संवर्ग के अधिकारियों के सभी पदों को अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । श्रेणी I की सेवा में होने वाली रिक्तियों में से 33-1/3 प्रतिशत पद श्रेणी II अधिकारियों से पदोन्नति पाने वालों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं ।

सरकारी उपक्रम के माध्यम से किये जाने वाले आयातों के लिये नई मूल्य नीति

1214. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन वस्तुओं के लिए एक त्रिसूत्रीय मूल्य नीति बना रही है जो कि सरकारी उपक्रमों के माध्यम से आयात की जाती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा नई मूल्य नीति बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जी हाँ, मार्गीकृत आयातों के संबंध में बिक्री कीमतें, निर्यातकों की आवश्यकताओं को अधिमान्य आधार पर पूरा करने की दृष्टि से निर्धारित की जाती हैं ।

दिल्ली में होने वाला अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला

1215. **श्री पी० एम० मेहता** :
श्री पी० गंगादेव :
श्री जे० वी० पटनायक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष दिल्ली में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले में भारत चीन को आमंत्रित करेगा;

(ख) यह मेला कब प्रारम्भ होगा;

(ग) क्या उक्त मेले की सम्पूर्ण योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) क्या भारत सरकार ने सभी राष्ट्रों को निमन्त्रण-पत्र भेज दिये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) 3 नवम्बर से 17 दिसम्बर, 1972 तक ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) भारत के साथ राजनयिक/व्यापार संबंध रखने वाले सभी देशों को निमन्त्रण-पत्र भेजे गये हैं ।

निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम का पुनर्गठन

1216. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम के गठन, इसकी योजनाओं तथा कार्य-प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो परिवर्तन संभवत: कब होंगे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Timely Arrival of the 39 Up Janta Express at Delhi and Howrah Railway Station

1217. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of days on which 39 Up Janta Express, in its journey from Howrah Railway Station to Delhi, reached Delhi Railway Station in time and the number of days on which it arrived late since the 1st January, 1971; and

(b) the reasons for the late arrival and the steps proposed to be taken by Government to ensure timely arrival of the said train at Delhi and Howrah Railway stations ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) During the period 1st January to 15th November, 71, No. 39 Up Howrah-Delhi Janta Express arrived Delhi Railway Station right time on 83 days and late on 236 days.

(b) Running of this train was effected mainly by excessive alarm chain pulling coupled with miscreant activities and signal/telecommunication and engine failures.

The punctuality performance of this alongwith other Mail/Express trains is closely watched on a daily basis at various levels. It was a result of special punctuality Drive launched in June that the train arrived right time during last 4½ months on 76 days as against only 7 days during the preceding 6 months.

Duties and different Pay Scales of Inspectors and Supervisory Staff in Signal and Telecommunications Department

1218. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there are five pay scales for the Inspectors and three pay scales for supervisory staff in the Signal and Telecommunication Department of the Railways;

(b) if so, whether the duties of each of them have been specified clearly and whether the employees doing the same type of work on the Indian Railways at any place are given the same designations and same pay scales;

(c) if so, what are the duties performed by the Inspectors and Supervisory Staff drawing different scales of pay; and

(d) the action being taken to remove such a disparity ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) There are four scales of pay for Inspectors and one scale of pay for Assistant Inspectors in the Signal and Telecommunication side on the Railways. In the Wireless Traffic wing there are three scales of pay for supervisory staff.

(b) & (c). Scales of pay and designations have been allotted to the Inspectors and Supervisory staff in the Signal and Telecommunication Department on the pattern of the standared scales of pay allotted to similar staff in other Departments of the Railways. The posts of Inspectors and Supervisors in the Signal and Telecommunication Department have been allotted differents grades on the basis of worth of charge and extent of responsibility i. e. depending on the nature and place of their work, sophistication and quantum of equipment, the extent of their jurisdiction in terms of route miles and density of traffic handled etc., even as, for instance, Station Masters of different grades are allotted to stations of different importance. The broad duty lists of these staff have been laid down in Chapter XIII of the Indian Railways Signal Engineering Manual which is available in the Parliament Library.

The broad duties of Wireless Traffic Supervisory staff are to supervise and inspect the working of wireless operators in Divisions and report irregularities to Divisional Office/Head Quarters Office; to visit all Wireless Stations periodically in order to maintain efficiency of these stations and to deal with all wireless Telegraph Traffic matters. They also assist the officers in conducting Higher & Lower Proficiency Examinations and suitability tests for Wireless Operators. They also deal with V. I. P. specials and Mobile cars during emergencies. They have to ensure that traffic is routed correctly as per telegraph route charts. They have to send to Divisional and Headquarters offices monthly and annual reports on traffic matters. Different grades are attached to posts of different levels of importance or of supervision.

(d) Though the nature of duties of these staff is broadly the same, different grades have been allotted to them depending upon the extent of responsibilities involved and the importance of the charges, which vary from place to place. Such gradation is not considered

to constitute disparity in allotment of scales of pay. However, as the Third Pay Commission is already reviewing the pay scales, service conditions etc. of Central Govt. employees including Railway employees, their recommendations could be expected to throw light on this matter.

विदेशी वृत-चित्रों के आयात की नीति में परिवर्तन

1219. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वृत चित्रों के आयात के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या इसमें हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह नई नीति क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). रूपक फिल्मों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने दिया जाता है। एक करार के अनुसरण में ब्रिटेन से आयात मैसर्स जनरल फिल्म डिस्ट्रिब्यूटर्स लि०, बम्बई के माध्यम से करने की अनुमति है।

संयुक्त राज्य अमरीका से रूपक फिल्मों के आयात के लिये एक विशेष करार था जो 30-6-1971 को समाप्त हो गया तथा उसका पुनर्नवीकरण नहीं किया गया है।

चीन, वियतनाम और कोरिया की कुछ पुस्तकों पर प्रतिबन्ध

1220. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ वियतनाम और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक आफ कोरिया से प्रकाशित कुछ पुस्तकों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी पुस्तकों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Non-payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters and Levermen, Allahabad Division (Northern Railway)

1221. SHRI JAGANNTHRAO JOSHI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4624 on the 1 3th July, 1971 regarding non-payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters and Levermen, Allahabad Division, Northern Railway and state :

(a) the number of Assistant Station Masters and Levermen working in Allahabad Division who have not been paid their Overtime Allowance since 1968 and 1969 respectively and the amount of Overtime Allowance due to them, separately;

(b) the reasons for the delay in making payment of their overtime allowance; and;

(c) the effective steps being taken to avoid such delay and the time by which the outstanding amount of overtime allowance is likely to be paid to them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). There is at present no complaint from amongst the Assistant Station Masters and Levermen of the Allahabad Division regarding non-payment of arrears of overtime allowance. However, earlier overtime bills amounting to Rs. 832·25 in respect of a few staff had been lost in transit. Duplicate bills had to be prepard before payment could be arranged to the staff concerned. The payment has since been effected.

Recommendations regarding Change in Names of Patna Junction and Patna City Railway Stations

1222. SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to change the names of Patna Junction and Patna City Railway stations on the Eastern Railway to Patliputra and Patna Sahib respectively;

(b) if so, the date from which Government intend to put the said decision into effect; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) In the matter of change in the name of Railway Stations recommendation of the State Government concerned and the concurrence of Home Ministry is a prerequisite. No such recommendation has been received so far from the State Government.

रेलवे कार्यालय कर्मचारी-वर्ग का दर्जा बढ़ाना

1223. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जनवरी, 1969 को तत्कालीन रेल मंत्री श्री सी० एम० पुनाचा ने रेलवे कार्यालय कर्मचारी वर्ग की पदोन्नति के कोटे में वृद्धि करने की विशिष्ट घोषणा की थी;

(ख) क्या तत्कालीन रेल मंत्री डा० राम सुभग सिंह ने संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को 13 अगस्त, 1969 को पहले 45 दिन के अन्दर और फिर अक्तूबर, 1969 में दर्जा बढ़ाये जाने की घोषणा करने का आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर सकारात्मक हों तो उक्त आश्वासन को कार्यरूप न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) समाचार-पत्रों में छपा था कि श्री पुनाचा ने कहा है कि रेलवे बोर्ड लिपिक कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटे का प्रतिशत बढ़ाने की एक योजना पर विचार कर रहा है ।

(ख) डा० राम सुभग सिंह द्वारा दिये गये आश्वासन का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । लेकिन 1969-70 का रेलवे बजट पेश करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वे इस बात से अवगत हैं कि जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच चुके हैं उनके लिए कुछ राहत देना आवश्यक है और यह मामला विचाराधीन है और यथा आवश्यक राहत की व्यवस्था जायेगी ।

(ग) भाग (क) और (ख) का उत्तर देखते हुए और डा० राम सुभग सिंह द्वारा जैसा बताया गया था, इस प्रश्न पर विचार करने के बाद जो कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम पर दो या अधिक वर्षों से अवरुद्ध थे उन सभी कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी दी गयी थी और इसे क्रियान्वित कर दिया गया है, इसलिए, आश्वासन को क्रियान्वित न करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

इलाहाबाद मंडल के लोको रनिंग स्टाफ की संयुक्त संघर्ष समिति की माँग

1224. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद मंडल के लोको रनिंग स्टाफ की संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी माँगें पेश की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो वे माँगें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे में फायरमैन के रूप में कार्य कर रहे प्रशिक्षित कर्मचारी

1225. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूबेदारगंज ट्रेनिंग स्कूल (उत्तर रेलवे) में भेजे गये प्रशिक्षणार्थियों को 1968 में डिवीजनल अधिकारियों द्वारा वापिस भेज दिया गया था क्योंकि बहुत से प्रशिक्षित कर्मचारियों को खपाया नहीं गया था;

(ख) क्या उत्तर रेलवे मुख्यालय के अधिकारियों ने उन प्रशिक्षणार्थियों को इन हिदायतों के साथ फिर भेज दिया था कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को जिन्हें पहले प्रशिक्षण दिया गया था उपयुक्त नौकरियाँ नहीं दी गई थीं और वे फायरमैन का कार्य कर रहे हैं; और

(घ) प्रशिक्षित व्यक्तियों को उपयुक्त नौकरियाँ देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोहाटी स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर छात्रों द्वारा सैनिकों पर आक्रमण

1226. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अक्तूबर, 1971 को गुहाटी स्टेशन पर छात्रों द्वारा एक वायु-सैनिक तथा सेना के एक कप्तान पर किये गये आक्रमण के बारे में कोई जाँच की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस ने दो मामले दर्ज किये हैं, एक मामला सैनिक कर्मचारियों की शिकायत पर विद्यार्थियों के विरुद्ध और दूसरा विद्यार्थियों की शिकायत पर सैनिक कर्मचारियों के विरुद्ध । मामले की जाँच की जा रही है ।

परिवहन संग्रहालय

1227. **श्री पी० गंगादेव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक परिवहन संग्रहालय बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या लाभ होंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) इस संग्रहालय में पूरे आकार की प्राचीन वस्तुओं के जरिये भारतीय रेलों के ऐतिहासिक विकास का प्रदर्शन किया जायेगा । मान संबंधी नमूने औद्योगिक विकास के साथ-साथ विभिन्न यंत्र प्रणालियों के कार्य का भी चित्रण करेंगे । इस प्रकार, यह संग्रहालय पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र होने के अलावा शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा ।

दिल्ली मेन स्टेशन पर पार्सल लिपिकों तथा पार्सल कुलियों का स्थानान्तरण

1228. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के आदेशाधीन दिल्ली मेन स्टेशन पर कार्य करने वाले कुछ पार्सल लिपिकों तथा पार्सल कुलियों को अगस्त, 1971 में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, क्या इन स्थानान्तरणों को कार्य रूप दे दिया गया है और कर्मचारियों ने आदेशों का पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कुछ लोगों के संबंध में कार्यविधि संबंधी कुछ औपचारिकताओं तथा अन्यों के विषय में अभ्यावेदनों के निपटारे तक स्थानान्तरण के आदेश अस्थगित कर दिये गये हैं ।

चोरी के मामलों में ग्रन्तर्ग्रस्त दिल्ली मेन स्टेशन के पार्सल लिपिक तथा पार्सल कुली

1229. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली मेन स्टेशन पर कार्य करने वाले ऐसे पार्सल लिपिकों तथा पार्सल कुलियों की संख्या कितनी है जो पार्सलों की चोरी तथा छुट-पुट चोरी के मामलों से अन्तर्ग्रस्त हैं अथवा न्यायालय में जिन पर इस कारण मुकदमे चलाये जा रहे हैं; और

(ख) उनको अब तक दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दिल्ली जंक्शन स्टेशन पर 20 पार्सल क्लर्क और पार्सल भारिक हैं जो चोरी और उठाईगीरी के मामलों में अन्तर्ग्रत हैं/थे ।

(ख) उनकी न तो बदली की गयी है, न कोई अन्य कार्यवाही की गयी है, क्योंकि उन्हें या तो दोषमुक्त कर दिया गया है या उनके मामलों पर अभी न्यायालयों में विचार हो रहा है। फिर भी उनकी दिल्ली से बाहर बदली करने के औचित्य की जाँच की जा रही है ।

शोरानूर (दक्षिण रेलवे) में रेलवे वर्कशापों की खराब स्थिति

1230. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शोरानूर दक्षिण रेलवे में रेलवे वर्कशापों की खराब स्थिति की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या शेड की मरम्मत कराने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) शोरानूर में कोई रेल कारखाना नहीं है, लेकिन शोरानूर में एक लोको शेड है जिसके अनुरक्षण की स्थिति संतोषप्रद है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दार्जिलिंग मेल में शयन स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था

1231. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर कलियागंज और रायगंज रेलवे स्टेशनों से दार्जिलिंग मेल में शयन स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : रायगंज स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 12 डाउन दार्जिलिंग मेल में बारसोई स्टेशन से तीसरे दर्जे की दो सीटों का कोटा आबंटित कर दिया गया है। कलियागंज स्टेशन के यात्रियों के लिए कोटे के आबंटन का प्रश्न विचाराधीन है।

बम्बई में उपनगरीय रेल गाड़ी की चरनी रोड़ पर खड़ी एक रेल गाड़ी से टक्कर

1232. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में चर्चगेट जाने वाली एक उपनगरीय रेल गाड़ी चरनी रोड़ पर खड़ी एक रेल गाड़ी के पीछे टकरा गई थी जिससे 19 व्यक्ति घायल हुए;

(ख) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) अपराधी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं और घायल व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय 25-10-1971 को ग्रांट रोड और चरनी रोड़ स्टेशनों के बीच स्थानीय गाड़ी नं० एस० डब्ल्यू० 266 अप और गाड़ी नं० एस० डब्ल्यू० 264 अप के बीच हुई टक्कर से है। इस दुर्घटना में 19 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं ।

(ख) प्रत्यक्षत: यह दुर्घटना गाड़ी नं० 266 अप के मोटर मैन द्वारा रफ्तार पर लगी रहने वाली पाबन्दी का पालन न करने और चौकस होकर देख न सकने के कारण हुई।

(ग) दोषी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और दण्ड देने के लिए उसके विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किया गया है।

घायल व्यक्तियों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। कथित चोटों और व्यापार में हानि के कारण 10,000 रुपये की क्षतिपूर्ति का केवल एक दावा किया गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

काकद्वीप में न्यायालयों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव

1233. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या विभिन्न भूमि सुधार अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एस० डी० ओ० डायमंड हार्बर के अधीन काकद्वीप में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के दो न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

24 परगना में जल निस्सारण संबंधी योजनाएँ

1234. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 24 परगना में जल निस्सारण संबंधी क्या योजनाएँ हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : 24 परगना जिले में बाढ़ नियंत्रण सैक्टर के अधीन जल-निकास के लिए स्कीमों का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अभ्युक्ति
1.	कटखाती खाल का सुधार	32·16	पूर्ण हो गई है ।
2.	बागनोला-नतरागाची स्कीम	104·00	—वही—
3.	दंतभागा बीच जल-निकास स्कीम	15·22	—वही—
4.	सोनारपुर अरापंच माल्टा जल-निकास स्कीम चरण—दो	113·00	प्रगति जारी है ।
5.	नोवी बेसिन जल-निकास स्कीम	247·00	—वही—
6.	श्रुरियल बेसिन जल-निकास स्कीम	89·80	—वही—
7.	सियालादामोंग बेसिन जल-निकास स्कीम	114·60	—वही—
8.	पूर्वी मोगराहाट बेसिन जल-निकास स्कीम	296·00	योजना आयोग द्वारा स्वीकृत । कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा ।
9.	बील बाली जल-निकास स्कीम	53·28	—वही—
10.	वर्तमान सुन्दरवन तटबन्ध में 100 कपाटों का निर्माण	60·00	—वही—
11.	बलरामपुर खाल जल-निकास स्कीम (पालटा बेसिन)	36·96	स्कीम की जाँच हो गई है और इसकी योजना आयोग को सिफारिश कर दी गई है ।
12.	सुन्ती बेसिन जल-निकास स्कीम	253·00	जाँच कर ली गई है और टिप्पणियाँ राज्य सरकार को भेज दी गई हैं ।
13.	पश्चिमी मोगराहाट जल-निकास स्कीम	134·00	—वही—

कालनागिनी खाल काकद्वीप को गहरा करने की योजना

1235. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काकद्वीप से लगभग 4 मील दूर 24 परगना पश्चिम बंगाल में कालनागिनी खाल को गहरा और चौड़ा करने की कोई योजना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से केन्द्र को कोई स्कीम या प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सुन्दर वन का विद्युतीकरण

1236. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत सुन्दर वन पश्चिम बंगाल का विद्युतीकरण करने संबंधी क्या योजनायें हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : 24 परगना जिले के सुन्दरवन क्षेत्र से संबंधित जिस ग्राम विद्युतीकरण स्कीम को पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड ने प्रस्तुत किया था उसे जुलाई, 1971 में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने स्वीकृति दे दी है । इस स्कीम के अन्तर्गत 207 गाँवों के विद्युतीकरण, 320 कृषि-पम्पसेटों के ऊर्जन और 520 लघु उद्योगों की विद्युत आपूर्ति के लिए 91·65 लाख रुपये की ऋण सहायता आती है ।

केरल में बन्द हुई मिलों को अधिकार में लेना

1237. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ख) केरल में कौन-कौन सी कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं; और

(ग) क्या हुई निगम ने केरल में किसी मिल को अब तक अपने अधिकार में लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सितम्बर, 1971 के अन्त में केरल राज्य में एक सूती वस्त्र मिल, अर्थात् कताई काटन मिल्स लि०, आलवाय, बन्द पड़ी थी । राज्य सरकार इसे पुनः चालू करने के लिये प्रयास कर रही है ।

(ग) जी नहीं ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का सर्वेक्षण

1238. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के एक छः सदस्यीय दल ने नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस दल ने कौन सी सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वेक्षण की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल लाइन बिछाने के लिए भारतीय सहायता की माँग करने वाले देश

1239. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने रेल लाइन बिछाने के लिए भारतीय सहायता की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में किन-किन देशों ने सहायता माँगी है;

(ग) माँगी गई सहायता का स्वरूप क्या है; और

(घ) उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) सीरिया, ईराक, सेण्ट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, दहोमी, बेनेजुएला और इम्वेडर ।

(ग) और (घ). अनुबन्ध 'क' पर एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1085/71.**]

रेलवे वैगन प्राप्त करने के लिए द्रुत योजना

1240. **श्री पी० के० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 1971 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यदि औद्योगिक सामान की रेलवे द्वारा ढुलाई में वर्तमान गतिरोध को समाप्त करना है तो बड़े पैमाने पर रेलवे वैगन प्राप्त करने के लिए एक द्रुत योजना बनानी पड़ेगी;

(ख) इस गतिरोध के क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक सामान को बहुत तेजी से लाने और ले जाने के लिये पर्याप्त राहत की व्यवस्था करने हेतु यदि सरकार कोई प्रयास कर रही है तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) कुछ क्षेत्रों में यातायात की सम्पूर्ण माँग को पूरा करने में कठिनाई का कारण यह नहीं है कि माल डिब्बों की इस तरह की कोई कमी है बल्कि पूर्वी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थिति और माल डिब्बों की फिटिंग की चोरी के कारण रेल परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, टर्मिनल स्टेशनों पर माल डिब्बे खाली होने में विलम्ब होता है जिसकी वजह से वहाँ माल डिब्बे रुक जाते हैं। इससे अन्य रेलों पर माल डिब्बों की उपलब्धता भी अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है। पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर लाइनों में बहुत अधिक टूट-फूट के कारण अस्थायी कमी की यह स्थिति और भी बिगड़ गयी और बहुत बड़ी संख्या में माल डिब्बों का इस मार्ग से आना-जाना रोक देना पड़ा ।

(ग) अन्य केन्द्रीय और राजकीय एजेन्सियों के सहयोग से पूर्वी क्षेत्र में फिर से काम की सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सामान्य रेल परिचालन के लिए ऐसा होना अनिवार्य है। इस बीच महत्वपूर्ण उद्योगों से संबंधित यातायात की ढुलाई पर विशेष नजर रखी जा रही है और इस संबंध में होने वाली किसी कठिनाई की ओर जब भी रेल प्रशासन का ध्यान दिलाया जाता है, उसे दूर करने के लिए विशेष उपाय किये जाते हैं।

आधुनिक पटसन मिलों की स्थापना संबंधी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

1241. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आधुनिक पटसन मिलों की स्थापना के बारे में, पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रतिवेदन पर ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है और सरकार का विनिश्चय शीघ्र ही घोषित होने की संभावना है ।

आन्ध्र प्रदेश की थाम्मेलेरू परियोजना का निर्माण

1242. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी गोदावरी, जिला आन्ध्र प्रदेश की थाम्मेलेरू परियोजना के निर्माण के लिए धनराशि कितनी प्राक्कलित और स्वीकृत की गई है और निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या उक्त योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता माँगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी धनराशि माँगी गई है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) थाम्मेलेरू परियोजना की अनुमानित लागत 2·93 करोड़ रुपये है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास सुधार के लिए सम्पूर्ण स्कीम के भाग के रूप में राज्य योजना के बाहर इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि मिट्टी के कार्य का लगभग 30 प्रतिशत और नियामक के कार्य का 46 प्रतिशत कार्य अगस्त, 1971 के अन्त तक पूरा कर दिया गया है।

(ख) और (ग). आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सम्पूर्ण बाढ़ नियन्त्रण और जल-निकास स्कीम, जिसमें थाम्मेलेरू परियोजना सम्मिलित है, के कार्यान्वयन के लिए 1971-72 के दौरान 2 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए 23-5-1971 को केन्द्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया था। इस आग्रह पर विचार किया गया परन्तु राज्य सरकार को विशेष ऋण सहायता देना संभव नहीं पाया गया।

दिल्ली और बम्बई से रेलवे मुख्यालयों के कार्यालयों का स्थानान्तरण

1243. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई से कुछ रेलवे कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो कौन से कार्यालय स्थानान्तरित किसे जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुवैत के व्यापार मेले में भारत द्वारा भाग लिया जाना

1244. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में कुवैत में होने वाले व्यापार मेले में भाग लेने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) कुवैत कोई भी व्यापार

मेला आयोजित नहीं करता है। भारत सरकार ने फरवरी, 1972 में कुवैत में पूर्णत: भारतीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई थी। अब प्रस्तावित प्रदर्शनी को वित्तीय वर्ष 1972-73 की अन्तिम छमाही तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

(ख) इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत की परम्परा और सांस्कृतिक विरासत की पृष्ठभूमि में भारत के विकासशील उद्योगों की ख्याति बनाकर भारत के निर्यातों का संवर्धन करना है। भारत के निर्यात योग्य माल, परम्परागत अथवा अपरम्परागत, दोनों प्रकार की वस्तुओं के समेकित प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकारी सेवा प्रदान करने की भारत की क्षमता तथा विदेशों में आद्योपान्त प्रायोजनाएँ स्थापित करने में उसकी प्रतियोगिता शक्ति और सेवा संविदाएँ प्राप्त करने में उसकी क्षमता का प्रचार करने पर जोर दिया जायेगा।

बोदीनायकानूर के निकट वर्षा के कारण हुई क्षति

1245. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की वर्षा के कारण बोदीनायकानूर के निकट एक पक्का नदी पथ (काज वे) बह गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). हाल की वर्षा से बोदीनायकानूर के निकट उपसेतु (काजवे) के बह जाने के बारे में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

Electrification of Daryaoganj Railway Station (North Eastern Railway)

1246. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA ; Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Daryaoganj Railway Station of North Eastern Railway (Distt. Etah, Uttar Pradesh) has not been provided with electricity and sufficient light is not available at the station there;

(b) whether electricity is available at a distance of only 200 yards from the station; and

(c) if so, whether Government has any proposal to electrify the Station ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Daryaoganj Railway Station has not yet been electrified. Lighting arrangement exists at present by means of kerosene oil lamps.

(b) Low tension electric supply is understood to be available at a distance of about 400/500 meters from the Station.

(c) The State Electricity Board has been approached to indicate service connection charges and tariff. Subject to these being reasonable, and availability of funds, the electrification of this Station will be considered.

Linking of Jahangirabad with Railway

1247. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Jahangirabad in District Bulandshahr of Uttar Pradesh is not connected by Railway;

(b) whether there are a number of factories manufacturing iron-goods and Printing Press in Jahangirabad, but Railway facilities are not available there; and

(c) if so, whether Government propose to connect Jahangirabad with Delhi and Aligarh by laying a new railway line ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) No specific requests either from the state govt. or from the owners of factories have been received for the construction of this rail link.

(c) Does not arise.

ऊटकमंड स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर पुलिस द्वारा छात्रों को पीटा जाना

1248. **श्री बालतन्डायुतम्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस द्वारा तमिलनाडु के ऊटकमंड रेलवे स्टेशन पर यात्रा कर रहे गोविन्द बल्लभ पंत पोलीटेक्निक, नई दिल्ली के छात्रों को पीटा गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। लेकिन 4-10-1971 को लवडेल स्टेशन पर गोविन्द बल्लभ पंत पोलीटेक्निक, नयी दिल्ली के विद्यार्थियों और कर्मचारियों और दूसरी ओर 36 एक्सप्रैस गाड़ी के यात्रियों के बीच एक झगड़ा हुआ था। झगड़े का कारण यह था कि इससे पहले विद्यार्थियों ने गाड़ी के गश्ती सिपाही पर हमला किया था, जिससे वह बेहोश हो गया था।

(ख) नीलगिरी के कलेक्टर ने जाँच का आदेश दिया था और जाँच रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार के पास निपटारे के लिए पड़ी है।

कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, माही को अधिकार में लिया जाना

1249. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी सरकार ने, केन्द्र सरकार को कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, माही एकक को अपने अधिकार में लेने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार की प्रस्थापनाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में पांडिचेरी तथा केरल सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

गंगा से कावेरी तक नदियों को जोड़ने के लिए केन्द्रीय जल ग्रिड

1251. **श्री बालतन्डायुतम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० के० एन० राज द्वारा लिखित उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें गंगा से कावेरी तक नदियों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय जल ग्रिड की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता पर संदेह व्यक्त किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार के विचार संलग्न विवरण में बताये गये हैं ।

विवरण

विदेशी विशेषज्ञों का संयोजन

परियोजना एक मिश्रित ढंग की है, जिसमें लगभग 1500 फुट से 1800 फुट और लगभग 2000 मील लम्बी मुख्य नहर के कुल शीर्ष पर जल की भारी मात्राओं के ऊँचे शीर्षों पर पंप करने और मार्गस्थ नदियों की एकीकृत प्रणाली-योजना बनाने का कार्य सम्मिलित है । अभी तक हमारे देश में ऐसी किसी स्कीम का कार्य नहीं हुआ है । बहरहाल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य (रूस) जैसे देशों में बेसिनों के बीच बड़े पैमाने पर जल के स्थानान्तरण की स्कीमों के कार्य पहले ही किए जा चुके हैं और यहाँ तक कि उनसे और अधिक बड़ी स्कीमों की योजना तैयार की जा रही है । इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ से यह अनुरोध किया गया कि वह अब तक किये गये अध्ययनों पर समर्थक राय देने के उद्देश्य से लगभग तीन से चार महीनों की अवधि के लिए चार विशेषज्ञों की सेवाओं की व्यवस्था करे ताकि विश्व में अन्य स्थानों पर उपलब्ध अनुभव का लाभ उठाते हुए सर्वाधिक लाभदायक रूपों में विस्तृत अध्ययन-कार्य, जिन पर 20 से 25 करोड़ रुपयों की लागत आ सकती है और लगभग 8 से 10 वर्ष समय लग सकता है, चलाये जा सकें । वास्तविक सर्वेक्षण, अभिकल्प और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूर्णत: भारतीय इंजीनियर करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों का व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं उठायेगा और उनके स्थानीय खर्चों में भारत सरकार का अंशदान लगभग 22,500 रुपये आने का अनुमान है ।

आर्थिक व्यवहार्यता

अगर ये अध्ययन कार्य उसी समय किये जाएँ, जब यथोचित लागत-प्राक्कलनों को प्राप्त करने के लिए अंन्वेषण कर लिया जाये, तो यह प्रशंसनीय होगा। यह उल्लेखनीय है कि विश्व में अन्य स्थानों पर बृहत्तर शीर्षों पर भी पंप करने वाले जल के ऐसे स्थानान्तरण पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

राजस्थान में उपयोग

जिन स्थानों में मानसून के दौरान गंगा के फालतू जल का उपयोग किया जा सकेगा, उनका निश्चय अन्वेषण-कार्यों के संपन्न हो जाने पर विभिन्न राज्यों को उपलब्ध प्रति व्यक्ति अपेक्षित सिंचित भूमि को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जाना है। ग्रिड से राजस्थान को जल की प्रमात्रा को नर्मदा और प्रस्तावित नवगाम उच्च स्तरीय नहर के माध्यम से आसानी से ले जाया जा सकता है।

पंप के लिए विद्युत

चूँकि पंप का कार्य मानसून के महीनों तक ही सीमित होना है, जब गंगा में फालतू जल होता है, इसलिए हिमालय में स्थित जलविद्युत केन्द्रों से उपलब्ध गौण विद्युत का उपयोग राष्ट्रीय जल ग्रिड की विद्युत संबंधी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। चूँकि यह गौण ऊर्जा है, अतः इसकी लागत बहुत कम होने की आशा है क्योंकि जिन परियोजनाओं से ऐसी गौण ऊर्जा व्युत्पन्न की जाती है, उनका औचित्य ग्रिड को ठोस विद्युत देने के आधार पर ही सिद्ध होगा।

गोदावरी के जल का उपयोग

ग्रिड में गोदावरी और अन्य मार्गस्थ नदियों के फालतू जल का, जब ऐसा फालतू जल उपलब्ध हो, पंप किया जाना परिकल्पित है। बहरहाल, इन बेसिनों के जल-प्रवाह में वर्ष प्रति-वर्ष अच्छी-खासी घट-बढ़ होती है। यह भी ध्यान में रखा जाना है कि शताब्दी के बदलने तक इन बेसिनों में सभी परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकेंगी।

नहर से जल का रिसन

प्रणाली में बड़ी संख्या में जलाशयों के होने के कारण, संचरन में जल के रिसन की मात्रा किसी नहर से जल-रिसन की तुलना में बहुत कम होगी। रिसन से होने वाले जल-क्षय को न्यूनतम करने के लिए नहर का पलस्तर करने का प्रस्ताव भी है। इस तरह रिसन लगभग 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

विकल्प के रूप में खारापन हटाना

खारापन हटाने वाले संयंत्रों की प्रतिष्ठापन-लागत बहुत ऊँची होगी। खारापन हटाये गये जल की अंतिम लागत 0·5 डालर प्रति घन मीटर से लगभग 4·69 डालर प्रति घन मीटर के बीच

कम-बेशी रूप में पायी गयी है । ऐसी भारी लागतें किसी सिंचाई स्कीम द्वारा वहन नहीं की जा सकतीं । लागत के अतिरिक्त, इन संयंत्रों से समुद्रतटीय पट्टियों में केवल छोटे क्षेत्रों में ही सिंचाई जल की व्यवस्था की जा सकेगी ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के लिए एकीकृत नदी घाटी विकास परियोजना

मानसून से भिन्न समय में सप्लाई और संचय-जलाशयों से निकासी के पूर्ण जल का उपयोग बेसिन में ही किया जा सकेगा ।

दिल्ली में दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले रेल कर्मचारियों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था

1252. **श्री एच० के० एल० भगत :** या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कई वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) दिल्ली में ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और उनकी नियुक्तियों को स्थाई रूप देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 31-3-1971 को, रेल परियोजना निर्माण कार्यों पर तीन या तीन से अधिक वर्षों से सेवारत, 12,180 नैमित्तिक श्रमिक नियुक्त थे । इन निर्माण कार्यों पर पारिश्रमिक दैनिक मजदूरी के आधार पर दिया जाता है, नौकरी की अवधि चाहे कितनी हो ।

(ख) 1724. चौथे दर्जे के पदों से बाहर से नियुक्तियाँ करने के बारे में अस्थायी तौर पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ताकि नैमित्तिक श्रमिकों को इन पदों पर आमेलित किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए नैमित्तिक श्रमिकों की संवीक्षा की जानी है ।

दहेज लेने और दहेज को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन

1253. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दहेज लेने और दहेज देने को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए संबद्ध कानून में संशोधन करने हेतु लोक सभा में विधेयक प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नितिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा अपने अधिकार में ली गई कपड़ा मिलें

1254. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम ने संसद के पिछले सत्र से बाद कितनी बंद मिलों को अपने अधिकार में ले लिया है;

(ख) उक्त मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन मिलों में कितने कर्मचारी काम कर रहे थे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). संसद् के पिछले सत्र के बाद उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18क के अन्तर्गत सरकार द्वारा चार बन्द पड़ी सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया गया। उनके नाम ये हैं :

(1) जहाँगीर वकील मिल्स लि०, अहमदाबाद।
(2) अहमदाबाद जुपीटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद।
(3) अहमदाबाद जुपीटर स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्यु० कं० लि०, बम्बई।
(4) मैसूर स्पिनिंग एण्ड मैन्यू० कं० लि०, बंगलौर।

(ग) 10,782.

केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड के कार्य-करण की जाँच

1255. **श्री विजयपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकरण की जाँच करने के लिए केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति की है।

(ख) यदि हाँ, तो इस जाँच के निदेश पद क्या हैं; और

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में बिजली उत्पन्न करने के लिए संयंत्र लगाना

1256. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में किन जिलों में बिजली उत्पन्न करने के संयंत्र लगाये गये हैं; और

(ख) प्रत्येक संयंत्र पर कितनी लागत आई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). उपबंध की सारणी में अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	विद्युत केन्द्र का नाम	जिले का नाम जहाँ स्थित है	1970-71 के अन्त तक लगी पूँजीगत लागत (लाख रुपये)
1.	सिवासमुद्रम जल विद्युत (42 मैगावाट)	माण्डया	369
2.	शिमशा जल विद्युत (17·2 मैगावाट)	माण्डया	
3.	मुनीराबाद जल विद्युत (27 मैगावाट)	रायचूर	307
4.	तुंगभद्रा बाँध जल विद्युत (72 मैगावाट का 20% हिस्सा)	बेल्लारी (रायचूर)	72
5.	महात्मा गाँधी जल विद्युत (120 मैगावाट)	शिमोगा	437
6.	शरावती घाटी जल विद्युत चरण 1,2 और 3 (890 मैगावाट)	शिमोगा	*7911
7.	भद्रा जल विद्युत (33 मैगावाट)	शिमोगा	523
8.	भागामंडला डीजल (60 मैगावाट)	कुर्ग	0·45

*परियोजना के चरण–3 का कार्यान्वयन अभी तक चल रहा है। चरण 1, 2 और 3 की कुल अनुमानित लागत 10, 257 रुपये है ।

बंद शहादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे मार्ग पर बिजली की गाड़ी चलाना

1257. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों की बढ़ती संख्या की आवश्यकता को पूरा करने और दिल्ली में आवास की समस्या के समाधान के लिए क्या बंद शहादरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के स्थान पर बिजली की गाड़ी चलाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क)जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पारसनाथ तथा गोमोह स्टेशनों के बीच खाद्यानों का लूटा जाना

1258. **श्री विजय मोदक :**
श्री अमर नाथ चावला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 के दूसरे सप्ताह के दौरान पूर्व रेलवे पर पारसनाथ तथा गोमोह स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी से 1 लाख रुपये के मूल्य के खाद्यान्न, चीनी तथा सरसों का तेल आदि लूट लिए गये थे; और

(ख) अपराधियों को दण्ड देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Overhead bridge at Jawalapur Station (Northern Railway)

1259. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to construct an overhead bridge at Jawalapur Station on Northern Railway; and

(b) if so, the time by which the bridge is likely to be constructed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) Does not arise.

Opening of a Railway Station at Bhupatwala (Northern Railway)

1260. SHRI MULKI RAJ SAINI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to open a Railway Station at Bhupatwala in order to reduce over-crowding and to provide seating accommodation at Haridwar, a centre of pilgrimage; and

(b) if so, the time by which this Station would be opened ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) A proposal was received and considered. It was not found financially justified.

(b) Does not arise.

श्रेणी 2 (परिशिष्ट 2-क अर्हता प्राप्त) क्लर्कों की शिकायतें दूर किया जाना

1261. **डा० कर्णी सिंह** : क्या रेल मंत्री श्रेणी 2 (परिशिष्ट 2-क अर्हता प्राप्त क्लर्कों की शिकायतों को दूर किये जाने के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6832 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रश्न सं० और संदर्भ की तारीख	विषय	टिप्पणी
3-8-1971 को डा० कर्णी सिंह द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न 6832	पूछा गया था कि :	
	(क) पश्चिमी रेलवे के लेखा विभाग में प्रत्येक वरिष्ठता इकाई में पहली अप्रैल, 1968 को कितने श्रेणी 2 (वरिष्ठ 2–क अर्हता प्राप्त और अनर्ह अलग-अलग)–के क्लर्कों को श्रेणी–I क्लर्कों के छाया पदों पर पदोन्नत किया है;	(क) छाया पदों पर 1968 से पदोन्नत ग्रेड–II के क्लर्कों की संख्या

वरिष्ठता यूनिट	एपेंडिक्स II–ए अर्हता-प्राप्त	अनर्हता प्राप्त
1. मुख्यालय	3	1
2. बड़ौदा जंक्शन, रतलाम, कोटा, दोहद, अहमदाबाद जं०	7	2
3. राजकोट, भावनगरपाड़ा साबरमती	5	2
4. कोचिंग लेखा यूनिट ए—II	10	4
5. माल लेखा यूनिट ए—II	9	3
6. साधारण लेखा यूनिट ए—II	6	2
7. दिल्ली	17	6

	(ख) पहली अप्रैल, 1968 के बाद छुट्टी रिक्तियों पर पदोन्नत किये गये अनर्ह क्लर्कों के लिए पद बनाने के लिए पदोन्नत किये गये कितने अर्हता प्राप्त क्लर्कों को पदावनत कर दिया गया;	(ख) किसी अनर्हता प्राप्त क्लर्क को जगह देने के लिए किसी अर्हता प्राप्त क्लर्क को बाद में परावर्तित नहीं किया गया ।

प्रश्न सं० और संदर्भ की तारीख	विषय	टिप्पणी
	(ग) क्या अर्हता प्राप्त क्लर्कों की ओर से पदोन्नति और छुट्टी रिक्ति रिजर्वेशन संबंधी इस त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और	(ग) जी हाँ ।
	(घ) यदि हाँ, तो उनकी शिकायतों को पिछली तारीख से दूर करने के लिए क्या कोई आदेश जारी किया गया है ?	(घ) छुट्टी रिक्तियों पर कर्मचारियों को ग्रेड–I के लिपिक के रूप में पदोन्नत करने के संबंध में 29–9–1969 के पश्चात् अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करने के लिए पश्चिम रेलवे को जुलाई, 1971 में आदेश जारी किये गये थे ।

काबुल गया व्यापार प्रतिनिधिमंडल

1262. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1971 के प्रथम सप्ताह में भारत-अफगान व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल काबुल गया था;

(ख) इस समय दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है; और

(ग) इस प्रतिनिधिमंडल और अफगान अधिकारियों के बीच हुई चर्चा से क्या उपलब्धियाँ हुईं और इससे दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) 1970-71 में दोनों देशों के बीच व्यापार का कुल परिमाण लगभग 24 करोड़ रु० मूल्य का था ।

(ग) वार्ताएँ अत्यन्त लाभप्रद रहीं और कई नये विषयों पर बातचीत हुई । ये वार्ताएँ अनिर्णीत रहीं क्योंकि कुछ नये पहलुओं पर अतिरिक्त विचार किये जाने की आवश्यकता थी । दोनों प्रतिनिधिमंडल इन्हें यथाशीघ्र फिर से शुरू करनेके लिए सहमत हो गये थे ।

आयातों पर अमरीकी अधिभार के कारण भारत में गैर-परम्परागत निर्यातों पर प्रभाव

1263. **श्री शशि भूषण :**
श्री अमर नाथ चावला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातों पर १० प्रतिशत अमरीकी अधिभार लगाये जाने से अमरीका को किये जाने वाले इंजीनियरी, रसायन और चमड़े के सामान के गैर-परम्परागत निर्यातों में कटौती के कारण भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा है; और

(ख) विश्व के अन्य देशों के बाजारों का पता लगा कर उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख). माननीय सदस्यों का ध्यान इस सदन में 16 नवम्बर, 1971 को तारांकित प्रश्न सं० 44 के दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

राजधानी एक्सप्रैस का परिचालन व्यय

1264. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रैस का परिचालन व्यय क्या है;

(ख) क्या राजधानी एक्सप्रैस घाटे पर चल रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो यह घाटा कितना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) खर्च का हिसाब गाड़ीवार नहीं रखा जाता । लेकिन सामान्यत: 4 वातानुकूल कुर्सीयानों और 1 शयनयान से युक्त राजधानी एक्सप्रैस के संचालन का प्रत्यक्ष खर्च 2·40 लाख प्रति माह या 14,000 रुपया प्रति फेरा आँका गया है । इन प्रत्यक्ष खर्चों में उपभोज्य डीजल तेल की खपत इंजन अमला, गाड़ी कर्मचारियों आदि की लागत और ब्याज तथा सवारी डिब्बों और इंजनों का मूल्य ह्रास शामिल है लेकिन रेल मार्ग, सिगनल और दूर संचार और ऊपरी उपस्करों आदि की व्यवस्था एवं अनुरक्षण की लागत शामिल नहीं हैं क्योंकि ये लागत अन्य सेवाओं में भी समान रूप से आती हैं । गाड़ी की खान-पान की सेवा की लागत को भी हिसाब में नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). रेल पथ, स्टेशन इमारत, गाड़ी गुजारने वाले कर्मचारियों और सामान्य प्रशासन की लागतों सहित जो अन्य सेवाओं में भी समान रूप से आती हैं, पूर्णत: वितरित लागतों की अनुपलब्धता के कारण इस गाड़ी के संचालन से होने वाले लाभ या हानि का अलग से मूल्यांकन करना व्यावहारिक नहीं है । फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि यदि गाड़ी की

रचना सामान्य हो और उसमें व्यवस्थित स्थान का उपयोग 42·7 प्रतिशत हो तो उससे राजधानी एक्सप्रैस के संचालन का प्रत्यक्ष खर्च निकल आता है तथा स्थान का 42·7 प्रतिशत से अधिक उपयोग होने से ऊपरी, संयुक्त या सामान्य लागत निकल आयेगी।

वर्ष 1969-70 में राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा हाथ में ली गई संकट ग्रस्त मिलें

1265. **श्री कमल मिश्र मधुकर :**
श्री सी० चित्तिबाबू :
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में वर्ष 1969-70 में कितनी संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को और किन-किन स्थानों पर बन्द किया गया;

(ख) राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम ने वर्ष 1969-70 में कितनी मिलों को अपने हाथ में लिया; और

(ग) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने श्रमिक अपने-अपने रोजगार पर रह सके ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उन सूती वस्त्र मिलों को छोड़कर जिनमें सितम्बर, 1971 के अन्त तक कार्य शुरू हो गया है, दस मिलें वर्ष 1969-70 के दौरान बन्द हो गईं। ये मिलें निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

1. अडोनी (आन्ध्र प्रदेश)
2. मकोमेह (बिहार)
3. बंगलौर (मैसूर)
4. मैलोट मंडी (पंजाब)
5. विजय नगर (राजस्थान)
6. ब्यावर (राजस्थान)
7. मदुराई (तमिलनाडु)
8. नामनसमुद्रम (तमिलनाडु)
9. बेलगारिया (पश्चिम बंगाल)
10. कोन्नागार (पश्चिम बंगाल)

(ख) सरकार द्वारा आठ सूती वस्त्र मिलों के प्रबन्धों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 क के अधीन अपने नियंत्रण में लिया गया।

(ग) 1161

बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नई योजनायें

1266. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार से ग्रामीण विद्युतीकरण की कुछ नई योजनायें केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). राज्य विद्युत बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण निगम के समक्ष, निगम द्वारा स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार, केन्द्रीय योजना परिव्यय से ऋण सहायता के लिए विशिष्ट ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत करते हैं। पिछड़े क्षेत्रों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए रियायती शर्तों की व्यवस्था की जाती है। निगम ने जुलाई, 1969 में अपने प्रारम्भ के समय से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत 12 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की मंजूरी दी है, जिनपर पटना, सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, गया, शाहाबाद, सारन और चम्पारन जिलों में 1,307 ग्रामों के विद्युतीकरण और 19,542 पम्प सेटों को बिजली से चलाने के लिए 642 लाख रुपये का परिव्यय परिकल्पित है। इन 12 स्कीमों में से 7 की मंजूरी सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया, सारन, गया और चम्पारन जिलों से संबंधित पिछड़े क्षेत्रों के लिए दी गई है। पाँच स्कीमें इस समय निगम के विचाराधीन हैं। इन पर मुजफ्फरपुर, पलामू और शाहाबाद जिलों में लगभग 550 ग्रामों के विद्युतीकरण और लगभग 6,750 पम्प सेटों को बिजली से चलाने के लिए 244 लाख रुपये का परिव्यय परिकल्पित है।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिये दिये गये योगदान का स्वीकार न किया जाना

1267. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रेलवे कर्मचारियों ने बंगला देश के शरणार्थियों लिए स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन देने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) आल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन से इस आशय की सूचना मिली थी कि कर्मचारियों द्वारा सहमति-पत्र देने पर रेल कर्मचारियों के वेतन से, वेतन बिल द्वारा, उनका एक दिन का वेतन काटने की अनुमति दे दी जाये।

(ख) और (ग). वेतन बिल के जरिए कटौती अनुज्ञेय नहीं है । फिर भी रेलवे बोर्ड ने सभी रेल प्रशासनों को आदेश दे दिये हैं कि कर्मचारियों से वेतन दिवस को नकद चन्दा इकट्ठा करने में सभी प्रकार की सहायता दी जाये ।

दक्षिण रेलवे पर चोरियों, डकैतियों और लड़कियों के अपहरण की घटनायें

1268. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में वर्ष 1970-71 के दौरान चोरियों, डकैतियों और लड़कियों के अपहरण की कितनी घटनाएँ हुईं; और

(ख) इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) डकैती—कोई नहीं

लड़कियों का अपहरण—कोई नहीं

यात्री सामान की चोरियाँ—799

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सामान्य सुरक्षा प्रबंध कड़े करने; जैसे—महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने तथा अपराधी और समाज विरोधी तत्वों को गिरफ्तार करने के लिए समय-समय पर छापे मारने के अलावा रात की महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों पर सरकारी रेलवे पुलिस के आरक्षियों की व्यवस्था की जाती है ।

(ii) रेलवे सुरक्षा-दल द्वारा सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट संपर्क रखा जाता है ताकि जहाँ पुलिस प्राधिकारी कहें वहाँ रेलवे सुरक्षा-दल कुमुक भेज सके ।

(iii) रेलों पर अपराध की रोक-थाम और पकड़-धकड़ के काम में सुधार करने के उद्देश्य से सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस अधिकारियों के साथ रेलवे सुरक्षा-दल द्वारा सभी स्तरों पर समन्वय बैठकों का भी आयोजन किया जाता है ।

(iv) मार्गों और स्टेशन प्लेटफार्मों पर तैनात रेलवे दल के कर्मचारियों को रेल-सम्पत्ति की रक्षा करने, अपराध स्थलों तक शीघ्रता से पहुँचने और पीड़ितों को सभी संभव सहायता देने के लिए कड़ी हिदायतें जारी की गयी हैं ।

कोका-कोला निर्माताओं के लाइसेंस की पुन:पूर्ति

1269. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोका-कोला के निर्माताओं को लाइसेंस की पुन: पूर्ति (रिप्लेनिशिंग) के प्रश्न पर विचार करने के लिए किसी समिति की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन से हैं और समिति ने क्या प्रगति की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के स्टेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी जाँच का परिणाम

1270. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री मेरठ नगर स्टेशन (उत्तर रेलवे) के पार्सल कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन का गबन करने के बारे में 25 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3478 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली कठोर दण्ड देने संबंधी अनुशासनात्मक कार्यवाही बदल दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत प्रशासन ने आगे कोई और जाँच की थी, यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या एक कर्मचारी को उत्तर रेलवे में विधि निरीक्षक का पद भी दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत जाँच की गयी है और जाँच की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ). इस मामले में शामिल दो कर्मचारियों में से एक को रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा विधि सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए चुन लिया गया है । किन्तु, उसे नियुक्ति प्रस्ताव नहीं दिया गया है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के माल बुकिंग और पार्सल कार्यालयों में संदर्भ पुस्तकों की अत्यन्त कमी

1271. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के माल, बुकिंग और पार्सल कार्यालयों में रेलवे जंकशनों के बीच की दूरी-तालिकाओं और अन्य संदर्भ पुस्तकों की नितान्त कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इन पुस्तकों को कर्मचारियों को देने के लिए रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सोवियत रूस से रुई का आयात

1272. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष के दौरान सोवियत रूस से रुई का आयात किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी रुई का आयात किया गया तथा किस प्रकार; और

(ग) ऐसी कौन सी सूती कपड़ा मिलें हैं जिन्हें उक्त रुई आबंटित की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

वर्ष 1970-71 के दौरान कारों का आयात

1273. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** . क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में भारत में कितनी विदेशी कारों का आयात किया गया; और

(ख) मूल स्थान से कारों के जहाजों पर लादे जाने के पश्चात् कुल आयातित कारों में से कितने मामलों में आयात लाइसेंस दिये गये थे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन के महानिदेशक से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 1970-71 के दौरान भारत में 456 विदेशी कारें आयात की गईं । क्योंकि पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि इनमें से कितनी कारें मोटर-गाड़ियों के लदान के बाद जारी किए गए आयात लाइसेंसों अथवा सीमा शुल्क निकासी परमिटों के अन्तर्गत आती हैं ।

Pilferage of Articles from Mughalsarai Marshalling Yard

1274. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the value of the articles stolen from the Mughalsarai Marshalling Yard during the last three years, year-wise; and

(b) the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Value

of the articles stolen from the Mughalsarai Marshalling Yard during the last three years is as follows :—

1968-69	Rs. 17,223
1969-70	Rs. 34,597
1970-71	Rs. 1,18,278

(b) (i) Security arrangements at Mughalsarai have been tightened up from 23rd October, 1970, by posting a Senior Scale Security Officer at Mughalsarai for better administration.

(ii) The entire yard has been sub-divided into six small sectors and placed under the supervision of a SI/ASI for an effective control.

(iii) Block raids alongwith the GRP and local police are carried out in the adjoining villages which are infested with criminals and arrests are made of wanted criminals.

(iv) Basic security arrangements are being enhanced. Watch towers and barbed wire fencing at some places has been provided.

(v) Bad elements in the RPF as well as in the other Departments of the Railway are being closely watched. Most of them have already been transferred from Mughalsarai.

पश्चिम रेलवे की जामनगर-बेदी पत्तन रेलवे लाइन पर दुर्घटना

1275. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार जामनगर-बेदी पत्तन रेलवे लाइन पर कितनी दुर्घटनाएँ हुईं;

(ख) क्या यह रेलवे लाइन बेदी सड़क के साथ-साथ चलती है और रिहायशी बस्तियों में से गुजरती है;

(ग) क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार इस रेलवे लाइन को हटाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1-4-68 से इस लाइन पर जितनी गाड़ी-दुर्घटनाएँ हुईं, उनकी वर्षवार स्थिति नीचे बतायी गयी है :

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
1968-69	1
1969-70	कोई नहीं
1970-71	कोई नहीं
1971-72	1

(1-4-71 से 31-10-71 तक)

ये दोनों दुर्घटनाएँ बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुईं ।

(ख) जामनगर-बेदी पत्तन की बीच की लाइन बेदी सड़क के साथ-साथ जाती है और निर्मित क्षेत्र से होकर गुजरती है।

(ग) और (घ). जामनगर टाउन के परिहार के लिए वर्तमान जामनगर-वेदी मीटर लाइन के मार्ग परिवर्तन के सवाल पर विचार किया जा रहा है। जिस तारीख से यह काम शुरू किया जायेगा उस तारीख से लगभग 2 वर्ष के भीतर इसे पूरा कर दिया जायेगा।

विदेश व्यापार मंत्री का विदेशों का दौरा

1276. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कई देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो जिन देशों का उन्होंने दौरा किया, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उनके दौरे के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है :

विवरण

देश जिनका दौरा किया	दिनांक	प्राप्त परिणाम
1. नेपाल (काठमांडू)	12-8-71 से 13-8-71	13-8-1971 को मंत्री जी द्वारा भारत-नेपाल व्यापार तथा पारवहन संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
2. रूमानिया (बुखारेस्ट) हंगरी (बुडापेस्ट) स्विटजरलैंड (जेनेवा) बेल्जियम (ब्रुसेल्स)	7-9-71 से 19-9-71	मंत्री जी ने रूमानिया सरकार के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के विकास के प्रश्न पर विचार विमर्श किया। इस बात पर सहमति हुई कि व्यापार की अविरत प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों को दीर्घावधि संविदाओं तथा संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मंत्री जी ने भारत तथा हंगरी के बीच व्यापार के विकास के प्रश्न पर हंगरी सरकार के साथ विचार-विमर्श किया। दोनों देशों के बीच व्यापार के आदान-प्रदान में 1975 तक 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का विनिश्चय किया गया।

देश जिनका दौरा किया	दिनांक	प्राप्त परिणाम
		अंकटाड 3 की बैठक से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर बातचीत करने के लिए मंत्री जी ने जेनेवा का दौरा किया। भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार से संबंधित विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के लिए मंत्री जी ने ब्रुसेल्स का दौरा किया।
3. थाइलैंड (बैंकाक)	4-10-71 से 7-10-71	एशियाई दल के विकासशील देशों के विचारों में एकरूपता लाने के लिए तथा विकासशील देशों के सम्मुख व्यापार तथा विकास से संबंधित आने वाली समस्याओं के लिए सामान्य दृष्टि-कोण अपनाने के लिए वहाँ आयोजित एशियाई दल के "दल 77" की मंत्रि-स्तरीय बैठक में मंत्री जी ने भाग लिया।
4. पीरू (लीमा)	27-10-71 से 8-11-71	संतिआगो में अप्रैल-मई 1972 में होने वाले अकंटाड 3 के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं पर सामान्य दृष्टिकोण सूत्रित करने के लिए लीमा (पीरू) में आयोजित "दल 77" की मंत्रि-स्तरीय बैठक में मंत्री जी ने भाग लिया। मंत्री जी ने भारत तथा पीरू के बीच व्यापार संबंधों पर भी बातचीत की और पीरू के साथ व्यापार करार पर, जो इस देश के साथ सर्व प्रथम करार था, हस्ताक्षर किए।

गोहाना-पानीपत रेल लाइन को फिर से चालू करना

1277. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोहना-पानीपत रेल लाइन को फिर से चालू करने के संबंध में जनता एवं हरियाणा सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में सर्वेक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी हाँ।

(ग) यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाना बिल्कुल अलाभप्रद है और उनके निर्माण की सिफारिश नहीं की गयी है। चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए धन की कमी और प्रस्तावित लाइन बिछाने का काम वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद होने के लिए पर्याप्त यातायात के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल इस लाइन को फिर से बिछाने के प्रश्न पर विचार करने का आधार नहीं बनता और स्वाभाविक रूप से बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी होगी।

लोक सभा के साधारण निर्वाचनों पर किया गया व्यय

1278. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा के गत साधारण निर्वाचनों पर कितना व्यय किया गया था;

(ख) क्या संपूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा किया गया था अथवा कुछ राज्यों ने भी उसमें सहयोग दिया था; और

(ग) इससे पहले संसदीय निर्वाचनों पर किए गए व्यय के साथ अब के निर्वाचनों पर हुए व्यय के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) लोक सभा के मध्यावधि साधारण निर्वाचनों के संबंध में 9,56,20,417·68 रु० व्यय हुए। यह विवरण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। विद्यमान व्यवस्था के अनुसार, प्रारम्भ में यह सरकारें केन्द्रीय सरकार की ओर से व्यय करती हैं और बाद में केन्द्रीय सरकार से उसे वसूल कर लेती हैं।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारों से बीच विद्यमान ठहराव के अनुसार निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने और छपाने में जो व्यय होता है, वह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें 50,50 के आधार पर उठाती हैं; लोक सभा के निर्वाचनों के वास्तविक संचालन पर होने वाला व्यय पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है, यदि ये निर्वाचन विधान सभाओं के निर्वाचनों से पृथक रूप में होते हैं और यदि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ होते हैं, तो उन पर होने वाला आधा व्यय केन्द्रीय सरकार उठाती है। चूंकि लोक सभा के लिए मध्यावधि साधारण निर्वाचन उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचनों के साथ कराये गये थे, अत: इन तीनों राज्यों द्वारा किए गए व्यय में केन्द्रीय सरकार और ये तीनों राज्य सरकारें भागीदार हैं। लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों पर अन्य राज्य सरकारों द्वारा किया गया पूरा व्यय पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जाता है।

(ग) गत साधारण निर्वाचनों पर किया गया कुल व्यय निम्न प्रकार था :—

साधारण निर्वाचन 1952	10,45,47,099 रु०
साधारण निर्वाचन 1957	11,89,77,505 रु०

साधारण निर्वाचन 1962	7,31,58,000 रु०
साधारण निर्वाचन 1967	10,95,33,772 रु०

उपर्युक्त निर्वाचन लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए साथ-साथ कराये गये थे। अत: उपर्युक्त व्यय के आँकड़ों में संसद् और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों पर हुआ व्यय शामिल है। संसदीय निर्वाचनों और विधान सभाओं के निर्वाचनों पर हुए व्यय के पृथक-पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं है। अत: 1971 में लोक सभा के मध्यावधि निर्वाचनों पर हुए व्यय की तुलना पहले के साधारण निर्वाचनों पर हुए व्यय के साथ नहीं की जा सकती।

नौकरी के लिए उम्मीदवार के पूर्ववृत्त की जाँच-पड़ताल

1279. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अधिकारियों को भर्ती से पहले ही उम्मीदवार के राजनीतिक पूर्ववृत्त की विस्तृत जाँच-पड़ताल करने के आदेश दिये थे;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री के इस विरोध की ओर दिलाया गया है कि यह एक राजनीतिक अत्याचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के आचरण और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बारे में हिदायतें हमेशा से रही हैं। हाल में, दक्षिण-पूर्व रेलवे से अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर बल देते हुए कहा गया है कि नियमों में किसी भी प्रकार की ढील न दी जाये।

(ख) जी हाँ।

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे को जारी किये गये आदेशों में कोई नया विनिश्चय नहीं है और वे वर्तमान नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हैं।

रेलवे वर्कशाप पलनी (दक्षिण रेलवे) के फिटर चार्ज-मैन का कथित श्रमिक विरोधी व्यवहार

1280. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रेलवे वर्कशाप पलनी (दक्षिण रेलवे) के फिटर चार्ज-मैन के रेलवे डाक्टरों की साँठ-गाँठ से किए गए कथित श्रमिक विरोधी व्यवहार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को उनके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पलनी के इंजन शेड के फिटर-चार्जमैन के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है। दक्षिण रेलवे के पलनी स्टेशन पर कोई रेल कारखाना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल तथा नौवहन भाड़े में वृद्धि हो जाने से विश्व मंडी में भारतीय वस्तुओं पर पड़ा प्रभाव

1281. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भाड़े में होने वाली वृद्धि तथा भारत ब्रिटेन महाद्वीपीय सम्मेलन द्वारा नौवहन भाड़े में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दिए जाने से विश्व मंडी में भारतीय वस्तुओं के सामने आने वाली प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) देश के विदेश व्यापार पर असर डालने वाले अनेक महत्वपूर्ण उपादानों में रेल भाड़ा तथा जहाजी भाड़ा भी दो उपादान हैं। उनकी दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि करना विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतियोगिता-स्थिति को कमजोर बनाना है। किन्तु विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतियोगिता-स्थिति पर भाड़े की दरों में की गई वृद्धि के असर की मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि व्यापार-प्रवाह अन्य अनेक बातों पर भी निर्भर करता है।

(ख) भारत सरकार के एक प्रतिनिधि मंडल ने जून, 1971 में लन्दन में भारत-ब्रिटेन महाद्वीप कांफ्रेंस के साथ बातचीत की। इनके फलस्वरूप कांफ्रेंस ने सामान्य वृद्धि को 15 प्रतिशत से कम करके $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दिया है। रेल भाड़े की दरों में वृद्धि के संबंध में रेल मंत्रालय ने यह वृद्धि केवल कम दरों वाली वस्तुओं तक सीमित कर दी है।

रेलवे सामग्री की नीलामों के लिये सामान्य शर्तें

1283. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सामान के किसी भी मद के सभी प्रकार के नीलामों के लिए नीलाम की शर्तें एक जैसी हैं और इस तरह से बनाई गई हैं कि रेलवे कर्मचारी भूलचूकों के लिए दोषी नहीं ठहराये जा सकते जो कि केवल माल के देते समय ही मालूम हो सकती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सामान्य शर्तों के पुनरीक्षण करने तथा सभी के लिए उन्हें युक्तिसंगत, सामान्य तथा निष्पक्ष बनाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मामूली स्थानीय परिवर्तनों के रहते हुए, सभी

प्रकार के नीलामों के लिए नीलाम की सामान्य शर्तें प्राय: एक सी हैं। ये शर्तें सभी संबंधितों के लिए न्यायसंगत और उचित हैं और इसलिए इस प्रश्न के बाद वाले भाग का उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जल-विद्युत आणविक विद्युत एवं तापीय विद्युत की उत्पादन लागतों की तुलना

1284. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक विद्युत और तापीय विद्युत की अपेक्षा जल-विद्युत सस्ती है परन्तु इसकी उपलब्धता की स्थिति के साथ घटती-बढ़ती रहती है क्योंकि यह वर्षा और गरमी के महीनों में बर्फ के पिघलने पर निर्भर है; और

(ख) इस घटने-बढ़ने का प्रभाव कितने जल-विद्युत स्टेशनों पर पड़ता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ। जल-विद्युत संयंत्रों से विद्युत-उत्पादन की मौजूदा लागत ताप और आणविक संयंत्रों से विद्युत-उत्पादन की लागत की अपेक्षा कम है। विद्युत उपलभ्यता जल की उपलभ्यता पर निर्भर करती है परन्तु जलाशयों में, जहाँ जल उपलब्ध है, संचय द्वारा जल की सप्लाई को नियमित करके घट-बढ़ को समाप्त किया जा सकता है।

(ख) सभी जल-विद्युत केन्द्रों में अन्तर्वाह में घट-बढ़ के कारण विद्युत उत्पादन में कमी-बेशी होती रहती है, यद्यपि घट-बढ़ को संचय द्वारा साधारण कर दिया जाता है। बहूदेश्यीय संचय परियोजनाओं के मामले में, विद्युत उत्पादन भी जल छोड़ने की उसी पद्धति से नियंत्रित होता है, जो सिंचाई के लिए अपनाई गई हो।

बिजली की सप्लाई में गड़बड़ी के कारण बिहार में औद्योगिक एककों को हानि

1285. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई में प्राय: गड़बड़ी हो जाने के परिणामस्वरूप बिहार राज्य के अनेक औद्योगिक एककों को बहुत अधिक हानि हो रही है;

(ख) क्या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की ऊँची दरों की माँग किए जाने के कारण खनिज पर आधारित नए उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रिय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है किया है कि बरौनी और पतरातू विद्युत केन्द्रों पर उत्पादन संयंत्रों के खराब हो जाने से विद्युत की सीमित उपलभ्यता के कारण लोड शेडिंग भी करना पड़ा था। बहरहाल, बोर्ड ने जहाँ तक संभव हो सका उद्योगों को विद्युत की सप्लाई को प्राथमिकता दी थी। इसमें सन्देह नहीं है कि विद्युत की सप्लाई में कमी होने से उत्पादन में हानि हुई होगी, परन्तु इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हजारी बाग (पूर्व रेलवे) से रेल पटरियों की चोरी

1286. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग से 2 लाख रुपए के मूल्य की रेल-पटरियों की चोरी हो गई थी;

(ख) क्या इस जिले में अपराधों की रोकथाम में पुलिस असमर्थ है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल बन्द के कारण रेलवे को हानि

1287. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगाल बन्द के कारण रेलवे को अत्याधिक हानि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो हिंसा और अन्य कारणों से रेलवे की सम्पति को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 13-10-71 के बंगाल बन्द के कारण रेलों की कुल आमदनी में भारी हानि हुई लेकिन हिंसा तथा अन्य कारणों से रेल सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई।

पूर्वी रेलवे में बर्दवान कटवा रेलवे लाइन की मरम्मत

1288. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान-कटवा रेलवे लाइन खराब स्थिति में है; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्दवान-कटवा रेलवे लाइन की रेलगाड़ियों के यात्री डिब्बों की मरम्मत

1289. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे पर बर्दवान-कटवा रेलवे लाइन की रेल गाड़ियों के यात्री-डिब्बे टूटे-फूटे हैं तथा बहुत ही खराब हैं;

(ख) टूटे-फूटे डिब्बों की अब तक मरम्मत न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य एशियाई कपास के परिष्करण और कपड़े के उत्पादन के लिए भारत-रूस समझौता

1290. **श्री राम कंवर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य एशियाई कपास के परिष्करण और कपड़े के उत्पादन के लिये भारत तथा सोवियत संघ के बीच हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) करार की शर्तों के अनुसार, जो कि 1972 से चार वर्ष की अवधि के लिए है, भारत प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मे० टन रूसी रुई सूती वस्त्रों और अन्य उत्पादों के रूप में बदलने और उन्हें पुनः सोवियत संघ को निर्यात करने हेतु प्राप्त करेगा । भारत परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा जो प्रति वर्ष परस्पर निर्धारित किये जायेंगे ।

Expenditure to be incurred on World Industrial Fair at Delhi

1291. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the number of countries who have agreed to participate in the World Industrial Fair to be organised in Delhi;

(b) the facilities proposed to be extended by the Government; and

(c) the expenditure likely to be incurred on organising it ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) 36 as on 19-11-1971.

(b) All facilities normally offered to participants at international fairs will be extended.

(c) The likely cost of the project will be around Rs. 6 crores with a direct income of approximately Rs. 3½ crores and permanent assets worth about Rs. 3½ crores.

Progress of Kutku and Tilaiya Dams

1292. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the progress made in the Kutku and Tilaiya dams in Bihar;

(b) the amount provided by the Central Government so far in this regard; and

(c) the amount demanded by the Bihar Government ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) Proposals made by the Government of Bihar for the North Koel Project and diversion of waters from Tilaiya reservoir have not been so far accepted for inclusion in the developmental plans of Bihar.

(b) and (c) . Do not arise.

दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग करार

1293. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया के साथ एक आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये जाने वाले हैं ।

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मोटो-मोटी बातें क्या है;

(ग) 1964 के करार के बाद दोनों देशों के बीच कितना व्यापार हुआ; और

(घ) क्या नये करार से निर्यात के क्षेत्र में वृद्धि होगी ?

विदश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार का परिमाण

(मूल्य लाख रु० में)

1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
†5	†38	19	174	1095	645	282

†अवमूल्यन से पूर्व के रुपयों में ।

इडिकी परियोजना के लिए कनाडा से सहायता

1294. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने अपनी इडिकी परियोजना की सहायता को कम कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी धन राशि की कमी की गई है; और

(ग) क्या परियोजना का कार्य कनाडा की सहायता बिना भी चालू रखा जा सकता है; और यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में कार्य कैसे करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). कनाडा सरकार ने 273 लाख कनाडियन डालर (1870·4 लाख रुपये) का प्रावधान किया था जिसमें परामर्श-सेवाओं और विशेष निर्माणोपकरण के लिए 78 लाख कनाडियन डालर और इडिकी जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अन्य उपकरण और साज-सामान के आयात के लिए 195 लाख कनाडियन डालर (1311·8 लाख रुपये) थे । ऋण की रकम 80 लाख कनाडियन डालर (553·6 लाख रुपये) कम कर दी गई है। चूँकि इस रकम के अस्वीकार करने का मुख्य कारण उपकरणों की कुछ मदों का देश में ही उपलब्ध हो जाना है, इसलिए परियोजना की प्रगति या वित्तयोषण पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है । कनाडा की सरकार ने विदेशी मुद्रा में होने वाली बचत को भारत सरकार के लिए अतिरिक्त जिस-सहायता के रूप में उपलब्ध कर दिया है ।

निर्वाचनों पर होने वाले व्यय में किफायत

1295. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचनों पर होने वाले व्यय में किफायत करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : निर्वाचन विधि को संशोधित करने का सारा मामला, जिसमें निर्वाचन व्यय में किफायत करने का प्रश्न भी है, इस समय संसद के सदनों द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाई गई संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

गोहाटी और तिनसुखिया तक बड़ी लाइन का बढ़ाया जाना

1296. **श्री निहार लास्कर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह माँग की जा रही है कि असम में अपर्याप्त परिवहन सुविधाओं को देखते हुए बड़ी रेलवे लाइन को गोहाटी और तिनसुखिया तक बढ़ाया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). न्यू बोंगाईगाँव-गोहाटी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं । रिपोर्टों की जाँच की जा रही है । आर्थिक अध्ययन भी किये जा रहे हैं । अध्ययन और सर्वेक्षण की रिपोर्टों की जाँच किये जाने के बाद और इस उद्देश्य के लिए धन-राशि उपलब्ध होने पर ही इस आमान परिवर्तन के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा । गोहाटी से आगे तिनसुखिया तक बढ़े आमान की लाइन का प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जब गोहाटी तक बड़ी लाइन आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो जाये ।

कोचीन में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना के संबंध में केरल विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया संकल्प

1297. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल विधान सभा द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गये उस संकल्प की एक प्रति मिली है जिसमें प्रस्तावित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कोचीन में करने की माँग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह विनिश्चय किया जा चुका है कि समुद्री उत्पाद निर्यात बिकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कोचीन में होगा ।

शोरनूर दक्षिण रेलवे स्थित रेलवे के वर्कशाप के लिए फालतू पुर्जे और उपकरण

1298. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरनूर (दक्षिण रेलवे) स्थित रेलवे वर्कशाप में फालतू पुर्जे और उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इन पुर्जों और उपकर्णों की पर्याप्त सप्लाई के बारे में संबद्ध अधिकारियों से कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने फालतू पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) शोरनूर में कोई कारखाना नहीं है। लेकिन एक लोको शैड वहाँ पर मौजूद है जहाँ सामान्यत: फालतू पुर्जों और उपकरणों का स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है।

(ख) और (ग). पर्याप्त मात्रा में फालतू पुर्जों और उपकरणों की सप्लाई के लिए कोई विशिष्ट पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन कभी-कभी कुछ पुर्जों और उपकरणों का स्टाक कम पड़ जाता है जिसके मुहैया करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा सामान्य पद्धति के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण

1299. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण करने के संबंध में विचार कर रही है।

(ख) क्या सरकार का ध्यान नारियल जटा उद्योग के श्रमिकों की यूनियनों की इस प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है कि यदि नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण कर दिया गया तो उससे केवल बड़े नारियल जटा निर्माताओं को ही लाभ होगा और नारियल जटा उद्योग में काम करने वाले हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार नारियल जटा उद्योग को यंत्रीकृत करने की उक्त योजना को रद्द करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

निर्वाचन आफिसरों की नई दिल्ली में हुई बैठक

1300. **श्री एम० एम० जोजफ़** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में निर्वाचन आफिसरों की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो बैठक में किन-किन मुख्य पहलुओं पर विचार किया गया और क्या-क्या निर्णय किये गये ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ ।

(ख) बैठक में निम्नलिखित विशेष मामलों पर विचार किया गया :

(i) परिगणना के समय निर्वाचन कार्डों को बनाने और वितरित करने की पद्धति में सुधार;

(ii) सही निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने की आवश्यकता और निर्वाचन के ठीक पूर्व भारी संख्या में प्राप्त आवेदनों के बारे में कार्रवाई करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(iii) रिटर्निंग आफिसरों द्वारा नाम निर्देशन पत्रों, और उनकी संवीक्षा के संबंध में कार्रवाई करने और प्रतीकों के आबंटन में होने वाली कठिनाइयाँ और उनसे निपटने की रीति;

(iv) भावी निर्वाचनों में मतपत्रों के नए डिजाइन चालू करना और उससे संबंधित प्रक्रिया विषयक मामले;

(v) गणना करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक;

(vi) मार्च, 1971 में लोक सभा के साधारण निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र बनाने के वास्ते ली गई प्राइवेट इमारतों को उपद्रवियों ने जो नुकसान किया उसके लिए प्रतिकर देना;

(vii) राज्य में सभी स्तरों पर निर्वाचन-तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता और निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक का देना;

(viii) साधारण निर्वाचन के दौरान राजपत्रित अधिकारियों द्वारा किये गये कठिन कार्य के लिए मानदेय मंजूर करना; और

(ix) निर्वाचन के दौरान मोटर-गाड़ियाँ प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयाँ और अभ्यार्थियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता ।

चमड़े के जूते सप्लाई करने के लिए राज्य व्यापार निगम का रूस के साथ ठेका

1301. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रूस कोचमड़े के जूते सप्लाई करने के लिए एक ठेके को अन्तिम रूप दिया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और इस सौदे से कितना लाभ होने का अनुमान है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने नवम्बर, 1972 को समाप्त होने वाली अवधि में जूतों के निर्यात के लिए 485·79 लाख रु० मूल्य की तीन संविदाएँ की हैं ।

(ख) इन संविदाओं के परिणामस्वरूप सोवियत संघ को जूतों के निर्यातों में काफी विस्तार हुआ है और भविष्य में निर्यातों में और भी वृद्धि होने की संभावना हो गई है ।

पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों को गेहूँ के लिए दिए जाने वाले ऋण का बन्द किया जाना

1302. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों ने बोर्ड के कर्मचारियों को गेहूँ के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि का देना बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

पोचमपाद सिंचाई परियोजना की प्रगति

1303. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोचमपाद सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश) के निर्माण कार्य के प्रथम चरण में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने परियोजना का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). 1968-69 तक पोचमपाद परियोजना पर कार्य की प्रगति परियोजना के लिए पर्याप्त धन देने में आंध्र प्रदेश सरकार की असमर्थता के कारण धीमी रही। तब से कार्य की गति में काफी तेजी आ गई है और 40,000 एकड़ की सिंचाई शक्यता उत्पन्न हो चुकी है।

घाघरा नदी बेसिन का विकास

1304. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाघरा नदी बेसिन के विकास के संबंध में नेपाल सरकार के साथ बातचीत हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस परियोजना की अन्तिम रूप से अनुमति दे दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सचिव सिंचाई और विद्युत के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्ट मण्डल ने 20 और 27 अक्तूबर, 1971 के बीच काठमांडू में नेपाल सरकार के सचिव, जल और विद्युत के नेतृत्व में नेपाल सरकार के एक शिष्ट मण्डल के साथ सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में आपसी हित के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया। सिंचाई और विद्युत मंत्री ने नेपाल सरकार के जल और विद्युत मंत्री और प्रधान मंत्री के साथ भी विचार-विमर्श किये।

नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तावित करनाली परियोजना पर मंत्री-स्तर और अधिकारी-स्तर पर प्रारंभिक विचार-विमर्श हुए। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पंचेश्वर और पूर्णागिरि विद्युत् परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

Laying of Railway Lines in Uttarakhand

1305. SHRI NARENDRA SINGH BIST : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have not formulated any scheme to lay at least one Railway Line in each District of Uttarakhand inspite of the fact that repeated demands have been made for the construction of Railway Line in Uttarakhand; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, proposals for cunstruction of any new railway lines in this area may not merit priority for consideration during the Fourth Plan period.

उत्तर रेलवे के मुख्यालय का लखनऊ/कानपुर को स्थानान्तरित किया जाना

1306. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर रेलवे के मुख्यालय को नई दिल्ली से लखनऊ अथवा कानपुर को स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा; और

(ग) क्या लखनऊ में आर० डी० एस० ओ० कार्यालय में एक बैठक में रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन ने इस आशय का एक वक्तव्य दिया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

तुगलकाबाद, ओखला, तिलक ब्रिज (उत्तर रेलवे) के सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों को क्वार्टरों का दिया जाना

1307. **श्री राजदेव सिंह** :
श्री बी० पी० मौर्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में तुगलकाबाद, ओखला, तिलक ब्रिज, साहिबाबाद, गनौर, जीन्द में नियुक्त सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी के स्थान के निकट रेलवे क्वार्टर नहीं दिये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनको रेलवे क्वार्टर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या ये कर्मचारी रेलवे की 'अनिवार्य' कोटि में नहीं आते; और

(घ) इस सेक्शन के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). उल्लिखित कर्मचारी 'अनिवार्य' कोटि में आते हैं । कुल मिलाकर क्वार्टरों की कमी के कारण सभी 'अनिवार्य' कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है ।

इन कर्मचारियों में से यथासंभव अधिक से अधिक के लिए आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष, धन की उपलब्धता के अनुसार एक कार्यक्रम के आधार पर क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है ।

सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मापदंड

1308. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिये स्वीकृत मानक माप दण्ड न होने के कारण नये पावर सिगनलिंग इंसटालेशन्स में पर्याप्त संख्या में अनुरक्षण कर्मचारी नियुक्त नहीं किये जाते;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिये उन स्थानों के निकट रेलवे आवास की व्यवस्था नहीं की जाती और न ही उनके साप्ताहिक विश्राम की व्यवस्था की जाती है;

(ग) क्या इन कर्मचारियों को अनुरक्षण कार्य के लिये उचित औजार नहीं दिये जाते और ऐसे कार्यों की स्थापना के बाद किसी सैक्शन और 'अनुरक्षण दल' की व्यवस्था नहीं की जाती है; और

(घ) यदि, हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मंगलौर से बम्बई तक नयी रेलगाड़ी का चलाया जाना

1309. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर और मालाबार तटवर्ती क्षेत्र के बम्बई में कार्य करने वाले बहुत से लोगों की सुविधा के लिये मंगलौर से बम्बई तक एक वैसी ही नई रेल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कि इस समय कोचीन से बम्बई तक चलाई जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह रेलगाड़ी कब तक चलाई जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) फिलहाल कोचीन और बम्बई के बीच न कोई सीधी गाड़ी चलती है और न मंगलौर और बम्बई के बीच चलाने का प्रस्ताव है । मंगलौर और बम्बई के बीच इस समय जितना यातायात हो रहा है, उसे देखते हुए सीधे जाने वाले तीसरे दर्जे के शयनयान की वर्तमान सुविधा पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय

1310. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग संबंधी भारत के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) इस संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रतिक्रिया क्या है और भारत के अनुरोध पर विचार करने के लिये संयुक्त आयोग की बैठक कब होगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच एक वाणिज्यिक सहयोग करार संबंधी प्रस्थापना पर विचार करने हेतु भारत सरकार तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने का प्रश्न समुदाय के विचाराधीन है ।

रेलवे बोर्ड में परिवर्तन

1311. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में परिवर्तन करने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ये परिवर्तन किन कारणों से प्रस्तुत किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या इस बारे में 13 सितम्बर, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हाँ, लेकिन यह रिपोर्ट स्थिति के गलत मूल्यांकन पर आधारित है ।

फरक्का रेलवे स्टेशन पर कुलियों की हड़ताल

1312. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एजेन्ट द्वारा जो डाक भेजने के लिये जिम्मेदार है, बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में फरक्का रेलवे स्टेशन (पश्चिम बंगाल) पर हुई कुलियों की हड़ताल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो कुलियों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) फरक्का में ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई । इसके

अलावा फरक्का में डाक के यानान्तरण की जिम्मेदारी डाक अधिकारी की ही है। रेलवे के लाइसेंसधारी भारिकों का इससे कोई संबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में तापीय बिजली घर की स्थापना

1313. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में खेजुरियाघाट में केन्द्र के 300 किलोवाट के तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिये पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त बिजलीघर की स्थापना कब की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). सिवाय उन राज्यों में जहाँ मामला एकाधिक राज्यों से संबंधित हो और जहाँ प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्त्ति किफायती तौर पर की जानी हो, विद्युत केन्द्रों की योजना तैयार करने और उनके निर्माण की जिम्मेवारी सामान्यत: संबंधित राज्यों की होती है। अपवाद के ऐसे मामलों में, भारत सरकार को केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार करना है।

उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार में इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए उत्तर बंगाल में चार वैकल्पिक स्थल, जिनमें खेजुरियाघाट (माल्दा जिला) का स्थल सम्मिलित है, विचाराधीन हैं और इस मामले में निर्णय लेने के लिए आवश्यक आगे के अन्वेषण-कार्य करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इस क्षेत्र के लिए प्रकल्पित विद्युत केन्द्र की क्षमता 220/240 मैगावाट की होगी और उसे कोयले की आग से चलाया जाएगा। आशा है कि यह केन्द्र, निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद, लगभग पाँच वर्षों में पूरा हो जाएगा।

भारतीय काफी खरीदने का जापान का प्रस्ताव

1314. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान का विचार भारतीय काफी खरीदने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). दक्षिण-पूर्व

एशिया के लिये एक काफी बाजार सर्वेक्षण प्रतिनिधिमंडल ने जापान में भारतीय काफी के निर्यातों के संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, हाल ही में जापान यात्रा की थी। बहुत से जापानी आयातकों ने बढ़िया किस्म की भारतीय काफी में काफी रुचि प्रकट की है। प्रतिनिधि-मंडल का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

खड़गपुर और नीमपुड़ा रेलवे यार्ड (दक्षिण पूर्व रेलवे) के बीच पानी जमा हो जाने के कारण हुई क्षति

1315. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अगस्त, 1971 के अन्तिम सप्ताह में खड़गपुर और नीमपुड़ा रेलवे यार्डों के बीच पानी जमा हो जाने के कारण बहुत से मकान गिर गये हैं और सम्पत्ति को क्षति पहुँची है;

(ख) क्या पानी की निकासी के लिये छोटी नाली की व्यवस्था करने की योजना में रेलवे की दोषपूर्ण योजना के कारण यह पानी जमा हो गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस क्षति के लिये रेलवे जिम्मेदार है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। अभूतपूर्व वर्षा के कारण रेलवे बस्ती के बाहर कुछ घर डूब गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

1967 में कोयना में आये भूकम्प के कारण

1316. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के तत्वावधान में पेरिस में हुई वैज्ञानिकों की बैठक में हाल में ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि वर्ष 1967 में कोयना में आये भूकम्प के कारणों के बारे में जो राय व्यक्त की गई थी, वह गलत है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने दुर्घटना के मामले में कोयना पन-बिजली परियोजना को विनाश से बचाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). यूनेस्को के तत्वावधान में कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्यों के कार्यकारी दल ने बृहद् जलाशयों को भरने से संबंधित भूकम्पीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए पेरिस में

दिसम्बर, 1970 में बैठक की थी। कार्यकारी दल की ओर से प्रो० रोथ ने भारत समेत कई देशों से जानकारी के लिए प्रार्थना की है।

विदेशी और भारतीय विशेषज्ञों की समिति, जो कि दिसम्बर, 1967 में यूनेस्को से संबंध रखते हुए स्थापित हुई थी, ने यह फैसला किया था कि दिसम्बर, 1967 का भूकम्प विवर्तनिक (टेक्टानिक) कारणों से आया था। अधिकतम बलों की दिशा लगभग क्षैतिज थी। अतः यह कहना कठिन था कि इन बलों का निर्मोचन जलाशय में जल के दाब की वजह से हुआ था क्योंकि इस दाब को अनुलम्ब दिशा में जाना चाहिए था। बहुत से विदेशी वैज्ञानिकों ने भी यह संकेत दिया है कि कोयना जलाशय के पानी से भरने के परिणामस्वरूप अनुलम्ब दिशा में भार का पड़ना भूकम्प का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि कोयना क्षेत्र की चट्टानों में विवर्तनिक विकृतियाँ (स्टेन) ही इस ऊर्जा के निर्मोचन का कारण थीं। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उसी बसास्टिक भूखण्ड में भाटगर और राधानगिरि जलाशयों के भरने के दौरान कोई भूकम्प नहीं आया। भाखड़ा बाँध भूकम्पीय दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है किन्तु गोविन्द सागर के भरने के पश्चात् किसी प्रकार की सक्रियता नहीं देखी गई है। इस बात के ,कारण तथा अन्य आँकड़ों से अधिकांश वैज्ञानिकों का यह सामान्य मत बना है कि कोयना के जलाशय के कारण कोई विशाल झटका नहीं आया था।

यह बड़ी रोचक बात है कि 1969 में प्रो० आडेन और प्रो० गुबिन ने, जिन्हें पश्चिमी भारत में भूकम्पशीलता पर रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया था, कोयना जलाशय के भरने और कोयना में भूकम्प के आने के बीच संबंध के बारे में प्रो० राय के विचारों पर विचार-विमर्श किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि कोयना जलाशय के पानी से भरने और भूकम्पों के छोटे-छोटे झटकों के भी बीच कोई संबंध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि जलाशय के भरने से भूकम्पों के आने के बारे में सनसनीखेज निष्कर्ष निकालने से पहले, और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।

जबकि कोयना भूकम्प के कारणों पर अध्ययन जारी हैं, ऐसे ही भावी भूकम्पों के प्रति बाँध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए गये हैं। बाँध को तत्काल मजबूत करने के रूप में दिसम्बर, 1967 के भूकम्प से बाँध में दीवारों की पतली भराई (ग्राउटिंग) कर दी गई। दरार के ऊपर के भाग के पूर्व प्रबलित एंकरिंग द्वारा बाँध के निम्न भाग से बाँध दिया गया। एय स्थायी पत्र के रूप में बाँध को कुछ स्तर तक नीचे से चौड़ा किया जा रहा है और बाँध के शीर्ष से कुछ फुट नीचे तक पुश्तों का प्रबन्ध किया गया है। जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, महाराष्ट्र सरकार एहतियाती तौर पर उमड़मार्ग क्रेस्ट के ऊपर जलाशय को नहीं भर रही है। स्थायी अतिरिक्त कार्य के जून, 1972 तक पूर्ण होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल तथा असम के उत्तर क्षेत्र में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा रेलवे लाइनों और गाड़ियों का उड़ाया जाना

1317. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा असम के उत्तर क्षेत्र में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों द्वारा नियमित रूप से रेलवे लाइनों और गाड़ियों के उड़ाये जाने का काम जारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इन रेलवे लाइनों की निगरानी हेतु सैनिकों को वहाँ तैनात किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जून, 71 से ऐसी 13 घटनाएँ हुई हैं ।

(ख) और (ग). जो कदम उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. पुलिस/होमगार्ड द्वारा सुरक्षात्मक गश्त लगाना ।
2. रेलवे गैंगमैनों के साथ पुलिस/होमगार्ड/ग्राम सुरक्षा दल द्वारा रेल-पथ पर गश्त लगाना;
3. सशस्त्र पुलिस और होमगार्ड द्वारा बड़े रेलवे संस्थापनाओं और महत्वपूर्ण पुलों का पहरा देना ।
4. 59 माउंट ब्रिगेड द्वारा सर्च लाइट गश्त ।
5. भेद्य खंडों में रात में चलने वाली सवारी गाड़ियाँ स्थगित करना ।
6. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर निगरानी चौकी स्थापित करना ।
7. असम लोक आदेश अनुरक्षण अधिनियम, 1947 के अंतर्गत रेलवे रेल-पथ के दोनों ओर के 3 मीटर क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है;
8. पूर्व पाकिस्तान प्रदेश के सीमावर्ती दो गाँवों पर दंडात्मक कर लगाना;
9. पाक एजेन्टों द्वारा की जाने वाली तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए रेल-पथ के समीपवर्ती ग्रामीणों में चेतना पैदा करना;
10. तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों का समय पर पता लगाने वाले व्यक्तियों को पारितोषिक देना; और
11. भेद्य क्षेत्रों की गाड़ियों में यात्री-सामान की तलाशी लेना ।

सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्पत्तियों के लिए मुआवजा देने के सिद्धान्त में परिवर्तन करने के विचार से संविधान में संशोधन किया जाना

1318. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सरकार द्वारा अर्जित की जाने वाली सम्पत्तियों के लिये मुआवजा दिये जाने के सिद्धान्त में परिवर्तन करने के संबंध में संविधान में संशोधन करने वाले सरकार के प्रस्ताव में कुछ मामूली परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वे परिवर्तन क्या हैं; और

(ग) ये परिवर्तन किये जाने के कारण क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) विधि

आयोग ने संविधान के प्रस्थापित संशोधन में कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं दिया है; जहाँ तक उसका उद्देश्य मुआवजे के सिद्धान्त को परिवर्तित करना है ?

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Projects under Narmada Valley Projects

1319. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the number and names of the projects coming under the Narmada Valley Project and the number among them of those in respect of which survey have been completed in full;

(b) whether the plan estimates of the projects surveyed have been prepared and if so, the number and names of such projects; and

(c) the area of land that would be brought under irrigation by each of the projects as also the area of land that is likely to be submerged ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (c). There is no single project by the name of Narmada Valley Project.

The Dhaundhar and Dukrikhanda projects in the Narmada basin in Madhya Pradesh are already completed. The Tawa, Barna, Borad and Chandrakesar projects in Narmada basin in Madhya Pradesh are already under construction.

Investigations have been completed by the Government of Madhya Pradesh for the Bargi, Narmadasagar and Bichia Tank projects in the Narmada basin and project reports have been sent to the Centre for consideration.

The irrigation benefit and submergence area indicated in these project is as follows :—

Project	Irrigation benefit	Power benefit	Area of land likely to be submerged
	Acres	KW	Acres
1. Dhunndhar	3,400	—	Not readily available
2. Dukrikheda	6,600	—	Not readily available
3. Tawa (revised)	8,20,000	—	49,557
4. Barna	1,56,000	—	17,500
5. Borad	12,500	—	800
6. Chandrakesar	12,000	—	1,690
7. Bargi	8,25,000	—	67,451
8. Narmadasagar	6,18,000	413,000	211,285
9. Bichia Tank	5,000	—	158

नर्मदा परियोजना से होने वाले लाभ

1320. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा घाटी परियोजना से किस-किस प्रकार के लाभ होने की संभावना है ;

(ख) नर्मदा घाटी परियोजना से कितने नगर और ग्राम प्रभावित होंगे; और

(ग) इस समय उक्त परियोजना पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) से (ग). नर्मदा घाटी परियोजना नाम की कोई अकेली परियोजना नहीं है ।

मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन में धंधार और दुकरीखेडा परियोजनाएँ पहले ही पूर्ण हो गई हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन में तवा, बर्ना, बोराड और चन्द्रकेसर परियोजनाएँ पहले से ही निर्माणाधीन हैं ।

बार्गी, नर्मदा सागर और बिछिया ताल परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा बेसिन में अन्वेषण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और परियोजना रिपोर्ट विचार के लिए केन्द्र को भेज दी गई है ।

लाभों की सूचना और जलमग्नता के आँकड़े, जैसा कि अभी उपलब्ध हो सके, नीचे दिये गये हैं :

परियोजना	सिंचाई लाभ	विद्युत लाभ	जलमग्न होने वाली भूमि का क्षेत्र
1	2	3	4
	एकड़	किलोवाट	एकड़
1. धांधार	3,400	—	अभी उपलब्ध नहीं
2. दुकरीखेडा	6,600	—	अभी उपलब्ध नहीं
3. तवा (संशोधित)	8,20,000	—	49,557
4. बर्ना	1,56,000	—	17,500
5. बोराड	12,500	—	800
6. चन्द्राकेसर	12,000	—	1,690
7. बार्गी	8,25,000	—	67,451
8. नर्मदासागर	6,18,000	4,13,000	2,11,285
9. बिछिया ताल	5,000	—	158

नर्मदा और उसकी घाटी के जल विवाद अब नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के न्यायनिर्णयन के आधीन हैं और जबकि विवाद न्यायाधिकरण के विचाराधीन है, भारत सरकार बेसिन में किसी नई परियोजना को स्वीकृति देना उचित नहीं समझती ।

Railway Wagons for Transportation of Foodgrains and Fruits in Madhya Pradesh

1321. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether much delay is being caused in the transportation of foodgrains and fruits like bananas in Madhya Pradesh due to the non-availability of railway wagons; and

(b) if so, the remedial measures taken in this regard ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) and (b). Foodgrains which move mostly on Government account and fruits like bananas, qualify for movement on a higher priority and there is normally no difficulty in arranging their expeditious clearance.

Coarse foodgrains on trade account are, however, entitled to move under priority class 'E' along with other general goods in turn of registration. Furthermore, bulk of the demands for foodgrains at stations in Madhya Pradesh served by the Central and Western Railways are on trade account and are mostly for destinations reached via difficult routes like Farakka and Garhara, necessitating regulation of movement by quotas. Within these constraints, movement is fairly satisfactory.

मध्य प्रदेश में सुकता बाँध बनाने की अनुमित

1322. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में मध्य प्रदेश में सुकता बाँध बनाने के संशोधित प्रस्ताव के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सुकता बाँध के संबंध में संशोधित परियोजना रिपोर्ट अभी मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

बम्बई और इलाहाबाद अथवा दिल्ली के बीच नई गाड़ियों का चलाया जाना

1323. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई और इलाहाबाद अथवा दिल्ली के बीच नई गाड़ियों को चलाने के यदि कोई प्रस्ताव हैं, तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : बम्बई और इलाहाबाद/दिल्ली के बीच अतिरिक्त गाड़ियाँ चलाने के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, बम्बई सेंट्रल और नयी दिल्ली (पश्चिम रेलवे मार्ग से होकर) के बीच राजधानी एक्सप्रैस को अप्रैल, 72 से चलाने की योजना बनायी जा रही है ।

मध्य रेलवे में 'डाईनिंग कारों' में घटिया किस्म के भोजन की सप्लाई

1324. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष में इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि मध्य रेलवे में 'डाईनिंग कारों' में घटिया किस्म के भोजन की सप्लाई की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पिछले एक वर्ष में कुछ शिकायतें मिली थीं ।

(ख) ये शिकायतें मुख्य रूप से लम्बे सफर वाली ऐसी गाड़ियों के भोजनयानों से भोजन परोसे जाने के लिए ग्राहकों की भारी संख्या के कारण हुई थीं, जहाँ उपलब्ध सुविधाएँ अनिवार्यतः सीमित हैं ।

(ग) भोजन के स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) भोजनयानों में खाना बनाने का काम करने के लिए मार्गस्थ स्टेशनों से चपाती, चावल और दाल जैसे पके हुए भोजन की मदें उठाने का तरीका अपनाया गया है। शाक-भाजी और मटन करी जैसी मदें उठाने के प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा रही है ।

(2) भोजन तैयार करने का अच्छा स्तर सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पदार्थों की व्यावहारिक जाँच करने के बाद भोज्य पदार्थों की नियमित सूची बनाई गयी है ।

(3) सेवा का स्तर बनाये रखने के लिए खानपान यूनिटों में चपातीबाक्स और थर्मल-पात्रों जैसे उपस्कर की व्यवस्था की गई है ।

(4) कार्य स्थल पर देखी गयी त्रुटियों को दूर करने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा अधिक बार जाँच और निरीक्षण की व्यवस्था ।

कालीकट से कोचीन तक फास्ट एक्सप्रैस गाड़ी का चलाया जाना

1325. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे में कालीकट से कोचीन तक एक फास्ट एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह माँग की गयी है कि उस गाड़ी को चलाने का स्टेशन कालीकट के स्थान पर कन्नानूर हो; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर क्या-क्या निर्णय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : कोचीन-कन्नानूर खंड में चलने वाली वर्तमान एक जोड़ी सवारी गाड़ियों की जगह कालीकट और कोचीन के बीच एक एक्सप्रैस गाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर पिछले कुछ महीनों से केरल सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है। केरल सरकार के विनिश्चय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी हाँ।

(ग) कालीकट और कोचीन के बीच प्रस्तावित गाड़ी चलाने के संबंध में अन्तिम विनिश्चय करने के बाद इसे कन्नानूर तक बढ़ाने और कन्नानूर से चलाने की व्यावहारिकता की जाँच की जायेगी।

केरल में बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना

1326. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने कुछ अतिरिक्त बुनकर सेवा केन्द्रों की स्थापना की सिफारिश की है। केरल में एक केन्द्र भी प्रस्थापना में शामिल है। मामला अभी विचाराधीन है।

संविधान (२५ वाँ संशोधन) विधेयक में परिवर्तन करने के लिए विधि आयोग के सुझाव

1327. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) विधेयक में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने उनके सुझाव स्वीकार कर लिए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) (क) विधि आयोग ने संविधान (पच्चीसवाँ संशोधन) विधेयक, 1971 के खण्ड 3 में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं।

(ख) और (ग). सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। रिपोर्ट की एक प्रति सम्यक् समय पर संसद् के समक्ष रख दी जाएगी।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को रबड़ का निर्यात

1328. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को रबड़ का निर्यात करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो रबड़ के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य क्या होंगे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य सहित कतिपय देशों ने भारत से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। प्रस्थापनाओं पर दोनों पक्षों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय काफी की बिक्री बढ़ाने के लिए कार्यवाही

1329. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय काफी की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ख) इस कार्यवाही के अब तक क्या परिणाम निकले हैं और इस दिशा में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हाल ही में एक काफी बाजार सर्वेक्षण प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और जापान की यात्रा, उन्हें भारतीय काफी के निर्यातों में वृद्धि करने की संभाव्यता का पता लगाने के लिए की है।

(ख) इन सभी देशों के मुख्य आयातकों ने उच्च क्वालिटी की भारतीय काफी के खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

निर्यात में वृद्धि

1330. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहले चार महीनों में निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो किस सीमा तक;

(ग) चालू वर्ष में अब तक किस नवीनतम अवधि के निर्यात की सफलता आँकी गई है;

(घ) इस स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) अप्रैल-जुलाई, 1971 के दौरान निर्यात 538 करोड़ रुपये के हुए जो गत वर्ष की तत्संबंधी अवधि की तुलना में 106 करोड़ रुपये या 24·6% अधिक थे ।

(ग) वर्ष 1971-72 के निर्यात निष्पादन के कुल आँकड़े सितम्बर, 1971 तक उपलब्ध हैं लेकिन वस्तुवार ब्यौरे पहले दो महीनों (अप्रैल-मई) के ही प्राप्त हैं ।

(घ) देश के निर्यात प्रयत्न के समर्थन में सरकार जिस प्रकार की नीतियों पर अमल कर रही है, उनकी मोटी-मोटी रूपरेखा निर्यात नीति संकल्प में दी गई है, जिसे जुलाई, 1970 में संसद के समक्ष रखा गया था । निर्यातों के संवर्धन के लिए हाल की अवधि में किये गये महत्व-पूर्ण उपायों में से ये उल्लेखनीय हैं : निर्यातों अधिमुख औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, निर्यात अभि-मुख एककों के लिए कच्चे माल तथा पूँजीगत माल के लिए पूर्विक व्यवहार दिया जाना, घरेलू तथा आयातित कच्चे माल के लिए पूर्विक आबंटन, चुने हुए माल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर व्यवस्था, चुने हुए महत्वपूर्ण विकास क्षमता वाले उत्पादों को प्रतिपूरक सहायता की व्यवस्था तथा देश के विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ भाग ।

Strike by Travelling Ticket Examiners of Kota and Ratlam Division (Western Railway)

1331. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Travelling Ticket Examiners of Kota and Ratlam Divisions had gone on a token strike on the 14th October, 1971;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government in this connection ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). A section of ticket-checking staff of these two divisions reported sick enmasse, following alleged criminal assault on one Train Conductor of Kota by some unknown persons. The employees demanded transfer of Station Officer, Government Railway Police, Kota, and also of a Travelling T icket Examiner as their complicity was suspected in the incident. The Travelling Ticket Examiner voluntarily went on transfer outside the Kota Division, and Station Officer/Government Railway Police was temporarily transferred, pending further investigation in the incident. The employees resumed duty thereafter.

Complaints Regarding Non-Entry of Third Class Passengers in the Restaurant Car of Deccan Queen

1332. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Third Class passengers are not permitted to enter the "Restaurant Car" of "Deccan Queen" running between Bombay and Poona;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether complaints have been made by the passengers to the concerned Railway authorities but no action has been taken to remove their complaints; and

(d) the rule under which only First and Second class passengers are allowed to enter the "Restaurant Car" attached to the said train ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) to (d). Passengers travelling in Second and Third Classes are permitted the use of the Dining Car only during the meal times and only when they order full meals as distinct from a *la-carte* dishes. As full meals are not served to passengers travelling in Deccan Queen the entry of third class passengers into Restaurant Car of Deccan Queen has not been permitted. But with a view to serve the needs of third class passengers, a bearer is specially deputed to attend the Third Class compartments for serving tea, coffee, aerated waters as well as edibles.

Only two complaints during the year 1970-71 and one complaint during the period April, 1971 to September, 1971 were received on the subject. The complainants have been suitably replied explaining the position.

रतलाम स्थित डीज़ल शेड़ को एक फैक्टरी समझा जाना

1333. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डीज़ल शेड' को फैक्टरी समझा जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या रतलाम (रतलाम डिवीजन, पश्चिमी रेलवे) स्थित 'डीज़ल शेड' में वैसी समुचित और आवश्यक व्यवस्था नहीं है जो फैक्टरी के श्रमिक को दी जाती है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Proposal for Setting up Railway Station between Jaora and Dhodhar

1334. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the proposal to set up a halting station between Jaora and Dhodhar Railway Stations on the Western Railway has been approved; and

(b) the time by which the work for setting up the said halting station is proposed to be taken in hand ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) By about January, 1972.

Ban Sagar Dam (Project) on River Sone

1335. SHRI G. C. DIXIT :
SHRI SHANKAR DAYAL :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the State Government of Bihar had objected to the Ban Sagar Dam (Project) on Sone River proposed by the Madhya Pradesh Government;

(b) the views of the Central Government on the proposed Dam;

(c) whether in view of the objection the Central Government convened an inter-State meeting on the 1st August, 1971;

(d) whether as a result of this meeting, the Chairman of Central Water and Power Commission and the Chief Engineers of Bihar and Uttar Pradesh have prepared any detailed report for consideration of the matter by the Chief Ministers of the said States; and

(e) if so, the salient points thereof and the progress made in the matter so far ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (e). The Madhya Pradesh Government have proposed the Ban Sagar Project on River Sone for acceptance by the Planning Commission for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh.

The Government of Bihar have protested against the Ban Sagar Project as proposed by the Government of Madhya Pradesh involving diversion of the Sone waters to the Tons river, on the ground that it will affect the large irrigation system in Bihar from the Sone lower down where the position of supplies is stated to be already critical.

The Government of Uttar Pradesh have been urging that the Ban Sagar Project is the only source of irrigation to the famine striken plateau areas in Mizapur district and that the Ban Sagar Project proposed by the Madhya Pradesh Government should be modified to make provision for irrigation in this area also.

Efforts are being made by the Government of India to evolve proposals which might be acceptable to the three States. An Inter-State meeting was also held amongst the Union Minister of Irrigation and Power and the Chief Ministers of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on the 1st August 1971. Pursuant to the discussions, a technical Committee comprising the Chairman, Central Water and Power Commission and the Chief Engineers of the three States is working out details for further consideration of the Chief Ministers.

तमिलनाडु में सिंचाई की संभावनाएं

1336. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग ने तमिलनाडु में स्थित तंजावूर डेल्टा का दौरा किया था और वहाँ के स्थानीय लोगों से सिंचाई की भावी संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया था;

(ख) क्या इस मामले में आयोग ने राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया; और

(ग) यदि हाँ, तो तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में आयोग के दौरे के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी हाँ ।

(ग) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट को मार्च, 1972 तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है ।

निवेली और वृन्धाचलम के बीच बड़ी लाइन

1337. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृन्धाचलम से होकर सेलेम और निवेली के बीच वर्तमान लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ तो क्या सेलेम इस्पात-संयंत्र को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को शीघ्र निपटाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर किये गये ऋण

1338. **श्री वी० मायावन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इसके प्रारम्भ होने के समय से कितनी धन राशि के ऋण मंजूर किये गये;

(ख) निगम द्वारा 31 जनवरी, 1971 तक 88 योजनाओं में से "पिछड़े क्षेत्रों" के लिए मंजूर की गई 38 योजनाओं की मुख्य-मुख्य माँगें क्या हैं; और

(ग) निगम के पास मंजूर होने के लिए पड़ी हुई योजनाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जुलाई, 1969 में अपने प्रारंभ के समय से 16 राज्य विद्युत बोर्डों और 5 पाइलट ग्राम विद्युत सहकारी समितियों की ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 101·43 करोड़ रुपये के ऋणों की मंजूरी दी है ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूरी दी गई ये 38 स्कीमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित हैं । इन स्कीमों के लिए 18·04 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई है और उनसे 3,270 ग्रामों के विद्युतीकरण, 62,434 पम्प सेटों को बिजली से चलाने और 11,897 छोटे पैमाने के उद्योगों के विद्युतीकरण की अभिकल्पना है ।

(ग) 3,973 ग्रामों के विद्युतीकरण और 72,754 पम्प सेटों को बिजली से चलाने के लिए 28·91 करोड़ रुपये की ऋण-सहायता के लिए 63 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम के विचाराधीन हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं का पूरा होना

1339. **श्री वी० मायावन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 62 जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी जाँच भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त प्रयास से हुई है;

(ख) अब तक पूरी हुई परियोजना रिपोर्टों की संख्या और उनकी भावी कार्यान्विति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपकरण का स्वामित्व सरकारों को सौंप दिया गया है; और

(घ) सभी 62 परियोजनाओं की रिपोर्ट कब तक पूरी होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ब्यौरे इसके साथ संलग्न उपबन्ध में प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1086/71.]**

(ख) अब तक 38 स्कीमों की प्रारम्भिक परियोजना-रिपोर्टें तैयार की गई हैं। इसमें से 12 स्कीमें 1971-81 की दशक योजना में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 10 और स्कीमों की परियोजना-रिपोर्टों के 1973-74 तक तैयार हो जाने की आशा है। दो स्कीमों को कार्यान्वयन के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। शेष 12 स्कीमों के मामले में, अन्वेषण-कार्य, जो चल रहे हैं, जैसे ही पूरे हो जाएँगे, परियोजना तैयार करने का काम हाथ में ले लिया जाएगा।

तमिलनाडु में निर्माणाधीन बिजली घर

1340. **श्री वी० मायावन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में निर्माणाधीन बिजली घरों के नाम उनकी क्षमता सहित क्या हैं;

(ख) उन बिजली घरों के पूरा किए जाने की लक्षित तारीखें क्या हैं और वे अब संभवत: कब तक पूरे हो जाएँगे; और

(ग) इस विलम्ब के कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). पूछे गए ब्यौरे उपबंध में प्रस्तुत हैं।

विवरण

तमिलनाडु में निर्माणाधीन विद्युत केन्द्रों के नाम, उनके चालू होने की निर्धारित तारीखें, पूरे होने की संभावित तारीखें और देरी के कारण :

क्रम सं०	विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता (मैगा-वाट)	पूरे होने की निर्धारित तारीखें	पूरे होने की संभावित तारीखें	देरी के कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	एन्नोर ताप 2×55 मैगावाट 2×110 मैगावाट	330	2×55 पहले से ही चालू। पहला 110 मैगा-वाट यूनिट 1970-71 में दूसरा 110 मैगावाट यूनिट 1971-72 में	पहला 110 मैगा-वाट 1971-72 में दूसरा 110 मैगा-वाट 1972-73 में	कुछ सामग्रियों की सप्लाई में कमी और सक्षम वेल्डरों का अभाव	
2.	एन्नोर ताप विस्तार 1×110 मैगावाट	100	मार्च 1974	पाँचवीं योजना का प्रारंभ	उत्पादन संयंत्रों तथा उपस्करों विशेष रूप से बॉयलर उप-स्कर की सप्लाई में देरी	भारत हैवी इले-क्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उप-स्कर की सप्लाई की जा रही है।
3.	कोदायर जल-विद्युत 1×60 मैगावाट 1×40 मैगावाट	100	1970-71 में 60 मैगावाट पहले ही चालू। 40 मैगावाट का यूनिट 1970-71 के लिए निर्धारित था।	1971-72	ओवर डाय-मेंशन वाले जनित्र स्टेटरों के पैकेजों के रेल मार्ग से परिवहन में कठिनाइयाँ। विदेशी इरेक्टर के देर से आने के कारण भी।	कठि-नाइयाँ पहले ही दूर की जा चुकी हैं।

1	2	3	4	5	6	7
4.	कुंडा जलविद्युत चरण — चार 1×50 मैगावाट 1×60 मैगावाट	110	मार्च, 1974	पाँचवीं योजना का आरंभ	आवश्यक रूप से आयातित किये जाने वाले कुछ उपस्कर के आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया।	
5.	कालपक्कम आणविक केन्द्र 1×200 मैगवाट	200	मार्च, 1974	पाँचवीं योजना	परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब।	

हीरे जवाहरात की उत्पादन और विपणन प्रणालियों के संबंध में सुझाव

1341. **श्री वी० मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1970 में हीरे-जवाहरात के उत्पादन और विपणन प्रणालियों के अध्ययन हेतु पश्चिमी यूरोपीय व्यापार और निर्माण केन्द्रों में गये शिष्टमंडल द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शिष्टमंडल द्वारा दिये गये मुख्य सुझावों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). सरकार द्वारा पश्चिम यूरोप को प्रायोजित प्रतिनिधिमंडल ने हीरों के लिए बाजारों का अध्ययन करने हेतु अक्तूबर, 1970 में पश्चिम-यूरोप की यात्रा की और इस संबंध में अनेक सिफारिशें कीं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें और उनमें से प्रत्येक पर की गई कार्यवाही निम्नलिखित हैं :

की गई सिफारिशें	की गई कार्यवाही
(1) तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरों के निर्यातों में और अधिक वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग का विविधीकरण किया जाए और अपेक्षाकृत ऊँची कीमतों वाले बढ़िया क्वालिटी के हीरों को तराशने और पालिश करने का कार्य आरम्भ किया जाए।	(1) अपेक्षाकृत ऊँची कीमतों वाले बढ़िया क्वालिटी के हीरों को तराशने और पालिश किये जाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस संबंध में पर्याप्त सफलता मिली है।

की गई सिफारिशें	की गई कार्यवाही
(2) यह आवश्यक है कि संयुक्त राज्य अमरीका, जोकि विश्वभर में तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरों का सबसे बड़ा बाजार है, को तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरों के सीधे निर्यातों में संवर्धन किया जाय ।	(2) प्रमुख निर्यातिक, संयुक्त राज्य अमरीका में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं और सीधे संपर्क स्थापित कर रहे हैं ।
(3) यह आवश्यक है कि हीरों को तराशने और पालिश करने के कार्य को आधुनिक रूप देने के लिए आधुनिक उपस्करों के आयात की अनुमति दी जाए ।	(3) हीरा उद्योग द्वारा विदेशों से अपेक्षित मशीनों और उपस्करों के आयात की अनुमति पंजीकृत निर्यातकों हेतु प्रतिपूर्त्ति नीति के अन्तर्गत पहले ही दी जा रही है ।
(4) बेहतर उपस्कर के प्रोटोटाइपों के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए ।	(4) सरकार, प्रोटोटाइपों के आयात हेतु इच्छुक विनिर्माताओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए तैयार है ।
(5) यह आवश्यक है कि हीरों की कतिपय किस्मों के तराशने और पालिश करने में स्वचयन प्राणाली लागू की जाए ।	(5) सरकार को, विदेशों में हीरों के तराशने में बढ़ते हुए स्वचलन की जानकारी है । सामान्य नीति के तौर पर सरकार, केवल प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने और तराशने के कार्य में सुधार लाने के उद्देश्य से ही आवश्यक सीमा तक स्वचालित मशीनों का समावेश करना चाहेगी ।
(6) तराशने और पालिश करने के संबंध में सूरत अथवा नवसारी में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए ।	(6) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद हमारे शिल्पकारों हेतु नवसारी, गुजरात में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है ।
(7) कच्चे बिना तराशे हीरे मूल स्रोतों और अन्तर्राष्ट्रीय पूर्त्तिकर्त्ताओं से प्राप्त किये जाने चाहिएं ।	(7) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के माध्यम से और अग्रिम लाइसेंसिंग द्वारा मूल स्रोतों और अंतर्राष्ट्रीय पूर्त्तिकर्त्ताओं से आपूर्त्तियाँ प्राप्त करने की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं ।
(8) बढ़िया क्वालिटी और अपेक्षाकृत बड़े साइज के हीरों को तराशने और पालिश करने और साथ ही उनके निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जहाज पर मूल्य के 80% तक की अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिपूर्त्ति दी जाए ।	(8) यदि आवेदक औसतन 150 डालर या उससे अधिक प्रति कैरेट की वसूली की गारंटी देने को इच्छुक है तो अग्रिम लाइसेंसिंग समिति 80% की प्रतिपूर्त्ति के लिए आवेदनों पर विचार करती है ।
(9) हीरों का एक सर्राफा स्थापित किया जाए जिसका मुख्यालय बम्बई में हो ।	(9) यह फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

की गई सिफारिशें	की गई कार्यवाही
(10) हीरों के व्यापार तथा उद्योग के वित्तपोषण से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए भारतीय वाणिज्यिक बैंकों में विशेष प्रकोष्ठ होने चाहिएं ।	(10) सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि वाणिज्यिक बैंक कीमती रत्नों सहित रत्नों तथा आभूषणों के निर्यातों के वित्तपोषण की जिम्मेवारी लें । तथापि, वाणिज्यिक बैंकों में इस क्षेत्र से संबंधित विशेष क्षमता के अभाव में कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है ।
(11) अपेक्षाकृत छोटे हीरों के निर्यातों को सुलभ बनाने के लिए, कन्साइनमेंट लेखा के अंतर्गत ऐसे निर्यातों की अनुमति, उन मान्यता प्राप्त बैंकों के माध्यम से दी जा सकती है जिन्होंने हीरों के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है ।	(11) सरकार मान्यता-प्राप्त बैंकों के माध्यम से कन्साइनमेंट के आधार पर अपेक्षाकृत छोटे हीरों के निर्यात हेतु विशिष्ट प्रार्थनाओं पर विचार करने के लिए तैयार है ।
(12) हीरों से संबंधित व्यापार तथा उद्योग के मामलों को निपटाने में प्राथमिकता देने के लिए मंत्रालय में एक विशेष डैस्क की व्यवस्था की जानी चाहिए और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में तकनीकी क्षेत्र से संबंधित एक अधिकारी भी उपलब्ध होना चाहिए ।	(12) विदेश व्यापार मंत्रालय में पहले से ही एक विशेष डैस्क की व्यवस्था है । तथापि, तकनीकी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाला कोई अधिकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।
(13) देश में रत्न-विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना आवश्यक है ।	(13) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने जयपुर में एक रत्न-विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कदम उठाये हैं । उन्होंने उपस्करों का आयात कर लिया है और अब समुचित अर्हता रखने वाले एक रत्न-वैज्ञानिक को भर्ती करने के लिए प्रयत्न में हैं ।
(14) हीरों के व्यापार और उद्योग के संपूर्ण विकास हेतु सरकार के नियंत्रण में जेम इण्डिया लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी की स्थापना की जानी चाहिए ।	(14) जेम इण्डिया लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी की स्थापना का प्रश्न खान तथा धातु मंत्रालय के विचाराधीन है ।
(15) आन्तरिक बाजार में इस समय सोने की अपेक्षाकृत ऊँची कीमतों को देखते हुए स्वर्ण-आभूषणों के पंजीकृत निर्यातकों को उनकी प्रतिपूर्त्ति के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सोने के आयात की अनुमति दी जाए ।	(15) निर्यात उत्पादन हेतु हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम को सोने के आयात की अनुमति देना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के परामर्श से एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है ।

अलौह धातुओं पर नये आयात शुल्क के समान अतिरिक्त अदायगी के लिए धातु तथा खनिज व्यापार निगम की माँग

1342. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु तथा खनिज व्यापार निगम ने 31 मई, 1971 से पूर्व आयात की गई अलौह धातुओं पर इस वर्ष के बजट में लगाये गये नये आयात शुल्क के समान अतिरिक्त अदायगी की माँग की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रभावित पार्टियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). 29 मई, 1971 तक आयातित अलौह धातुएँ उस सीमा तक पुरानी कीमतों पर ही बेची गई थीं जहाँ तक उस तारीख से पहले वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा वित्तीय प्रबंध कर लिये गये थे ।

29 मई, 1971 के पश्चात् अलौह धातुएँ संशोधित कीमतों पर बेची गईं । उन धातुओं में 29 मई, 1971 से पहले आयात की गई कतिपय धातुओं की मामूली मात्रा भी शामिल थी । यह आम प्रथा है और विगत में भी इस प्रकार की स्थिति में ऐसा ही किया जाता रहा है ।

ऊन के बुने हुए वस्त्रों का रूस को निर्यात

1343. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन के बुने हुए वस्त्रों के 10 करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर हौजरी निर्यातकों द्वारा अस्वीकृत किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऊन के बुने हुए वस्त्रों का रूस को निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय हौजरी निर्यातकों द्वारा 10 करोड़ रुपये मूल्य के निट किए हुए ऊनी माल के आर्डरों को अस्वीकार किये जाने की कोई जानकारी सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अधिमान टैरिफ संबंधी सामान्य प्रणाली के अंतर्गत तैयार चमड़े का निर्यात

1344. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमड़ा उद्योग की अधिमान टैरिफ संबंधी सामान्य प्रणाली से क्या लाभ होगा; और

(ख) तैयार चमड़े के निर्यात में वृद्धि करने तथा देश में चमड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तैयार चमड़ा तथा अर्द्ध तैयार चमड़ा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा टैरिफ संबंधी व्यापक अधिमान प्रणाली के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु चमड़े के निर्मित माल के निर्यात बढ़ाने के लिए उन देशों में अच्छी संभावनाएँ विद्यमान हैं, जो टैरिफ संबंधी व्यापक अधिमान प्रणाली स्वीकार कर चुके हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें इस संबंध में किये गये महत्वपूर्ण उपायों को दिखाया गया है।

विवरण

सरकार ने तैयार चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा देश में चमड़े का निर्मित माल बढ़ाने के लिए निम्नोक्त उपाय किये हैं :

1. तैयार चमड़े के निर्यात पर वायु भाड़ा उपदान दिया जा रहा है।

2. यद्यपि कच्ची खालों तथा चमड़ियों तथा कमाई हुई खालों आदि पर 10% निर्यात शुल्क है तथापि तैयार चमड़े के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है।

3. पंजीयित निर्यातक नीति के अंतर्गत, तैयार चमड़े के निर्यात के बदले कच्चे माल रासायनिक पदार्थों तथा अन्य संघटकों के आयात की अनुमति दी जाती है।

4. कानपुर स्थित तैयार चमड़ा तथा चमड़े के माल की निर्यात संवर्धन परिषद तैयार चमड़े के निर्यातकों को उत्पादों की किस्म सुधारने और निर्यात बाजारों का पता लगाने में उनकी सहायता कर रही है।

5. तैयार चमड़े के निर्यातों पर उद्योगवार वापसी दरें निर्धारित की गई हैं।

6. चमड़ा तथा चमड़े का माल बनाने वाले उद्योग प्राथमिक उद्योगों की रुचि में शामिल किये गये हैं और तैयार चमड़े के उत्पादन के लिए स्वदेश में जो माल उपलब्ध नहीं होता है, उस माल का आयात करने की अनुमति उदारता से दी जाती है।

7. पंजीयित निर्यातक नीति के अंतर्गत इस पद के लिए संतुलन, आधुनिकीकरण तथा बदलाव हेतु मशीनों के आयात करने की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है।

8. बकरी की कच्ची चमड़ियों का निर्यात कोटा-प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है और निर्यात कोटा उत्तरोत्तर कम किया जा रहा है। 1971 में निर्यात कोटा 1954-58 में हुए अधिकतम निर्यातों की तुलना में केवल 10% है। देश में तैयार चमड़े तथा चमड़े का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, सामान्यत: कच्ची खालें, भेड़ के चर्म आदि के निर्यातों की अनुमति नहीं दी जाती है।

9. कच्चे माल जैसे कच्ची खालें तथा चमड़ियों और मुर्ग दाढ़ी निस्सारण छाल आदि क आयात को खुले सामान्य लाइसेंसों में रखा गया है।

10. तैयार चमड़े के उत्पादन के लिए क्षमताएँ प्रस्थापित करने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विशाल उद्योग क्षेत्र में तैयार चमड़ा बनाने के लिए सात नये उपक्रमों को 'आशय-पत्र/लाइसेंस दिये गये हैं।

Issue of Licences to Porters by Railway Administration

1345. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the number of porters in each of the railways who have been issued licences by the Railway Administration ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : As at present, the strength of licensed porters, who only are permitted to carry passengers' luggage within the Railway premises on various railways is as under :—

Railway		*No. of Porters*
Central	—	4046
Eastern	—	7140
Northern	—	7938
North Eastern	—	3174
Northeast Frontier	—	1850
Southern	—	3383
South Central	—	2267
South Eastern	—	3654
Western	—	4126
Total	—	37578

Rules for Appointment of Casual Porters in Absence of Regular Porters

1346. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there are any rules for providing casual porters in case of absence of porters due to their illness, unavoidable work at home, festivals or any other urgent work;

(b) if so, what are those rules; and

(c) if not, how the shortage of porters is met when a large number of porters proceed on leave and passengers are likely to face difficulties as a result thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No. The practice of engaging substitute porters during the periods of absence of licensed porters existed earlier. This has been discontinued since September 1969 in response to the recommendation of the Study Group on Railway Licensed Porters and Commission Vendors.

(b) Does not arise.

(c) The strength of Licensed Porters at Stations is fixed after taking into consideration normal absenteeism due to illness, unavoidable work at home, etc. Moreover, leave is sanctioned on the merit of each case keeping in view at the same time that the number of licensed porters available at any station at any time is sufficient to meet the needs of the passengers. This precludes any possibility of large scale absenteeism of porters at any time.

Recognised federations and their affiliated unions

1347. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there are any Federation of an All India nature and if so, the names thereof;

(b) whether there are any Federations recognised by the Railways, if so, their names alongwith their registration number, if any;

(c) the number of registered unions affiliated with the said recognised Federations alongwith their registration number and the dates; and

(d) the names of members of the executive committees of the said Union and the membership of those unions ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) As far as information is available, there are four Federations of railway employees of all-India nature. They are

(1) All India Railwaymen's Federation.
(2) National Federation of Indian Railwaymen.
(3) Bharatiya Railway Mazdoor Sangh.
(4) All India Railway Employees Confederation.

(b) The names of the two All India Federations, which have affiliated recognised Unions on each of the Zonal Railways and which have been granted negotiating facilities are :—

(i) All India Railwaymen's Federation, and
(ii) National Federation of Indian Railwaymen.

It is understood that the registration number of the former is 679, while the other is not at present registered under Trade Unions Act.

(c) and (d). There are 18 registered and recognised unions affiliated to the two Federations mentioned in reply to part (b) above. Their names, alongwith their registration number and the date and membership strength as available on 8-6-1971, are given in the statement attached.

Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Statement

	Registration		Membership strength as available
I Names of Unions affiliated to All India Railwaymen's Federation and recognised by the respective Railway Administration	No.	Date	
1. National Railway Mazdoor Union	1618	13-8-1954	68,024
2. Eastern Railwaymen's Union	2770	—	65,172
3. Northern Railwaymen's Union	104	18-3-1948	52,167 (1969)
4. North Eastern Rly. Mazdoor Union	1464	14-7-1955	28,085 (31-3-69)
5. North East Frontier Railway Mazdoor Union	425	—	30,229 (1-1-70)
6. Southern Railway Mazdoor Union	3067	13-2-1961	32,352
7. South Central Railway Mazdoor Union.	2934	8-8-1966	35,100
8. South Eastern Railwaymen's Union	3580	—	45,694 (31-12-69)
9. Western Railway Employees Union	5	31-10-1927	65,096 (31-12-70)
II Names of Unions affiliated to National Federation of Indian Railwaymen and recognised by respective Rly. Administration			
1. Central Railway Mazdoor Sangh	1959	30-1-1956	62,867
2. Eastern Railwaymen's Congress	3092	—	60,170
3. Uttariya Railway Mazdoor Union	649	25-2-1959	40,215 (1969)
4. North Eastern Railway Employees Union (P. R. K. S.)	1883	10-2-1958	34,332 (16-8-69)
5. Northeast Frontier Railway Employees Union	420	—	39,705 (1-1-70)
6. Southern Railway Employees Sangh	3021	17-11-1960	39,040
7. South Central Railway Employees Sangh	2822	27-10-65	33,589
8. South Eastern Railwaymen's Congress	3584	—	38,750 (31-12-69)
9. Western Railway Mazdoor Sangh	1914	19-11-1955	49,520 (31-12-70)

Relieving of Inspectors of Signal and Telecommunication Department of Store Responsibility

1348. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the action taken by the Railway Administration in regard to the relieving of the Inspectors of Railway Signal and Tele-communication Department of the responsibility of valuable and large stores in accordance with the recommendation of the Railway Accidents Enquiry Committee 1968 ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : Studies are in progress for reorganisation of the working procedures to relieve the Inspectors of Signal and Tele-communication Department of the Railways of the responsibility of large and valuable stores in accordance with the recommendation under para 286 Part II of the Report of the Railway Accidents Inquiry Committee (1968).

Supply of Uniforms to Employees of Signal and Telecommunication Department of Railways

1349. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the employees of the Signal and Tele-communication Department of the Railways are provided with uniforms for protecting themselves from cold and rain;

(b) if so, the categories of employees who are provided with uniforms and the items of the uniforms supplied to them; and

(c) if no uniform is supplied to them, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (c). Uniforms to the Railway employees are supplied as per Railway Board's orders, issued in 1966, which envisage supply of uniforms to the staff in accordance with Old Dress Regulations of the Railways or Standardised Dress Regulations of 1963, whichever are more economical. The categories of staff, including those in Signal and Tele-communication Department, who are eligible for uniforms in terms of the above orders, the scale and style of uniform vary from Railway to Railway, and as such it is not possible to enlist them.

The entire question of supply of uniforms to the various categories of Railway staff as a result of the recommendations of the Uniforms Committee, 1970 is under consideration.

पाकिस्तान में सम्पत्ति जब्त किये जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को तदर्थ अंतरिम सहायता और अनुग्रह-अनुदान

1350. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय राष्ट्रिकों और पाकिस्तान स्थित व्यापारिक फर्मों को, जिनकी संपत्ति तथा आस्तियों को पाकिस्तान में 'शत्रु संपत्ति' के रूप में जब्त कर लिया है जैसा कि 1 मई, 1971 को शत्रु-संपत्ति के कस्टोडियन ने सरकारी निर्णय की घोषणा में कहा है, कोई तदर्थ अंतरिम सहायता और अनुग्रह-अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) तथा (ख). जी नहीं। अभिरक्षक के पास पंजीयित दावों का सत्यापन किया जा रहा है और अनुग्रह-अनुदानों का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा। परन्तु यहाँ तक उल्लेखनीय है कि दावों के सत्यापन में, विशेषत: अधिकांश मामलों में, जबकि दावों के समर्थन में सभी दस्तावेज भारत में उपलब्ध नहीं होते, काफी समय लग जाता है।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत कपड़ा मिलों के विरुद्ध जाँच

1351. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों को बंद करने के ऐसे कितने मामलों का पता लगा जिनके औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जाँच की गई और कितने मामलों में जाँच समिति ने अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत मिलों को सरकारी प्रबंध में लेने की सिफारिश की और उन मिलों के नाम क्या हैं;

(ख) उन मिलों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है जिनके प्रबंध को सरकार द्वारा अधिकार में लेने की सिफारिश की गई है; और

(ग) कितने मामलों में समिति की सिफारिश को क्रियान्वित किया गया और ऐसे मामलों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) समाप्त करने योग्य समझी जाने वाली मिलों को छोड़कर पश्चिम बंगाल में पाँच बंद पड़ी सूती वस्त्र मिलों के मामलों की जाँच उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत की गई है और जाँच समितियों ने सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18-क के अंतर्गत निम्न-लिखित चार मिलों के प्रबंध को अपने नियंत्रण में लिऐ जाने की सिफारिश की है :—

1. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स लि०, कॉसिम बाजार।
2. आरती काटन मिल्स लि०, दस्सा नगर।
3. दि बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, नं० 1 व 2, कोननगर।
4. सैंट्रल काटन मिल्स लि०, कलकत्ता।

(ख) तथा (ग). पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि उनका विचार आरती काटन मिल्स लि०, दस्सा नगर को सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में बंधकदार के नाते अपनी प्राप्य राशियों के प्रवर्तन द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का है, अत: सरकार द्वारा मिल के प्रबंध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अपने नियंत्रण में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष तीन मिलों के संबंध में राज्य सरकार के विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। आगामी कार्यवाही संबंधी विनिश्चय, उनके विचार प्राप्त होने पर किया जायेगा।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से असम की ओर असम से माल का बुक न किया जाना

1352. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त मास से अक्तूबर, 1971 के मध्य तक कई दिनों के लिए व्यवहारत: पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे से असम की ओर असम से माल का बुक किया जाना बंद रहा था; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान माल बुक का कार्य बंद रहने के दिनों की कुल संख्या क्या थी और इसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी हाँ, उच्च प्राथमिकता वाले संचलन जिनमें रक्षा और खाद्यान्न भी शामिल हैं, को छोड़कर असम, त्रिपुरा, उत्तरी बंगाल और मणिपुर क्षेत्रों के लिए सामान्य परेषणों की बुकिंग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। निम्न प्राथमिकता वाले यातायात के लिए फरक्का और गड़हरा वाले दोनों मार्गों पर वास्तव में 3 महीने तक रोक लगी रही। इसका कारण था पूर्वोत्तर रेलवे पर गड़हरा और कटिहार के बीच 6-8-71 से 21-9-1971 तक भारी टूट-फूट और जुलाई के अन्त से अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक टूट-फूट और तटवर्ती खराब परिस्थितियों के कारण फरक्का के रास्ते संचलन में भारी कटौती।

ईराक के साथ व्यापार करार

1353. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक से हाल ही में एक व्यापार करार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यापार करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ, ईराक के साथ एक व्यापार करार पर दिनांक 24 सितम्बर, 1971 को हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—1087/71.**]

रेलवे की वित्तीय स्थिति का मध्य-वर्षीय मूल्यांकन

1354. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की वित्तीय स्थिति का कोई मध्य-वर्षीय मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) चालू वर्ष की पहली छमाही में रेलवे की आमदनी आनुपातिक बजट अनुमानों से लगभग 7 करोड़ रुपये अधिक है ।

इस अवधि में रेलवे संचालन व्यय आनुपातिक बजट अनुमानों से लगभग 24 करोड़ रुपये अधिक रहा ।

पहली छमाही के शुद्ध परिणाम में, बजट अनुमानों की तुलना में खर्च में 17 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । लेकिन, खर्च में वृद्धि अंशत: पहली छमाही में खर्च की अपेक्षाकृत अधिक अद्यतन बुकिंग के कारण हुई है ।

निर्वाचन विधियों में संशोधन

1355. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन कब होंगे;

(ग) क्या भारत के निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया और मतपत्रों में किसी परिवर्तन का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार के परिवर्तन किये जाने का सुझाव दिया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 1971 की जनवरी की 1 तारीख को अर्हक तारीख मानकर निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण निम्नलिखित के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो गया है :

(i) बिहार, (ii) मध्य प्रदेश (केवल 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र), (iii) पंजाब, (iv) पश्चिम बंगाल, (v) आन्ध्र प्रदेश, (vi) दिल्ली और (vii) पाण्डिचेरी । इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है और नामावलियों के दिसम्बर, 1971 की समाप्ति से पूर्व अन्तिम रूप से प्रकाशित हो जाने की आशा है ।

(ख) यदि कोई अप्रत्याशित आकस्मिकता न हुई जिससे निर्वाचनों को स्थगित करना आवश्यक हो जाए तो जिन राज्यों की विधान सभाओं की अवधि 1972 में समाप्त होने वाली है, उनमें निर्वाचन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे ।

ऐसी परिस्थिति में इस बात की भी संभावना है कि पश्चिम बंगाल राज्य के सिवाय जिन अन्य राज्यों पर राष्ट्रपति का शासन है, उनमें भी निर्वाचन उसी समय होंगे । पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है ।

(ग) और (घ) . निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में कुछ संशोधन करने के सुझाव दिए हैं जिनका उद्देश्य प्रतिपर्णों वाले नए डिजाइन के मतपत्र जारी करना है जिससे मतदाताओं को मतपत्र दिये जाने के समय प्रतिपर्णों पर उनके हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान लिये जायें ।

नाइलोन के धागे के निर्माताओं द्वारा अधिक लाभ अर्जित किया जाना

1356. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलोन धागे के निर्माताओं द्वारा इस व्यापार में 300 से 500 प्रतिशत तक लाभ अर्जित किया जा रहा है; और

(ख) इस व्यापार में लाभ की मात्रा को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण

1357. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल संसाधनों के विकास के लिए एक समेकित योजना बनाने के लिए सरकार का एक राष्ट्रीय जल-नीति निधारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). देश में एक राष्ट्रीय जल-नीति तैयार करने तथा जल संसाधनों के आयोजन तथा विकास को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् स्थापित करने के प्रस्ताव की जाँच हो रही है ।

काजीपेट-डरनाकल सैक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) के स्थायी वेतन निरीक्षक और वेतन क्लर्क पर हमला

1359. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अक्तूबर, 1971 को दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट-डरनाकल सैक्शन के गुण्डारतीमाडुग और गरला रेलवे स्टेशनों के बीच हथ-ट्रोली में यात्रा करते हुए स्थायी वेतन निरीक्षक और वेतन क्लर्क पर 15 सशस्त्र व्यक्तियों ने हमला किया और 50,000 रुपये लेकर भाग गये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ । लेकिन, ये व्यक्ति संख्या में 6 थे जो रोकड़ के साथ जाने वाले रक्षक की हत्या के पश्चात् 39,402 रुपये 40 पैसे की रकम और ·410 की एक बन्दूक और एक संगीन छीन कर भाग गये ।

(ख) (i) इस संबंध में गरला की जिला पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और इसकी पड़ताल कर रही है ।

(ii) पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के उच्च अधिकारियों द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया है ।

(iii) पुलिस द्वारा खोजबीन की कार्यवाही की गयी थी और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछ-ताछ के लिये रोक लिया गया है ।

(iv) रेल सुरक्षा दल के कुत्ता दस्ते को भी खोजबीन के काम में लगाया गया था जिससे पुलिस को कुछ सूत्र उपलब्ध हुए हैं ।

रेलवे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

1360. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेल पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में से कुछ की क्रियान्विति की है; और

(ख) क्रियान्विति की गई सिफारिशों की प्रतिशतता क्या है और शेष सिफारिशों को कार्य रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट में रेलों से संबंधित 49 सिफारिशों में से 6 सिफारिशों पर सरकारी विनिश्चयों को (चार पर पूर्णतः और दो पर अंशतः) अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इन सिफारिशों पर सरकारी विनिश्चयों और क्रियान्वयन के चरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

सिफारिश का विषय-वाक्य	विनिश्चय
(19) रेलवे बोर्ड और रेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की समीक्षा करनी चाहिए और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं का युक्तिकरण करना चाहिए ।	यह सिफारिश रेल मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुरूप है और इसे स्वीकार कर लिया गया है । रेल प्रशासनों को प्रशासनिक अनुदेश जारी किये जा चुके हैं ।

सिफारिश का विषय-वाक्य	विनिश्चय
(20) (1) क्षेत्रीय रेलों में तृतीय श्रेणी के सभी पदों पर भर्ती एक स्वतंत्र भर्ती मंडल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष के रूप में एक गैर रेलवे व्यक्ति और क्षेत्रीय रेलवे का एक प्रवर अधिकारी हो। भर्ती मंडल का अध्यक्ष रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।	रेल सेवा आयोग का वर्तमान गठन सामान्यतः उसी प्रतिरूप के अनुरूप है जिसका सुझाव प्रशासन सुधार आयोग ने इस सिफारिश में दिया है। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है और क्रियान्वित की जा चुकी है।
(20) (2) जब तक कि काम की मात्रा को देखते हुए किसी क्षेत्रीय रेलवे के लिए एक पृथक भर्ती मंडल आवश्यक प्रतीत न हो तब तक दो या दो से अधिक क्षेत्रों से संबंधित भर्ती का काम केवल एक भर्ती मंडल द्वारा किया जा सकता है।	
(24) कल्याण संगठन को कार्मिक विभाग के अधीन काम करते रहना चाहिए और उसे कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे का काम करते रहना चाहिए। इसमें ऐसे चुने हुए व्यक्ति रखे जाने चाहिएँ जिन्हें विशेष प्रशिक्षण मिला हो। इन व्यक्तियों को अक्सर बदलते रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि वे किसी विशेष जिला या मंडल में कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित हो गये हैं।	यह सिफारिश, जो रेल मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुरूप है, स्वीकार कर ली गयी है। सिफारिश और सरकारी विनिश्चय को मार्गदर्शन के लिए रेल प्रशासनों को भेज दिया गया है।
(33) (2) भारी मरम्मतों और ओवरहाल के संबंध में कारखाना सुविधाओं का क्षेत्रीय रेलों के बीच यथासंभव इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक कारखाना विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर ले और दोहरे काम से बचाया जा सके।	यह सिफारिश, जो रेल मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुरूप है, स्वीकार कर ली गई है।

सिफारिश का विषय-वाक्य	विनिश्चय
(44) रेल संरक्षा और रेलवे अनुरक्षण के संबंध में रेल कर्मचारियों को आवधिक रूप से गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिएँ।	यह सिफारिश रेल मंत्रालय की वर्तमान नीति के अनुरूप है और स्वीकार कर ली गई है। रेल प्रशासनों को प्रशासनिक अनुपदेश जारी किये जा चुके हैं।
(46) (3) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में ऐसे कल्पनाशील व्यक्ति रखे जाने चाहिएँ जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उच्च योग्यता प्राप्त कर ली हो और जिनकी बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान दोनों ही में अभिरुचि हो।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है। यह वर्तमान कार्यविधि के अनुरूप है। सिफारिशों एवं उन पर सरकार के विनिश्चयों को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन को भेज दिया गया है।
(46) (4) अनुसंधान कर्मचारियों के काम पर शुरू से निगाह रखी जानी चाहिए और उनमें से जो अनुपयुक्त पायें उन्हें संगठन में नहीं रखा जाये। प्रत्येक अनुसंधान कर्मचारी के कार्य की आवधिक रूप से यानी हर तीसरे वर्ष समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस बात का मूल्यांकन किया जा सके कि क्या वह कार्य के स्तर, जो बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए, तक है।	
(46) (5) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में कर्मचारियों की भर्ती कड़े स्तर के आधार पर तथा मिश्रित स्रोतों से की जानी चाहिए। इनमें से अधिकांश रेलवे से और बाकी वाह्य स्रोतों (अन्य सरकारी संगठनों सहित) से भर्ती किये जाने चाहिएँ।	
(46) (6) अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन में अधिकारियों की उन्नति की संभावनाएँ आकर्षक	

सिफारिश का विषय-वाक्य	विनिश्चय
होनी चाहिएँ और इन्हें, रेलों के परिचालनिक और कार्यकारी संगठनों में रहने वाले इन्हीं के समान अधिकारियों की उन्नति की संभावनाओं से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए।	

बाकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

अहमदाबाद और साबरमती के बीच शटल गाड़ियों के चलने से आय

1361. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अहमदाबाद और साबरमती के बीच चल रहीं शटल गाड़ियों से दैनिक कितनी औसतन आय होती है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : गाड़ी-वार आमदनी के आँकड़े नहीं रखे जाते।

कोयला खानों को रेलवे वैगन आबंटित करने में भ्रष्टाचार

1362. **श्री बी० आर० शुक्ल :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों को रेल वैगन आंबटित करने के मामले में रेलवे विभाग में भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है; जैसा कि अक्टूबर, 1971 के अन्तिम सप्ताह के 'बिलिट्ज' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय ने भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में क्या कार्यवाही की है जिससे कि देश में कोयला खानों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कोयला ले जाया जा सके ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 30-10-71 के 'बिलिट्ज' में जो आरोप लगाये गये हैं, वे सामान्य किस्म के हैं और उनकी विशिष्ट जाँच की जरूरत नहीं है। उनमें तथ्य संबंधी कुछ गलतियाँ भी हैं, जो इस प्रकार हैं :

1.1 इस मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कोई उच्चाधिकार प्राप्त खुफिया दल है जो कोयला खानों को माल डिब्बों के आबंटन के मामले में पूर्व या दक्षिण पूर्व रेलों में चल रहे भ्रष्टाचार का पता लगाता है।

1.2 बंगाल/बिहार क्षेत्र में कोयला खानों के लिए कोयले के आबंटन का कोटा निश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और कोयला खानों के मालिकों के बीच अभी हाल में कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई थी । फिर भी कोयले के आबंटन के स्तर के संबंध में समय-समय पर रेलों और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की कोयला व्यापारियों के साथ होने वाली आवधिक बैठकों में विचार-विमर्श होता है जिनमें पिछले कार्यों का विश्लेषण और अगली कार्रवाई के संबंध में विनिश्चय किया जाता है ।

1.3 माल गाड़ी में सामान्यत: 35 बी० ओ० एक्स० माल डिब्बे होते हैं जो 87 चौपहियों के बराबर होते हैं । बंगाल-बिहार की कोयला खानों से प्रतिदिन कोयले से लदे माल डिब्बों की संख्या मुश्किल से 70 या 80 होती है, 200 नहीं ।

1.4 बिलिट्ज द्वारा कोयला खानों से एकत्र की गयी यह सूचना भी कि कोयले की खानें दिये गये सभी माल डिब्बों का इस्तैमाल कर लेती हैं, सही नहीं जान पड़ती । अगस्त के महीने में बंगाल/बिहार की कोयला खानों को दिये गये माल डिब्बों में से 746 खाली निकाले गये और 10,187 माल डिब्बे कोयला खानों की साइडिंगों में रोक लिये गये । सितम्बर में यह संख्या क्रमश: 479 और 11,462 थी । अक्तूबर महीने की संख्या भी कुछ इसी प्रकार की थी ।

2. रेल कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के बारे में अस्पष्ट आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती । जब कभी भी अनियमितता या भ्रष्टाचार संबंधी विशेष मामले आते हैं, उनकी जाँच की जाती है, और भ्रष्टाचार के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

Construction of Kamla-Balan Embankments

1363. SHRI RAM BHAGAT PASWAN : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether crops covering thousands of acres of land are destroyed by floods every year because extension of Kamla Balan embankments has not been undertaken;

(b) whether the people have been requesting time and again for the extension of Kamla-Balan embankments beyond Aagar Ghat to Tilkeshwar;

(c) whether Government have sanctioned some amount for the proposed extension work in the public interest;

(d) if so, the total amount sanctioned; and

(e) the time by which the extension work will be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) to (c). The Government are aware of the demand of the people in the lower reaches of the Kamla-Balan river for the extension of the embankments to save the areas from floods. Investigations for the extension of the Kamla-Balan embankments for the protection of areas in the lower reaches against floods have been taken up by the Bihar State Government. The work on the scheme is to be started after the scheme is approved.

विश्व भर से टेंडरों द्वारा रुई की गाँठों के आयात के लिए दी गई परमिट

1364. **श्री के० सी० देशमुख** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1971-72 की ऋतु के लिए विश्व भर से टेंडर मंगाकर 10 लाख रुई की गाँठों के आयात के लिए परमिट दिए हैं; और

(ख) आयात की जाने वाली रुई के रेशे की लम्बाई क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971-72 के लिए विभिन्न स्रोतों से रुई की 10 लाख तक गाँठों के आयात करने की योजना है तथा 6·95 लाख गाँठों के आयात के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) जिस रुई के आयात के लिए अनुमति दी गई है, वह 1-1/16" स्टेपल तथा उससे अधिक लंबाई की है ।

Help to Stenographers Employed on Northern Railway

1365. DR. SANKATA PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the then Minister of Railways gave an assurance on the floor of the House to the effect that the assurance given by the former Minister of Railways vide his letter No. P. C. 69/P. S. 5/O. S. 14 dated the 13th August, 1969 in regard to helping the Stenographers would be implemented in the case of Northern Railway;

(b) whether even after his assurance in a number of cases the said assurance has not been implemented at all;

(c) whether he would enquire into this matter; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes.

(b) to (d). Only one specific case has been cited by a Member of Parliament. The matter is under examination.

Promotion of Stenographers on Northern Railway Through Examination

1366. DR. SANKATA PRASAD : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Northern Railway had conducted an examination in 1969 to give effect to the orders of 1965 regarding promotion of Stenographers;

(b) whether the attention of Government has been drawn from time to time to the irregularities committed in the said examination and a member of Parliament had written a letter in April, 1971 in regard thereto but no action has so far been taken in this regard;

(c) whether the recognised Unions of Northern Railway have also written letters in this regard; and

(d) the suggestions made in those letters and also the reaction of Government in regard thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Selections were held prior to 1969 to implement the Railway Board's orders of 1965 on the basis of yard-stick formulated by the Northern Railway. Additional posts of Stenographers were upgraded to Rs. 210-425 in 1969 to fill these posts, selections were initiated in June 1969.

(b) A letter was received on 13th May, 1971 from a member of Parliament which has been replied to.

(c) The Northern Railway have not received any representation.

(d) Does not arise.

पोंगडैम क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में सुरंग

1367. **श्री विक्रम महाजन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंगडैम क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में पानी ले जाने वाली कितनी सुरंगों को जून, 1972 तक बन्द कर दिया जायेगा;

(ख) उनके बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप कितने क्षेत्र के पानी में डूब जाने की संभावना है और वह क्षेत्र कितने समय तक पानी में डूबा रहेगा; और

(ग) इसका कितने लोगों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) इस समय पोंग पर व्यास नदी का पानी ले जाने वाली पाँचों सुरंगों में से कोई भी सुरंग जून, 1972 तक बन्द नहीं की जाएगी । बहरहाल, एक सुरंग पर फाटक लगाया जाएगा, जो कि बाढ़ के दौरान खुला रखा जाएगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Fatal Attack on Shri Dube, Upper Grade Railway Conductor, Kotah

1368. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint from Shrimati Dube and General Secretary, Ticket Checking Staff, Western Railway against the Railway Police Officer, Kotah and Collector of Kotah regarding the fatal attack on Shri Dube, an Uppper-grade Railway Conductor on the 11th October, 1971 at Kotah (Rajasthan);

(b) whether the Railway employees observed strike to protest against this incident; and

(c) the action so far taken by Government against the officers against whom the complaint was made ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) Yes, a complaint from Shrimati Dube and a resolution passed by the Railway Ticket Checking Staff Association, Kotah in this connection have been received.

(b) No; but the Ticket Checking Staff of Kotah and Ratlam reported sick enmasse on 12.10.1971 in protest.

(c) Investigation by the Police into this incident is in progress. Meanwhile orders have been passed for the transfer of Shri S. S. Sharma, Station House Officer, Government Railway Police, Kotah and Shri G. S. Gaur, Travelling Ticket Examiner, Kotah from Kotah.

Use of Cement Concrete Sleepers by Railways

1369. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) when the decision to make cement concrete sleepers was taken by his Ministry and the names of the places where these sleepers have been made so far with the number thereof;

(b) the year-wise amount spent on the production of the said sleepers since their production was taken in hand;

(c) whether lakhs of these concrete sleepers are lying unused near Bhusawal Godown and in Lonawala for the last several years;

(d) the names of the Railway divisions where the said sleepers are being used or are proposed to be used; and

(e) whether the cement sleepers are cheaper and more durable than the iron and wooden sleepers ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) In 1963 Ministry of Railways decided to develop Concrete Sleepers for use on Indian Railways. The sleepers have so far been manufactured at the following places :

Place	*No.*
Lonavala	600
* Jhansi (Karari)	5000
† Delhi	2300
* Gaya (Manpur)	3000
* Bombay	13000
Southern Railway (Trivellore)	200

*Factories are in private sector.

†Factory under Ministry of Works & Housing.

(b) Ministry of Railways have manufactured 600 sleepers in their own workshops at

Lonavala and 200 Nos. at Trivellore for trial purposes only. The approximate year-wise cost spent to manufacture these sleepers is as follows :

1966-67	1968-69
Rs. 42,000	Rs. 16,000

The rest of the concrete sleepers are being procured through open tenders from trade. Their production cost for such sleepers is not available with the Railways.

(c) No.

(d) The concrete sleepers have so far been used on Bombay and Jhansi Divisions of Central Railway, Delhi Division of Northern Railway, Dhanbad Division of Eastern Railway and Madras Division of Southern Railway. Concrete sleepers are proposed to be used on all B. G. trunk routes and high speed lines of Indian Railways wherever conditions permit.

(e) Initial cost of concrete sleepers is higher than that of other tpyes of sleepers but these are more durable.

चटापठार पर रेल-फाटक पर उपरि पुल

1370. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल पश्चिमी बंगाल के निकट चटापठार रेल फाटक पर ऊपरी पुल बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो यहाँ निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) यह प्रस्ताव पूर्व रेलवे के 1972-73 के प्रारम्भिक निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया गया है और अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाने पर इसे 1972-73 में शुरू कर दिया जायेगा।

नकली रेशमी के धागे की कमी

1371. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नकली रेशम के धागे की बराबर कमी बने रहने की ओर ध्यान दिया है जिससे रेशम उद्योग को बड़ा संकट हो रहा है;

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे उक्त कमी का सामना किया जा सके;

(ग) क्या वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्य-नियंत्रण संबंधी कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या बिचौलियों को समाप्त करने और वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) चतुर्थ योजना अवधि के लिए विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित रेशे/धागे हेतु सिफारिश किए गए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करके अतिरिक्त क्षमता तैयार करने के लिए सरकार समुचित उपाय कर रही है ।

(ग) कीमत नियंत्रण लगाने के लिए अभी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है ।

(घ) रेयन धागे तथा नाइलोन के धागे के कनाई करने वालों तथा बुनकरों के बीच हुए स्वैच्छिक करारों के अंतर्गत वास्तविक उपभोक्ता कीमतों पर कताई करने वालों से अपनी सप्लाई प्राप्त करते हैं, अतएव, किसी बिचौलिये को हटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मकान का किराया काटने के लिए संगचल भत्ते के बारे में विचार

1372. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री मकान किराया काटने के लिये संगचल भत्ते पर विचार के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4683 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह जानकारी कब तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). आवास के लिए पात्र रनिंग कर्मचारियों की संख्या 88,488 है ।

जहाँ तक लोको रनिंग कर्मचारियों को उपलब्ध किये गये मकानों के मण्डल-वार वर्गीकरण सहित ब्यौरे का संबंध है, एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । (देखिये संख्या एल० टी०—1088/71.]**

रेलवे वर्कशाप, रायपुर के पंजीकृत श्रमिक संघ पर सदस्यता शुल्क एकत्र करने पर रोक

1373. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या रेल मंत्री रेलवे वर्कशाप, रायपुर के पंजीकृत श्रमिक संघ पर सदस्यता शुल्क एकत्र करने पर रोक लगाने के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6773 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त जानकारी को कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है :

विवरण

लोक सभा का दूसरा सत्र

रेल मंत्रालय

तारीख और हवाला	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया
3-8-1971 को श्री हुकमचन्द कछवाय द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न 6773	पूछा गया था कि : (क) क्या रेलवे वैगन-शाप, रायपुर के वर्क्स मैनेजर ने पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त रेलवे वैगन-शाप से श्रमिक संघ द्वारा अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क वसूल करने पर रोक लगा दी थी;	(क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।	(क) जी नहीं।
	(ख) क्या वर्क्स मैनेजर के उक्त आदेश से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) सी० के उपबन्धों का तथा श्रमिक संघ नियमों का भी उल्लंघन हुआ है; और		(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।
	(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?		

आगरा के लोको संगचल कर्मचारियों को संगचल भत्ते की गैर-अदायगी

1374. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री इलाहाबाद डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों और लिवरमैनों के सहयोगी भत्ते के भुगतान न किये जाने के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4624 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा और अन्य स्थानों के उन संगचल कर्मचारियों को जो छोटे दौरे पर जाते हैं, पूरा संगचल भत्ता नहीं दिया जाता अपितु उन्हें थोड़ा भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या अभी तक प्रोत्साहन योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया; और

(ग) इस योजना को लागू करने के लिए सरकार कितना समय लेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) श्रमिक संगठनों के परामर्श से रनिंग भत्ते की दरों में 1-1-1971 से परिवर्तन कर दिया गया है । इस बात को देखते हुए प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना रद्द कर दी गयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के ड्राइवरों को दिया गया दण्ड

1375. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री ड्राइवरों द्वारा मार्ग-नियमों और स्टेशनों के कार्य संचालन नियमों को सीखने में अधिक समय लेने के लिये उन्हें दण्ड दिये जाने के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 और 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4694 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ । एक विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

पाँचवी लोक सभा का दूसरा सत्र
रेल मंत्रालय

तारीख और हवाला	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया
13-7-1971 को लोक सभा में श्री चन्द्रिका प्रसाद द्वारा पूछा गया अता० प्रश्न 4694	क्या रेल मंत्री ड्राइवरों द्वारा मार्ग नियमों और स्टेशनों के कार्य संचालन	सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।	

तारीख और हवाला	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया
	नियमों को सीखने में ड्राइवरों को बुक करने की पद्धति के बारे में 10 मार्च, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न 2368 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :		
	(क) क्या अजमेर डिविजन पर दो ड्राइवरों को दण्ड दिया गया था;		(क) उन्हें किसी तरह का दण्ड नहीं दिया गया । डीजल रेल इंजनों पर उनसे काम लेने की बजाय उन्हें फिर से भाप रेल इंजनों पर नियुक्त कर दिया गया ।
	(ख) क्या इस विषय पर आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने पश्चिम रेलों के जनरल मैनेजर से 11 जुलाई, 1970 को अजमेर में विचार - विमर्श किया था; और		(ख) अपने मामलों के अभ्यावेदन के संबंध में दो में से एक ड्राइवर महाप्रबन्धक से व्यक्तिगत रूप में मिला था ।
	(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय लिये गये ?		(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोनों ड्राइवरों के मामलों की समीक्षा की जा रही है और इस संबंध में शीघ्र ही उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट उपरि पुल

1376. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट रेलवे फाटक के ऊपर 2 करोड़ रुपये की लागत से उपरि पुल का निर्माण करने की मंजूरी दी थी;

(ख) उक्त निर्माण कार्य का ठेका कब दिया गया था और उसको पूरा करने की तिथि क्या निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या उक्त पुल के प्रारम्भिक निर्माण-कार्य पर अब तक 80 लाख रुपये से अधिक धनराशि खर्च हो चुकी है; और

(घ) क्या निर्माण-कार्य को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय किया गया है; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : नयी दिल्ली सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट मुख्य उपरि सड़क पुल खास के निर्माण के लिए 11·67 लाख रुपये की राशि के अनुमान की मंजूरी दी गयी थी ।

(ख) उक्त निर्माण-कार्य के लिए अभी ठेका नहीं दिया गया है । उपरि पुल के निर्माण का काम खतम करने के लिए कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित नहीं की गयी है ।

(ग) रेलवे द्वारा अब तक प्रारंभिक कार्यों पर 1·50 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी है ।

(घ) जी हाँ । सिविल विमानन मंत्रालय सफदरजंग हवाई अड्डे को उसके वर्तमान स्थान पर ही बनाये रखने की व्यावहारिकता की जाँच कर रहा है इसलिए उपरि सड़क पुल के निर्माण के काम को स्थगित रखा गया है ।

पश्चिम रेलवे के अजमेर डिवीजन में असफल उम्मीदवारों को "बी" ग्रेड के स्थानापन्न ड्राइवरों के रूप मे कार्य करने का अवसर दिया जाना

1377. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री अजमेर डिवीजन के ड्राइवर "बी" ग्रेड की पदोन्नति तालिका के बारे में 15 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4624 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर डिवीजन में चयन को अंतिम रूप दे दिया गया है; और यदि हाँ, तो चुने गये तथा असफल हुये उम्मीदवारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) असफल उम्मीदवारों को उच्च ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अनुमति किस नियम के अन्तर्गत दी जाती है तथा क्या वे इस प्रकार कार्य करने के पात्र हैं; और

(ग) क्या पहले असफल उम्मीदवारों को उच्च ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्य करने पर रोक लगा दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ । एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 'क') **[ग्रंथालय में रखा गया । (देखिये संख्या एल० टी०—1088/71.]**

(ख) और (ग). रेल-प्रशासन द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार उन उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि तक ऊँचे ग्रेड में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत नहीं किया गया जो प्रवरण में असफल रहे । अब इस आशय का संशोधन किया गया है कि यदि चुने हुए व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो वरिष्ठ असफल उम्मीदवारों को भी तदर्थ पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते सक्षम प्राधिकारी यह समझते हों कि वे कर्मचारी तदर्थ पदोन्नति के लिए उपयुक्त हैं । अजमेर मंडल में ग्रेड "बी" के ड्राइवरों के प्रवरण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इसके परिणाम-स्वरूप असफल उम्मीदवारों के स्थान पर चुने हुए उम्मीदवार लगाये जा रहे हैं । बाकी की रिक्तियों पर तब तक बिना चुने कर्मचारी तदर्थ आधार पर काम करते रहेंगे जब तक ड्राइवर ग्रेड "बी" के लिए नया प्रवरण नहीं हो जाता ।

अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के संगचल कर्मचारियों में से पदोन्नति के लिए कोटे का नियमित किया जाना

1378. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के सहायक लोको फोरमैन के तौर पर पदोन्नति के लिये कोटे के नियम के बारे में 20 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5404 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा चुकी है; और

(ख) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 'क') ।

विवरण

प्रश्न संख्या और हवाले की तारीख	विषय	टिप्पणी
	पूछा गया था कि :	
20–7–71 को श्री चन्द्रिकाप्रसाद द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न 5404 ।	(क) क्या संगचल कर्मचारियों और अनुरक्षण कर्मचारियों को असिस्टेंट लोको फोरमैन के रूप में पदोन्नत करने के लिए कोई अनुपात है और फिर क्या सभी श्रेणियों में अग्रसर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है; (ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे जोन की प्रत्येक लाइन पर इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है;	(क) और (ख). इस संबंध में सभी रेलों पर एकरूपता नहीं है । दक्षिण, उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है । शेष पाँच रेलों पर स्थानीय स्थितियों की उपयुक्तता के आधार पर विशिष्ट कोटे निर्धारित किये गये हैं । पाँचों रेलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है— मध्य रेलवे—

प्रश्न संख्या और हवाले की तारीख	विषय	टिप्पणी
		अनुरक्षण कर्मचारी 22% संचलन कर्मचारी 75% दक्षिण पूर्व रेलवे— अनुरक्षण कर्मचारी 40% संचलन कर्मचारी 40% शेडमैन 20% पूर्व और दक्षिण मध्य रेलवे— अनुरक्षण कर्मचारी 50% संचलन कर्मचारी 50% पश्चिम रेलवे— अनुरक्षण कर्मचारी 25% संचलन कर्मचारी 75%
	(ग) क्या पश्चिम रेलवे पर उक्त प्रक्रिया का उचित तौर पर पालन किया गया था; (घ) क्या अनुरक्षण कर्मचारियों के, कोटे से अधिक संख्या में लिये जाने के कारण अजमेर डिवीजन के कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ रुक गई थीं; और (ड़) सरकार को सब डिवीजनों में जिसमें अजमेर डिवीजन भी शामिल है, कोटे को नियमित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?	(ग), (घ) और (ड़) : 335–425 रुपये के वेतन मान में सहायक लोको फोरमैन के रूप में पदोन्नति के लिए, संचलन और अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच 3 : 1 का कोटा पश्चिम रेलवे के सभी मण्डलों में रखा जा रहा है किन्तु अजमेर मण्डल में फिलहाल मामूली अन्तर है। उस मण्डल में सहायक लोको फोरमैन के 10 पद हैं जिनमें से निर्धारित अनुपात का अनुपालन करते हुए, 6 संचलन पक्ष से और 2 अनुरक्षण पक्ष से नियमित आधार पर भरे गये हैं। प्रवरण होने तक शेष दो पदों को तदर्थ आधार पर अनुरक्षण विभाग के कर्मचारियों से भर लिया गया है । रनिंग कर्मचारियों में से कोई कर्मचारी सहायक लोको फोरमैन के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं है । प्रवरण को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही तदर्थ व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी ।

जयपुर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति को नियमित करना

1379. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4693 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों का चयन चार डिवीजनों के आधार पर किया जाता है और राजकोट, भावनगर, अजमेर और जयपुर डिवीजन के 'बी' ग्रेड के ड्राइवर इन डिवीजनों पर 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों के पदों पर नियुक्त होने के पात्र हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ग्रेड 'ए' के ड्राइवरों के रूप में पदोन्नति के लिये पात्र चारों डिवीजनों के ग्रेड 'बी' के ड्राइवरों की वरिष्ठता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) के अनुसार तैयार की गई सूची के अनुसार जयपुर डिवीजन में इस समय 'ए' ग्रेड में काम कर रहे ड्राइवर कनिष्ठ हैं अथवा वरिष्ठ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का पदोन्नतियों को नियमित करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेसन द्वारा खुला पत्र

1380. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री 20 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ ऐसोसियेशन द्वारा जारी किया गया खुला पत्र इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित मामले पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) खुले पत्र में, संघ ने कहा है कि (i) फायरमैनों की वर्दी, (ii) रात्रि कार्य भत्ता के बकाया और (iii) वर्गीकरण में परिवर्तन के संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेश पश्चिम रेलवे पर क्रियान्वित नहीं हुए हैं । जहाँ तक (i) का संबंध है, रेल प्रशासन द्वारा वर्दियों की खरीद और सप्लाई के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है । जहाँ तक (ii) का संबंध है, रेल प्रसाशन द्वारा बकाया के भुगतान के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और अगले 3 महीने में उसके पूरी हो जाने की संभावना है । जहाँ तक (iii) का संबंध है, नियमों के अन्तर्गत लोको

रनिंग कर्मचारियों को सामान्यतः निरन्तर कोटि में रखा जाता है। इसलिए अभी उनके वर्गीकरण के ग्रेड को बढ़ाकर 'गहन' कोटि में करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी रेल श्रम अधिकरण 1969 द्वारा नियमों की समीक्षा की जा रही है।

संघ ने लोको रनिंग कर्मचारियों को रनिंग भत्ता के बकाया के भुगतान में देरी होने का मामला भी उठाया है लेकिन देरी के कोई विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं है।

जयपुर डिवीजन के (पश्चिम रेलवे) के 'सी' ग्रेड ड्राइवरों की पदोन्नति

1381. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के 'सी' ग्रेड ड्राइवरों की वरिष्ठता के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4698 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पदोन्नति के लिये ऐसे कर्मचारियों की कमी है;

(ग) क्या स्वयं रेलवे की भूल के कारण इन पदधारियों की वरीयता के संबंध में क्षति-पूर्त्ति करने का रेलवे का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो वरीयता के नियमन और इन कर्मचारियों को उचित संरक्षण देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है;

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत-श्रीलंका दीर्घावधि का आर्थिक सहयोग

1382. **श्री जे० बी० पटनायक** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के दीर्घ अवधि आर्थिक सहयोग के बारे में सितम्बर, 1971 में चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो चर्चा की मूल बातें क्या थीं; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) वार्ताएँ अन्य बातों के अतिरिक्त, इन विषयों से संबंधित थीं : आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना, दोनों देशों के बीच व्यापार का विस्तार, औद्योगिक सहयोग, विभिन्न क्षेत्रों में श्रीलंका की तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु सुविधाएँ, पर्यटन का विस्तार, श्रीलंका को ऋण का विस्तार आदि।

(ग) (1) अतिरिक्त ऋण के लिए वार्ताओं को अंतिम रूप देने हेतु श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल के शीघ्र भारत आने की संभावना है;

(2) श्रीलंका में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के विचार से व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए शीघ्र ही श्रीलंका को सलाहकारों का एक दल भेजा जायेगा।

(3) आर्थिक तथा औद्योगिक मामलों पर नियमित रूप से समय-समय पर परामर्श करने के लिए शीघ्र ही एक स्थायी उप समिति भी स्थापित की जायेगी।

नागार्जुन सागर बाँध के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए 'पम्प-स्टोरेज' योजना

1383. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर बाँध के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए 'पम्प-स्टोरेज' योजना तैयार की है; और

(ख) क्या आगामी वर्षों में राज्य में बिजली की कमी की आशंका को देखते हुए इस प्रस्ताव पर शीघ्र मंजूरी दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). जी, हाँ। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागार्जुन सागर बाँध पर स्थित विद्युत केन्द्र में 50–50 मेगावाट के दो प्रतिवर्ती पम्प टर्बाइन सैटों के प्रतिष्ठापनार्थ जून, 1969 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परियोजना में कुछ ऐसी विशेषताएं शामिल थीं जिनसे यह पता चलता है कि केन्द्र का इस्तैमाल बाढ़ के मौसम में परम्परागत विद्युत-उत्पादन के लिए किया जाएगा।

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे वर्ष पूर्णतया पम्पड संचय स्कीम के रूप में प्रचलित नागार्जुन सागर स्थित पम्पड संचय केन्द्र के लिए मार्च, 1971 में एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रस्ताव की स्वीकृति शीघ्र ही दी जा रही है।

श्रीलंका को प्याज का निर्यात पुनः आरम्भ करना

1384. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका को प्याज का निर्यात पुनः आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) इस व्यापार को पक्के और विकासोन्मुख आधार पर लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). श्रीलंका को प्याज के निर्यात पर कोई रोक नहीं है तथा प्याज के आयात का पुनः आरम्भ किया जाना उस देश पर निर्भर करता है।

काटपाडि से तिरुपति (दक्षिण रेलवे) तक के लिए बड़ी लाईन

1385. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेज-परिवर्तन की व्यापक योजना में दक्षिण रेलवे खण्ड में काटपाडि स्टेशन और तिरुपति स्टेशन के बीच समानान्तर बड़ी लाईन बिछाने का प्रस्ताव शामिल है; और

(ख) क्या ऐसा करने से बम्बई-बंगलौर और बम्बई-मंगलौर, कोचीन के बीच की दूरी 2 करोड़ रुपये की अपेक्षाकृत छोटी रकम खर्च करके कम नहीं हो जायेगी जिससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये की बचत होगी ?

रल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) चूँकि काटपाडि और तिरुपति के बीच की समानान्तर बड़ी लाईन की गमन-दूरी लगभग उतनी ही होगी जितनी अरकोनम के रास्ते जाने वाली बड़े आमान की वर्तमान लाइन से है, इसलिए यातायात और वित्तीय दृष्टि से यह प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं है ।

चौथी योजना में रेलवे के लिए की गई कटौती की बहाली

1386. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग को चौथी योजना में रेलवे के लिये की गई कटौती बहाल करने के लिये राजी कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कटौती से प्रभावित विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता लेने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) वे विकास परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जो इसके परिणामस्वरूप प्रभावित हुई हैं या जिन्हें रद्द कर देना होगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) योजना आयोग से 125 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धन-राशि की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इन विकास परियोजनाओं में कुछ आमान परिवर्तन, नयी लाइनों के निर्माण, लाइन क्षमता के काम और चल-स्टाक की कुछ मदें शामिल हैं ।

कृषि प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिल तैयार करने की समान प्रणाली

1387. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों को भू-राजस्व के साथ बिजली प्रभार की वसूली की व्यवस्था करके राज्यों को राजी करने का है जो फसल-अधीन भूमि के प्रति एकड़ के आधार पर कृषि प्रयोजनों के लिए दी गई बिजली के लिए बिल तैयार करने की समान प्रणाली अपनाएं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कम से कम ऊँचाई पर स्थित खुश्क भूमि के लिए, जहाँ पूरे वर्ष गहरी खुदाई से सिंचाई होती है, हस्तक्षेप करके वर्तमान शुल्क (लेवी) का पुनरीक्षण करने अथवा इसमें अर्थ सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) खेती के पम्प के कार्य के लिए विद्युत की खपत न सिर्फ सिंचाई के क्षेत्र पर बल्कि जल के उत्थान पर भी, जो अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है, निर्भर करती है। इसलिए अगर विद्युत-शुल्कों का निर्धारण सिर्फ एकड़ों की मात्रा के आधार पर किया जाए, तो इसके परिणामस्वरूप एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच भेद-भाव होगा। इसलिए फसली भूमि के एकड़ों के आधार पर विद्युत के बिल तैयार करने की समरूप प्रणाली व्यवहार्य नहीं है। विद्युत-शुल्कों और भूमि-राजस्व की वसूली अलग-अलग अधिकारियों द्वारा की जाती है, इसलिए भूमि राजस्व की वसूली के साथ-साथ विद्युत-शुल्कों की वसूली की व्यवस्था व्यवहार्य नहीं है।

(ख) कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य विद्युत बोर्डों ने खेती के प्रयोजनों से प्रोत्साहक शुल्क-दरें लागू की हैं। खेती के प्रयोजनों के लिए विद्युत की दरों में कमी करने का केन्द्र का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपड़े के निर्यात में कमी

1388. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के पहले नौ मास में सूती कपड़े के निर्यात संबंधी आँकड़े क्या हैं; और गत दो वर्षों में इसी अवधि के लिए आँकड़े क्या हैं;

(ख) यदि इस वर्ष निर्यात में कमी हुई है तो मिल-कपड़े, सूत, तैयार सूती वस्त्रों और बुने वस्त्रों की मात्रा और मूल्य संबंधी और आँकड़े क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मूल्य लाख रुपये में

मात्रा: मिल निर्मित थान का सूती कपड़ा लाख वर्ग मीटर में सूत की मात्रा लाख किग्रा० में

अवधि	मिल निर्मित थान का सूती कपड़ा		सूत		सूती परिधान	सूती हौजरी	अन्य सूती माल	योग
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य	मूल्य	मूल्य	
जनवरी/सितम्बर, 1971 (प्राक्कलित)	2917·0	4874·1	81·4	831·6	708·5	8·7	1206·9	7629·8
जनवरी/सितम्बर, 1970	2914·6	4606·3	247·0	2217·2	494·8	15·0	1098·7	8432·0
जनवरी/सितम्बर, 1969	3019·8	4576·4	258·3	1818·0	338·1	16·4	1023·3	7772·2

स्वदेशी रुई की अपर्याप्त उपलब्धता और ऊँची कीमतों तथा इसके साथ-साथ कपड़ा उद्योग में आधुनिकीकरण की कमी के कारण परिवर्तन की ऊँची लागत का विदेशी बाजारों में भारतीय सूती वस्त्रों की प्रतियोगी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

2. निर्यातों को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाये गए हैं, उनमें ये शामिल हैं :

(1) रुई की भारी मात्रा के आयात का प्रबंध करना ।

(2) पुख्ता क्रयादेशों के आधार पर निर्यातक मिलों के लिए विदेशी रुई का आबंटन ।

(3) निर्यातक मिलों के लिए रुई की भंडार सीमाएँ शिथिल कर दी गई हैं ।

(4) अपने उत्पादन के 20 प्रतिशत भाग का निर्यात करने वाली मिलों को जटिल सूती वस्त्र मशीनों के आयात की, जो भारत में नहीं बनती है, अनुमति दी गई है ।

लौह अयस्क का मूल्य निर्धारण

1389. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को खान तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा दिये जाने वाले लौह अयस्क के मूल्य निर्धारण के आधार में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वह परिवर्तन क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लौह अयस्क के निर्यात में खान तथा खनिज व्यापार निगम की लाभ कमाने की क्षमता पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा बैलेडिला अयस्क के क्रय के संबंध में हाल में परिशोधित कीमत फार्मूले पर दोनों निगमों के बीच सिद्धान्त रूप में एक समझौता हो गया है। इस फार्मूले के अनुसार खनिज तथा धातु व्यापार निगम अब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से एफ० ओ० बी० टी० आधार, जैसा कि अभी तक था, के बदले लदान स्थान पर रेल पर कीमत के आधार पर बैलेडिला अयस्क खरीदेगा। इस परिवर्तन को लागू करने के ब्यौरों को तैयार किया जा रहा है। इस परिवर्तन को इसलिए आवश्यक समझा गया है, ताकि बैलेडिला अयस्क की बिक्री पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को प्राप्त राशि को खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विदेशों में बिक्री से प्राप्त राशि से असंबद्ध किया जा सके।

(ग) इन सौदों के फलस्वरूप होने वाले लाभ या अन्यथा के संबंध में बताना लोक हित में नहीं होगा।

महाराष्ट्र के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ

1390. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार से कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें प्राप्त हुई और उनकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है; और

(ग) बाकी को मंजूरी ने देने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने 3363 ग्रामों के विद्युतीकरण और 50374 पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए, जिसमें ग्रेटर बम्बई को छोड़ कर राज्य के सभी जिले आ जाते हैं, चौथी योजना में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूरी के लिए 31 ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की हैं। निगम ने 13 स्कीमों के लिए, जिससे चन्द्रपुर, यवतमाल, कोल्हापुर, जलगाँव, औरंगाबाद, सतारा, भीर, धुलिया, पूना, नागपुर, और नंदेड जिलों में 1314 ग्रामों के विद्युतीकरण और 18600 पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है, 866 लाख रुपये की ऋण सहायता की मंजूरी दी है। चन्द्रपुर जिले से संबंधित एक स्कीम की ग्राम-विद्युतीकरण निगम में जाँच की जा रही है। शेष 17 स्कीमों को भारों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर संशोधन और व्ययों चरणों के पुनः निर्धारण के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को भेज दिया गया है।

कुर्डूवाडी-पंढरपुर सैक्शन (दक्षिण मध्य रेलवे) को बड़ी लाइन में बदलना

1391. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्डूवाडी-पंढरपुर छोटी लाइन सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये सर्वेक्षण पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा और कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस आमान परिवर्तन से जिस पर अनुमानित लागत के रूप में 4·25 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश होगा, कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा । फिर भी अभी इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेलवे बोर्ड द्वारा जाँच की जा रही है । सभी दृष्टि से जाँच पूरी हो जाने पर ही, इस खण्ड के आमान परिवर्तन के संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

उड़ीसा में हाल के तूफान के कारण क्षतिग्रस्त रेल मार्ग की मरम्मत

1392. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के तूफान के कारण उड़ीसा में रेल मार्ग और सम्पत्ति की हुई क्षति की पूरी-पूरी मरम्मत कर दी गई है; और

(ख) कितनी क्षति हुई है और रेलवे की अनुमानत: कितनी हानि हुई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) खड़गपुर मण्डल के कांथी रोड-नीलगिरि रोड खण्ड में रेलवे लाइन के किनारे की जमीन धँस गयी । दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा मण्डल में भद्रख-कटक खण्ड पर टेलीग्राफ और टेलीफोन संचार व्यवस्था, सिगनलों, विद्युत संस्थापनों और रेलवे की इमारतों की छतों को क्षति पहुँची । लगभग 6 लाख रुपये की कुल हानि होने का अनुमान है ।

Use of Hindi in Southern Railway

1393. SHRI RAM CHANDER VIKAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Hindi is being neglected in the Southern Railway and as a result thereof Hindi nomenclature is not used on railway tickets, railway station and coaches along with the regional language; and

(b) if so, the time by which the Hindi nomenclature will be introduced there ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) No.

(b) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

टाइम्स आफ इंडिया के कार्यालय पर कब्जा

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"The reported attack by 500 followers of Divine Light Mission on the office of the Times of India, New Delhi, on the 18th November, 1971 resulting in heavy damage to property, death of one constable and serious injuries to many others."

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्दगाँव) : मैंने भी एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि इस संबंध में समुचित जाँच की जाये । उसका क्या बना ?

अध्यक्ष महोदय : उस बारे में सभा में आप कुछ न पूछें ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : 18 नवम्बर को डिवाइन लाइट मिशन के लगभग 500 अनुयायियों ने नई दिल्ली स्थित टाइम्स आफ इंडिया के भवन के बाहर एक प्रदर्शन किया । प्रदर्शनकारियों ने उनके मिशन के प्रधान के बारे में 11 नवम्बर को "नवभारत टाइम्स" में एक तथाकथित गलत समाचार के प्रकाशन पर रोष प्रकट किया । यद्यपि समाचार पत्र ने 13 तारीख को मिशन की ओर से एक स्पष्टीकरण भी प्रकाशित कर दिया था । जब प्रदर्शनकारी भवन के सम्मुख जमा हुए तो समाचार-पत्र के सम्पादकीय कर्मचारियों में से एक उनके प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सहमत हुआ । तथापि प्रदर्शनकारी अचानक उपद्रव पर उतारू हो गये और उन्होंने भवन पर तथा उन पुलिस कर्मचारियों पर पत्थर फैंकना प्रारम्भ कर दिया जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के भवन में प्रवेश को रोकने की कोशिश की थी । उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु-गैस का प्रयोग करना पड़ा । इन घटनाओं के दौरान 9 पुलिस कर्मचारी और "टाइम्स आफ इंडिया" प्रेस के 5 कर्मचारी घायल हुए । घायल पुलिस कर्मचारियों में से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक कांस्टेबल की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई । भवन को भी कुछ क्षति पहुँची और कुछ प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आईं। इन घटनाओं के बारे में एक मामला दर्ज कर लिया गया है और विधि अनुसार उसकी जाँच की जा रही है । घटनास्थल पर 17 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था । मृत कांस्टेबल के परिवार के लिए सहायता हेतु 2500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

SHRI SHASHI BHUSHAN : Whenever Balyogi Shri Hansa comes to Delhi lakhs of people throng to see him. Five years ago his age was said to be 13 years old and to-day also his age is said to be 13 years. Recently he brought a plane load of people from America. It is not known as to who paid for the 'Jumbo' Jet used for the purpose. It is claimed by the Balyogi that he is the incarnation of God. His father also used to claim that he was incarnation of God.

Some days ago, his followers attacked the office of "Nav Bharat Times" and in the incidents that followed one constable, Shri Mohammed Latif was killed. The amount of compensation paid to his family by the Government is not adequate. Government should also help the chowkidar who is seriously wounded. In this connection I would submit that a C.B.I. investigation should be conducted into the financial resources of the Divine Light Mission. It should also be inquired as to whether it is financed hy the C.I.A. of America.

SHRI K. C. PANT : The Government would consider the suggestion about inquiry.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAI (Gwalior) : Violent demonstration against a Newspaper is a danger signal for democracy and this tendency should be discouraged. The hon. Minister has not thrown any light on why the Police and Administration failed to disperse the mob, before they became violent ? Police had prior information about the demonstration. The Duty Magistrate was also present on the spot. Prior to this demonstration, there had been a scuffle between certain office-bearers of the Divine Light Mission and journalists of Nav Bharat Times. With this background in mind, why did the police not stop the demonstrators from reaching the office of Nav Bharat Times ? Police could have stopped them at Bahadurshah Zafar Marg. But that was not done and they were allowed to proceed to the Times of India Building. After converging there, the demonstrators were incited to violence in the presence of Police. What the Minister has to say about all this ? Is it due to the fact that high officials have connections with this Mission ? How the Mission was permitted to hold a meeting near India Gate ? Is it a fact that this Mission had supported the ruling party during Elections and that is why they were permitted to hold a meeting at India Gate last year which has never been done in other cases ? I would like the Minister to contradict it. If high officials keep connections with such organisations, lower level people cannot be expected to carry out their duties.

Shri Pant belongs to Kumaon and this Balyogeshwar comes from Garhwal which is a nearby area. He should use his influence and prevail upon the members of the Mission to offer apology for attack on the office of Nav Bharat Times.

Ours is a free society. Everybody is free to make claims and counter claims. The press should have liberty to express its views.

As a result of these incidents a Police constable has been killed. The hon. Minister should try to find out from the post mortem report how the death of the constable has been caused ? The hon. Minister should also enquire why the Police and Magistrate failed to act ?

SHRI K.C. PANT : The Government also subscribes to the view that the press should express its views fearlessly and that there should be freedom of speech to the extent one does not take the law into one's hands. Right to demonstrate is also a basic right. They had informed the police and Magistrate that they would hold a peaceful demonstration. The chain of events that happened there make us believe that there had not been any dereliction of duty on the part of Police and Magistrate on Duty. The Government has no information about the connection of high officials with this Mission. The Mission had sought permission to hold their session at India Gate but it was refused.

The hon. Member has more connections with religious organisations than myself and he can use his influence more effectively than me and induce the organisation to express regrets, though Government has to take its own course and act. I can only say that action would be taken against those who break the law.

I would examine the post mortem report about the death of police constable and find out the cause of death.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : माननीय मंत्री ने बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट और डी० एस० पी० सहित पुलिस दल प्रारंभ से ही घटना स्थल पर मौजूद था। यह स्पष्ट है कि यह प्रदर्शन काफी लम्बे समय तक चलता रहा और स्थिति पहले से बिगड़ने लगी। इससे प्रदर्शनकारियों के अभिप्राय स्पष्ट होते थे। परन्तु इस बात पर आश्चर्य होता है कि स्थिति को बिगड़ती देखकर भी इतने उच्च पुलिस अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होते हुए भी इन घटनाओं को घटित होने से रोकने में असफल रहे। माननीय मंत्री ने इस विषय के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने अपना कर्त्तव्य ठीक से नहीं निभाया अतः इस बात की जाँच होनी चाहिए।

क्या यह भी सत्य है कि इस मिशन के एक प्रमुख नेता श्री टंडन घटना-स्थल पर उपस्थित थे और वह भीड़ को भड़काने वालों में अग्रणी थे। वह भीड़ को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। क्या श्री टंडन को भी गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

क्या यह मिशन एक पंजीकृत संस्था है ? यदि यह पंजीकृत संस्था है तो यह अपने वार्षिक लेखे भी अवश्य सरकार को प्रस्तुत करती होगी। अतः जिस रूप में इस मिशन द्वारा धन का व्यय किया जाता है उसको देखते हुए क्या मिशन की आय के स्रोत की जाँच की गई है अथवा करने का विचार है ?

जिस समय यह बालयोगेश्वर महोदय 7 नवम्बर को विदेश से पालम हवाई अड्डे पर उतरे तो वहाँ पर उन्हें वह सुविधाएँ दी गईं जो साधारणतया अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती हैं। इसकी भी जाँच की जाए।

मिशन के वार्षिक लेखों की जाँच से इस बात का भी पता चल सकता है कि इसे कहीं विदेशी स्रोतों से तो धन नहीं प्राप्त होता। कहीं ऐसा न हो कि देश की एकता के विरुद्ध कठिनाइयाँ उत्पन्न करने के विचार से विदेशी स्रोतों द्वारा इस मिशन को धन दिया जा रहा हो।

यह ठीक है कि जब तक कानून का उल्लंघन न हो तब तक किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। परन्तु सरकार इस बात पर विचार करे कि इस प्रकार अपने आपको भगवान का अवतार होने का दावा करना क्या हमारे धर्म निरपेक्ष समाज के अनुरूप है ? कोई भी भगवान का अवतार होने का दावा कर सकता है परन्तु उस दावे को स्वीकार न करने वालों के विरुद्ध यदि हिंसा को सहन किया गया तो यदि हम उनके विरुद्ध कहेंगे तो कल को इस सदन पर भी आक्रमण किया जा सकता है। सदन को यह भी बताया जाये कि इस वर्तमान सरकार के कितने सदस्य इस मिशन के शिष्य व भक्त हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरी सूचना के अनुसार सरकार का कोई भी सदस्य इस मिशन का सदस्य नहीं है।

घटनाओं के ब्यौरे में मैंने बताया है कि पुलिस अधिकारियों और एस० डी० एम० ने श्री आर० सी० जैन, सम्पादक को इस बात के लिए मनाया कि सहायक सम्पादक श्री विद्यालंकार

प्रदर्शनकारियों से मिलें। तथापि प्रदर्शनकारी चाहते थे कि सम्पादक स्वयं बाहर आकर उनसे मिलें। उसी बीच लोगों को हिंसा के प्रति भड़काया गया। अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि हिंसा का रास्ता न पकड़ कर वह शांति से तितर-बितर हो जायें। परन्तु भीड़ ने पुलिस के घेरे को तोड़ने और भवन तथा पुलिस पर पथराव की कोशिश की। तब पुलिस ने अश्रुगैस का प्रयोग किया। यह सब घटनाक्रम है शांतिपूर्ण ढंग से समस्या को सुलझाने के प्रयास किये गये और उन प्रयासों की हमें निन्दा नहीं करनी चाहिए।

प्रदर्शनकारियों का बाद का व्यवहार बहुत ही अनुचित है; उसे माफ नहीं किया जा सकता इस सबके लिए 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें श्री टंडन भी सम्मिलित थे। बाद में इनको जमानत पर रिहा किया गया। परन्तु कांस्टेबल की मृत्यु के पश्चात् उन्हें फिर से गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। मिशन एक पंजीकृत संस्था है इसके लेखों की जाँच के सुझाव पर सरकार विचार करेगी। विदेशी धन के प्रवेश की दृष्टि से भी उनके लेखों की जाँच की जायेगी।

जहाँ तक भगवान के अवतार का दावा और उसको मानने न मानने की बात है, वह सबका अपना मत है। यदि कोई इस बात को नहीं मानता तो उसके विरुद्ध हिंसा का प्रयोग गलत है।

श्री एच० एम० पटेल : यदि प्रदर्शनकारियों का हिंसा के प्रति दृष्टिकोण हम समझ जाते तो स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता था। यह कैसे कहा जा रहा है कि पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त थी और उसने सही तरीके से कार्य किया ? मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि हस्तक्षेप करने का निर्णय घटना-स्थल पर उपस्थित मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया जाना चाहिए। परन्तु उन्होंने वस्तुस्थिति को समय पर नहीं समझा। मजिस्ट्रेट और पुलिस इस बात को जानते थे कि बालयोगी जी का प्रभाव जनता पर बहुत है। पालम हवाई अड्डे पर बालयोगी जी के स्वागत में आई बड़ी संख्या में भीड़ इसका प्रतीक है जहाँ हवाई अड्डे में जाने वाले यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। इस अनुभव को देखते हुए भी मंत्री महोदय का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से करने का आश्वासन दिया था। मजिस्ट्रेट और पुलिस को यह जानना चाहिए था कि भीड़ कब अपना संतुलन खो बैठेगी।

देश में आज अराजकता फैल रही है। विद्यार्थी उपकुलपतियों का घेराव कर रहे हैं तो श्रमिक मालिकों का घेराव कर रहे हैं। घेराव करना सामान्य बात समझी जाने लगी है। जनता कानून को अपने हाथ में ले लेती है। जन्तर-मन्तर की घटना इसका उदाहरण है। मंत्री महोदय को इन सब बातों की निन्दा करनी चाहिए थी। देश में आज इसी कारण से अराजकता फैल रही है।

इस मामले में जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है, गंभीर जाँच-पड़ताल की आवश्यकता है, क्या मजिस्ट्रेट द्वारा अश्रुगैस छोड़ने का आदेश भीड़ के पुलिस पर घातक आक्रमण करने से पूर्व नहीं दिया जा सकता था ? यदि अश्रुगैस पहले ही छोड़ दी जाती तो भीड़ तितर-बितर हो सकती थी और यह काण्ड घटित न होता। मंत्री महोदय ने सभा को इस काण्ड से संबंधित

तथ्य नहीं बताये हैं। यदि उनके पास सूचना नहीं है तो वे इसके लिए समय माँग सकते थे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या पुलिस पुलिसमैनों पर तथा टाइम्स ऑफ इंण्डिया के भवन पर होने वाले आक्रमण को रोक सकती थी, या नहीं? क्या घटना स्थल पर पुलिस पर्याप्त संख्या में थी? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मेरे विचार में माननीय सदस्य श्री एच० एम० पटेल ने मेरे पर दोषारोपण गलत किया है। मैं आमतौर पर ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर संक्षिप्त में देता हूँ और यह मूल्य तथ्य से संबंधित होता है, मुझे पालम हवाई अड्डे में हुई अव्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना-स्थल पर उपस्थित मजिट्रेट और पुलिस ने पर्याप्त व्यवस्था की हुई थी। माननीय सदस्य ने जाँच कार्यवाही के बारे में कहा है जो कि कानून के अनुसार की जायेगी।

इन सब बातों की जाँच की जायेगी कि अश्रुगैस छोड़ने का आदेश कब दिया गया था और क्या वहाँ उपस्थित पुलिस अन्य पुलिसमैनों पर होने वाले आक्रमण को रोक सकती थी। इस सभा में पुलिस के बारे में आमतौर पर यह आलोचना की जाती है कि उसने पर्याप्त संयम नहीं बरता है। यदि सभा यह आश्वासन दे कि सरकार और पुलिस की इस कारण से आलोचना नहीं की जायेगी तो मैं इस घटना से सबक ले सकता हूँ। परन्तु आमतौर पर पुलिस की आलोचना की जाती है कि उसने संयम नहीं बरता है, इस घटना में उन्होंने संयम बरता था और अब उन्हीं की आलोचना की जा रही है।

SHRI ISHAQ SAMBHALI (Amroha) : It is wrong. The House has always demanded stern action against such persons who commit breach of peace.

श्री एच० एम० पटेल : मैंने इस बारे में जाँच कार्यवाही की माँग की थी। पुलिस द्वारा केवल मामला दर्ज कर लेने से ही वस्तुस्थिति के बारे में तथ्य प्रकाश में नहीं आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इन सबका उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य को जो कहना था, वह उन्होंने कह दिया है।

SHRI M. C. DAGA (Pali) : May I know whether the Government would tolerate collection of funds by so called spiritual organisations and selfish persons for their personal ends ? May I know whether the Government have tried to investigate as to whether Balyogeshwar had asked Shri Akshaya Kumar ji and Hari Datt Sharma to come down for ten minutes and whether Balyogeshwar Maharaj has been apprehended or not ? Has any investigation been made ?

I also want to know that when the case was registered under Section 302, who were arrested for murdering the constable ? When these people demonstrated and Section 147 was enforced, why did the police not take any action, particularly when inflammatory speeches were made ? Not only the persons who have faith in such demonstrations of religious things are guilty, but is also a blot on the fair name of the country where newspapers and its offices are attacked in this way.

I do not think that the Police took a prompt action. They have not tried to find out the source of their income and they have not stated the names of those persons against whom

cases were registered under Section 302. Enquiry regarding the antecedents of Shri Tandon who is the secretary of this organisation should be made. You will have to accept that the police was ineffective otherwise this incident would not have taken place.

SHRI K. C. PANT : I have replied to all the questions. Regarding the source of income the Government can look into the matter and point out if it violated any provisions of law.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के यात्रा भत्ते (संशोधन) नियम

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यात्रा भत्ते (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1539 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1075/71.]**

दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, पूंजी निर्गम (सहमति के लिए आवेदन पत्र) (संशोधन) नियम आदि

वित्त मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं,

(1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुन: सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिल्ली,राजपत्र,दिनांक 18 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ 4 (97)/69 फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—893/71.]**

(2) सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

(क) पूँजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, पूँजी निर्गम (सहमति के लिये आवेदन-पत्र) (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5181 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1076/71.]**

(ख) बैंककारी कम्पनियाँ (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति :—

(एक) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दो) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैंक आफ इंडिया के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तीन) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चार) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बैंक आफ बड़ौदा के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(पाँच) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यूनाईटेड कमर्शियल बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(छः) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये कनारा बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रति-वेदन ।

(सात) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये देना बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रति-वेदन ।

(आठ) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(नौ) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये सिंडिकेट बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(दस) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

(ग्यारह) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(बारह) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इंडियन बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(तेरह) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये बैंक आफ महाराष्ट्र के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

(चौदह) 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के कार्य तथा गतिविधियों के संबंध में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1077/71.**]

'77' के दल की लीमा बैठक संबंधी विवरण आदि

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं '77' के दल की लीमा बैठक संबंधी एक विवरण और लीमा के कार्य सम्बन्धी घोषणा, सिद्धांतों और कार्यक्रम की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1078/71.)**

पटसन (अनुज्ञप्ति और नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम

श्री एल० एन० मिश्र : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पटसन (अनुज्ञप्ति और नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5001 में प्रकाशित हुआ था । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1079/71.)**

(2) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) धनिये का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2908 में प्रकाशित हुए थे । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1080/71.)**

(दो) बड़ी सौंफ, मेथी और अजवाइन के बीजों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3601 क में प्रकाशित हुए थे। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1081/71.**)

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड का वार्षिक लेखा

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित, विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के वर्ष 1969-70 के लिए वार्षिक लेखे की एक प्रति और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1082/71.**)

(2) उपर्युक्त लेखे संसद् के समक्ष रखने और उनका हिन्दी संस्करण न रखने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—1083/71.**)

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 17 नवम्बर, 1971 को अपनी बैठक में उत्तर प्रदेश छावनियाँ (किराये का नियंत्रण तथा बेदखली) (निरसन) विधेयक, 1971, पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा ने 17 नवम्बर, 1971 को अपनी बैठक में आयुध (संशोधन) विधेयक, 1971 पास किया है।

राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विधेयक सभा पटल पर रखे गये

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

सचिव : मैं निम्नलिखित विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) उत्तर प्रदेश छावनियाँ (किराये का नियंत्रण तथा बेदखली) (निरसन) विधेयक, 1971 ।

(दो) आयुध (संशोधन) विधेयक, 1971 ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

24 वां प्रतिवेदन

श्री सेज्ञियान : खाद्य तथा कृषि विभागों संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1969 के सम्बन्ध में समिति के 109 वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का चौबीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

स्टाम्प और उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक

STAMP AND EXCISE DUTIES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 और संघीय उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 और संघीय उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ । बंगला देश के शरणार्थियों के नाम पर जनता को छला जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

समाचार-पत्रों और अन्य मुद्रित पत्र-पत्रिकाओं पर दो पैसे का कर लगाया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि उन समाचर-पत्रों को जिनकी 15,000 से 20,000 प्रतियाँ बिकती हैं, इसकी परिधि में नहीं लिया जायेगा । यह सभी समाचार-पत्रों पर लागू किया गया है। आनन्द बजार पत्रिका ने अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि के नाम पर पाँच पैसे प्रति समाचार-पत्र बढ़ा दिया है जो कि नये कर, दो पैसे के अतिरिक्त है। इस प्रकार आज समाचार-पत्र 28 पैसे का मिलता है। समाचार-पत्र के मालिकों पर कर लगाया जाना चाहिए, उपभोक्ता को यह कर, क्यों देना पड़ रहा है ? हम चाहते हैं कि समाचार-पत्रों की अधिक से अधिक प्रतियाँ जनता में बिकें। आज देश में तनाव है और समाचार-पत्रों के मालिक स्थिति का लाभ उठाकर तथा इस अध्यादेश के आधार पर समाचार-पत्रों का मूल्य बढ़ा रहे हैं।

जबकि राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों से परामर्श लिया जाता है, संसद की ऐसे मामलों में उपेक्षा की जाती है। संसद का अधिदेशन शीघ्र होने जा रहा था और इस प्रकार का कार्य मंत्रियों के आचरण के अनुकूल नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं सिद्धान्ततः इस विधेयक का विरोध करता हूँ। इस प्रकार का धन-विधेयक संसद अथवा राज्य विधान सभाओं के परामर्श के बिना अध्यादेश द्वारा लागू कर दिया गया है और यह इस प्रकार से किया जा रहा है जो संसद के लिए अपमानजनक है। मेरे विचार में मंत्री महोदय का यह कहना जले पर नमक छिड़कने के समान है कि यह केवल संयोग मात्र है कि नये कर संसद के अधिवेशन आरम्भ होने की तिथि से लागू किये जा रहे हैं।

रेल के किराये और अंतर्देशीय विमान सेवा के किराये में वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि क्योंकि स्थान पहले से आरक्षित किये जाते हैं इसलिए धन इकट्ठा करने के लिए पहले से ऐसा करना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूँ कि समाचार-पत्रों के साथ ऐसी क्या बात थी इस मामले में ऐसी क्या बात थी कि संसद के समवेत होने तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी ? यह कर ज्ञान पर लगाया गया है और इसके लाभजनक परिणाम नहीं निकलेंगे। समाचार-पत्रों के परिचालन में बड़ा भारी अन्तर आ जायेगा। गरीब जनता जो मुश्किल से अपना गुजारा चलाती है, इसे पढ़ना छोड़ देगी, जिससे समाचार-पत्रों से प्राप्त होने वाली आय कम हो जायेगी।

विधेयक में ऐसा नहीं कहा गया है कि उन समाचार-पत्रों पर कर नहीं लगाया जायेगा जिनकी परिचालन संख्या 15,000 से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि उन सभी समाचार-पत्रों पर कर लगेगा जिनकी परिचालन संख्या 5,000 भी है और 50,000 भी। ऐसा करके छोटे समाचार-पत्रों के प्रति भेदभाव बरता गया है, इससे समाचार-पत्रों में भ्रष्टाचार फैलने का भय है।

ऐसे अन्य मामलों में जहाँ समाचार-पत्रों के मालिक अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने के लिए अपनी परिचालन संख्या अधिक दिखाते हैं और उसे चोर-बाजारी में बेचते हैं, सरकार ने इस प्रकार के काला धन को वसूल करने के लिए कुछ नहीं किया है। इस अध्यादेश के आधार पर कई समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि की गई है। देश की पढ़ने वाली जनता पर यह कर लगाया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से यह यहाँ लाया गया है, वह संसद और राज्य विधान सभाओं के प्रति उपेक्षा दर्शाता है।

जहाँ तक समाचार-पत्रों पर कर लगाने का संबंध है, हमारे देश में इनके पाठकों की संख्या बहुत कम है। कलकत्ता में इसका मूल्य 28 पैसे हो गया है जो बहुत से पाठकों की पहुँच के बाहर है। क्या सरकार का ध्येय यह है कि जनता समाचार-पत्रों का पढ़ना छोड़ दे, समाचार-पत्रों के मूल्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जनता के पास मंहगे समाचार-पत्र का मूल्य देने के लिए क्रय-शक्ति नहीं है। इस मामले में मुख्य मंत्री से सलाह ली गई थी परन्तु संसद और विधान सभाओं की उपेक्षा की गई। क्यों नहीं निगम क्षेत्र और अधिक आमदनी वाले व्यक्तियों पर कर लगाया गया है ? आयकर की बकाया धन राशि वसूल करके, तस्कर व्यापार रोक करके, अधिक तथा कम राशि के बीजक बनाने के कदाचार को समाप्त करके धन संग्रहित किया जा सकता है, जबकि जनता पहले ही आर्थिक बोझ से दबी हुई है। इस प्रकार का विधेयक लाना जले पर नमक छिड़कने के समान है।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं यह सुस्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि सरकार को ये अध्यादेश मजबूरी में लाने पड़े थे और उसका उदेश्य संसद की उपेक्षा करना न था। हम जानते थे कि संसद का अधिवेशन 15 नवम्बर से आरम्भ हो रहा था परन्तु इसके लिए तैयारी करने का समय चाहिए था। रेलवे किराए के अध्यादेश के बारे में मैंने कहा था कि इसकी तैयारी के लिए समय की आवश्यकता थी। संयोगवश इसकी घोषणा 12 नवम्बर, को की गई। जब 15 नवम्बर से इसको लागू किया गया तो संसद की उपेक्षा करने का कोई मन्तव्य नहीं था। हम अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहते। अध्यादेश बहुत ही आवश्यकता पड़ने पर लाया जाता है।

समाचार-पत्रों पर दो पैसे का कर लगाया गया है। यह निर्णय काफी सोच विचार कर लिया गया है, मैं यह यह बतादूँ कि इससे लगभग 90 प्रतिशत समाचार-पत्र प्रभावित नहीं होंगे। छोटे समाचार-पत्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन समाचार-पत्रों की परिचालन संख्या 15,000 से ऊपर है, उन पर यह कर लगेगा, समाचार-पत्रों की लाइसेंस संबंधी औपचारिकताओं तथा अपनी प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों को दूर करने में अभ्यस्त होने के लिए कुछ समय चाहिए। यदि समाचार-पत्र प्रकाशित हो जाता और परिचालित नहीं होता तो उद्योग अस्त-व्यस्त हो जाता। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है।

जहाँ तक स्टाम्पों का प्रश्न है, लगभग 70 करोड़ स्टाम्प छापे जाने हैं। इसमें कुछ समय लगता है। नासिक प्रिंटिंग प्रेस ने, जिसको स्टाम्पों के मुद्रण का कार्य सौंपा गया था, विभिन्न मूल्यों की स्टाम्पों के मुद्रण के लिए अपनी मशीनरी निर्धारित कर दी थी, अत: अचानक यह संभव नहीं था कि इस प्रकार के स्टाम्पों के मुद्रण के लिए लिए उन सभी मशीनों का उपयोग किया जाये। इन सबके लिए समय चाहिए था।

इस उपाय को लागू करने में विलम्ब के कारण हमें प्रतिदिन डेढ़ लाख रुपये की हानि हो

रही है, जिसे हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ अध्यादेश को भी तुरंत लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्टाम्पों को देश भर में विभिन्न खजानों तथा उपखजानों में पहुँचाया जाना था। अन्यथा सभी वितरण बिगड़ जाता, क्योंकि स्टाम्पशुदा रसीद एक ऐसा साधन है, जिस पर शुल्क लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 और संघीय उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ
The lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में
Ayes	**Noes**
92	37

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT REGARDING ORDINANCE

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं स्टाम्प और उत्पादन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 71 (1) के अधीन अपेक्षित है।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Gwalior) : The Defence Minister made a statement in reply to a Call Attention Motion in the House on the 15th November. I am sorry to say that since then no statement has been made by the hon. Minister regarding the security of our borders in spite of the fact that Pakistani forces have been indulging in aggressive activities on our borders. Only yesterday Pakistani planes crossed into our territory 65 miles deep. Jawans and innocent civilians are being killed on the borders and there is a state of undeclared war in the country but Government did not take the House into confidence since long on this matter. I request you to direct the concerned Minister to make a statement in the House about the recent developments on the border areas of the country.

श्री समर गुह (कंटाई) : आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया था कि कल नादिया के आस-पास टैंकों से युद्ध किया गया है तथा पाँच पाकिस्तानी टैंकों को तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान रेडियो से भी यह समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं कि जैसोर क्षेत्र में टैंकों से युद्ध किया जा रहा है तथा पकड़े गये अधिकारियों की आवाज़ भी पाकिस्तानियों ने रिकार्ड

की है। इस विषय में मैंने ध्यान दिलाने वाली कई सूचनाएँ दी हैं। नित्य गोलाबारी के कारण सीमा क्षेत्र पर 100 शरणार्थी मारे गये हैं तथा कई हजार व्यक्ति घायल हो गये हैं। अत: मेरा निवेदन है कि इन घटनाओं के बारे में सदन को जानकारी दी जाये।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : यह सच नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में अघोषित-युद्ध चल रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, वह बंगाल देश की जनता तथा पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासकों के बीच हो रहा है। पाकिस्तान विश्व के देशों में यह प्रचार कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान में अघोषित युद्ध चल रहा है जिससे अन्य देश इस मामले में हस्तक्षेप करने लगें। माननीय सदस्य कृपया उनके इस प्रकार के प्रचार का विश्वास न करें। **(व्यवधान)**। मैं इस बात का खण्डन करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान में अघोषित युद्ध चल रहा है।

जहाँ तक घटनाओं की जानकारी का प्रश्न है हम देश की सीमा पर होने वाली गति-विधियों के बारे में संक्षिप्त समाचार देते रहते हैं। हमारी सेना वहाँ तैनात है। जब भी पाकिस्तानी सेना किसी प्रकार का उल्लंघन करती है तो जवाबी कार्यवाही की जाती है तथा उनकी सेना को वापस खदेड़ दिया जाता है।

बंगाल देश में हो रही घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है तथा जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना वहाँ घटेगी, संसद् को उसकी जानकारी दी जायेगी। प्रत्येक दिन वहाँ की छोटी-मोटी घटनाओं के बारे में सदन में वक्तव्य देना उचित नहीं होगा। अब मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ।

माननीय सदस्य का कहना है कि पाकिस्तानी विमान भारतीय क्षेत्र में 30 मील अन्दर घुस आये थे। वे केवल कुछ मील ही अन्दर आये थे तथा यह घटना कलकत्ता से 30 मील दूर की है।

लगभग 14·49 बजे चार सेबर जेट विमान भारतीय सीमा की ओर बढ़ते हुए नजर आये तथा चार नेट विमानों को उन्हें घेरने के लिए कहा गया। इनमें से तीन विमानों को मार गिराया गया तथा फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज मेहदी तथा फ्लाइंग आफीसर खलील अहमद हमारी हिरासत में हैं। हमारे नेट विमानों को कोई क्षति नहीं पहुँची तथा वे सुरक्षित वापस लौट आये। भारतीय वायु सेना के जिन विमान चालकों ने इन सेवर जेट विमानों को गिराया था, उनके नाम हैं फ्लाइंग लेफ्टिनेंट मैसे, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट एम० ए० गणपति और फ्लाइंग आफीसर लज़ेस्स।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : In spite of all these incidents it is ridiculous to say that there is no state of hostilities between India and Pakistan. (*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ जो कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करने के लिए नहीं है.....*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की गई।
Off the record.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूँ कि यहाँ कोई ऐसी बात न कही जाये जिससे पाकिस्तान के प्रचार को बल मिले ।

अध्यक्ष महोदय : अब मध्याह्न भोजन के पश्चात् हम तूफान से उड़ीसा में उत्पन्न स्थिति पर विचार करेंगे ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the Clock.)

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर पैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty-five minutes past fourtheen of the Clock.)

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKR *in the Chair*]

कलकत्ता में समाचार-पत्रों की सप्लाई के बारे में

RE. SUPPLY OF NEWSPAPERS IN CALCUTTA

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ । कलकत्ता में गत दस दिनों में समाचार-पत्रों की सप्लाई रुक जाने से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की सम्पूर्ण जनता को पूर्वी क्षेत्र में हो रही घटनाओं से अपरिचित रहना पड़ रहा है । इसके कारण वहाँ की नागरिक सुरक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः मेरा निवेदन है कि आप सरकार से इस विषय में एक वक्तव्य देने के लिये कहें ताकि उन क्षेत्रों में समाचार-पत्रों की सप्लाई सुनिश्चित कर दी जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार द्वारा समचार-पत्रों के विक्रेताओं तथा प्रबंधकों के बीच विवाद को शीघ्र हल किया जाना चाहिये । सीमावर्ती राज्यों में समाचार-पत्रों की सप्लाई को सुचारु रखा जाये जिससे जनता को घटनाओं का पता रहे ।

उड़ीसा में हाल के तूफान से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. SITUATION ARISING OUT OF RECENT CYCLONE IN ORISSA

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उड़ीसा में हाल के तूफान से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उड़ीसा में हाल के तूफान से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये ।"

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या । प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं अपना निम्नलिखित स्थानापन्न प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उड़ीसा में हाल के तूफान से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यह सभा तूफान में मरने वालों के साथ तथा इस विपत्ति की घड़ी में उड़ीसा की सारी जनता के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है ।"

****श्री मनोरंजन हाजरा** (आरामबाग) : महोदय पिछले 100 वर्षों से इतना भारी तूफान उड़ीसा में नहीं आया था । मैं अपने दल की ओर से उड़ीसा की जनता के प्रति गहन सहानुभूति व्यक्त करता हूँ।

हमें आशा थी कि सरकार वहाँ की संकट-ग्रस्त जनता की सहायता के लिये पूरे-पूरे प्रबन्ध करेगी । किन्तु खेद है कि सरकार ने इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही नहीं की । 'अमृत बाजार पत्रिका' के अनुसार इस दुःखद घटना में लगभग 25,000 व्यक्ति मारे गये हैं । 175 किलो-मीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से 15 फुट ऊँचे ज्वार से संहार का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है।

उड़ीसा सरकार इस विषम प्राकृतिक संकट का मुकाबला करने में असमर्थ थी तथा उसने केन्द्र सरकार से इसके लिये सहायता माँगी । यद्यपि राहत कार्यों के लिये सेना तैनात की गई किन्तु सफलता न मिली । राहत कार्यों की जहाँ अधिक आवश्यकता थी, वहाँ ऐसे कार्य न हो सके । अतः केन्द्र सरकार को अब इस दिशा में कार्य करना चाहिये । किन्तु खेद है कि इस स्थिति में सरकार की नीति ढुल-मुल है तथा राजनीतिक कारणों से राहत कार्य नहीं किये जा रहे हैं । उड़ीसा के सभी राजनीतिक दल एक होकर इस संकट का सामना कर रहे हैं किन्तु केन्द्र सरकार कहती है कि वे राजनीतिक चाल चल रहे हैं । आज ही समाचार-पत्रों में हमने पढ़ा है कि सत्ता-रूढ़ दल ने वहाँ एक समिति भेजने का निर्णय किया है जिसमें उन्हीं के दल के सदस्य होंगे, जो इस बात का पता लगाएगी कि क्या उड़ीसा के विभिन्न राजनीतिक दल राजनीतिक दाव-पेच चला रहे हैं अथवा एक होकर इस समस्या का हल करने में लगे हैं । इस कार्यवाही से सिद्ध होता है कि सत्तारूढ़ दल स्वयं राजनीतिक दाव-पेच खेल रहा है ।

केन्द्र सरकार उन्हीं सभी राज्यों में राजनीतिक कारणों से हस्तक्षेप कर रही है, जहाँ

**बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

**Summarised translated version based on English Translation of the speech delivered in Bengali.

काँग्रेस दल भी सरकारें नहीं हैं। उड़ीसा में भी यहीं किया जा रहा है। उड़ीसा में राहत कार्यों के लिये भेजे गये सैनिक अधिकारियों का कहना है कि समन्वय की कमी के कारण वहाँ प्रभावोत्पादक कार्यवाही नहीं की जा सकी है। यदि श्रीमती इंदिरा गाँधी ने वास्तव में गम्भीरता से राहत कार्य में रुचि ली होती तो मुझे ऐसा न कहना पड़ता।

मैं अपने दल की ओर से कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। पहला सुझाव यह है कि उड़ीसा के उन लोगों को, चाहे वे किसी भी दल के हों, जिन्होंने राहत कार्य आरम्भ किया है, वर्तमान रूप में ही कार्य करने दिया जाय। सरकार को उन्हें सब राहत सामग्री सप्लाई करनी चाहिये। गत दस वर्षों में उड़ीसा को भारी दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। इनके कारणों की जाँच की जानी चाहिये और उनको रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

उड़ीसा में बनों को नष्ट किया जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में बन लगाने चाहियें, जिससे दैवी विपत्ति को रोका जा सके। राज्य में बड़ी संख्या में रडार लगाये जाने चाहियें, जिससे मौसम संबंधी जानकारी देने वाले व्यक्ति जनता को आने वाले खतरे की पूर्व सूचना दे सकें। इससे जनता किसी सीमा तक खतरे से बच सकेगी।

सरकार को राजनीति में नहीं उलझना चाहिये। यदि सरकार जनता की मुसीबतों की ओर ध्यान नहीं देगी तो जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : देश को पहले ही युद्ध जैसी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और इसी समय उड़ीसा में दो करोड़ लोगों पर भारी विपत्ति आई है। जनता को सरकार से काफी राहत मिलने की आशा थी, लेकिन उसे इस बारे में निराश होना पड़ा। उड़ीसा को बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा है।

सरकार को इस बारे में और अधिक सतर्क होना चाहिये। अक्तूबर, 1942 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तूफान आया था और लगभग 15,000 व्यक्ति और 16,000 पशु मारे गये थे।

डा० राव ने अभी बताया कि मौसम संबंधी जानकारी देने वाला विभाग बहुत पुराना विभाग है और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों ने प्रशंसनीय काम किया है। लेकिन उनके पास उपकरणों और रडार की कमी है। उन्होंने कलकत्ता, पारादीप और मद्रास पत्तनों पर रडार लगाने की योजना बनाई थी। पारादीप पर रडार लगाने से सरकार को किसने रोका था ? इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये और वहाँ के लोगों की युद्ध-स्तर पर सहायता दी जानी चाहिये।

उड़ीसा के लोगों को तूफान की सूचना 28 तारीख की रात्रि को दी गई थी। लोगों को केवल तूफान की पूर्व सूचना देने, आपात् विभाग और राज्य सरकार को सजग करने मात्र से हम लोगों को वहाँ से निकाल नहीं सकते। लोगों को आपात् काल में क्या कार्यवाही

करनी चाहिये, इस बारे में दूसरे युद्ध के समय जानकारी दी गई थी । लोगों को इस बात की भी जानकारी दी जानी चाहिये कि तूफान आने पर इन्हें क्या करना चाहिये । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । इस कार्य में न केवल राज्य सरकार बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी पूरी सहायता करनी चाहिये ।

राज्य में शीघ्र रडार की व्यवस्था की जानी चाहिये । जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक लोगों के लिये अपनी रक्षा करना कठिन होगा ।

तूफानों की रोक थाम के लिये बड़े बाँधों का निर्माण किया जाना चाहिये । इस बारे में अनेक समितियों की स्थापना की गई लेकिन इस सीमावर्ती क्षेत्र में एक मील लम्बे बाँध का भी निर्माण नहीं किया गया । माननीय मंत्री को इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि वह तूफान की रोकथाम के लिये शीघ्र ही एक बड़े बाँध का निर्माण करवायेंगे ।

यदि राज्य में तूफान न आता तो शायद सरकार बाढ़ के बारे में चिन्ता भी न करती । स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और रूसीकुलिया जैसी नदियों में बाढ़ आने के कारण उड़ीसा को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान होता है । स्वर्ण रेखा नदी पर दो वर्ष पूर्व बाँध का निर्माण करने का निश्चय किया गया था । यदि ऐसा नहीं किया गया तो उड़ीसा के लगभग 80 लाख व्यक्तियों को अपने मकानों और भूमि से हाथ धोना पड़ेगा ।

बालासौर पर वर्ष 1942 से बाँध निर्माण की बात की जा रही है । लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । स्वर्ण रेखा पर बाँध बनाने के कार्य को स्थगित कर माननीय मंत्री को इस पर जल-निःसारण प्रणाली की ओर ध्यान देना चाहिये ।

उड़ीसा सरकार के प्रतिवेदन में बुडाबालान्गा नदी के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार ने संसद सदस्यों को अनेक प्रतिवेदन परिचालित किये हैं । एक प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि बालासौर में 315 व्यक्ति मरे, दूसरे प्रतिवेदन में मरने वालों की संख्या 200 बताई गई है । इसमें कौनसे आंकड़े ठीक हैं ? उड़ीसा सरकार ने बताया है कि 10,000 लोगों के मरने की आशंका है । एक प्रतिवेदन में 20,000 व्यक्ति मरने तथा दूसरे प्रतिवेदन में 25,000 व्यक्तियों के मरने की आशंका व्यक्त की गई है । यह कैसे पता लगे कि कौन से आँकड़े ठीक हैं ।

वित्त मंत्री ने राज्य को 3 करोड़ रुपये देने का उल्लेख किया है और यह कहा है कि सरकार उक्त धनराशि खर्च नहीं कर पाई है । उड़ीसा सरकार के राहत आयुक्त ने संसद सदस्यों को परिचालित एक नोट में यह उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत है ।

राज्य में तूफान को रोकने के लिये रडारों की व्यवस्था करना उचित है लेकिन जब तक उड़ीसा की नदियों में बाढ़ को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक उड़ीसा की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा ।

उड़ीसा में जान और माल की हानि का अनुमान लगाने के लिये भेजे गये विशेषज्ञों के

केन्द्रीय दल ने दूरवर्ती क्षेत्रों का दौरा नहीं किया है। उन्होंने केवल उन्हीं क्षेत्रों का दौरा किया है जहाँ तक उनकी कार जा सकती थी। इससे वहाँ की स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होगी। राज्य का दौरा करने के लिये एक संसदीय दल भेजा जाना चाहिये। प्रधान मंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों ने ही राज्य का दौरा किया है और उनका स्थिति के बारे में अपना अनुमान है। आशा है, सरकार उनकी सहायता करेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : तूफान से हुई भारी क्षति को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार किया है। लेकिन इस संबंध में व्यवहारिक कार्यवाही नहीं की गई है। इस बारे में की गई कार्यवाही सागर में बूँद के बराबर है।

राज्यपाल ने राहत समिति की बैठक 13 तारीख को बुलाई थी। उसमें राज्यपाल या राज्य सरकार की सील के बिना एक प्रतिवेदन परिचालित किया गया था। 15 अक्तूबर को डा० के० एल० राव ने बाढ़ संबंधी वक्तव्य परिचालित किया था। इन दोनों वक्तव्यों में अन्तर है।

आज तक जान-माल की वास्तविक हानि का अनुमान लगाने के लिए सद्भावना से प्रयास नहीं किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार को तूफान पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिये। अब तक राज्य की सहायता के लिये केवल 2 करोड़ राशि की मंजूरी दी गई है, जो अपर्याप्त है।

राज्य में लोगों की सहायता के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। केवल सहानुभूति करने से काम नहीं चलेगा।

रडार व्यवस्था केवल विशाखापत्तनम पत्तन पर की गई है। इसकी व्यवस्था अन्य पत्तनों पर भी की जानी चाहिए, जैसा कि डा० राव ने अपने वक्तव्य में आश्वासन दिया था। अनेक राज्यों के संकट दूर करने के लिए समितियों की स्थापना की गई है लेकिन उड़ीसा में, जो तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ऐसी कोई समिति की स्थापना नहीं की गई है।

राज्य में पहले आये तूफान से होने वाली क्षति का केन्द्रीय सरकार ने 100 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था और उस समय सहायता के लिये 9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी जिसे बाद में 15·65 करोड़ रुपये कर दिया गया। यदि केन्द्रीय सरकार वास्तव में ईमानदार है तो उसे अपने अनुमान के अनुसार राहत देनी चाहिये। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।

यदि केन्द्रीय सरकार इस मामले में सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल देती है तो उन 65 लाख तूफान पीड़ित लोगों का क्या बनेगा ? सरकार को सदन में यह आश्वासन देना चाहिये कि वह उनको कितनी सहायता दे रही है।

हमारी सरकार हमेशा वचन देती रहती है लेकिन कभी उनको पूरा नहीं करती। तूफान पीड़ित लोगों को बड़ी मात्रा में राहत देनी चाहिये। विकलाँग हुये लोगों को कम से कम तीन मास तक अनुग्रहानुदान दिया जाना चाहिये। अनेक क्षेत्रों में राहत-कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिये। तूफान से पीड़ित 65 लाख लोगों के सामने अनेक समस्याएँ हैं। वे बेघर हो गये हैं।

उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार लगभग सात लाख मकान ढह गये हैं। अतः लोगों को मकानों के निर्माण और अतिरिक्त फसल उगाने के लिए ऋण दिये जाने चाहिएं। मेरा सुझाव है कि उन्हें ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाये या ऐसी आर्थिक सहायता दी जाये जो वापस न देनी पड़े। लगभग 1,500 स्कूलों के 15,000 अध्यापक इससे प्रभावित हैं और उन्हें वेतन दिये जाने के लिए तत्काल आदेश दिये जाने चाहियें। छात्रों को लगभग 1 वर्ष तक छात्र-वृत्तियाँ दी जानी चाहिएँ। रिजर्व बैंक को ऋण देने के मामले में उदार नीति की घोषणा करनी चाहिये जिससे लोगों को समय पर ऋण मिल जायें। जहाँ पर लिफ्ट सिंचाई योजना या नलकूपों की व्यवस्था की जा सकती है, वहाँ ऐसी व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए।

अन्त में, मेरा यह सुझाव है कि उड़ीसा के तूफान-पीड़ित लोगों की सहायता के मामले में सब दलों को तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों को समन्वित प्रयास करने चाहियें। अतः राज्यपाल की समिति को अब सक्रिय हो जाना चाहिये, जो अब तक दिखावे की गुड़िया के समान रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : श्रीमन्, पाकिस्तान द्वारा आपात्काल की घोषणा कर दी गई है। प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये जिससे इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया का पता लग जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमें प्रतिष्ठा, गरिमा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिये। यह मामले निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं किन्तु इस तरह से एक चर्चा के दौरान दूसरे प्रश्न को उठाना ठीक नहीं है।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : श्रीमन् कटक उड़ीसा का एक ऐसा स्थान है जहाँ तूफान बहुत अधिक आते हैं। गत 6 वर्षों में सात बार तूफान आ चुके हैं। गत सितम्बर में आये तूफान में भी यहाँ फसलों और कच्चे घरों को बड़ी हानि हुई थी। तूफान अमरीका, आस्ट्रेलिया और जापान में भी आते हैं किन्तु वहाँ के लोगों में उन्हें सहन करने की शक्ति है। उड़ीसा के लोगों में भी ऐसी ही शक्ति की आवश्यकता है जिससे वे तूफान, बाढ़ और सूखे आदि जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह सकें।

उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, किन्तु तूफान, बाढ़ और सूखे जैसी दैवी विपत्तियों के कारण राज्य उनका लाभ नहीं उठा पा रहा है। उड़ीसा के प्रति सरकार की ओर से सहानुभूति प्रकट की जा रही है। किन्तु उड़ीसा को अब सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। उसकी आर्थिक सहायता की जानी चाहिये। राज्य सरकार ने केवल चार करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। बाढ़ के बाद केन्द्र ने उड़ीसा राज्य को 3·5 करोड़ रुपये की राशि दी है। सूखे के बाद केन्द्र ने राज्य को दो करोड़ रुपये का अनुदान और तीन करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिया है। इस प्रकार केन्द्र ने कुल 8·5 करोड़ रुपये की राशि राज्य को दी। किन्तु इस राशि का वितरण भी राज्य की प्रशासन व्यवस्था द्वारा ठीक से नहीं किया गया। दूसरे, केवल राशि देने से ही समस्या हल नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा की बाढ़, सूखे, तूफान आदि की समस्याओं का हल स्थायी रूप से करना चाहिये। सूखे की समस्या का समाधान यह है कि लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए। उड़ीसा की समस्याओं के हल के लिए

एक पृथक योजना बनाई जानी चाहिये ताकि उड़ीसा बाढ़ और सूखे की मार से सदा के लिए मुक्त हो जाये । जहाँ तक तूफान से रक्षा का संबंध है, मंत्री महोदय ने जिन उपायों का उल्लेख किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ । साथ ही इस बात पर बल देता हूँ कि पारादीप बन्दरगाह पर रडार यंत्र लगाया जाये और भुवनेश्वर में मौसम विज्ञान विभाग का एक केन्द्र खोला जाय । गाँव में ऊँचे स्थान होने चाहियें ताकि लोग आपातकालीन स्थिति में वहाँ शरण ले सकें । इसके अतिरिक्त, सरकार के समक्ष हिन्द महासागर में मौसम संबंधी परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिए वायुमंडल में एक उपग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव है । इस पर लगभग 16 करोड़ रुपया खर्च होगा । इस बारे में मंत्री महोदय अपने उत्तर में कुछ बता सकते हैं ।

यदि राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती है, यदि राज्य सरकार की व्यवस्था द्वारा यह कार्य नहीं किया जा सकता तो भारत सरकार के समक्ष संयुक्त समिति की स्थापना करने में ऐसी कौन-सी बाधा है जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को संकट काल से निपटने के लिए योजनायें बनाने से रोके ? यदि संभव हो तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इस समिति की अध्यक्षता किसी केन्द्रीय मंत्री द्वारा की जा सकती है ।

मंत्री जी ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि तूफान के बाद उठाये जाने वाले कदमों का सुझाव देने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर एक समिति होनी चाहिए । 1969 में केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर एक ऐसी समिति का गठन किया गया था । इन समितियों ने सुझाव दिये थे जिन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है । बेहतर यही होगा कि पहली समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र महन्ती ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : **

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैंने जो स्थानापन्न प्रस्ताव दिया उसमें छपाई की गलती से 'नेशनल डिजास्टर' के स्थान पर 'नैचुरल डिजास्टर' छप गया है ।

29 और 30 अक्तूबर का विनाशकारी तूफान समाप्त हो गया है किन्तु वह अपने पीछे असंख्य लाशें छोड़ गया है । हरे-भरे खेतों वाली 25·25 लाख एकड़ भूमि पर रेत की तह जम गई है । 8·4 लाख मकान गिर चुके हैं तथा 7,600 वर्ग मील भूमि पर कहीं कम और कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है ।

मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव का आभारी हूँ जिन्होंने अपनी इतनी आयु होने के बावजूद दौरा करके उड़ीसा के बाढ़-पीड़ित लोगों को सान्त्वना दी है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.

मैं यह कहना चाहूँगा कि तूफान तो दैवी प्रकोप है परन्तु वैज्ञानिक उपकरणों से इसका पता लगाया जा सकता है। यदि भारत सरकार के मौसम विभाग ने राज्य सरकार को यह चेतावनी दी होती कि इतना भारी तूफान उड़ीसा के तट की ओर बढ़ रहा है और यदि यह चेतावनी समय पर दी गई होती तो इस क्षति तथा प्राकृतिक संकट को बहुत हद तक कम किया जा सकता था।

क्या भारतीय मौसम विभाग को काफी पहले अमरीकी मौसम सम्बन्धी उपग्रह से तूफान के बारे में सूचना मिल गई थी ? यदि ऐसी सूचना मिली थी तो कुछ उत्तरदायित्व दिखाया जाना चाहिये था। खेद की बात है कि तूफान पारादीप बन्दरगाह पर प्रहार कर रहा था और अपनी विनाशकारी गति से तट की ओर बढ़ रहा था तब आकाशवाणी के कटक रेडियो स्टेशन से गीत तथा सुगम संगीत प्रसारित किये जा रहे थे। इन दो बातों की जाँच की जानी चाहिये कि क्या अमरीका के मौसम सम्बन्धी उपग्रह ने भारतीय मौसम विभाग को इस सम्बन्ध में समय पर सूचना दे दी थी और क्या भारतीय मौसम विभाग ने केवल उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को ही नहीं अपितु आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर को भी चेतावनी दे दी थी और क्या आकाशवाणी को तूफान का समाचार मिल गया था और क्या उन्होंने इस चेतावनी को उचित समय पर प्रसारित किया था।

कहा गया है कि राज्य सरकार केन्द्र द्वारा स्वीकृत किये गये धन को खर्च नहीं कर सकी। वास्तविक स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिये माँगी गई 12·60 करोड़ रुपये की राशि के बदले केन्द्र सरकार ने केवल 3·90 करोड़ रुपये दिये। एक महीने पहले उड़ीसा में आये तूफान के संबंध में राज्य सरकार को 29·25 करोड़ रुपये की सहायता की तत्काल आवश्यकता थी परन्तु केन्द्रीय सरकार ने सहायता के रूप में दो करोड़ रुपये स्वीकार किये, जिसकी अदायगी 4 नवम्बर, 1971 को की गई और कृषि के लिये तीन करोड़ रुपये का ऋण 10 नवम्बर को दिया गया। इस पर भी आरोप लगाया जाता है कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा दिये गये धन को खर्च नहीं कर सकी है।

वित्तमंत्री, श्री चव्हाण के सुझाव पर उड़ीसा के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय समिति गठित की गई थी। उस समिति में सभी दल शामिल थे परन्तु अब सत्तारूढ़ कांग्रेस को एक समानान्तर राहत समिति की नियुक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिली ? इस राहत समिति का उपयोग और अधिक गड़बड़ पैदा करने और सहायता देने की बजाय राहत कार्यों में बाधा डालने के लिये किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे याद है श्रीमती नन्दिनी सत्पथी ने तूफान से पीड़ित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया।

मेरे दल ने पाँच लाख रुपये राहत कार्यों पर खर्च कर दिये परन्तु हमने उसका प्रचार नहीं किया क्योंकि हम इतने तुच्छ बुद्धि नहीं हैं। सत्तारूढ़ काँग्रेस दल यदि इसमें रुचि रखता है तो राज्यपाल की अध्यक्षता वाली राहत समिति से उसके सदस्यों को त्याग-पत्र देना चाहिये अन्यथा इस समिति से बजाय सहायता मिलने के कार्यों में बाधा पड़ेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा में प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अनेक

परिवारों को दु:ख भोगने पड़े हैं। उड़ीसा के कटक, पुरी, बालासौर और ढकानल में आये तूफान के बारे में सभी जानते हैं कि वहाँ कैसा विनाश हुआ है।

वहाँ ऐसी स्थिति हो गई है जिस पर लाखों लोग अश्रु बहायेंगे परन्तु खेद की बात है कि विरोधी दल इस दु:खान्त घटना को भूलने की कोशिश करते हैं जबकि होना यह चाहिये कि वहाँ तत्काल सहायता देने के लिए कदम उठाये जायें।

मैं डा० के० एल० राव तथा प्रधान मंत्री का आभारी हूँ जिन्होंने तूफान-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके वहाँ के लोगों के दु:ख दर्द को दूर करने को कहा है।

मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री के ध्यान में 18वीं शताब्दी का 'ओल्ड इम्पीरियल गजट' लाना चाहूँगा। इस गजट में वर्णन है कि उड़ीसा के कटक जिले पर तूफानों का सीधा प्रभाव पड़ता है। हाल के वर्षों में इस जिले में भंयकर तूफान आये जिनसे जान माल की अपार हानि हुई।

मैंने सात दिन तक तूफानों पर भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सारा साहित्य पढ़ा। मुझे पता लगा कि 1891 से लेकर 1960 तक की 70 वर्ष की अवधि में बंगाल की खाड़ी में लगभग 400 तूफान आये और बंगाल की खाड़ी में आये कुल तूफानों में से लगभग एक चौथाई तूफान भयंकर थे। प्रत्येक दो वर्षों में बंगाल की खाड़ी में कई तूफान लगातार आते रहे हैं और इनके परिणामस्वरूप उड़ीसा के तट को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है।

जब लाखों मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं, 60,000 पशु मारे गये हैं, 21 लाख एकड़ से अधिक धान की भूमि में धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई है, ऐसे समय में राहत और पुनर्वास की विकट समस्या है। ऐसा करने के लिये भगीरथ प्रयत्न करना होगा और व्यापक योजना बनानी होगी।

उड़ीसा के आठ किलोमीटर के तट पर लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि हाल के तूफान के कारण तत्काल कृषि योग्य नहीं रही है। धान की फसल वाला 9,33,600 हेक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो गया है। हम क्या कर रहे हैं ? पुरी जिले में फसलों को काफी क्षति पहुँची है। छ: जिलों में ऐसा हुआ है। किसानों के सभी पशु मारे गये हैं, अत: वे खेती नहीं कर सकते हैं। फलत: इस विपत्ति का केवल एक मात्र उपाय राहत ही नहीं है। वहाँ किसानों को सहायता देने के लिये भूमि का सर्वेक्षण करना होगा जहाँ विभिन्न फसलें बोई जा सकती हैं। 6 लाख एकड़ भूमि में ये फसलें उगाई जा सकती हैं।

जहाँ तक किसानों से अल्पकालीन ऋणों की वसूली का प्रश्न है, उन क्षेत्रों में किसानों से अभी उस ऋण की वसूली नहीं की जानी चाहिये। यदि यह 66 करोड़ रुपये हों, इस बारे में रिजर्व बैंक, खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिये। अल्पकालीन ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये।

वहाँ समाज के कमजोर वर्गों, आदिवासियों और हरिजनों के मकान नष्ट हो गये हैं। उनके आवास की व्यवस्था के लिये सरकार क्या कर रही है।

इस तूफान के कारण केन्द्रीय सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। वहाँ के निवासियों में से 10,000 अथवा 15,000 के मरने की खबर है परन्तु जनगणना से पता चलेगा कि यह संख्या लगभग 25,000 है।

उड़ीसा में सदैव देवी प्रकोप होते रहते हैं, इस वर्ष लगातार सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में ये प्रकोप हुये। जब डा० राव वहाँ का दौरा कर रहे थे तो एक और तूफान आने की संभावना थी परन्तु वह पूर्वी भाग की ओर मुड़ गया।

अब आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ तत्काल राहत दी जाये। उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जायें। यद्यपि उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार का खाद्यान्न का भंडार है परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वह खाद्यान्न सब को मिले।

मैं स्थल सेना को बधाई दूंगा जिसने वहाँ पहुँच कर सहायता की जबकि राज्य सरकार के पास न तो साधन थे और न ही वह यह करने को तत्पर थी।

उस क्षेत्र में पानी खारा हो गया है अत: यह कठिनाई भी दूर की जानी चाहिये।

1967-68 में चिल्का झील क्षेत्र में पानी भर गया। इसके लिये सरकार ने एक समिति नियुक्त की। वहाँ से पानी निकालने के लिये इस समिति की सिफारिशों के बारे में अब तक कुछ नहीं किया गया है।

उस क्षेत्र में पुनर्वास के लिये ग्रामीण कार्यक्रम आरंभ करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये निर्माण और आवास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय के समन्वय की आवश्यकता है। यह कठिन समस्या है। यदि भुवनेश्वर अथवा पारादीप में रडार लगाने अथवा मौसम विज्ञान संबंधी केन्द्र अथवा तूफानों की पूर्व चेतावनी देने वाले केन्द्र खोलने की योजना है तो यह कार्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

पुनर्वास का कार्य बहुत कठिन है और इसमें सब मंत्रालयों का समन्वय तथा अलग विकास प्राधिकरण की आवश्यकता है और राज्य तथा केन्द्रीय एजेन्सियों में समन्वय स्थापित करने के लिये करोड़ों रुपया चाहिये।

सरकार मेरे इन सुझावों पर ध्यान दे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : उड़ीसा में बार-बार तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, सूखे की स्थिति हो जाती है और 29 अक्तूबर के तूफान की विनाशलीला तो बहुत ही भयानक है। असंख्य व्यक्ति मारे गये हैं, मकान और फसलों को क्षति पहुँची है, लगभग 8,500 वर्ग मील के क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। 10,000 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, 75,000 पशु मर गये हैं। 25 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। नारियल के खेत सम्पूर्णतया नष्ट हो गये हैं जो राज्य की अर्थ-व्यवस्था में भारी योगदान करते हैं।

उड़ीसा की जनता राष्ट्रपति की बहुत आभारी है जिन्होंने वहाँ जाकर कहा कि यह तूफान इस शताब्दी का दैवी प्रकोप है ।

इस सभा के नियम और प्रक्रिया क्या है, जो लगभग 26 दिनों के बाद इस विषय पर आज चर्चा की जा रही है जब कि तथ्य यह है कि इस दैवी प्रकोप पर सदन के सत्र के पहले ही दिन चर्चा की जानी चाहिये थी ।

रेखा चित्र देखने से पता चलेगा कि किस प्रकार यह विनाश बढ़ता जा रहा है ।

क्या यह दुर्घटना विश्व के कुछ भागों में चल रहे भूमिगत परीक्षणों के कारण नहीं हुई है ? वर्ष 1967 में जब उड़ीसा में आये तूफान पर इस सदन में चर्चा की गई थी, तब तत्कालीन सिंचाई तथा विद्युत मंत्री डा० के० एल० राव ने आश्वासन दिया था कि पारादीप में रडार स्टेशन स्थापित किया जायेगा । परन्तु बड़े खेद की बात है कि यह सभी बातें मनगढ़न्त रही थीं । बताया गया है कि भारत इलैक्ट्रोनिक्स को रडार बनाने तथा रडार केन्द्र स्थापित करने के लिये कहा गया है । परन्तु देश के सरकारी उपक्रमों की कार्यक्षमता देखते हुये रडार स्टेशनों की शीघ्र स्थापना निराधार प्रतीत होती है । यदि रडार ठीक समय पर लगाया गया होता तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था ।

भारत-रूस संधि तथा तकनीकी क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग के बावजूद भी हमें अमरीकी उपग्रह द्वारा बताये जाने वाले मौसम के अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ता है । जैसा श्री सुरेन्द्र-महन्ती ने बताया है कि 24 घन्टे पूर्व उपग्रह से हमें पहले पता चल गया था कि उड़ीसा के तट पर बहुत भंयकर तूफान आने वाला है । डा० के० एल० राव ने भी अपने प्रतिवेदन में बताया है कि प्रात: 10 बजे इस उपग्रह से पता चल गया था कि तूफानी लहरें उड़ीसा के तट की ओर बढ़ रही हैं और लगभग आधी रात के समय यह ज्वार आया था । 12 घंटे की इस अवधि के बीच भी जनता को कोई सूचना नहीं दी गई । श्रीमती नन्दिनी शतपथी जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं तथा मंत्रिमंडल में उड़ीसा की एकमात्र प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी प्रसारण के माध्यमों से जनता को सचेत होने तथा सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की कोई सूचना नहीं दी । उन्होंने उड़ीसा सरकार को इसके लिये दोषी ठहराया है। इस दुखद: स्थिति के समय हमें दलग्रस्त राजनीति से ऊपर रहना चाहिये । केन्द्रीय नेताओं ने एक ओर लोगों को और सहायता माँगने का परामर्श दिया और दूसरी ओर केन्द्रीय दल को एक भिन्न प्रकार से कार्य करने का निदेश दिया ।

प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में कहा था कि तूफान पीड़ितों को राहत सहायता देने में वित्तीय व्यवस्था संबंधी कोई कठिनाई नहीं होगी परन्तु समिति में उन्होंने बताया कि हमारे पास पूरे संसाधन नहीं हैं । इस सबका तात्पर्य क्या है, मेरी समझ में नहीं आता है ।

यह भी बताया गया है कि उड़ीसा को 5 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है । यह सहायता बेकार है । थोड़े से समय के लिये भी 50 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है । इस राशि के ब्यौरे में बताया गया है कि 2 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मार्गोपाय के लिये दी गई है तथा तीन करोड़ कृषि ऋण के लिये । इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये ।

इस संबंध में सभी दलों की एक राहत समिति बनाई गयी थी। इस समिति से संबद्ध कुछ दलों ने समिति के पुनर्गठन की माँग आरम्भ कर दी। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि राहत समिति ने अति-आवश्यक सामग्री के एकत्र करने तथा उसे वितरण करने के मामले में कुछ भ्रम पैदा कर दिया है। परन्तु सत्तारूढ़ काँग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने इस समिति के प्रति अपना विश्वास अभी व्यक्त किया है।

राज्य सरकार ने तटबन्ध, कैसूरीना बागान तथा पुनर्वास के लिए जो ज्ञापन दिया है, उसमें दीर्घावधि उपायों के लिये 145 करोड़ रुपये की माँग की गई है। राज्य सरकार को इस राशि की स्वीकृति दी जानी चाहिये।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : श्रीमन्, दोनों ही तरफ के सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इतनी बड़ी दुर्घटना के समय यह प्रश्न नहीं उठता कि यह दुर्घटना किस राज्य में हुई, कौनसा दल वहाँ पर सत्तारूढ़ है, कौन सा दल किस राज्य विशेष में सत्तारूढ़ है। प्रश्न केवल माननीय विपत्तियों का है। किसी एक भारत-वासी की विपत्ति समस्त देश की विपत्ति है। इतनी बड़ी समस्या का समाधान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किया जाना चाहिये। इस संबंध में यदि कोई कटुता उत्पन्न हुई है तो उसके लिये मुझे खेद है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुये**
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

यह भी कहा गया है कि उदारतापूर्वक पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है। यह ठीक नहीं है। मंत्रियों की आत्मतुष्टि की बात कही गई है परन्तु इस मामले में आत्मतुष्टि की कोई बात नहीं है। यह भयानक दुर्घटना 29, 30 अक्तूबर को हुई थी। वित्तमंत्री ने 3 नवम्बर को राज्य का दौरा किया तथा वित्तमंत्रालय ने 4 नवम्बर को 2 करोड़ रुपये की राशि इसके लिये दे दी थी। 10 नवम्बर को कृषि मंत्रालय ने 3 करोड़ रुपये की राशि दे दी थी। राज्य सरकार ने 17 नवम्बर को अपना अनुमान प्रस्तुत किया। प्रधान मंत्री ने दौरे से वापस आते ही 19 नवम्बर को राज्य का दौरा किया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें आत्मतुष्टि की बात कहाँ से आती है।

दूसरी बात उड़ीसा के प्रति सरकार के व्यवहार के विषय में कही गई है। यह सच है कि राहत कार्यों के लिये उड़ीसा सरकार ने आरम्भ में 12·60 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया था और केन्द्र सरकार ने 3·90 करोड़ की अधिकतम राशि का निश्चय राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् किया था। उड़ीसा सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि केन्द्रीय दल का अनुमान ठीक नहीं था। यदि राज्य सरकार इस अधिकतम सीमा का पुनर्विलोकन कराना चाहती थी, तो करा सकती थी। इस प्रकार के पुनर्विलोकन की बात अब नहीं उठाई गई है। व्यय संबंधी प्रगति के विषय में भी हमें कोई सूचना नहीं मिली है। आज पहली बार यह बताया गया है कि 3·63 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। जैसे ही हमें ब्यौरा प्राप्त होगा वैसे ही और निधि उपलब्ध कराई जा सकेगी। मैं, प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के शब्दों को दोहरा सकती हूँ कि उड़ीसा निवासियों के लिये अपेक्षित राहत कार्यों में

वित्तीय व्यवस्था का कोई व्यवधान नहीं होगा। सामान्यत: सरकार अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करती है और हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि धनाभाव के कारण राहत कार्यों में कठिनाइयाँ आ रही हैं।

वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उड़ीसा सरकार को अपने बजट में राहत कार्यों के लिये 1·25 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। यदि व्यय इस व्यवस्था से आगे बढ़ जाता है तो केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। अत: जब भी केन्द्र से सहायता माँगी गई है, तब कृषि, रक्षा तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा सहायता दी गई है।

केन्द्र से राहत कार्यों पर 75 प्रतिशत सहायता दी जा सकती है, 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 25 प्रतिशत ऋणों के रूप में। शेष 25 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य सरकार को स्वयं करनी होती है परन्तु वित्तीय संकट की स्थिति में यह 25 प्रतिशत राशि भी केन्द्र द्वारा दी जा सकती है। इस श्रेणी के अन्तर्गत छात्रों, नि:सहाय व्यक्तियों तथा बेघरबार व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता आदि तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पीने के पानी की सप्लाई आती है। विशेष परिस्थिति में बीजों तथा कीटनाशक औषधियों की सप्लाई भी वहाँ पर की जा सकती है। उड़ीसा सरकार यदि केन्द्र से सहायता की माँग करती है तो केन्द्र से नि:संकोच ऐसी सहायता दी जा सकती है।

उड़ीसा सरकार ने राहत कार्यों के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान भेजा है। इस पर विचार किया जा रहा है। विचार कर लेने तथा केन्द्रीय दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जैसा कि कुछ सदस्यों ने बताया है, हमें एक और भंयकर तूफान की ओर ध्यान देना चाहिये कि पाकिस्तान ने आपात काल की घोषणा कर दी है। बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने है और उसके लिये भी धनराशि की आवश्यकता है, प्राकृतिक प्रकोपों से जो समस्यायें पैदा हुई हैं, उनके लिये भी धनराशि की आवश्यकता है और रक्षात्मक तैयारियों के लिये भी धनराशि की आवश्यकता है। धनराशि उन्हीं कार्यों के लिये दी जानी चाहिये, जिनके लिये आवश्यक है। यदि उड़ीसा सरकार केन्द्र से कोई सहायता माँगती है तो वह तत्काल प्रदान की जायेगी।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : श्रीमन्, राहत समिति के पुनर्गठन के संबंध में उड़ीसा के सत्तारूढ़ दल की यहाँ पर आलोचना की गई है। यह केवल सत्तारूढ़ दल की समिति नहीं है अपितु सभी दलों की एक सम्पर्क समिति है जो इस उद्देश्य को लेकर बनायी गयी थी कि राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले राहत कार्य उचित ढंग से किये जा सकें और कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसे सहायता उपलब्ध न हो। हमें ऐसी शिकायतें प्राप्त हुयीं कि पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग को सहायता नहीं मिल रही है। अत: यह आवश्यक समझा गया कि ग्रामस्तर पर एक सतर्कता समिति बनाई जाये जिससे राहत कार्यों में लगे सरकारी अधिकारियों को शिकायतों की सूचना मिल सके। यह समिति सर्वदलीय समिति के विरोध में कार्य नहीं करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई गैर-सरकारी समिति राहत कार्यों के लिये आवश्यक करोड़ों रुपये की राशि किस प्रकार जुटा सकती है।

यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। कुछ समाचार-पत्रों में यह भी कहा गया है कि मंत्रियों ने विमानों से सर्वेक्षण किया है और धन-राशि के अभाव में केवल दिखावटी सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। यह गलत है। केन्द्र ने सहायता दी है और सुनिश्चित आँकड़े प्राप्त होने पर और सहायता दी जा सकती है। राज्य सरकार से अभी आवश्यक सूचनायें नहीं मिली हैं। सूचना प्राप्त होने पर उसका अध्ययन किया जायेगा तथा आवश्यक सहायता प्रदान कर दी जायेगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस दुर्घटना का सामना करने के लिये क्या किया जाये। कई हजार मनुष्य तथा पशु विनष्ट हो गये हैं। जो मानव जीवित हैं, उनकी सम्पत्ति का विनाश हो चुका है। कुछ भूमि पर रेत जमा हो गई है और कुछ में खारी पानी भर गया है। इसलिये कृषि कार्य नहीं चलाया जा सकता है। तूफान पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत तथा पुनर्वास की आवश्यकता है। भूमि से रेत को शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाना चाहिये जिससे रबी की फसल भी यदि न उगाई जा सके तो अगले वर्ष खरीफ की फसल तो पैदा हो सके। यदि रेत बहुत अधिक जम गया है तो उस क्षेत्र को कैसूरीना तथा काजू की खेती के लिये सुरक्षित रखा जाना चाहिये। जिस भूमि में खारा पानी भरा है, कृषि-वैज्ञानिकों को इस भूमि का सर्वेक्षण करना चाहिये और यदि समुद्र-तट से इस प्रकार भूमि तक एक जल-मार्ग बनाया जा सकता है तो उस भूमि को नमक उत्पादन करने वाला क्षेत्र बना दिया जाना चाहिये।

अनेकों मकान गिर गये हैं। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष श्री बीजूपटनायक ने एक विवरण तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि इस कार्य के लिये 166 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। विवरण में कोई निश्चित आँकड़े नहीं दिये गये हैं। इसमें केवल यही बताया गया है कि 4,000 रुपये प्रति मकान की दर से कई करोड़ रुपये की उनको आवश्यकता है। विवरण में यह भी नहीं बताया गया है कि मकान किस प्रकार का होगा, उसका आकार क्या होगा ? इस कार्य के लिये प्रत्येक गाँव से आँकड़े तैयार करने होंगे। केन्द्र सरकार के पास इतनी बड़ी धन-राशि भी उपलब्ध नहीं है। अत: इसके लिये किसी सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है। हमें यह भी देखना होता है कि जो अनुरोध किया गया है, वह तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं। यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिये राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि तूफान से संचार तथा परिवहन व्यवस्था भंग हो गई थी और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से क्षेत्रों में पहुँचना अभी तक भी संभव नहीं है। यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा राज्यपाल के आँकड़ों में अन्तर पाया जाता है।

पुनर्वास संबंधी कार्य तुरन्त किया जाना आवश्यक है। तूफान पीड़ितों को तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये। चौथी तथा पाँचवीं योजना में तटबन्धन तथा बाग लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मौसम-विज्ञान विभाग पर आरोप लागाया गया है कि वह अपना कार्य करने में असफल रहा। यह गलत है। मैंने स्वयं रेडियो प्रसारण से सुना था कि उड़ीसा में समुद्री तूफान आने की संभावना थी।

जम्बूद्वीप के विषय में यह देखना है कि यह द्वीप कृषि कार्य के लिये ही उपयुक्त है अथवा

यहाँ व्यक्ति भी रह सकते हैं। सरकार को इस बात का परीक्षण करना चाहिये कि इस स्थान पर रहने में यहाँ के निवासियों को कोई खतरा तो नहीं है। यदि यहाँ कोई खतरा हो तो व्यक्तियों को ऐसे सुरक्षित स्थान पर बसाया जाये जहाँ से ये व्यक्ति कृषि-कार्य करके अपने घर वापस आ सकें।

राज्य सरकार को इन बातों पर विचार करना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार, योजना आयोग तथा भारत सरकार के मंत्रालय पूर्ण सहयोग देंगे। इसमें भारत सरकार की निष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण मुझे दृष्टिगत नहीं होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार ने उड़ीसा में हुई हानि का बहुत कम अनुमान लगाया है। इस समुद्री तूफान से 596 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई है तथा 1,023 जीवन नष्ट हुये हैं। उड़ीसा में 10 वर्षों में यह छठा तूफान आया है जो पहले की अपेक्षा 25 प्रतिशत अधिक भयानक है।

सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय ने केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य संबंध बनाये रखने के लिए एक समिति बनायी है। इस समिति की क्या उपलब्धियाँ हैं ? यदि उचित समय पर इस दुर्घटना की सूचना दी गई होती तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के प्रबंध किये गये होते तो हानि बहुत कम हो सकती थी। इस संबध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

तूफान, भूचाल आदि का पहले से पता लगाने वाली प्रणाली का क्या हुआ ? रडार व्यवस्था का क्या हुआ ? डा० राव इन सब प्रणालियों से परिचित हैं। क्या यह सच नहीं है कि सरकार के पास इन आवश्यक मदों के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं है ? मेरा विचार है कि डा० राव को इन कार्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त धन राशि नहीं दी गई।

इस समुद्री तूफान के पश्चात् कौन से राहत कार्य किए गए हैं। पश्चिमी बंगाल के हमारे अनुभव से तो यही ज्ञात होता है कि सरकार भ्रमण करने, प्रभावी भाषण देने तथा लम्बी-लम्बी बातें करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती है। मैं डा० राव को इसके लिए दोषी नहीं ठहराता क्योंकि निधि का नियतन कराने के मामले में वह सशक्त नहीं है। जब धनराशि देने की बात आती है तो वह इधर-उधर कर दी जाती है। इस वातावरण में राजनैतिक लाभ खोजने का प्रयत्न किया जाता है।

सरकार इस ओर ध्यान न देने तथा वित्तीय व्यवस्था न करने के कारण इस दुर्घटना के मामले में एकदम असफल रही है।

एशिया तथा सुदूरपूर्व देशों के लिए आर्थिक आयोग के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 1968 से विश्व मौसम विज्ञान संगठनों को समन्वित करने के प्रयास में लगा है। आस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी देने वाली प्रणाली को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ये सभी ठोस कदम हैं। आज वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान की दिशा में (वाल क्लाउड) भेजने से तूफान की गति मन्द हो जाती है। सरकार ने इस दिशा में क्या प्रगति की है ? मेरे

विचार से सरकार ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया है। दूर तक फैले पूर्वी समुद्रीतट पर केवल विशाखापत्तनम में एक रडार लगाया गया है। मौसम-विज्ञान विभाग ने सुझाव दिया है कि यहाँ कलकत्ता, भुवनेश्वर, मसूलीपत्तनम, मद्रास, नागापत्तनम, गोआ तथा बम्बई आदि स्थानों पर रडार बनाये जाने चाहियें। भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा इन सात रडारों को शीघ्र सप्लाई करने के मामले को पर्याप्त महत्व तथा प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है ? यदि ऐसा किया गया होता तो अनेकों लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा की जा सकती थी।

वर्तमान समय में भी चेतावनी देने की, जहाजों पर निर्भर रहने की, पुरानी पद्धति अपनाई जाती है। परन्तु जब जहाजों को खतरे की स्थिति का पता चलता है तो वे सुरक्षित स्थानों को लौट जाते हैं। इस स्थिति में उनसे किस प्रकार हमें सूचना प्राप्त हो सकती है ?

मौसम-वैज्ञानिक बादलों की स्थिति का अध्ययन करने वाले उपग्रह के दिन में एक बार टेलीविज़न चित्र ले सकते हैं। ये बहुत कम हैं। प्रत्येक 20 मिनट में टेलीविज़न चित्र लेने का जापानी प्रस्ताव बहुत अच्छा है। परन्तु उसके लिए वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है। इसके लिए 16 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इसमें कम से कम तीन या चार वर्ष का समय लगेगा। इसको बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध हजारों व्यक्तियों से है। इसीलिए चेतावनी देने के लिए पुलिस, वायरलैस और आकाशवाणी का समुचित और समयोचित उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर आकाशवाणी ऐसी चेतावनियों की उपेक्षा कर देती है अथवा उन्हें बहुत संक्षिप्त कर देती है।

ऐसी दुर्घटनाओं और विपत्तियों का सामना राज्य अपने सीमित साधनों के कारण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की विपत्ति की स्थिति में राजनीति को एक दम बीच में नहीं लाना चाहिए।

जहाँ तक बाढ़ों का प्रश्न है डा० राव ने केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में बताया है कि 1961-70 के दौरान हमें 1231 करोड़ रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई है। मेरा कहना यह है कि बाढ़ों पर नियंत्रण रखने के लिये पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इसके लिए सरकार के पास रुपया नहीं है तो वह बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों से रुपया ले सकते हैं। लोगों की जानें बचाने के लिए सरकार को रुपये की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रुपये से अधिक मूल्यवान व्यक्ति के प्राण होते हैं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, यदि उड़ीसा सरकार समय पर लोगों को खतरे के स्थानों से हटा लेती और सुरक्षात्मक कार्यवाही करती तो उड़ीसा में इतनी बड़ी तबाही और जन-हानि को कुछ सीमा तक बचाया जा सकता था क्योंकि हवा-पानी विभाग ने यह सूचना पहले ही दे दी थी कि अप्रैल से दिसम्बर के बीच बंगाल की खाड़ी में जोर का तूफान आयेगा।

हर जिले में बाढ़ के समय लोगों को सहायता पहुँचाने के लिए एक आपात्कालीन विभाग होता है। ऐसा ही विभाग तूफान के लिए भी बनाया जाना चाहिए।

तूफान से घिरे लोगों को निकालने के लिए रखी गई नावों और मोटर बोटों को यह समझकर कि बाढ़ का मौसम समाप्त हो गया है, बालासौर जिले से हटा दिया गया था अतः वे एक भी आदमी को न तो हटा सके और न बचा सके। वहाँ लोगों को सहायता 1961 की जनगणना के आधार पर दी गई थी और 1971 की जनगणना के आधार पर नहीं दी गई थी।

अतः सरकार को सूखाग्रस्त इलाकों में कुएँ खुदवाने पर ध्यान देना चाहिए और लोगों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता, खाद्यान्न आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

सरकार को उड़ीसा के धान के खेतों की रेही की समस्या का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल उड़ीसा भेजना चाहिए।

इस प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के लिए केन्द्रीय सरकार को हर संभव उपाय करना चाहिए, अन्यथा जो पहले ही दुःखी हैं, उनको और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : उड़ीसा के लोगों को इस विपत्ति में तत्काल मदद देने के बजाय केन्द्रीय और राज्य सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। यह सब दोषारोपण समाप्त कर उन्हें विपत्ति में फँसे लोगों की सहायता करनी चाहिए।

मौसम विज्ञान विभाग ने बहुत कम समय पहले तूफान की सूचना दी थी। इस समय में लोगों को वहाँ से निकालना बहुत ही कठिन हो गया था जबकि सरकार के पास उन्हें निकालने के लिए कोई सवारी नहीं थी। परिणामस्वरूप हजारों जानें गईं और सरकार ने समय पर कोई प्रभावकारी सहायता नहीं दी।

क्योंकि उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी तथा अन्य दलों की सरकार सत्तारूढ़ है इसलिए राज्य सरकार द्वारा की गई माँग को अधिक बताकर एक तरफ नहीं किया जा सकता। जब बंगला देश के शरणार्थियों पर रोज़ाना 3 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है तब उड़ीसा के तूफान पीड़ितों को केवल दो करोड़ रुपया देना कहाँ तक न्याय संगत है। क्या वे शरणार्थी नहीं है ? उन्हें कम से कम 3 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए।

संभवतः केन्द्रीय सरकार यह सोचती है कि यदि हम राज्य सरकार को आवश्यक धन दे देते हैं तो सारे सहायता कार्य का क्षेत्र वे ले जायेंगे। अतः मैं केन्द्र से कहता हूँ कि वे इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें।

यह भी बताया गया है कि तूफान के कारण उड़ीसा में 60,000 हैक्टेयर भूमि बेकार हो गई है और अगले तीन वर्ष तक उसमें उपज नहीं हो सकती है। 200 करोड़ रुपये की फसल भी

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

नष्ट हो गई है। इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तूफान पीड़ित लोगों को कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है तथा उन्हें कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है।

एक रडार स्टेशन पूरे देश के लिए पर्याप्त नहीं है। देश भर में शीघ्रातिशीघ्र रडारों की स्थापना की जानी चाहिए। रडारों की कमी के कारण ही उड़ीसा के तूफान की सूचना समय पर और सही-सही नहीं दी जा सकी और लोगों को वहाँ से नहीं हटाया जा सका।

हैरानी की एक दूसरी बात यह है कि समुद्री तूफान के जाने से कुछ घण्टे पहले मौसम विज्ञान विभाग ने जो चेतावनी दी थी, उसकी घोषणा आकाशवाणी कटक द्वारा नहीं की गई थी। मैं समझता हूँ कि सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियाँ भविष्य में पुनः नहीं होंगी। इस बात की जाँच करने के लिए सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिए कि यह कैसे हुआ और जो भविष्य में इसके लिए उपचार संबंधी उपाय भी सुझाये।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस प्रकार की समस्याओं पर केवल मानवीय दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये और उसमें राजनीति को किसी प्रकार का स्थान नहीं दिया जाना चाहिये।

****श्री कुमार माझी** (क्योंझर) : जो लोग उड़ीसा के हाल ही के तूफान के शिकार हुये हैं, मैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन संक्षेप में करना चाहूँगा। वर्तमान तूफान के कारण उड़ीसा में जो विनाश हुआ है, उसके बारे में अभी तक पूरा अनुमान नहीं लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जो आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे क्षति की और विशेष रूप से गैर-सरकारी क्षति की सही तस्वीर सामने नहीं आती। इसकी साथ ही, हानि के जो आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें खाद्यान्न और ग्रामवासियों के व्यैक्तिक सामान को सम्मिलित नहीं किया गया। राज्य सरकार को क्षति का पूर्ण मूल्यांकन तुरंत करना चाहिये था, जिसे उसने अभी तक तक नहीं किया।

श्रीमान जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र और सुकिंदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुये हैं। संक्षेप में, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वर्तमान तूफान ने वहाँ के लोगों की कमर तोड़ दी है। क्योंझर जिले में तीन लाख से अधिक लोग इसके शिकार हुये हैं। वैसे यह क्षेत्र सदा ही प्रकृति के प्रकोप का शिकार होता रहा है। यहाँ कभी समुद्री तूफान आता है तो कभी सूखा पड़ती है और कभी बाढ़ आती है। विडम्बना यह है कि दूसरी ओर इस क्षेत्र के विकास के विषय में सरकार भी निर्दयी रही है। यद्यपि इस क्षेत्र में बहुत से खनिज पदार्थ तथा अन्य खानें हैं। फिर भी वहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। पहले तो राज्य सरकार द्वारा राहत के लिए पूर्ण सहायता नहीं दी जाती, और जो थोड़ी बहुत सहायता दी भी जाती है, उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जाता।

**उड़ीसा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Oriya.

वहाँ के लोग अपना सब कुछ खो चुके हैं । अब वह एक दूसरे से यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब जीने के लिए क्या किया जाये । वहाँ के लोग अपने तथा अपने क्षेत्र के विकास के लिये दृढ़ संकल्प हैं । मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये सुकिंदा खान क्षेत्र में निकिल-संयंत्र स्थापित करने के हेतु, सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के हेतु भीम-कुण्ड बाँध परियोजना पर कार्य करने के लिये, बाढ़ों से रक्षा करने के लिए वैतरणी नदी के किनारे के साथ फकीरपुर नव गाँव तट-बाँध का निर्माण करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि उस क्षेत्र के लोगों को यह आभास हो सके कि देश के अन्य लोग भी इस दु:ख की घड़ी में उनके साथ हैं ।

SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN (Dhar) : A lot has been said about the pitiable condition of the people of Orissa who became the victim of the cyclone. It is evident from the debate that Central Government has completely failed in giving protection and relief to the people of Orissa. There is no use saying that the State Government has not sent a complete report. The Government has not performed its primary duty. Even after 20 or 22 years, the Government has not installed any modern equipment which could give advance working of such calamities. Whatever has happened in Orissa is not new. The Bay of Bengal has always been behaving in the same manner. Therefore, protective measures should have been taken sufficiently in advance.

Sir, I am very sorry to state that whatever has been done by the Government during the last 24 years, was all guided by political considerations. How strange it is that our Government is spending Rs. 30 crores per day on Bangla Desh refugees but not substantial help is being given to our own people!

It is strange that we have to take assistance from a small country like Holland for the protection of Orissa coastal areas from cyclone. Is it not a sufficient proof of the fact that we are lagging behind in the field of science and technology ? The sole responsibility for this state of affairs lies with the Central Government.

Orissa is an Adivasi state and the loss which this state has sufferred is unprecedented. But it is strange enough that we do not find an atmosphere of sympathy in the country. In the past, whenever there was a big natural calamity, an atmosphere was created in the country wherein people contributed more and more for relief work. On this occasion the Government has completely failed to create such an atmosphere.

SHRI ANANDI CHARAN DASS (Tajpur) : Mr. Chairman, Sir, as there is no arrangement for Oriya translation in this House, I will try to speak in Hindi.

A lot has been said in this House as well as in the press about the damage caused by Cyclone in Orissa. There is no doubt that the Central Government has come forward to help the people of Orissa in hour of need. But I am sorry to state that the assistance which has been given is not upto expectations.

It is not correct to say that the rice and other relief material is being taken away by the political workers. In fact, if that material did not reach the needy people, it is the Sarpanch and other Ward Members who are responsible for it as they have failed to handle the relief work properly.

Cuttuck, Balasore and Puri Districts of Orissa are known as the grainary of the State fro m where rice, is sent to West Bengal and other states. But this year all crops have been destroyed by the cyclone and people are in great distress. I feel that some concrete steps should be taken so that the lot of those people could improve.

Most of the Harijans living in the coastal areas of Orissa have been rendered homeless. I suggest that these Harijans be settled in Korapaut, Dhenkanal, Sambalpur, Keonjhar and Kalahandi where sufficient land is available for the purpose.

I would like to draw the attention of the House to the fact that in this critical hour the money lenders are exploiting the needy people by charging high rate of interest. I strongly feel that Government should put a ban on such malpractices on their part. The nationalised banks should advance money to the people. It is being heard that there is an outbreak of cholera and other diseases. Proper attention should be paid to this aspect also. Certain agricultural facilities, such as free seeds or seeds on subsidised prices should also be given to those people.

I am sorry to say that the daily wages of landless workers has been reduced from rupees three to rupee one. How can the poor landless people live on such a meagre income? Something must be done to fix daily wages at the rate of rupees three. Besides, the relief work in flood-affected areas should also be expedited.

Lastly, I want to add that the Dashrathpur block of Tajpur should also be declared as cyclone-affected area. It should be done as early as possible and relief facilities should also be made available to the people of that area.

श्री समर गुह (कन्टाई) : समाजवादी दल की ओर से मैं उड़ीसा के तूफान पीड़ितों के लिए सहानुभूति व्यक्त करता हूं, मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि संतप्त परिवारों को मेरा संवेदना संदेश पहुँचा दिया जाये ।

मेरा चुनाव क्षेत्र उड़ीसा से लगता हुआ है ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

यद्यपि अधिक लोग हताहत नहीं हुए हैं तथापि हजारों मकान नष्ट हो गये हैं । हाल में मेरे चुनाव क्षेत्र में बाढ़ आई थी । रामनगर क्षेत्र में विशेषकर तूफान से फसलों की बर्बादी हुई है । कटक, बालासौर तथा अन्य क्षेत्रों में मेरे चुनाव क्षेत्र में लोग खेती का कार्य करते हैं । हजारों लोग मर गये हैं । उनकी फसल भी नष्ट हो गई है । अतः यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है ।

अब देखना यह है कि हमारे समक्ष समस्याएँ क्या हैं ? एक समस्या तो भविष्य में रक्षा की है तथा दूसरी पुनर्वास की है। आज के विज्ञान तथा औद्योगिकी के युग में तूफान की पूर्व सूचना देना तथा उसकी गति का अनुमान लगना संभव है । यह ठीक है कि भौंपू (साइरन) बजाकर लोगों को सूचना देना ऐसे क्षेत्रों में संभव नहीं है। परन्तु हमें इस बारे में पूरी जानकारी है कि कौन-कौन से क्षेत्र में तूफान आते हैं । अतः उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डाकघरों द्वारा सूचना दी जा सकती है । इस प्रकार लोगों को मरने से बचाया जा सकता है । तूफान की समस्या के अध्ययन के लिए योजना मंत्रालय में एक कक्ष (सैल) बनाया जाना चाहिये । तूफान की पूर्व चेतावनी आदि देने के भी उन क्षेत्रों में प्रबन्ध किये जा सकते हैं ।

जहाँ तक पुनर्वास का संबंध है, सर्वप्रथम लोगों को तुरन्त राहत दी जानी चाहिए । क्षति-ग्रस्त स्कूलों, मकानों तथा सरकारी इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए; नलकूप आदि पुनः खोदे जाने चाहिएं ।

सरकारी दल जिस प्रकार से कार्य करते हैं मुझे इस बारे में कुछ अनुभव है। वह इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि ऐसे क्षेत्रों में तुरन्त कार्य करने की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने में वे महीनों लगा देते हैं।

जहाँ तक भूमि को खेती योग्य बनाने प्रश्न है, मैं जानता हूँ कि यह कार्य आसान नहीं है। परन्तु यह कार्य असंभव भी नहीं है। इस बात पर भी तुरन्त ध्यान देना चाहिए कि क्या वहाँ पर अन्य फसल उगाई जा सकती है : उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि वैकल्पिक फसल किस प्रकार उगाई जा सकती है। इस बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। उनको उर्वरक, बीज तथा ऋण आदि की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएँ।

यह बड़े दुख की बात है कि ऐसे दैवी प्रकोप के समय थी विभिन्न दलों में राजनीतिक मतभेद चल रहा है। क्या हम ऐसे समय पर भी छोटी-छोटी बातों से ऊपर नहीं उठ सकते ?

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि केन्द्रीय दल को तुरन्त सिफारिशें देने के लिए कहें तथा उनको शीघ्र क्रियान्वित करायें।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में जिस धैर्य का प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रधान मंत्री ने उड़ीसा के बारे में हमसे सम्पर्क स्थापित किया हुआ है। श्री चह्वाण ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया है। अत: केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें मिलकर इस बारे में कार्य कर रही हैं। यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है। इस बात को ध्यान में रखकर ही इस समस्या को हल किया जायेगा।

तूफान पर मानव नियंत्रण पाने में अभी सफल नहीं हो सका है। तूफान 50 मील प्रति घण्टे से लेकर 100 मील प्रति घण्टे तक आता है। जितना तेज तूफान आता है, उतनी ही अधिक हानि होती है। अभी तक लोगों को जहाज द्वारा दी जाने वाली चेतावनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग तूफानों की पूर्व सूचना देने का प्रयास कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में तूफान अप्रैल-मई में आते हैं। अन्दमान द्वीप समूह में यह अक्तूबर और नवम्बर में उठते हैं। तूफान अचानक ही पूर्व अथवा पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। इस बारे में सूचना हमें अमरीकी उपग्रह द्वारा मिलती है। हमें इस बारे में 28 तारीख को 10 बजे के निकट फोटो मिल गये थे। उस समय तूफान पूर्व की ओर था परन्तु बाद में वह दूसरी ओर मुड़ गया और पारादीप बन्दरगाह नष्ट हो गई। चेतावनी दी गई थी परन्तु यह कहा गया था कि यह उड़ीसा के पूर्वी तट से टकरायेगा। वस्ताव में सबसे अधिक हानि जम्बू द्वीप, सतभाया क्षेत्र, राजनगर क्षेत्र में हुई है। यहाँ पर पहुँचना बड़ा कठिन है। इस क्षेत्र में सड़क आदि भी नहीं हैं। कार्यालय तथा टेलीफोन आदि की व्यवस्था भी नहीं है। अत: इन क्षेत्रों में तूफान की पूर्व सूचना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति ने पूछे जाने पर बताया कि ऐसी चेतावनियाँ प्राय: आती रहती हैं परन्तु हम उन पर अधिक ध्यान नहीं देते। तूफान अपना मार्ग बदलता रहता है। इस बारे में ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ऋतु विज्ञान विभाग ने सारे पश्चिमी-तट के साथ-साथ रडार लगाने का निर्णय किया है, इनका निर्माण देश में ही किया जायेगा। रडार को बाहर से भी खरीदने का निर्णय किया गया था परन्तु इसी बीच यह दुर्घटना घट गई। आशा है कि आगामी मानसून से पूर्व रडार लगा दिये जायेंगे। इस मामले में कुछ विलम्ब हुआ है और मुझे इस पर खेद है।

भारत के पूर्वी तट पर प्राय: प्रति वर्ष तूफान आते रहते हैं। 1885 में भी इस प्रकार का खतरनाक तूफान इस क्षेत्र में आया था। अब प्रश्न यह है कि हमें क्या करना है? जो रडार लगाये जायेंगे वे केवल 250 मील तक आने वाने तूफान के बारे में ही सूचना दे सकेंगे। एक अन्य तरीका ज्यू-स्टेशनरी उपग्रह छोड़ने का है परन्तु इस पर बहुत अधिक लागत आती है। अमरीका ने ऐसे दो उपग्रह छोड़ रखे हैं परन्तु इस क्षेत्र में कोई उपग्रह नहीं है। जापान एक उपग्रह छोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसमें हमें रुचि है क्योंकि इससे हमारे क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। हमें भी इस कार्य में कुछ धन लगाना होगा।

एक विशेष प्रकार के विमान द्वारा भी तूफान का पता लगाया जा सकता है। इस विमान में विशेष प्रकार के उपकरण लगे होते हैं जो तूफान की गति आदि के बारे में जानकारी देते हैं। हम ऐसा एक विमान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वित्त के अभाव के कारण इन मामलों में कुछ विलम्ब हो रहा है। रडार मशीनों के साथ-साथ समूचे क्षेत्र में मजबूत तारें बिछी होनी चाहियें। टेलीफोन और वायरलैस की उचित व्यवस्था का भी प्रबन्ध होना चाहिए ताकि कठिनाइयों के बावजूद भी सूचना दी जा सके। इन क्षेत्रों में संचार व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। उनमें नावें आदि भी होनी चाहिए। बिना नावों के उन क्षेत्रों से निकलना कठिन होगा। इन सभी चीजों की अत्यधिक आवश्यकता है।

यदि यह तूफान चिल्का झील से टकरा जाता तो स्थिति और भी खराब हो जाती क्योंकि उस क्षेत्र में अनेक द्वीप हैं। पानी से टकराने के बाद तूफान पानी को बहुत ऊँचा उठा देता है। अत: पूर्वोपाय करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इन क्षेत्रों में पक्की इमारतें भी बनाई जानी चाहियें ताकि लोग विपत्ति के समय यहाँ एकत्र हो सकें। इस प्रकार 90 प्रतिशत लोगों को विपत्ति से बचाया जा सकता है।

हमने उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया है और वह डा० खोसला की अध्यक्षता में एक समिति बनाने पर सहमत हो गई है जोकि सभी पहलुओं पर विचार करेगी। हम हालैण्ड से भी कुछ विशेषज्ञ मंगाने पर विचार कर रहे हैं। वे इस समिति की उसके कार्य में सहायता करेंगे। बाँध बनाने का सुझाव भी दिया गया है। देखना यह है कि यह किस हद तक उड़ीसा में सहायक हो सकता है। इन क्षेत्रों में नदियों के पानी पर नियंत्रण करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसी लिए मैंने भीमकुण्ड और रंगाली बाँध बनाने के प्रश्न को महत्व दिया है। यदि लोगों को सुरक्षित रखना है तो ये बाँध अवश्य बनाये जाने चाहियें।

आंध्र में आये तूफान के पश्चात हमने ऋतु-विज्ञान के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने मार्च, 1971 में एक प्रतिवेदन दिया था। उन्होंने पूर्वोपाय के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उड़ीसा में भी एक समिति नियुक्त करने के लिए उड़ीसा सरकार को कहा गया है। वह प्रत्येक क्षेत्र में जाकर उसकी समस्याओं का अध्ययन करेगी। लोगों

की जानकारी के लिए अनेक इश्तहार भी प्रकाशित किये गये हैं। एक फिल्म भी बनाई गई है जो शीघ्र ही दिखाई जायेगी। समिति का प्रतिवेदन भी दो महीने में प्राप्त हो जायेगा। एक दुर्भाग्य-पूर्ण घटना घटी है और इसको रोका जा सकता था। यदि सड़कें और संचार व्यवस्था अच्छी होतीं तो लोगों को मरने से बचाया जा सकता था।

7,000 कुओं में से केवल 2,800 कुएँ ही काम कर रहे हैं। राज्य सरकार और नलकूप लगाने के लिए अनेक ठेकेदार नियुक्त किये गये हैं। उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में पीने का पानी निकालने के लिए 500 अथवा 600 फुट गहरे कुएँ खोदने पड़ते हैं। अत: इसमें कुछ समय लगता है। अत: सर्वप्रथम हमें वहाँ के लोगों को पेय जल उपलब्ध कराना चाहिए।

जहाँ तक मकानों का संबंध है, मैंने राज्य सरकार को छत आदि बनाने का सामान खरीदने का सुझाव दिया था परन्तु उनके विचार में लोगों को धन देना अधिक अच्छा था। मेरे विचार में लोगों को मकान बनाने की सामग्री ही सप्लाई की जानी चाहिये। इसी प्रकार लोगों को पहनने के कपड़े देना भी अत्यावश्यक है। इस सबके लिए अधिक खाद्यान्न सप्लाई की आवश्यकता है। जब तक हम लोगों के लिये वैकल्पिक रोजगार का प्रबन्ध नहीं कर देते, उन्हें खाद्यान्न सप्लाई किया जाना चाहिए। अत: राहत का कुछ कार्य शुरू कर दिया गया है। परन्तु इन क्षेत्रों में अभी पर्याप्त कार्य किया जाना शेष है।

केन्द्रीय सरकार के दल संबंधित-क्षेत्रों का दौरा करने के पश्चात अपनी सिफारिशें देते हैं और इस प्रकार दिये जाने वाले धन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। मुझे आशा है कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार अवश्य ही वित्तीय सहायता देगी। अब तक पाँच करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। लोगों को राहत देने के लिए सरकार और भी सहायता देगी। यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है और हमें इस पर बहुत खेद है। इस क्षेत्र के पुनर्वास की जिम्मेदारी समूचे राष्ट्र पर है।

मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से अनुरोध करूँगा कि वह अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस ले लें। मेरा सभा से अनुरोध है कि वह श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : (केन्द्रपाड़ा) मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The motion was by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ज्योतिर्मय बसु का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री चिन्तामणि पाणिग्रही का प्रस्ताव, जिसको माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है:—

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

'कि उड़ीसा में हाल के तूफान से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यह सभा तूफान में मरने वालों के साथ तथा इस विपत्ति की घड़ी में उड़ीसा की सारी जनता के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है।'"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अगला मद श्री घनश्याम ओझा के नाम में है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं विचार के लिए पहले ही विधेयक प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसके लिए दो घण्टे का समय अलाट किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इसको बाद में लिया जायेगा।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTES

छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा हुई है। अब सभा कल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 नवम्बर, 1971/3 अग्रहायण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 24th November, 1971/Agrahayana 3, 1983 (Saka).

New India Printing Press, Khurja